त्रयोदश माला, खंड 33, अंक 30

FOR REFERENCE ONLY.

मंगलवार, 29 अप्रैल, 2003
9 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 55
Date 20/1/04

(खण्ड 33 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 33, बारहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 30, मंगलवार, 29 अप्रैल, 2003/9 वैशाख, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 543, 544, 546 और 547	1-33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 545, 548 से 562	34-59
अतारांकित प्रश्न संख्या 5473 से 5598 .	59-224
सभा पटल पर रखे गए पत्र	225-229
प्राक्कलन समिति	
सोलहवां प्रतिवेदन	229
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में नागरिकों को, जो उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अधिशासित होते हैं, संविधान में निहित मूल लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किए जाने से उत्पन्न स्थिति	
श्री मोहन एस० देलकर	230
श्री लालकृष्ण आडवाणी	230
श्री पी०सी० थामस	237
श्री हरिन पाठक .	239
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) विश्व विख्यात गणितज्ञ डा० वशिष्ठ नारायण सिंह की दयनीय अवस्था के बारे में	252
(दो) बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में	254
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) राजस्थान में पेयजल की गंभीर समस्या के समाधान के लिए कारगर कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
प्रो० रासासिंह रावत	260

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(दो) झारखंड में रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए 'जलधारा' परियोजना का कारगर कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी 261

(तीन) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, झारखंड के कार्यकरण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय . . . 261

(चार) तेल कंपनियों द्वारा विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तेल विक्रेताओं से बकाया देय राशि से अधिक कटौती न किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल . . 262

(पांच) झारखंड में लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बॉक्साइट और एल्युमीनियम आधारित उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

प्रो० दुखा भगत. . . 262

(छह) कर्नाटक में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री जी०एस० बसवराज 262

(सात) कर्नाटक में विद्युत उत्पादन के लिए वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के कोयला खंडों को आवंटित करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री नरेश पुगलिया . 263

(आठ) केरल के कन्नूर जिले के तलाई में एक मत्स्य-पत्तन स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

प्रो० ए०के० प्रेमाजम 264

(नौ) विशाखापत्तनम शहर में रेलवे की जमीन पर रह रहे परिवारों के पुनर्वास के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता .

डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति 264

(दस) उत्तर प्रदेश में खीरी जिले में बैलदाघाट और सिरसीघाट के बीच शारदा नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा 265

विषय कॉलम

(ग्यारह) देश के प्रत्येक जिले में युवा सेवा केन्द्र स्थापित किए जाने और खेल-कूद स्टेडियम का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री डी० वेणुगोपाल. 265

(बारह) बिहार में खगड़िया रेलवे स्टेशन के नजदीक एक सड़क ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रेनु कुमारी 266

(तेरह) उड़ीसा के भुवनेश्वर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खंडपारा विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन महत्व के स्थल कैन्टिलो नीला माधव का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता

डा० प्रसन्न कुमार पाटसाणी . . 266

(चौदह) व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, में एक हवाई अड्डे का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र विजय सिंह . 267

(पंद्रह) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को ढेंकानाल से उत्कल विश्वविद्यालय, उड़ीसा में स्थानांतरित किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री के०पी० सिंह देव 267

वित्त विधेयक, 2003—विचाराधीन

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री के०ए० सांगतम 268

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे. 271

श्री राज बब्बर 275

श्री त्रिलोचन कानूनगो . 283

श्रीमती निवेदिता माने 289

श्री किरीट सोमैया 290

श्री के०पी० सिंह देव . 306

श्री आदि शंकर 314

श्री प्रबोध पण्डा 318

श्री रतन लाल कटारिया 321

श्री संतोष मोहन देव 325

विषय	कॉलम
श्री जी०एम० बनातवाला	331
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल	334
श्री तरित बरन तोपदार	337
श्री रामजीलाल सुमन	339
श्री चन्द्रकांत खैरे	342
श्री पवन सिंह घाटोवार	347
श्री के० फ्रांसिस जार्ज	350
श्री एस० मुरुगेसन	353
श्री पी०एस० गढ़वी	355
श्री हरिभाऊ शंकर महाले	360
श्री भर्तृहरि महताब	361
श्री विजय हान्दिक	366
श्री पी०सी० थामस	368
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल	370
श्री श्याम बिहारी मिश्र	376
श्री रामदास आठवले	379
श्री मणि शंकर अय्यर	384

लोक सभा

मंगलवार, 29 अप्रैल, 2003/9 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है कि देश भर के कैंटोनमेंट बोर्ड भंग कर दिए गए हैं। उनके चुनाव नहीं हो रहे हैं। चुनाव के अभाव में वहां के अधिकारी और सेना के अधिकारी मिलकर जनता का इतना शोषण कर रहे हैं कि जल कर दस-दस गुना तक बढ़ाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे शून्य काल में उठाइए। मैंने आपका नोटिस डिसअलाऊ कर दिया है।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

*543. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :**
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक कितने गांवों को सड़कों से जोड़ा गया और इसके अंतर्गत निर्मित सड़कों की राज्य-वार लंबाई कितनी है;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य सड़कों से न जुड़ी आबादियों को दो चरणों में ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना का दूसरा चरण कब से शुरू होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार जनजातीय आवास वाले गांवों के मामले में 500 व्यक्तियों की जनसंख्या की आबादी को सड़क से जोड़ने संबंधी मानदंडों की समीक्षा करने का है और जनजातीय आबादी के इधर-उधर बिखराव के मद्देनजर इनके लिए कम जनसंख्या का मानदंड निर्धारित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार ने हाल ही में इस योजना के अंतर्गत कार्यों को शुरू करने के लिए प्रक्रिया में संशोधन किया है, जैसाकि दिनांक 4 अप्रैल, 2003 के 'दि हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(झ) इस मामले में राज्य सरकार ने क्या मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ञ) क्या प्रक्रिया आदि को संशोधित करने के पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था; और

(ट) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ट) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ट) राज्यवार बसावटों की संख्या और 31 मार्च, 2003 तक स्वीकृत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी०एम०जी०एस०वाई०) सड़क कार्यों की लम्बाई से संबंधित जानकारी संलग्न विवरणों में (अनुबंध-I से III) में दी गयी है।

पी०एम०जी०एस०वाई० का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 1.60 लाख सड़कों से न जुड़ी बसावटों को इस प्रकार अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ना है कि 1000 व्यक्ति और इससे अधिक की आबादी वाली बसावटें तीन वर्षों (2000-2003) में और 500 व्यक्ति और इससे अधिक की आबादी वाली सड़कों से न जुड़ी सभी बसावटें दसवीं योजनावधि के अंत तक (2007) सड़क सुविधायुक्त हो जाएं। पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तरांचल) तथा मरूभूमि क्षेत्रों (जैसा मरूभूमि विकास कार्यक्रम में उल्लिखित है) एवं जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों के संबंध में, इसका उद्देश्य 250 व्यक्ति या इससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को सड़कों से जोड़ना होगा।

सरकार ने जनवरी, 2003 में पी०एम०जी०एस०वाई० के दिशा निर्देशों में संशोधन किए हैं। पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के मानदंडों और बुनियादी प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं है और मुख्यत: कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के सुचारू कार्यान्वयन हेतु और अधिक ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए संशोधन किए गए हैं। पी०एम०जी०एस०वाई० के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, मानक बोली दस्तावेज, जिसे राज्य सरकारों और विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद बनाया गया है ताकि ठेका देने की प्रक्रिया को मानकीकृत किया जा सके, के अनुरूप कार्यों का ठेका दिया जाएगा।

अनुबंध-I

पी०एम०जी०एस०वाई० 2000-01 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य	कुल लंबाई (कि०मी० में)	लाभान्वित होने वाली बसावटों की कुल सं०
1.	आंध्र प्रदेश	3367.07	2737
2.	असम	194.47	918
3.	बिहार	854.96	680
4.	छत्तीसगढ़	980.68	306
5.	गुजरात	488.77	175
6.	हरियाणा	380.82	5
7.	जम्मू व कश्मीर	96.26	111
8.	झारखंड	891.8	520
9.	कर्नाटक	1658.08	1870
10.	केरल	104.56	38
11.	मध्य प्रदेश	1980.75	200
12.	महाराष्ट्र	613.96	342
13.	मिजोरम	80.3	9
14.	उड़ीसा	1110.73	1556
15.	पंजाब	171.04	134
16.	राजस्थान	1193.87	386
17.	तमिलनाडु	1457.85	972
18.	उत्तरांचल	300.95	162
19.	पश्चिम बंगाल	823.89	1480
20.	पांडिचेरी	48.55	59
21.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	17.35	14
	कुल	16818.71	12674

टिप्पण : शेष 9 राज्यों एवं दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, पूर्ववर्ती बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत लिए गए अधूरे सड़क कार्यों को पूरा करने के लिए 672.26 करोड़ रु० की राशि उपलब्ध कराई गई थी।

अनुबंध-II

पी०एम०जी०एस०वाई० 2001-02 और 2002-03* के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य	कुल लंबाई (कि०मी० में)	लाभान्वित होने वाली बसावटों की कुल सं०
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3475.24	1781
2.	अरूणाचल प्रदेश	662.49	214
3.	असम	589.12	957
4.	बिहार	1543.14	1227
5.	छत्तीसगढ़	1249.14	543
6.	गोआ	109.71	50
7.	गुजरात	815.15	466
8.	हरियाणा	700	391
9.	हिमाचल प्रदेश	934.1	449
10.	जम्मू व कश्मीर	233.98	131
11.	झारखंड	1186.95	585
12.	कर्नाटक	3221.88	2359
13.	केरल	295.37	192
14.	मध्य प्रदेश	3851.29	1331
15.	महाराष्ट्र	1885.85	853
16.	मणिपुर	696.31	130
17.	मेघालय	275	96
18.	मिजोरम	300.21	31
19.	नागालैंड	321.5	39
20.	उड़ीसा	2080.28	1342
21.	पंजाब	523.28	299
22.	राजस्थान	2076.47	619
23.	सिक्किम	249.75	122
24.	तमिलनाडु	844.65	576

1	2	3	4
25.	त्रिपुरा	206.27	177
26.	उत्तर प्रदेश	3127.57	2090
27.	उत्तरांचल	466.15	144
28.	पश्चिम बंगाल	1118.47	1069
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	36.4	13
30.	दादर व नगर हवेली	83.89	36
31.	दमन व द्वीव	91.71	143
32.	दिल्ली	0	0
33.	लक्षद्वीप	0	0
34.	पांडिचेरी	43.93	11
	कुल	33295.35	18466

*दो वर्षों के सड़क कार्य एक साथ मंजूर किए गए थे।

अनुबंध-III

पी०एम०जी०एस०वाई० 2003-04 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य	कुल लंबाई (कि०मी० में)	लाभान्वित होने वाली बसावटों की कुल सं०
1.	छत्तीसगढ़	2283.72	1039
2.	हरियाणा	274.81	102
3.	मध्य प्रदेश	2814	836
4.	मिजोरम	277.98	19
5.	राजस्थान	5490.70	1641
	कुल	11141.21	3637

श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में केवल उन परियोजनाओं की कुल संख्या की जानकारी दी है जिन्हें अखिल भारतीय आधार पर मंजूरी दी गई है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अलग-थलग पड़े उन स्थानों की कुल संख्या का अध्ययन किया है जिन्हें सड़कों द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता है और क्या राज्यों द्वारा जिन सड़कों को पूरा किया जाना है? उन की कुल संख्या के बारे में विवरण भेजने की सम्भावना है। वह समय सीमा क्या है जिसके भीतर माननीय मंत्री को विभिन्न श्रेणियों जैसे हजार लोगों के निवास स्थानों के लिए, 500 लोगों के निवास स्थानों के लिए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों जिन्हें वहां दिखाया गया है के लिए गांवों को जोड़े जाने का कार्य पूरा किया जाना है।

महोदय, मेरे प्रश्न का अंतिम भाग यह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रह रहे हैं। क्या मंत्री जी उन स्थानों को जोड़ने हेतु दिशानिर्देशों का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं जहां 250 या उससे अधिक लोग रह रहे हैं।

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : महोदय, कुल 8,25,647 में से 3,30,445 प्रवास ऐसे हैं जो अलग थलग हैं। इन अलग थलग प्रवासों में से 58,787 आवास ऐसे हैं जहां की आबादी 1000 और उससे अधिक है। अलग थलग प्रवासों में से 80,590 ऐसे हैं जहां की आबादी 500 से 1000 के बीच है और 21,440 प्रवास ऐसे हैं जहां की आबादी 250 से 500 के बीच है। इस प्रकार इनकी कुल संख्या लगभग 1,60,791 है।

महोदय, यह कार्यक्रम दिसम्बर, 2000 में शुरू किया गया था। वर्ष 2000-01 के प्रारंभ में लोग यह तैयारी कर रहे थे कि इसे कैसे पूरा किया जाए और इसमें किस प्रकार की बातें शामिल हों। वे कम से कम पहले छः महीनों तक भ्रमित रहे। सितम्बर, 2001 के पश्चात् इस कार्यक्रम को शुरू किया गया और इस समय इस कार्यक्रम का वास्तविक और वित्तीय विस्वासन इस प्रकार है।

देश में लगभग 37,000 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाने की आशा की गई थी। फरवरी, 2003 तक 24002 किलोमीटर की मंजूरी ली गई थी। फरवरी, 2003 तक लगभग 12761 किलोमीटर सड़क बना ली गई है। वर्ष 2000-01 हेतु 84.95 प्रतिशत सड़कें पूरी की गई थी जबकि वर्ष 2001-02 हेतु फरवरी, 2003 तक 71 प्रतिशत सड़कें पूरी हुई।

श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि राज्यवार किए गए आबंटन की राशि कितनी है, प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी गई, संबंधित राज्यों द्वारा कितनी राशि वास्तव में खर्च ली गई है और क्या संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु दी गई निधियों का विचलन किया गया है। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो क्या मंत्री जी इसकी जानकारी देंगे कि निधियों के दुरुपयोग को रोकने हेतु उन्होंने क्या योजना बनाई है।

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : महोदय, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष लगभग 2500 करोड़ रु० का आबंटन किया जाता है। यह पहले से ही है। वर्ष 2000-01 हेतु लगभग 2500 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2001-02 हेतु यह लगभग 3500 करोड़ रु० है और वर्ष 2002-2003 हेतु यह लगभग 2340 करोड़ रु० है। इसमें से सभी राज्यों अर्थात् 28 राज्यों और 6 संघ शासित क्षेत्रों को 5009.35 करोड़ रु० की राशि जारी की गई।

मेरे विचार से इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में चल रहा कार्य संतोषजनक है परन्तु सड़कों की श्रेणी और गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट जिसमें बताया गया था कि 4370 किलोमीटर सड़क का निरीक्षण किया गया था। इस वर्गीकरण में गुणवत्तावार 5.26 प्रतिशत को खराब, 25.30 प्रतिशत औसत क्षेत्र को, लगभग 62 प्रतिशत उत्तम और केवल 6 प्रतिशत अति उत्तम सड़कें थी। यदि हम इसके गुणवत्ता पहलु को देखें तो लगभग 30 प्रतिशत खराब श्रेणी में आती हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है कि हम प्रत्येक राज्य में तकनीकी निकायों द्वारा गुणवत्ता जांच कराने के बारे में सोच रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से मंत्री महोदय से पिछले एक साल से मांग हो रही थी कि जो ट्राइबल विलेज हैं, उन्हें सड़कों से जोड़ा जाए। वे स्केटर्ड रूप में रहते हैं। आप महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, आपको पता है कि आदिवासी एक जगह नहीं रहते, उनकी छोटी-छोटी बस्तियां होती हैं। सारे देश में कुल 120 जिलों में ट्राइबल पापुलेशन है। आदिवासी वहां रहते हैं, जहां जंगल होते हैं और फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के प्रावधानों की वजह से जंगलों में रास्ते निकालने की अनुमति मिलना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से ट्राइबल विलेजेज को आज तक रोड्स से कनेक्ट नहीं किया जा सका। 500 या 1000 से अधिक की आबादी वाले गांव को रोड से कनेक्ट करने में ट्राइबल विलेजज को छूट दी गई है। आपने सही फरमाया कि जो गांव 250 से ज्यादा आबादी के हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए पिछले तीन साल में काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि वे एक हजार की आबादी में नहीं आते थे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ट्राइबल विलेज, जो छोटे-छोटे टोलों के रूप में रोड की साइड में 50-100 मकानों के रूप में होते हैं, उनका पिछले तीन साल का, 2000-01, 2001-02 और 2002-03, बैकलाग पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि जो नक्सलवादी समस्या से प्रभावित राज्य हैं उन स्टेट्स के अंदर, खास कर रोड-माइन्स का यूज करके, जहां पुलिस डिपार्टमेंट और बाकी लोग जो अफैक्टिड हो रहे हैं, अगर वहां टार रोड बन जाता है तो रोड माइन्स का किसी प्रकार से प्रयोग वे नहीं कर सकते। इसीलिए आज रोड बनाने के लिए भी विरोध हो रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, देश के 120 डिस्ट्रिक्ट में जो ट्राइबल्स गांव हैं, जिनकी संख्या आपने 81,000 बताई है, उनको सड़कों से जोड़ने के लिए आपने जी०आर० अभी तक राज्य सरकारों को दी नहीं है या राज्य सरकारों ने ली नहीं है। क्या राज्य सरकारों को इसकी सूचना देकर, आप जल्दी से जल्दी, तीन साल के बैकलॉग को दूर करने की कोशिश करेंगे?

दूसरे, आपने एमपीज की अध्यक्षता में, जिला स्तर पर, विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है। जिस डिस्ट्रिक्ट में दो एमपीज हैं, उसमें से जिनके एरिया में ज्यादा असेम्बली कांस्टीटयूएंसीज आती हैं उनको चेयरमैन बनाने की हाउस में घोषणा की गयी थी। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे क्षेत्र में भी चार असेम्बली कांस्टीटयूएंसीज आती हैं लेकिन मुझे अभी तक वहां का चेयरमैन नहीं बनाया गया है। जिसके पास दो असेम्बली कांस्टीटयूएंसीज हैं, चूंकि वे रूलिंग पार्टी के हैं, इसलिए उनको अध्यक्ष बनाया गया है। हम अपोजिशन में हैं इसलिए हमें नहीं बनाया गया है। इस प्रकार का अन्याय देश के गई सांसदों के साथ हुआ है। क्या आप इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे?

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : आदिवासी क्षेत्रों में 250 और उससे कम की आबादी को कवर करने के संशोधित दिशा निर्देशों के बारे में यह बताया गया है कि इनका पहले ही रूपांकन किया जा चुका है और राज्य सरकारों को भेजा गया है, ताकि जनजातीय गावों में कलस्टर आधार के को संयोजित करने के लिये भविष्य में कार्यक्रम बताये जायें। 250 से कम की आबादी वाले 500 मीटर की परिधि के सभी जन बस्तियों और गांवों को शामिल किया जा सकता है। इसलिये जिस संबंध के बारे में उन्हें सन्देह है, उसको ओर ध्यान दिया जायेगा।

दूसरे सतर्कता और निगरानी समितियों के बारे में, मैं जानता हूं कि उन्होंने पहले ही इस प्रश्न की ओर इंगित किया है। बहुत कम संसद सदस्यों, जिसकी संख्या चार या पांच है, को यह शिकायत है। हम इस ओर ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : मेरा प्रश्न यह था कि तीन साल का बैकलॉग दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? इस विषय पर माननीय मंत्री महोदय ने प्रकाश नहीं डाला है। पिछले तीन बजट ईअर में जो ट्राइबल्स विलेजिज को नुकसान हुआ है, उनको ज्यादा फंड देकर, राज्य सरकारों को प्रिओरिटीज देने का क्या आप आदेश देंगे?

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : हम इस तरफ ध्यान देंगे।

श्री वी०एम० सुधीरन : उत्तर में राज्यवार आबंटन का ब्यौरा नहीं दिया गया है। मैं एक बात तो कह सकता हूं कि मुझे निधियों के आबंटन और केरल जैसे राज्य को परियोजनाओं को स्वीकृति में कोई औचित्य नहीं दिखता। मुझे लगता है कि जहां तक इस परियोजना का संबंध है। केरल जैसा राज्य पूरी तरह उपेक्षित है। केरल में कुल 4252.90 किलोमीटर लंबी सड़कों को जोड़ा जायेगा और यह 5415 बस्तियों के लिये है।

परन्तु अभी तक 2000 से 31 मार्च 2003 तक कुछ स्वीकृत की गयी परियोजनाएं 399.99 किलोमीटर की है। यह 230 बस्तियों के लिये है इसका तात्पर्य यह है कि 5185 बस्तियों और 3853 किलोमीटर लम्बी सड़क का कार्य अभी शेष है जिन्हें कवर करना है, यदि यह स्थिति जारी रही, तो केरल अपनी युक्तियुक्त आवश्यकताओं को प्राप्त करने में कभी भी समर्थ नहीं होगा। इसे ध्यान में रखते हुये मंत्री महोदय केरल जैसे राज्यों की शिकायतों पर ध्यान देंगे और इस राज्य के साथ न्याय करने हेतु युक्तियुक्त और व्यावहारिक मानदण्ड बनायेंगे।

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : माननीय सदस्य केरल को दिये जाने वाले आबंटन के बारे में चिन्तित है। मैं राज्यवार आबंटन के बारे में पूरी जानकारी दे सकता हूं जिसमें केरल को 20 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ है। तथापि, केरल में 2000-2001 का कार्यनिष्पादन बहुत अच्छा नहीं है। वास्तव में हमें इससे अधिक की आशा थी। हमने केरल को 46.25 करोड़ रुपये तक की राशि जारी कर दी है।

हम आशा करते हैं कि अगले कुछ वर्षों में वे जो भी कार्य करेंगे, हम इस विषय में अवश्य विचार करेंगे।

उन्होंने भी केरल की समस्याओं के बारे में कुछ संदेह व्यक्त किये है। मेरे विचार में ऐसा नहीं होना चाहिये। क्योंकि आबंटन इस आधार पर किया जाता है कि राज्य में ऐसी कुल कितनी बस्तियां है जिन्हें सड़कों से नहीं जोड़ा गया है और उसकी तुलना में देश में कुल कितनी बस्तियों हैं जिन्हें सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। महोदय, हम इसका ध्यान रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पिछले चार सालों – 2001, 2002, 2003, 2004 – में स्वीकृत किलोमीटर सड़क से लाभान्वित होने बस्तियों की सूची दी है, लेकिन इस सूची में यह नहीं है कि इन्होंने जो स्वीकृति दी है, उसमें कितने किलोमीटर पथ बनें और कितनी प्रगति हुई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बिहार में सन् 2001, 2002, 2003 और 2004 में दी गई पथों की स्वीकृति को देखते हुए, पथ बनाने में कुल कितनी प्रगति हुई है? मंत्री जी ने 2003-2004 के संबंध में जो सूची दी गई है, उसे देखने से हमको लगता है कि बिहार के साथ इन्साफ नहीं हुआ है। बिहार के लिए इसमें एक किलोमीटर पथ की भी स्वीकृति नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि बिहार के लिए एक किलोमीटर की भी स्वीकृति नहीं है, तो इसका क्या कारण है? क्या इसका यह कारण है कि राज्य सरकार से सूची नहीं आई है? अगर सूची नहीं आई है, तो हम जानना चाहते हैं कि बिहार के सांसदों से अनुशंसा लेकर क्या आप बिहार को उसका हक और इंसाफ देने का काम करेंगे? इसी सदन में पूर्व मंत्री, श्री शांता कुमार ने घोषणा की थी कि जिन राज्यों में कार्य सही ढंग से नहीं हो रहे हैं, वहां हम दूसरी एजेंसियों से कार्य करायेंगे। हम जानना चाहते हैं कि पूर्व मंत्री, श्री शांता कुमार की घोषणा के मुताबिक आपके विभाग द्वारा कौन सी कार्यवाही की गई है? खासकर बिहार के संबंध में उन्होंने जवाब दिया था कि वह बिहार में दूसरी एजेंसियों से काम कराने पर विचार कर चुके हैं। अगर विचार कर चुके हैं, तो कब तक आप उस विचार को कार्यरूप में ले आयेंगे?

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : अध्यक्ष महोदय, इनका पहला सवाल यह है कि हम राज्यों को जो निधि दे रहे हैं, वह ठीक नहीं दे रहे हैं। जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार राज्य को हमने काफी निधि दी है। सन् 2000-2001 में 149.90 करोड़ रुपए दिए थे। उसके पहले 1998 में 302 करोड़ रुपए का प्रावधान किया।

[अनुवाद]

इस पूरे योग में से बिहार राज्य ने केवल 63.33 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यह कार्य निष्पादन बहुत अच्छा नहीं था, यह बहुत ही कम था। इसलिये मेरे पूर्ववर्ती मंत्री श्री शान्ता कुमार ने मुख्य मंत्री सहित राज्य सरकार के साथ बहुत सी बैठकें की थी। इन बैठकों का परिणाम यह निकला कि उन्होंने यह कार्य किसी एजेंसी विशेषकर 'राइटस्' और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग सह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमन्टेंट को दे दिया। एन०पी०सी०सी० को एक कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया। मुझे विश्वास है कि वे इन परियोजनाओं को अवश्य पूरा करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : खर्चा कितना हुआ है? *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, सन् 2003 और 2004 में एक किलोमीटर पथ की भी स्वीकृति नहीं हुई है, इसका कारण क्या है? *(व्यवधान)*

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : खर्चा 63.33 करोड़ रुपए हुआ है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

• **डा० वी० सरोजा** : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है। जिसे 25-12-2000 को चलाया गया था। जिसका इसका उद्देश्य उन 1.6 लाख बस्तियों को बीच बारह मासी सड़कों से जोड़ना है जिन्हें अभी तक नहीं जोड़ा गया है। 2007 तक अर्थात 10वीं पांच वर्षीय योजना के अंत तक 500 की जनसंख्या वाले सभी बस्तियों को सड़कों से जोड़ना है। इन प्रस्तावों को स्वीकृत और कार्यान्वित करवाने में विलम्ब हो रहा है। इसका कारण यह है कि वहां पर अधिकतर सड़कें वन विभाग के अंतर्गत आती हैं और यह विलम्ब पर्यावरण और वन विभाग द्वारा समय पर स्वीकृति न देने से होता है।

विशेषकर तमिलनाडु में अधिकतर सड़कें जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में आती हैं। क्या मंत्री महोदय पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृत प्राप्त करने और इसी वर्ष के दौरान इस लक्ष्य को पूरा करने के काम में विशेष रूचि लेंगे?

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : जिलों और राज्य सरकार द्वारा इसकी योजना बनाई जाने के बाद ये प्रस्ताव हमारे पास आते हैं। परन्तु जहां तक तमिलनाडु का संबंध है इसमें कोई शक नहीं कि इसमें अवश्य ही कुछ कठिनाईयां है। मैं सोचता हूं हम इस ओर ध्यान देंगे।

श्री के० येरननायडू : महोदय, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना स्वतन्त्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया एक बढ़िया कार्यक्रम है। मैं देश के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रशंसा करता हूं। परन्तु आपने जो कार्ययोजना बनाई है उसमें आपने यह निर्णय लिया है कि 1000 से अधिक की जनसंख्या वाले गांव को सड़कें 2003 तक पूरी करनी है और 500 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों की सड़के 2007 तक पूरी कर दी जानी है। अब तो वर्ष 2003 चल रहा है। क्या आप इसी वर्ष के अन्त तक 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों की सड़कें पूरी करने में समर्थ है?

दूसरे, इस कार्यक्रम को आबंटित बहुत ही अल्प निधियों को ध्यान में रखते हुये 2007 तक सड़कों का निर्माण पूरा किया जाना सम्भव नहीं है? क्या मंत्री जी को यह सूचना मिली है कि वह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं? सरकार द्वारा दी गयी वचनबद्धता के अनुसार 600 से अधिक की जनसंख्या वाले और पहाड़ी, रेगिस्तानी और अन्य क्षेत्रों के मामले में 250 से अधिक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 2007 तक सड़कों का निर्माण पूरा किया जाना है। आपके दृष्टिकोण से लक्ष्य को पूरा करने के लिये निधियां पर्याप्त नहीं है। क्या सरकार समय सूची सारणी के अनुसार सभी सड़कों का निर्माण पूरा करने के लिये निधियों में वृद्धि करेगी?

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि हमारे पिछले कार्यक्रम के अनुसार 2003 तक हम 1000 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों में सड़कों का निर्माण पूरा करने में समर्थ नहीं होंगे। न केवल केन्द्र सरकार की ओर से अपितु राज्य सरकार की तरफ से भी बहुत सी कठिनाईयां है और इस तरह वह काम को पूरा करने में समक्ष नहीं हैं। महाराष्ट्र के बारे में मैं ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। क्योंकि यह कार्य ग्रामीण विकास विभाग को दिया जायेगा या लोक निर्माण विभाग को दिया जायेग, इस विवाद को सुझलाने के लिए शीर्षस्थ या कार्यकारी एजेंसियों ने 11 महीने का समय ले लिया। 11 महीने यह निर्णय लेने में लग गये कि यह काम किस विभाग द्वारा किया जाना चाहिये। अत: राज्यों में बहुत सी रूकावटें हैं। इन रूकावटों के कारण हमारे सम्मुख समस्या आई है। परन्तु हम इस समस्या का हल कर लेंगे।

दूसरे, निधियों की कोई कमी नहीं है। हमने पहले ही सभी कार्यक्रमों के लिये आवश्यक निधियां आबंटित कर दी हैं। जिनका उल्लेख वर्ष 2007 तक किया गया था। सी०आर०एफ० उपकर के माध्यम से 2500 करोड़ रुपये की राशि आने वाली है। हमने पहले ही विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक जैसी बाह्य एजेंसियों से 4000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तपोषण का प्रबन्ध किया है। इसलिये यहां निधियों की कोई कमी नहीं होनी चाहिये। परन्तु हम निश्चित रूप से सारे कार्यक्रम का पुनरीक्षण करेंगे और इन्हें पूरा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2000-2001 में एक भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई। मैं नहीं जानता कि उसके क्या कारण हैं? वर्ष 2002-2003 में जो सड़कें मंजूर हुई, वे बनीं, लेकिन कितनी बनी, मुझे मालूम नहीं? पिछले साल 11 अक्तूबर को जब प्रधान मंत्री जयप्रकाश नगर गए थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि जयप्रकाश जी के गांव और उसके आसपास के सारे छोटे-छोटे गांवों को सड़क से जोड़ दिया जाएगा लेकिन आज तक उस जगह कहीं एक मीटर सड़क भी नहीं बनी जबकि उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना बना कर भेजी, जिस की प्रतिलिपि मैंने प्रधान मंत्री जी के कार्यालय में भेजी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरा इससे अलग एक सवाल है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहां एक नेशनल हाई-वे गाजीपुर से हाजीपुर बन रहा है। उत्तर प्रदेश में घाघरा

पर पुल बन कर तैयार है। उत्तर प्रदेश के एरिया में एप्रोच रोड बन गई है लेकिन बिहार में कोई एप्रोच रोड नहीं बनी जिसे के कारण वह पुल पिछले छ: महीने से काम नहीं कर रहा है। बिहार सरकार ने आज तक वहां एप्रोच रोड बनाने के लिए एक किसी मिट्टी भी नहीं डाली। क्या सरकार को इसके बारे में जानकारी है? नेशनल हाई-वे एक अलग विषय है लेकिन मेरा दूसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 2000-2001 में एक भी सड़क स्वीकृत क्यों नहीं हुई? दूसरे, प्रधान मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से जो घोषणा की थी, उसके अनुसार जयप्रकाश नगर के हर गांव को जोड़ने की दिशा में अब तक कोई काम क्यों नहीं हुआ?

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : अध्यक्ष जी, माननीय चन्द्रशेखर जी ने पर्टिकुलरली जो सवाल उठाया कि कुछ काम नहीं हुआ है, मैं उसे सच नहीं मानता हूं क्योंकि हमारे पास *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : आप अपना 2000-2001 का विवरण देखें।

[हिन्दी]

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : अध्यक्ष जी, मेरे पास उत्तर प्रदेश का वर्ष 2000-01 का स्टेटमेंट है,

[अनुवाद]

जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए 324 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे।

[हिन्दी]

मैं डिटेल्स दे रहा हूं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप मेरी तरफ देखकर बोलिये, आसन की तरफ ध्यान दीजिये।

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : अध्यक्ष जी, हमारे पास स्टेटमैंट में जो डाटा है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं पूरा विवरण पढ़ रहा हूं।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं उस विवरण का संदर्भ दे सकता हूं जो मंत्री जी ने सभापटल पर रखा है? यदि कोई अतिरिक्त विवरण है, तो उसे सभा के समक्ष लाया जाए। यह कोई तरीका नहीं है कि "मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता"। वर्ष 2000-2001 में उत्तर प्रदेश का कोई उल्लेख नहीं है। मैं बिना उद्देश्य कोई प्रश्न नहीं पूछता।

[हिन्दी]

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : स्पीकर साहब, मैं स्टेटमेंट देने के लिये तैयार हूं क्योंकि मेरे पास जो ब्यौरा है, वह एक स्टेटमेंट में है,

[अनुवाद]

मैं इसे सभापटल पर रख दूंगा *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझने की कोशिश करें कि आपने जो स्टेटमेंट दी है, उसमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश का नाम क्यों नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष जी, इसमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष जी, माननीय चन्द्रशेखर जी द्वारा जो प्रश्न किया गया है, मंत्री जी को उसका जवाब देना चाहिये। मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

मंत्री जी, क्या आप बता सकते हैं? वर्ष 2000-01 का जो स्टेटमेंट है, उसमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। माननीय चन्द्रशेखर जी चाहते हैं कि इस साल खर्चा क्यों नहीं हुआ? आप इस प्रश्न का जवाब दे दीजिये, बात खत्म हो जाये।

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : यह स्टेटमेंट, 2000-01 से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

वर्ष 2000-01 का स्टेटमेंट इस साल नहीं दिया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, वर्ष 2000-01 का जो डाटा दिया है, उसे मैंने देखा है। आप लोग बैठिये। मुझे मंत्री जी से इन्फॉर्मेशन लेने दीजिये।

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : वह गलती से हुआ है। स्टेटमेंट में पूरा ब्यौरा दिया हुआ है।

[अनुवाद]

मेरे पास जानकारी है।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, मेरा एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। संयुक्त सचिव या इससे उच्च स्तर के अधिकारी के अनुमोदन के बिना कोई भी स्टेटमेंट इस सभा में नहीं दिया जा सकता। यदि ऐसा किया गया है और असावधानीवश पूर्णतः झूठा स्टेटमेंट सभापटल पर रखा जा रहा है, किसी न किसी को इसका खामियाजा भुगतना होगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है। मैं निराधार कोई बात नहीं कहता। मंत्री जी तत्काल खड़े होते हैं और कहते हैं कि जो श्री चन्द्रशेखर कहते हैं, वह इससे सहमत नहीं हैं; यह सही नहीं है। वह गलत बयानी कर रहे हैं। वह मुझ पर दोषारोपण कर रहे हैं कि मैंने सभा में कुछ गलत कहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात समझ रहा हूं। वह आप इस दोषारोपण नहीं कर रहे हैं।

श्री चन्द्रशेखर : उनसे इस बात की अपेक्षा नहीं की जाती।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका मुद्दा समझ रहा हूं।

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : स्पीकर साहब, यह स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है, यह सच है, ऐसा मैं मानता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास इस समय कोई जानकारी नहीं है, तो आप माननीय सदस्य को बाद में भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का देशवासियों ने स्वागत किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में बसी हुई जनता में आशा जगी है कि अब उनके गांव सड़कों से जुड़ेंगे। मैं इस संबंध में कुछ समस्याओं की ओर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक पहाड़ी प्रान्तों का संबंध है, वहां अधिकांश गांव छूटे हुये हैं, जो जंगलों से घिरे हुये हैं। सबसे बड़ी समस्या और सब से बड़ी बाधा, जैसा पुगलिया जी ने कहा, चाहे ट्राइबल क्षेत्र हैं, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हैं, आपका 1980 का अधिनियम है। उन्होंने यही प्रश्न पूछा था। मंत्री जी जानते हैं और यही जवाब देंगे कि उसका क्लीयरेंस लेना आवश्यक है। जब 1980 के अधिनियम के अन्तर्गत क्लीयरेंस मिलेगी, तब सड़कें बन जायेंगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इस प्रावधान को समयबद्ध बनायेंगे कि इतने दिनों में क्लीयरेंस देनी ही होगी, तभी गांव सड़कों से जुड़ पायेंगे। अन्यथा 1980 के एक्ट की आड़ में से गांव कभी भी सड़कों से नहीं जुड़ पायेंगे।

दूसरी समस्या यह है और जैसा इन्होंने भी कहा है कि 250 की आबादी वाले गांव भी जुड़ेंगे। इसमें पहाड़ी इलाकों और ट्राइबल क्षेत्रों के लिए आपने छूट दी है, जिसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन यह भी सत्य है कि वहां 250 की आबादी पूरी करना भी मुश्किल है। इसलिए क्या आप गांव की जगह गांव-समूह लिखेंगे, ताकि जितने भी गांव सड़कों में आते हैं, उनकी संख्या ली जाए।

मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि जहां तक ठेकेदारी परम्परा की बात है, वर्तमान में केवल 'ए' क्लास ठेकेदार ही इसका ठेका ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसा प्रावधान करेंगे कि 'बी' और 'सी' क्लास के ठेकेदार भी इन सड़कों का काम ले सकें, ताकि गांवों में बसने वाले लोगों को भी उसमें रोजगार मिल सके।

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : जहां तक जनजातीय क्षेत्रों का संबंध है, मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में यह पहले ही बताया है कि हम यह निश्चित तौर पर देखेंगे कि कार्यक्रम जल्दी शुरू किया जाए। जहां तक ठेकेदारों का संबंध है

[हिन्दी]

ये नई रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं कि यदि छोटे कांट्रैक्टर्स होंगे तो राज्य सरकार उन्हें भी काम दे सकती है, ऐसा हमने प्रावधान किया है। *(व्यवधान)*

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 1980 के एक्ट को मंत्री जी समयबद्ध करेंगे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप किसी दूसरे माध्यम से चर्चा उपस्थित कर सकते हैं। अभी बहुत प्रश्न पूछे जाने हैं।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

*544. **कुंवर अखिलेश सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह घोषणा की थी कि छात्रों को पूर्व-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों में और अधिक विकल्प मिलेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय को अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कौन प्राधिकारी जिम्मेदार है;

(घ) क्या सरकार भविष्य में छात्रों को निराशा से बचाने के लिए यह सुनिश्चित करेगी कि दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं के सभी विषयों के प्रश्न पत्रों में और अधिक विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) वर्ष 2002 के लिए कक्षा X के लिए गणित तथा कक्षा XII के लिए अर्थशास्त्र और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में विकल्प दिए गए थे। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2003 की परीक्षाओं में कक्षा X के लिए विज्ञान के प्रश्न पत्र तथा कक्षा XII के लिए भौतिकी और गणित के प्रश्न पत्रों में ऐसा ही प्रावधान किया गया था। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कुल प्रश्नों की संख्या को कम करने तथा उसमें अपेक्षाकृत अधिक विकल्प देने की नीति के आधार पर प्रश्न पत्रों की रूपरेखा तैयार करने का कार्य जारी रखेगा।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में वर्ष 2002 से कक्षा दस में गणित, कक्षा 12 में अर्थशास्त्र एवं जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों में तथा वर्ष 2003 के लिए कक्षा 10 में विज्ञान और कक्षा 12 में गणित में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में विकल्प देने की बात स्वीकार की है। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सम्पूर्ण विषयों में अधिक विकल्प के लिए क्या आपकी कोई कार्य योजना है, यदि हां, तो उक्त कार्य योजना को क्या आप निश्चित समयावधि में मूर्त रूप प्रदान करेंगे और कब तक प्रदान करेंगे।

डा० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पत्रों में सुधार और परीक्षा में सुधार एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। हम चाहते हैं कि परीक्षाओं में छात्रों पर मानसिक दबाव न रहे और परीक्षा को वे सहज रूप में लें। यह देखा गया है कि परीक्षा के दबाव और डर से कई बार एक अच्छा छात्र, जो बहुत कुछ जानता है, वह लिखने से वंचित रह जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्रों के अंदर ऐसी स्थिति पैदा की जाए जिससे छात्र को जितनी जानकारी है, परीक्षा में उसे पूरा लिखने का अवसर मिल जाए और उस पर दबाव न पड़े। यह प्रयोग अभी शुरू किया गया है और इसका हम अनुसरण कर रहे हैं। इसमें हमें जैसे-जैसे सफलता मिलती जाएगी, वैसे-वैसे हम इसका विस्तार करेंगे, बशर्ते कि उसमें हमें एक्सपर्ट्स की राय मिल जाए, क्योंकि यह सी०बी०एस०ई० अकेले नहीं करती, विद्यालयों, अभिभावकों और विशेषज्ञों से भी हम परामर्श करते रहते हैं, उस सबके बाद हम ऐसा निर्णय करते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि हमने जो सुधार किये हैं, उसमें पहले गणित के प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न कक्षा 10 में हुआ करते थे और उसमें कोई विकल्प नहीं होता था, छात्र को पूरे प्रश्न करने पड़ते थे। अब हमने उसमें प्रश्नों की संख्या घटाकर 25 कर दी है और पांच प्रश्नों के अंदर हमने उन्हें विकल्प दे दिया है। ऐसा हमने वर्ष 2002 की परीक्षा में किया है। ऐसे ही अन्य विषयों जैसे बॉयलोजी, इकोनोमिक्स, साइंस, मैथमैटिक्स तथा फिजिक्स में भी अब किया गया है। इसका जो कुछ समय शेष बचेगा, उसका हम यह विचार कर रहे हैं। इसको हमें फीड बैक मिल जाए, अनुश्रवण मिल जाए और जैसी आवश्यकता होगी, उसके अनुसार हम करेंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि बच्चे परीक्षा बिल्कुल सावधानी, सरलता के साथ तथा बिना किसी दबाव के दें।

कुंवर अखिलेश सिंह : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक आपने जिन विषयों में सीमित विकल्प का प्रयोग अपनाया है, वर्ष 2002-2003 में और गत वर्षों में जो आपकी परीक्षा प्रणाली रही है, उसमें आपको अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मैंने कहा कि वर्ष 2002 में जो परीक्षा हुई है उसे एक साल ही हुआ है। वर्ष 2003 की परीक्षा का परिणाम अभी नहीं निकला है। इतनी जल्दी इसमें बात नहीं बनती है,

[हिन्दी]

वर्ष 2000-01 का स्टेटमेंट इस साल नहीं दिया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, वर्ष 2000-01 का जो डाटा दिया है, उसे मैंने देखा है। आप लोग बैठिये। मुझे मंत्री जी से इन्फौर्मेशन लेने दीजिये।

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : वह गलती से हुआ है। स्टेटमेंट में पूरा ब्यौरा दिया हुआ है।

[अनुवाद]

मेरे पास जानकारी है।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, मेरा एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। संयुक्त सचिव या इससे उच्च स्तर के अधिकारी के अनुमोदन के बिना कोई भी स्टेटमेंट इस सभा में नहीं दिया जा सकता। यदि ऐसा किया गया है और असावधानीवश पूर्णतः झूठा स्टेटमेंट सभापटल पर रखा जा रहा है, किसी न किसी को इसका खामियाजा भुगतना होगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है। मैं निराधार कोई बात नहीं कहता। मंत्री जी तत्काल खड़े होते हैं और कहते हैं कि जो श्री चन्द्रशेखर कहते हैं, वह इससे सहमत नहीं हैं; यह सही नहीं है। वह गलत बयानी कर रहे हैं। वह मुझ पर दोषारोपण कर रहे हैं कि मैंने सभा में कुछ गलत कहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात समझ रहा हूं। वह आप इस दोषारोपण नहीं कर रहे हैं।

श्री चन्द्रशेखर : उनसे इस बात की अपेक्षा नहीं की जाती।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मै आपका मुद्दा समझ रहा हूं।

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : स्पीकर साहब, यह स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है, यह सच है, ऐसा मैं मानता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास इस समय कोई जानकारी नहीं है, तो आप माननीय सदस्य को बाद में भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का देशवासियों ने स्वागत किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में बसी हुई जनता में आशा जगी है कि अब उनके गांव सड़कों से जुड़ेंगे। मैं इस संबंध में कुछ समस्याओं की ओर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक पहाड़ी प्रान्तों का संबंध है, वहां अधिकांश गांव छूटे हुये हैं, जो जंगलों से घिरे हुये हैं। सबसे बड़ी समस्या और सब से बड़ी बाधा, जैसा पुगलिया जी ने कहा, चाहे ट्राइबल क्षेत्र है, चाहे पहाड़ी क्षेत्र है, आपका 1980 का अधिनियम है। उन्होंने यही प्रश्न पूछा था। मंत्री जी जानते हैं और यही जवाब देंगे कि उसका क्लीयरेंस लेना आवश्यक है। जब 1980 के अधिनियम के अन्तर्गत क्लीयरेंस मिलेगी, तब सड़कें बन जायेंगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इस प्रावधान को समयबद्ध बनायेंगे कि इतने दिनों में क्लीयरेंस देनी ही होगी, तभी गांव सड़कों से जुड़ पायेंगे। अन्यथा 1980 के एक्ट की आड़ में से गांव कभी भी सड़कों से नहीं जुड़ पायेंगे।

दूसरी समस्या यह है और जैसा इन्होंने भी कहा है कि 250 की आबादी वाले गांव भी जुड़ेंगे। इसमें पहाड़ी इलाकों और ट्राइबल क्षेत्रों के लिए आपने छूट दी है, जिसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन यह भी सत्य है कि वहां 250 की आबादी पूरी करना भी मुश्किल है। इसलिए क्या आप गांव की जगह गांव-समूह लिखेंगे, ताकि जितने भी गांव सड़कों में आते हैं, उनकी संख्या ली जाए।

मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि जहां तक ठेकेदारी परम्परा की बात है, वर्तमान में केवल 'ए' क्लास ठेकेदार ही इसका ठेका ले सकते हैं। गामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसा प्रावधान करेंगे कि 'बी' और 'सी' क्लास के ठेकेदार भी इन सड़कों का काम ले सकें, ताकि गांवों में बसने वाले लोगों को भी उसमें रोजगार मिल सके।

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : जहां तक जनजातीय क्षेत्रों का संबंध है, मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में यह पहले ही बताया है कि हम यह निश्चित तौर पर देखेंगे कि कार्यक्रम जल्दी शुरू किया जाए। जहां तक ठेकेदारों का संबंध है

[हिन्दी]

ये नई रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं कि यदि छोटे कांट्रैक्टर्स होंगे तो राज्य सरकार उन्हें भी काम दे सकती है, ऐसा हमने प्रावधान किया है। *(व्यवधान)*

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 1980 के एक्ट को मंत्री जी समयबद्ध करेंगे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप किसी दूसरे माध्यम से चर्चा उपस्थित कर सकते हैं। अभी बहुत प्रश्न पूछे जाने हैं।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

***544. कुंवर अखिलेश सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह घोषणा की थी कि छात्रों को पूर्व-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों में और अधिक विकल्प मिलेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय को अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कौन प्राधिकारी जिम्मेदार है;

(घ) क्या सरकार भविष्य में छात्रों को निराशा से बचाने के लिए यह सुनिश्चित करेगी कि दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं के सभी विषयों के प्रश्न पत्रों में और अधिक विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) वर्ष 2002 के लिए कक्षा X के लिए गणित तथा कक्षा XII के लिए अर्थशास्त्र और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में विकल्प दिए गए थे। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2003 की परीक्षाओं में कक्षा X के लिए विज्ञान के प्रश्न पत्र तथा कक्षा XII के लिए भौतिकी और गणित के प्रश्न पत्रों में ऐसा ही प्रावधान किया गया था। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कुल प्रश्नों की संख्या को कम करने तथा उसमें अपेक्षाकृत अधिक विकल्प देने की नीति के आधार पर प्रश्न पत्रों की रूपरेखा तैयार करने का कार्य जारी रखेगा।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में वर्ष 2002 से कक्षा दस में गणित, कक्षा 12 में अर्थशास्त्र एवं जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों में तथा वर्ष 2003 के लिए कक्षा 10 में विज्ञान और कक्षा 12 में गणित में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में विकल्प देने की बात स्वीकार की है। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सम्पूर्ण विषयों में अधिक विकल्प के लिए क्या आपकी कोई कार्य योजना है, यदि हां, तो उक्त कार्य योजना को क्या आप निश्चित समयावधि में मूर्त रूप प्रदान करेंगे और कब तक प्रदान करेंगे।

डा० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पत्रों में सुधार और परीक्षा में सुधार एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। हम चाहते हैं कि परीक्षाओं में छात्रों पर मानसिक दबाव न रहे और परीक्षा को वे सहज रूप में लें। यह देखा गया है कि परीक्षा के दबाव और डर से कई बार एक अच्छा छात्र, जो बहुत कुछ जानता है, वह लिखने से वंचित रह जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्रों के अंदर ऐसी स्थिति पैदा की जाए जिससे छात्र को जितनी जानकारी है, परीक्षा में उसे पूरा लिखने का अवसर मिल जाए और उस पर दबाव न पड़े। यह प्रयोग अभी शुरू किया गया है और इसका हम अनुसरण कर रहे हैं। इसमें हमें जैसे-जैसे सफलता मिलती जाएगी, वैसे-वैसे हम इसका विस्तार करेंगे, बशर्ते कि उसमें हमें एक्सपर्ट्स की राय मिल जाए, क्योंकि यह सी०बी०एस०ई० अकेले नहीं करती, विद्यालयों, अभिभावकों और विशेषज्ञों से भी हम परामर्श करते रहते हैं, उस सबके बाद हम ऐसा निर्णय करते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि हमने जो सुधार किये हैं, उसमें पहले गणित के प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न कक्षा 10 में हुआ करते थे और उसमें कोई विकल्प नहीं होता था, छात्र को पूरे प्रश्न करने पड़ते थे। अब हमने उसमें प्रश्नों की संख्या घटाकर 25 कर दी है और पांच प्रश्नों के अंदर हमने उन्हें विकल्प दे दिया है। ऐसा हमने वर्ष 2002 की परीक्षा में किया है। ऐसे ही अन्य विषयों जैसे बॉयलोजी, इकोनोमिक्स, साइंस, मैथमैटिक्स तथा फिजिक्स में भी अब किया गया है। इसका जो कुछ समय शेष बचेगा, उसका हम यह विचार कर रहे हैं। इसको हमें फीड बैक मिल जाए, अनुश्रवण मिल जाए और जैसी आवश्यकता होगी, उसके अनुसार हम करेंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि बच्चे परीक्षा बिल्कुल सावधानी, सरलता के साथ तथा बिना किसी दबाव के दें।

कुंवर अखिलेश सिंह : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक आपने जिन विषयों में सीमित विकल्प का प्रयोग अपनाया है, वर्ष 2002-2003 में और गत वर्षों में जो आपकी परीक्षा प्रणाली रही है, उसमें आपको अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मैंने कहा कि वर्ष 2002 में जो परीक्षा हुई है उसे एक साल ही हुआ है। वर्ष 2003 की परीक्षा का परिणाम अभी नहीं निकला है। इतनी जल्दी इसमें बात नहीं बनती है,

क्योंकि इसमें विशेषज्ञों तथा अन्य सबकी राय लेनी पड़ती है, उसके बाद हम लोग कोई निर्णय करते हैं। अभी इसके बारे में यह कहना कि सारे फीडबैक आ गए हैं, उचित नहीं होगा। लेकिन जैसे-जैसे फीडबैक आते हैं, हम उसका विश्लेषण करते हैं और उसमें समय लगता है। एक-दो-तीन साल भी लग सकते हैं, पर यह इस पर निर्भर करेगा कि बच्चे इसको कैसे स्वीकार करते हैं, परीक्षक और अध्यापक इसको कैसे स्वीकार करते हैं और विशेषज्ञ इस पर क्या राय देते हैं? इस सबको देखकर अन्य बोर्डों की जो परीक्षाएं होती हैं, उसके परिणाम और हमारे परिणामों में संतुलन कैसे होता है, इस सबको ध्यान रखकर यह तय किया जाता है। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सपुस्तकीय परीक्षा प्रणाली को आप लागू करेंगे?

डा० मुरली मनोहर जोशी : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आज भी हमारी परीक्षा पद्धति में कमियां हैं जिसके कारण छात्रों में आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। 1990 में एक परीक्षा सुधार समिति गठित की गई थी, उनकी क्या सिफारिशें थीं और उन सिफारिशों में से कितनी सिफारिशों पर क्रियान्वयन किया गया है?

प्रश्न का भाग 'ख' यह है कि उच्च शिक्षा के समुचित अवसर प्रदान करने के लिए 1980 में यह निर्णय लिया गया था कि नवोदय विद्यालय हरेक जिले में गठित किये जाएंगे। ऐसे कितने जिले आज बाकी हैं जहां नवोदय विद्यालय गठित नहीं किए गए हैं? अनुच्छेद 45 द्वारा सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 14 साल की उम्र के नीचे हरेक बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, लेकिन आज भी हमारे देश में 40 प्रतिशत बच्चे, अर्थात् डेढ़ करोड़ बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में मंत्री महोदय शिक्षा के क्षेत्र में इनवैस्टमेंट बढ़ाने के लिए क्या विचार कर रहे हैं?

डा० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष जी, इनके प्रश्न के दो भाग मूल प्रश्न से संबंधित नहीं हैं। यह प्रश्न केवल सी०बी०एस०ई० में जो हमने इस समय परीक्षा-प्रश्नपत्रों में परिवर्तन किया है, उससे संबंधित है। निवेश और बाकी सबके बारे में अलग-अलग नोटिस सम्मानित सदस्य देंगे तो सबके उत्तर मिलेंगे।

हमने परीक्षा को सरल बनाने के लिए और परीक्षा में पास और फेल और कारण जो आत्महत्याओं का प्रश्न उठ रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बच्चों पर परीक्षा में थोड़े से भी कम नंबर आने से काफी मानसिक दबाव होता है। पूरी परीक्षा पद्धति और शिक्षा पद्धति में हम एक परिवर्तन यह कर रहे हैं जिससे बच्चों पर परीक्षा का दबाव न पड़े और वे एक स्वस्थ मानसिकता से चलें। अभी जैसे हमने सी०बी०एस०ई० के विद्यालयों में पहली और दूसरी कक्षा में परीक्षा को समाप्त करने के आदेश दिये हैं ताकि पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों पर वार्षिक परीक्षा का बोझ और छमाही परीक्षा का बोझ न पड़े, बल्कि उनको परीक्षा के लिए धीरे-धीरे तैयार किया जाए और उनसे इस रूप में पूछा जाए कि वे दबाव का अनुभव न करें। उसी तरह से बस्तों का बोझ हम कम कर रहे हैं ताकि बच्चे स्वस्थ्य रह सकें और कम बोझ की पुस्तक से काम चल सके। सी०बी०एस०ई० ने इसे मामले में यह भी प्रस्ताव किया है कि अधिकांश स्कूलों में यह कोशिश होनी चाहिए कि कुछ कक्षाओं तक बच्चे बस्ते घर ही न ले जाएं, वहीं बस्ते रखें, काम करें और बिना बस्ते घर चले जाएं। यानी उसके बस्ते का बोझ कम करना है।

तीसरा पास और फेल का जो सवाल उठता है, नंबरों का सवाल उठता है, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो यह है कि बच्चे फेल क्यों किये जाएं? क्या हम देश में बहुत बड़ी संख्या में फेलशुदा बच्चे चाहते हैं या पासशुदा बच्चे चाहते हैं। यह कैसे तय किया जाए कि 33 प्रतिशत वाला बच्चा पास है और 32 प्रतिशत या 31 प्रतिशत वाला फेल है। इस पर भी हमने सी०बी०एस०ई० के माध्यम से सुझाव दिया है कि ग्रेड प्रणाली लाई जाए जिसमें यह बात न हो कि बच्चा पास है या फेल है। इतने विषयों की परीक्षा उसने दी और इस विषय में उसका ग्रेड ए है, इस विषय में बी है, इसमें सी०, डी० और ई० ग्रेड है, ऐसे नौ चरणों में सुझाव दिया है कि उसको परिणाम दिया जाए। डी० और ई० वाले क्षेत्रों में उसने कम योग्यता प्राप्त की है और अगर वह उसे सुधारना चाहता है तो उसे हम और अवसर दे रहे हैं। एक या दो नहीं, हम उसे चार अवसर देंगे कि वह अपने को सुधार सके। हमारा उद्देश्य यह है कि बच्चों के अंदर से यह भावना निकल जाए कि वह फेल है या फेल्योर का क़लंक लेकर चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि निरंतर बच्चा आगे बढ़े, पास हो, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करे: एक बात और हो रही है जिसकी हमें चिन्ता है और वह यह है कि नंबरों की जो प्रतियोगिता होती है, उसमें एक के 98 प्रतिशत नंबर आएं तो 97 प्रतिशत वाले को लगता है कि मैं कहीं रह जाऊंगा, 95 प्रतिशत वाला समझता है कि मुझे कुछ मिलेगा या नहीं।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से देखा जाए, तो बच्चों के ऊपर मां बाप का भी दबाव बढ़ रहा है कि तुम नम्बर ज्यादा क्यों नहीं लाते हो। इस कारण भी हमारे सामने बहुत परेशानियां आती हैं, मनोवैज्ञानिक प्रश्न सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमने उसमें कौंसलिंग की भी व्यवस्था की है। उसमें बच्चों और अभिभावकों को यह बताया जाता है कि कौन से विषय उनके लिए ठीक होंगे और परीक्षा किस प्रकार से

दी जाए। इस प्रकार परीक्षा में सुधार लाने के लिए हम कई प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं जिससे बच्चों को बिलकुल सरल और सहज रूप से पढ़ने की परिस्थितियां पैदा की जा सकें और उन्हें मानसिक दबाव से मुक्त किया जा सके, ताकि माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, उसकी पूर्ति हो सके और देश में छात्रों की आत्महत्याएं कम हो सकें।

महोदय, आत्महत्याओं के साथ-साथ डिप्रैशन का भी सवाल आ रहा है। इसलिए एक पूरी और व्यापक प्रक्रिया इसके अंदर हम कर रहे हैं।

श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर समस्या है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय बताएं कि अध्ययन के क्षेत्र में उन्होंने सरकार से ज्यादा पैसा लिया है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : सिंधिया जी, मंत्री महोदय ने आपके प्रश्न का बहुत विस्तृत उत्तर दिया है। कृपया आप आसन ग्रहण करें।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, विस्तृत उत्तर में मूल प्रश्न ही खो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए विस्तृत उत्तर दिया जाता है।

[अनुवाद]

डा० (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा : महोदय, परीक्षा प्रणाली में सुधार काफी समय से लंबित है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम यह काम टुकड़ों में कर रहे हैं। हमें पेपर सेटर्स की तकनीकी क्षमता बढ़ाने और वैज्ञानिक, अंक पद्धति अपनाने की आवश्यकता है *(व्यवधान)* मैं पुनः कहती हूं कि पेपर सेटर्स की तकनीकी क्षमता बढ़ाने और वैज्ञानिक अंक पद्धति अपनाने की आवश्यकता है।

मेरा प्रश्न यह है : (क) क्या शिक्षकों के लिए पेपर सैटिंग हेतु कोई नियमित इन-सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है; (ख) क्या बहुविकल्पीय प्रश्नों को समाप्त किया जाएगा? यह कुछ-कुछ अमिताभ बच्चन के 'करोड़पति' कार्यक्रम की तरह है। यह 'हिट और मिस' की तरह है। दुर्भाग्य से, आप परीक्षा कक्ष से फोन करके अपने मित्र से सही उत्तर नहीं पूछ सकते। नेगेटिव अंक प्रणाली सर्वाधिक अवैज्ञानिक अंक प्रणाली है।

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : देखिए, जहां तक निगेटिव मार्किंग का सवाल है, सी०बी०एस०ई० में हम ऐसी निगेटिव मार्किंग की पद्धति नहीं अपनाते हैं, अभी भी नहीं है। ऐसा प्रदेश सरकारों के बोर्ड करते होंगे, क्योंकि यह समवर्ती विषय है। अनेक प्रदेशों में अनेक प्रकार के पेपर सैटर्स हैं और अनेक प्रकार की परीक्षा प्रणालियां हैं। उन राज्य सरकारों से हम केवल अनुरोध कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, हम उन्हें समझा सकते हैं, परन्तु यह उन प्रदेशों के ऊपर निर्भर करता है कि वे कौनसी परीक्षा पद्धति अपनाएं। अभी सारे देश में ग्रेड पद्धति नहीं है, सारे देश में मल्टीपल च्वाइस क्वैश्चन भी नहीं हैं। हरेक बोर्ड की अलग-अलग परीक्षा प्रणालियां हैं, लेकिन हमारी जो प्रक्रिया है उसमें हम यही चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की त्रुटियां और असावधानियां न हों।

महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि पेपर सैटर्स की ट्रेनिंग होती रहे, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सी०बी०एस०ई० बराबर यह काम करती रहती है और अगर कोई राज्य सरकार हमारी एन०सी०ई०आर०टी० से इस बारे में सहायता चाहती है, तो हम उसकी बराबर सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। यदि किसी राज्य सरकार की ओर से कोई प्रोजैक्ट आएगा, कोई प्रस्ताव आएगा, तो हम उसकी मदद करेंगे और हर साल लगातार यह प्रक्रिया चलती रहती है कि पेपर सैटिंग में और परीक्षा प्रणाली में और क्या सुधार किया जाए। इसमें कोई कमी नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, प्रश्न-पत्र में अधिक विकल्प देने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन साथ ही साथ माननीय मंत्री महोदय ने 'अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण' सिस्टम से उठने वाली समस्याओं तथा अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा का उल्लेख किया है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात पर भी विचार किया गया है कि परीक्षा के समग्र प्रभाव, जब हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि विद्यार्थी के साल भर में अर्जित ज्ञान का ठीक-ठीक मूल्यांकन तीन घण्टे की परीक्षा से नहीं किया जा सकता, तो क्या वह परीक्षा में अर्जित अंकों के कन्ट्रीब्यूशन या प्रपौरशन को 50% तक करने और बाकी 50% को अन्य समय में, मान लीजिए, एक वर्ष में किए गए सामान्य मूल्यांकन के द्वारा करने पर विचार कर रहे हैं, जो विद्यार्थी द्वारा कक्षा में किए गए कार्य पर आधारित टर्मिनल परीक्षा और दिए गए गृह कार्य पर आधारित होगा?

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस सुझाव पर, तरह-तरह की चर्चा हो रही है और अभी जो सी०बी०एस०ई० का जो प्रोजैक्ट है, उसमें हमारी कोशिश रही है कि कक्षा पांच तक, हम इस पर ध्यान दें कि बच्चों का एक वर्ष में केवल एक बार, साल के अंत में मूल्यांकन न होकर, निरन्तर, वर्ष में, निश्चित समयावधि पर बराबर मूल्यांकन होता रहे। इस बारे में हम प्रदेशों से विचार

करना चाहते हैं कि उनकी परीक्षा पद्धति क्या हो, क्या सैमिस्टर पद्धति शुरू की जाए। हमारे सामने एक सुझाव यह भी है कि उनके अंकों को किस प्रकार से बांटा जाए। इस पर जब तक विशेषज्ञों की सहमति नहीं बनेगी, क्योंकि देश भर में इसका पूरा सूत्र निकालना पड़ेगा,

12वीं कक्षा में जाने के बाद, विश्वविद्यालयों में जाने का सवाल उठता है। इन सारी पद्धतियों पर हमें राज्य सरकारों से, विश्वविद्यालयों से, एक्सपर्ट से और विभिन्न बोर्डों से चर्चा करनी पड़ती है, लेकिन हमारा यह विचार जरूर है कि बच्चे की परीक्षा की एक लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए, न कि केवल अंत में उसकी परीक्षा लेने से ही उसका निर्धारण किया जाए। जहां ऐसी स्थिति है वहां उसे सुधारने के लिए हमने उन्हें मौके दिए हैं ताकि वे अपने आपको सुधार सकें। सी०बी०एस०ई० में अभी भी ऐसी व्यवस्था है कि नौवीं कक्षा की परीक्षा उसे 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में दोबारा नहीं देनी पड़े। बहुत से बोर्डों में 10वीं की परीक्षा के समय नौवीं और दसवीं, दोनों की परीक्षा देनी होती है। हमारे यहां 11वीं और 12वीं में भी ऐसा है कि ये दोनों परीक्षाएं अलग होती हैं। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों पर परीक्षा का बोझ, दबाव कम हो और केवल एक परीक्षा से उसका फैसला न हो। हम इस प्रक्रिया को देश में विकसित करना चाहते हैं, लेकिन इसमें तरह-तरह की राय हैं, उन सब को एकसाथ मिला कर हम सुविधापूर्वक उसका निर्णय करेंगे।

इंजीनियरिंग कालेजों को मान्यता

+

***546. श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग कालेजों को मान्यता देने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाया जाता है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में ऐसे कालेजों को एक समान आधार पर और उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर ही मान्यता दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) वर्ष 2001, 2002 और चालू वर्ष के दौरान आज तक सरकार द्वारा कितने इंजीनियरिंग कालेजों को मान्यता दी गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जो एक सांविधिक निकाय है और जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 द्वारा संबंधित अभिकरणों के परामर्श से नई तकनीकी संस्थाएं (इंजीनियरी कालेजों सहित) शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार दिया गया है, नई संस्थाएं शुरू करने के लिए हर वर्ष आवेदन आमंत्रित करती है। भूखंड, निर्मित क्षेत्र, कम्प्यूटर सुविधाओं, पुस्तकालय, अध्यापकों की उपलब्धता तथा धन की उपलब्धता जैसे निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु एवं विशेष समिति की रिपोर्ट तथा क्षेत्रीय समिति की सिफारिशों के आधार पर आवेदनों की जांच करके अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले आवेदकों को अनुमोदन प्रदान करती है। अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान संबंधित राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के साथ परामर्श किया जाता है। राज्य सरकार आवेदक संस्था को आरम्भ करने की आवश्यकता, भौगोलिक स्थिति इत्यादि का अभिनिर्धारण करती है और विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करता है कि आवेदक संस्था सम्बद्धन शर्तें पूरी करती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदंड देश भर में समान रूप से लागू होते हैं। शैक्षिक वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने क्रमशः 219 तथा 151 नए इंजीनियरी कॉलेजों को मान्यता प्रदान की। शैक्षिक वर्ष 2003-04 हेतु मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् जो एक सांविधिक निकाय है, वह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिए लाइसेंस देती है और खोलती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, हमारे संज्ञान में यह आया है कि जितने भी इंजीनियरिंग कालेज दो-तीन वर्षों से खुले हैं, उनमें भारी मात्रा में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारी लोग रिश्वत लेते हैं और जो मानकों के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें भी लाइसेंस दे दिया गया है। क्या मंत्री जी ने इसकी कोई जांच कराई है या उनके ऊपर कोई ऐसा नियंत्रण रखा गया है ताकि देखा जा सके कि वे नियमों के अंतर्गत लाइसेंस दे रहे हैं या नियमों के विरूद्ध दे रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि प्रत्येक इंजीनियरिंग कालेज में गरीब और किसान के बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा कैपिटेशन फीस उनसे ली जाती है कि उन बच्चों के पास उतना पैसा नहीं होता है। क्या मंत्री जी

सभी कालेजों में फीस एक रूप में रखेंगे, फीस में एकरूपता लाएंगे, यह मैं जानना चाहता हूं?

डा० मुरली मनोहर जोशी : महोदय, हमारे संज्ञान में अभी तक किसी माननीय सदस्य ने या किसी अन्य एजेंसी ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है कि अमुक विद्यालय को नार्म्स के विरूद्ध किसी प्रकार की रिश्वत लेकर या किसी अन्य कंसीडरेशन के आधार पर मान्यता दी गई है। अगर ऐसी कोई भी शिकायत हमारे सामने लाई जाएगी तो हम उस पर कठोरतम कार्यवाही करेंगे, क्योंकि पिछले दो-तीन वर्षों से ए०आई०सी०टी०ई० की कार्यप्रणाली बहुत पारदर्शी कर दी गई है। और ऐसी स्थिति सामने नहीं आती है जिसमें कोई यह कहे कि यहां भ्रष्टाचार के कारण से किसी को अनुमोदन दिया गया है। अगर ऐसी शिकायत आएगी तो हम उस पर कठोरतम कार्यवाही करेंगे। *(व्यवधान)* आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए।

माननीय सदस्य ने दूसरी बात फीस के संबंध में कही थी। इस बारे में पहले से ही ए०आई०सी०टी०ई० के नार्म्स बिलकुल स्पष्ट थे कि फीस कैसे ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का अभी जो नया निर्णय आया है, उसमें कुछ थोड़ी ऐसी व्याख्या कर दी गई है जिसके कारण बहुत से प्राइवेट कालेज इस बारे में अपने अधिकार मानते हैं कि वे कैसे प्रवेश देंगे और कैसे फीस रखें। हमने पीछे सैक्रेट्रीज की एक मीटिंग की थी। उसके आधार पर कुछ नार्म्स तय किए हैं और एक उच्चस्तरीय समिति बना दी है, जो जांच के आधार पर हमें बताएगी कि फीस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। जहां तक सवाल है इसमें गरीबों के बच्चों को प्रवेश मिलता है या नहीं, इसमें एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा के माध्यम से जो भी आगे आएगा, उसे ही प्रवेश मिलेगा। इसमें बिना परीक्षा के प्रवेश करने की गुंजाइश ए०आई०सी०टी०ई० के विद्यालयों में नहीं है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से जो प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर मंत्री जी ने गोलमोल दे दिया। पिछली बार एस्टीमेट कमेटी ने कई शिकायतें मंत्री जी के संज्ञान में लाई थीं। मेरी जानकारी में भी है कि कई जगह ऐसी जांच भी की गई और पाया गया कि वे उपयुक्त नहीं हैं, ऐसे विद्यालयों को भी, जिन पर कई राज्य सरकारों ने आपत्ति की है, उन्हें भी आपने कैसे परमिशन दे दी, इसका उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, वहां विगत तीन वर्षों में कितने इंजीनियरिंग कालेज खोले गए हैं?

दूसरी बात जो मंत्री जी ने अपने उत्तर में कही है कि सुप्रीम कोर्ट का अभी जजमेंट आया है, उसके बाद विचार-विमर्श करके निर्णय होगा, कब तक वह निर्णय होगा? गरीबों के बच्चों के लिए कितनी फीस निर्धारित की जायेगी या हर कालेज मनमाने ढंग से फीस वसूल करेगा या सरकार उसके लिए कोई नियम बना देगी कि इससे ज्यादा आप फीस नहीं ले सकते हैं। सरकार कब तक निर्णय करेगी? मैं जानता हूं कि मंत्री जी नहीं बता पाएंगे कि कब तक निर्णय करेंगे, क्योंकि इस सरकार के पास सोचने की शक्ति ही नहीं है और निर्णय होगा ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप खुद ही उत्तर देंगे तो कैसे होगा — प्रश्न भी आपका और उत्तर भी आपका।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : फिर भी मैं पूछ लेना चाहता हूं। कोई सत्य ही नहीं है। मंत्री जी उत्तर नहीं देंगे और आप मुझे दोबारा बोलने का मौका नहीं देंगे, इसलिए मै कह रहा हूं कि जब तक यह सरकार है, तब तक फीस में एकरूपता नहीं आयेगी। अभी कोई कालेज एक लाख रुपये ले रहा है, कोई पांच लाख रुपये ले रहा है, इससे कम नहीं ले रहा है। किसी भी गरीब बच्चे के पास इतना पैसा नहीं है कि वह उसमें एडमीशन ले सके। माननीय मंत्री जी आप सुन लीजिए। क्या आप बताएंगे कि कब तक सारे विद्यालयों के लिए सरकार एक नियम बना दे कि इससे ज्यादा हम फीस नहीं लेंगे। 'क्या कालेजों को मनमाने ढंग से अनुमति दी जाएगी कि चाहे मनमाने ढंग से जितनी फीस चाहे, वसूल करें। इस पर मंत्री जी कुछ बतायें, आप निर्णय दें।

डा० मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन्, मैं कई बार बता चुका हूं और सम्माननीय सदस्यों को इस बात का अभिज्ञान रहना चाहिए कि कोई विद्यालय मनमानी फीस पांच लाख रुपये, दस लाख रुपये लेने के लिए सक्षम भी नहीं है और अधिकृत भी नहीं है। अगर किसी विद्यालय में पांच लाख रुपये फीस ली जा रही है, जो ए०आई०सी०टी०ई० के बनाये गये नोर्म्स से अलग है तो वे हमारे संज्ञान में लायें। हम उसका पूरा निरीक्षण करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी, वह करेंगे। मैंने आपको बताया। *(व्यवधान)* कृपा करके बात सुनें, मैं बोल रहा हूं। जो नया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है, उस निर्णय के आलोक में, निजी संस्थानों को बहुत कुछ उन्होंने सुविधा दे दी है और कुछ ऐसे आदेश किये हैं, जिसकी अलग-अलग ढंग से व्याख्या की जा रही है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : आप बता नहीं रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि कितनी फीस कोई कालेज लेगा?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, उन्हें उत्तर देने दीजिए।

डा० मुरली मनोहर जोशी : फीस के विषय में ए०आई०सी० टी०ई० की तरफ से और सरकारों की तरफ से नोर्म्स निश्चित है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : कितना रुपया निश्चित है?

डा० मुरली मनोहर जोशी : प्रत्येक राज्य सरकार अपने यहां स्थापित इंजीनियरिंग कालेजों के लिए स्वयं फीस निर्धारित करती है जो अलग-अलग है। यह व्यवस्था उन्नीकृष्णन समिति में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप है।

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश जी, ऐसा मत कीजिए, बैठिये।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : मेरा सीधा प्रश्न है कि सरकार कितनी अधिकतम फीस एक इंजीनियरिंग कालेज में प्रथम वर्ष में लेगी? उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में कितनी फीस है, मैं यह बहुत सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं कि कितनी फीस है। अभी फीस निश्चित नहीं है तो इसका मतलब यह है कि सरकार इंजीनियरिंग कालेज से पैसा ले रही है, यह सरकार भी गलत काम कर रही है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मैं सीधा उत्तर दे रहा हूं। फीस के नार्म्स निश्चित हैं, हर राज्य में निश्चित हैं और उसके आधार पर ही फीस ली जा रही है, ली जायेगी।

श्री अवतार सिंह भड़ाना : गरीब के बच्चे कहां पढ़ेंगे। आप एक स्कूल और एक जिला बता दीजिए, जहां पांच लाख, पचास हजार, 25 लाख से नीचे कोई एडमीशन नहीं कर रहा है। बताइये, कौन सा कालेज है, फिर गरीबों के बच्चे कहां पढ़ेंगे। *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह : मंत्री जी बता ही नहीं रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सदन का समय आप अगर इस तरह लेना चाहते हैं तो यह नहीं चलेगा। मैं अगर अगला प्रश्न एनाउंस करूंगा तो आपका नुकसान होगा, प्लीज बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को उत्तर नहीं देना क्या? मंत्री जी उत्तर देंगे। आपका यह तरीका ठीक नहीं है, प्लीज बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिये। आप सब लोग एक साथ खड़े रहेंगे तो प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। मैं उत्तर दिलवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप सबको इसके लिए खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग बैठिये, नहीं तो मैं अगला प्रश्न पुकारना चाहता हूं। प्लीज बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर नहीं सुनना चाहते तो मुझे दूसरा प्रश्न लेने दीजिए। प्लीज बैठिये। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। श्री सी०एन० सिंह ने प्रश्न पूछा, मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर नहीं है तो क्या है? दस लोग एक साथ खड़े होंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको तो बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

श्री अवतार सिंह भड़ाना : आप तो पुकारेंगे भी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम पुकारूंगा, तब आप बोलिये। अभी आप प्रश्न नहीं पूछ सकते।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अन्यथा, मैं अगले प्रश्न के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, फिर भी उत्तर देने के लिए तैयार हैं। अगर आप खड़े रहेंगे तो उत्तर नहीं आयेगा। इससे आपका ही नुकसान होगा।

(व्यवधान)

डा० मुरली मनोहर जोशी : मैं उत्तर दे रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : अध्यक्ष महोदय, गरीब बच्चे कहां जायेंगे? सरकार को ऐसे विद्यालयों पर कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि आदिवासी बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न यह है कि कालेज में एडीमशन के समय उनसे कितने पैसे लिये जाते हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। यह अति है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, राज्यस्तरीय फीस के लिए राज्य समितियां निर्णय करती हैं। हमारी जानकारी के अनुसार *(व्यवधान)* मैं बता रहा हूं। आप सुनिये, आपको पहले से ही परेशानी हो जाती है। जो पेड सीट्स है, उसके लिए अधिकतम 65 हजार रुपये से लेकर 70 हजार रुपये फीस होगी और जो फ्री सीट है उसमें अधितिम फीस 10 हजार रुपये है। कहीं पर इससे कम फीस है और कहीं पर इसके नजदीक है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सब* बोल रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं लगता कि उन्हें उत्तर चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

बी०सी०सी०एल० के अंतर्गत खानों में विस्फोट की घटनाएं

*547. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक भारत कोकिंग कोल लि० के अंतर्गत उन खानों के नाम क्या हैं जहां विस्फोट की घटनाएं हुई हैं;

(ख) इन खानों में हुए विस्फोटों के कारण मृत/घायल श्रमिकों की स्थलवार और वर्षवार संख्या क्या है;

(ग) क्या इस प्र... की प्रत्येक घटना की कोई जांच की गई है/की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोयला खानों में विस्फोट की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत कोकिंग कोल लि० के अंतर्गत ऐसी कोई खान नहीं है जहां आज की तारीख तक पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई विस्फोट हुआ है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता है।

(ग) और (घ) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता है।

(ङ) कोल इंडिया लि० तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा अपनी खानों में होने वाले विस्फोटों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम इस प्रकार है –

(1) विस्फोटों को रोकने के उपायों से संबंधित संविधियों का अनुपालन।

(2) खदानों में वायु संचलन – उन खदानों में वायु संचलन की व्यवस्था की जाती है। जिन्हें सील नहीं किया गया है अथवा जिनमें कोयला खान विनियम (सी०एम०आर०) 1957 में निर्धारित किए अनुसार ज्वलनशील गैसों के संकेन्द्रीकरण को हलका करने के लिए रेत – भराई नहीं की गई हो।

(3) ज्वलनशील गैस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए खान ¯¯वरण का प्रबोधन।

– खनित किए जा रहे क्षेत्रों में – सी०एम०आर०, 1957 में यथा निर्धारित उपयुक्त रूप से अर्हता प्राप्त फ्रन्ट लाइन पर्यवेक्षकों द्वारा प्रत्येक पाली में फ्लेम सेफ्टी लैम्पों, मीथेनोमीटरों, हस्त-धारित डिजीटल उपकरणों आदि से ज्वलनशील गैसों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए खनित किए जा रहे क्षेत्रों की जांच की जाती है।

– सील किए गए क्षेत्रों में – सील किए गए क्षेत्रों में पर्यावरण का संविधियों द्वारा यथा अपेक्षित नियमित रूप से सैम्पलिंग तथा विश्लेषण किया जाता है।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

- ज्वलनशील गैसों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए पर्यवेक्षकों तथा अधिकारियों द्वारा खाली दिनों में निरीक्षण तथा पाली – पूर्व के निरीक्षण किए जाते हैं।

- पर्यावरणीय टेली मानिटरिंग प्रणाली – सी०आई०एल० ने अत्यधिक गैसीय और आग वाली 36 खानों की पहचान की है जिसमें गैस की स्थिति के बारे में जिसके कारण विस्फोट हो सकता हो, अग्रिम सूचना देने के लिए कम्प्यूटरीकृत पर्यावरणीय टेली मानिटरिंग प्रणाली (ई०टी०एम०एस०) लगाए जाते हैं। ऐसी 13 प्रणालियां पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं और वे प्रचालन में हैं। ऐसी दो और प्रणालियों की अधिप्राप्ति के लिए कार्रवाई चल रही है।

(4) धूल को दबाना तथा कोयला धूलि को गीला किया जाना – भूमि के नीचे खदानों में उपस्थित कोयला धूलि को सतह पर ले जाया जाता है और/अथवा अज्वलनशील धूलि के साथ मिलाया जाता है अथवा गीला किया जाता है ताकि विस्फोटक कोयला धूलि बादल न बन सकें।

(5) लपट सुरक्षित और मूलभूत रूप से सुरक्षित इलैक्ट्रिकल/इलैक्ट्रानिक उपकरण – संविधियों में यथा अपेक्षित गैसीय खानों में केवल लपट सुरक्षित और मूलभूत रूप से सुरक्षित उपकरण ही प्रयोग में लाए जाते हैं।

(6) आग आदि के निषिद्ध स्रोतों हेतु कार्मिकों की जांच किया जाना।

(7) अनुमति प्राप्त विस्फोटकों और डैटोनेटरों को उपयोग किया जाना।

(8) लपट सुरक्षा लैम्पों का कड़ाई से रख-रखाव किया जाना।

(9) कोयला धूलि विस्फोटों के फैलाव को रोकने के लिए पत्थर के धूल अवरोधक स्थापित करना।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। ऐसा लगता है कि भारत कोकिंग कोल लि० और कोल इंडिया के अधिकारियों ने मंत्री जी को दिग्भ्रमितकिया है। हमारा जो मूल प्रश्न था, उसके उत्तर में बताया गया है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पाण्डेय जी, समय कम है इसलिए आप प्रश्न पूछिये।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : 18-10-2002 को रांची एक्सप्रैस के एरिया नंबर 4 में एक सुमेर मांझी नाम के व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटित हुई जिसकी एफ०आई०आर० भी दर्ज है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप उत्तर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जो जवाब आया है *(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि यह सीधे-सीधे हाउस को दिग्भ्रमित करने का कार्य है। वर्तमान में *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पाण्डेय जी, आपने जो प्रश्न पूछा है, मंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कड़िया मुण्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक्सीडैंट के बारे में न पूछकर विस्फोटक यानी एक्सप्लोजन के बारे में सवाल पूछा है। हमने उत्तर दिया है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी।

प्रो० रीता वर्मा : क्या वह एक्सीडैंट नहीं है? क्या विस्फोट का मतलब एक्सीडैंट नहीं होता है? यह बिल्कुल गलत बात है क्योंकि विस्फोट का मतलब एक्सीडैंट ही होता है। *(व्यवधान)*

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में आलरेडी एफ०आई०आर० दर्ज की जा चुकी है। 18-10-2002 को सुमेर मांझी नाम का कर्मचारी एरिया नम्बर 4 में कार्यरत था जिसके साथ एक दुर्घटना घटित हुई। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर 10 दिसम्बर 1998 को ढोरी क्षेत्र के अमझोर प्रौजेक्ट में एक घटना घटित हुई जिसमें एक व्यक्ति का देहांत हो गया। इस बारे में मंत्री जी को क्या कहना है?

श्री कड़िया मुण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह रहा हूं कि एक्सप्लोजन की घटना और एक्सीडैंटल घटना दोनों अलग-अलग हैं। एक्सप्लोजन नैचुरल ढंग से होता है। आपने प्रश्न पूछा था कि पिछले तीन वर्षों के अंदर ऐसी कोई घटना हुई है या नहीं – पिछले तीन सालों में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने जो प्रश्न पूछा था, वह आपका सप्लीमेंट्री क्वैश्चन ही था।

(व्यवधान)

प्रो० रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेंट्री क्वैश्चन पूछने से पहले यह कहना चाहूंगी कि मंत्री जी कृपया अपनी जानकारी दुरुस्त करें। विस्फोट की घटनाओं का मतलब डायनामाइट से विस्फोट करना नहीं होता है। विस्फोट की घटनाओं का मतलब गैसीय माइन्स से है जिसमें अपने आप ही एक्सप्लोजन होता है। कोयला जब गैस में बदल जाता है तब एक्सप्लोजन होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि मंत्री जी अपना होमवर्क ठीक करें। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि मंत्री जी ने बहुत सारे कारण और उपाय बताये हैं लेकिन कोयला कम्पनियों में खासकर कांग्रेस के समय में जो भ्रष्टाचार था, मैं बधाई देती हूं कि हमारी सरकार ने सुरक्षा के बहुत उपाय किये हैं, काफी उपाय किये जा रहे हैं जिससे एक्सीडैंट में कमी आयी है।

मध्याह्न 12.00 बजे

लेकिन कांग्रेस सरकार के समय जो पुराने इक्विपमैंट्स खरीदे गए थे, पांच मीटर मोटी कोयले की सिल है तो साढ़े तीन मीटर खुदाई करने वाली मशीन खरीदी गई, मैं जानना चाहती हूं कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मंत्रालय की तरफ से क्या कोई प्रयत्न किए जा रहे हैं या सिर्फ यह सोच कर तसल्ली की जा रही है कि गैस में एक्सप्लोजन होता ही रहता है? अभी हाल में झरिया में जो कुछ हुआ, मंत्री जी उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को क्या बताना है, माननीय सदस्या तो उस विभाग की मंत्री रह चुकी हैं, यह सब जानती हैं।

श्री करिया मुण्डा : अध्यक्ष महोदय, विस्फोट तीन तरह के होते हैं – प्रज्वलन स्रोत से, मिथेन के विस्फोटक सकेंद्रण से और विस्फोट के फैलाव के लिए निर्धारित तरीके से। ऐक्सीडैंट होने के अलग कारण हैं। ऐक्सीडैंट अलग होते हैं। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, जब ऐक्सीडैंट के बारे में कोई सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है तो मंत्री जी बार-बार क्या कह रहे हैं। उनसे स्पैसीफिक सवाल पूछा गया है, उसका जवाब दें।

श्री करिया मुण्डा : मैंने उसका जवाब दे दिया है।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का लागू किया जाना

*545. **श्रीमती कान्ति सिंह** : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को लागू करने हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा वर्षवार और राज्यवार प्रत्येक राज्य को अब तक आबंटित राशि का कितना हिस्सा जारी कर दिया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार और राज्यवार अभी तक राज्य सरकारों द्वारा इसमें कितना अंशदान दिया गया है;

(घ) क्या उक्त योजनाओं के संबंध में कोई समीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) यह मंत्रालय स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस०जे०एस०आर०वाई०) नामक केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन स्कीम 1-12-1997 से कार्यान्वित कर रहा है। योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम के लिए कुल 541 करोड़ रु० का नियतन किया है।

(ख) नौवीं योजना अवधि (1997-2002) के दौरान और दसवीं योजना में वर्ष 2002-03 के लिए जारी की गई केन्द्रीय राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) राज्यों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर नौवीं योजना अवधि (1997-2002) के दौरान और वर्ष 2002-03 के लिए जारी किए गए राज्य अंश की राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियमित समीक्षा बैठकों/स्थल दौरों और तिमाही प्रगति रिपोर्टों के द्वारा केन्द्र स्तर पर इसकी बारीकी से निगरानी की जाती है। छः राज्यों नामतः आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का समवर्ती मूल्यांकन/अध्ययन भी किया गया है।

विवरण-I

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-2002 (9वीं योजना अवधि) तथा 2002-03 (10वीं योजना अवधि) के दौरान जारी राज्यवार केन्द्रीय अंश का विवरण

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	9वीं योजना अवधि					10वीं योजना अवधि
		1997-98 के दौरान जारी	1998-99 के दौरान जारी	1999-2000 के दौरान जारी	2000-2001 के दौरान जारी	2001-2002 के दौरान जारी	2002-2003 के दौरान जारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	839.66	1364.28	1398.08	1417.04	331.51	904.15
2.	अरूणाचल प्रदेश	50.99	65.01	88.65	–	–	0.00
3.	असम	540.38	823.08	191.07	63.30	–	0.00
4.	बिहार	506.09	779.22	408.63	–	–	0.00
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	422.69	128.44	236.41
6.	गोवा	20.94	34.40	28.72	–	–	0.00
7.	गुजरात	521.86	788.28	340.62	697.47	166.67	1717.07
8.	हरियाणा	86.87	134.78	182.23	125.14	50.40	238.39
9.	हिमाचल प्रदेश	50.54	74.94	70.91	56.72	23.98	63.84
10.	जम्मू और कश्मीर	63.54	72.31	97.76	25.34	12.81	62.98
11.	झारखण्ड	–	–	–	202.10	66.64	0.00
12.	कर्नाटक	736.46	1114.08	1340.11	168.00	395.16	668.68
13.	केरल	202.99	377.09	448.32	256.50	266.23	301.99
14.	मध्य प्रदेश	927.18	1511.77	1836.21	888.59	304.02	683.93
15.	महाराष्ट्र	1402.22	2043.29	715.38	–	–	618.73
16.	मणिपुर	122.95	191.12	44.24	–	–	0.00
17.	मेघालय	73.24	118.45	27.30	19.00	–	0.00
18.	मिजोरम	69.63	125.64	146.30	126.77	70.52	105.15
19.	नागालैंड	53.33	84.16	82.34	76.25	37.00	68.78
20.	उड़ीसा	223.11	360.44	460.83	69.24	300.00	381.48
21.	पंजाब	68.33	135.22	160.99	41.29	–	67.38

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	329.91	620.52	330.23	376.08	32.64	402.53
23.	सिक्किम	20.51	30.98	30.02	32.49	28.86	31.20
24.	तमिलनाडु	919.50	1479.77	514.00	764.70	285.32	751.22
25.	त्रिपुरा	93.98	157.74	82.52	162.00	84.99	114.31
26.	उत्तरांचल	–	–	–	102.97	27.88	16.33
27.	उत्तर प्रदेश	1181.03	1988.42	2344.02	1340.78	733.07	1671.76
28.	पश्चिम बंगाल	518.64	822.00	285.52	826.54	293.86	501.66
29.	अंडमान निकोबार द्वीप	72.66	116.43	71.97	–	–	0.00
30.	चण्डीगढ़	48.42	80.98	–	–	–	269.09
31.	दादर और नगर हवेली	12.50	37.67	54.06	145.00	–	23.91
32.	दमन और दीव	50.05	63.92	47.66	–	–	0.00
33.	दिल्ली	32.70	183.61	19.00	40.00	–	0.00
34.	पांडिचेरी	22.66	67.39	29.60	67.00	191.00	191.00
	कुल	9862.87	15847.00	11877.29	8513.00	3831.00	10091.77

विवरण-II

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत (आदिशेष सहित) जारी राज्य अंश का राज्यवार व वर्षवार विवरण

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	279.89	454.77	466.03	472.34	110.50	एन०आर०	1783.53
2.	अरूणाचल प्रदेश	51.15	58.00	58.00		0.40	एन०आर०	167.55
3.	असम	100.00	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	100.00
4.	बिहार	0.00	505.00	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	505.85
5.	छत्तीसगढ़	140.89	0.00	122.16	140.89	42.81	0.00	446.75
6.	गोवा	0.00	11.47	8.45	8.62	एन०आर०	एन०आर०	28.54
7.	गुजरात	662.70	273.44	250.00	12.00	10.03	93.72	1301.89
8.	हरियाणा	28.95	44.93	60.74	41.72	26.05	19.76	222.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	हिमाचल प्रदेश	18.85	74.66	23.64	18.91	7.99		142.05
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	52.00	205.10	169.00	155.00	104.00	685.10
11.	झारखण्ड	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०
12.	कर्नाटक	245.48	371.34	446.69	56.00	131.73	155.95	1407.19
13.	केरल	67.66	125.70	149.44	129.82	88.74	150.00	711.36
14.	मध्य प्रदेश	309.06	0.00	0.00	1108.29	396.28	227.97	2041.60
15.	महाराष्ट्र	467.40	681.09	238.46	एन०आर०	एन०आर०	206.24	1593.19
16.	मणिपुर	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०
17.	मेघालय	24.41	39.48	9.10	41.19	एन०आर०	एन०आर०	114.18
18.	मिजोरम	34.53	105.94	121.81	88.80	97.79	48.00	496.87
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	90.00
20.	उड़ीसा	166.00	160.00	140.49	98.51	एन०आर०	एन०आर०	405.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	121.50	एन०आर०	एन०आर०	121.50
22.	राजस्थान	109.57	200.00	80.71	66.63	126.36	एन०आर०	583.27
23.	सिक्किम	12.89	एन०आर०	10.01	10.83	9.62	5.41	48.76
24.	तमिलनाडु	306.50	495.33	171.33	254.91	95.12	एन०आर०	1323.19
25.	त्रिपुरा	1.33	39.79	42.55	34.00	54.00	22.07	193.74
26.	उत्तरांचल	एन०ए०	एन०ए०	38.77	34.32	9.29	एन०आर०	82.38
27.	उत्तर प्रदेश	0.00	1104.00	257.60	866.98	348.05	159.35	2735.98
28.	पश्चिम बंगाल	171.42	275.44	95.27	275.51	64.27	33.70	915.61
29.	अंडमान निकोबार द्वीप	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०
30.	चण्डीगढ़	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०
31.	दादर और नगर हवेली	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०
32.	दमन और दीव	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०
33.	दिल्ली	0.00	23.61	37.03	38.31	37.78	100.00	236.73
34.	पांडिचेरी	6.52	14.48	38.58	30.00	20.00	एन०आर०	109.58
	कुल	3203.20	4950.47	3071.96	4139.08	1901.81	1326.71	18593.54

एन०आर० = सूचना प्राप्त नहीं

एन०ए० = लागू नहीं

निगरानी/सतर्कता समिति

***548. श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री कमलनाथ :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विकासात्मक कार्यक्रमों पर प्रभावी निगरानी रखने हेतु राज्य, जिला और ब्लाक स्तर पर सतर्कता और निगरानी समितियों का पुनर्गठन किया है जैसा कि 3 अप्रैल, 2003 को 'दि हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी समितियों के पुनर्गठन का विभिन्न ग्रामीण विकासात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने राज्य तथा जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति पुन: गठित की है। ऐसा निर्णय ब्लाक स्तर पर समिति समाप्त करने के लिए किया गया है। विगत में विभिन्न एजेंसियों द्वारा विभिन्न योजनाओं की निगरानी की जा रही थी। तथापि, पुनर्गठित सतर्कता एवं निगरानी समितियां ग्रामीण विकास मंत्रालय की संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डी०आर०डी०ए० प्रशासन, वाटरशैड विकास कार्यक्रम, ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (क्षेत्र सुधार सहित), सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान आदि जैसी सभी योजनाओं की निगरानी करेंगी।

संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष तथा राज्य के ग्रामीण विकास सचिव सदस्य सचिव होंगे। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने वाले चार संसद सदस्य (लोकसभा) तथा एक संसद सदस्य (राज्यसभा), जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले पांच विधायक सदस्य होंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को नामित करने का भी प्रावधान है।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का अध्यक्ष जिले से निर्वाचित तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य (लोकसभा) होगा। जिला कलक्टर/जिलाधीश/उपायुक्त सदस्य-सचिव होंगे। जिले के सभी संसद सदस्य (लोकसभा) तथा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा उस जिले (पहले आओ आधार पर) की जिला स्तरीय समिति से सम्बद्ध होने का विकल्प देने वाले एक संसद सदस्य (राज्यसभा) उपाध्यक्ष के रूप में नामित किए जाएंगे। जिले के सभी विधायक, जिला पंचायत का अध्यक्ष तथा पंचायत समितियों के सभी अध्यक्ष भी सदस्य होंगे। गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों आदि के प्रतिनिधियों को नामित करने का भी प्रावधान है।

(ग) और (घ) पुनर्गठित समिति में, संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडलों तथा पंचायती राज संस्थाओं में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है तथा इसीलिए यह आशा की जाती है कि इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

बच्चों संबंधी नीति

***549. श्री के० मलयसामी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किशोरों और बच्चों की संरक्षा 'देख-भाल' कल्याण, विकास और पुनर्वास हेतु एक व्यापक नीति और तंत्र बनाने की जरूरत महसूस की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान प्रणाली में व्याप्त कमियों को दूर करने हेतु क्या नीति तैयार की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय बाल नीति, 1974 एक विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें 'बच्चों को उनके जन्म से पूर्व और उसके पश्चात् तथा उनके वृद्धि काल के दौरान उनका पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सेवाएं प्रदान करने' की सरकार की प्रतिबद्धता को सविस्तार प्रतिपादित किया गया है।

राष्ट्रीय बाल नीति के अनुवर्तन में तथा इस नीति के उद्देश्यों की प्रति के लिए बच्चों हेतु अनेक राष्ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (1983), राष्ट्रीय बाल श्रम नीति (1987), समेकित बाल विकास सेवा, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल श्रम कार्यक्रम तथा समेकित किशोर अपराध न्याय कार्यक्रम, आदि। अधिकांश राज्यों में आंगनवाड़ी केन्द्र छोटे बच्चों के लिए चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रक्रियाओं के संकेन्द्रित लाभ प्रदान करने वाले मंच बन गए हैं।

6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों हेतु शिक्षा को मौलिक अधिकार तथा 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों हेतु प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को नीति निर्देशक सिद्धांत बनाने हेतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया है।

वर्ष 2010 तक विद्यालयों में शत-प्रतिशत बच्चों के नामांकन तथा सभी बच्चों द्वारा शिक्षा जारी रखने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्ष 2000 में सर्व-शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया।

सरकार एक राष्ट्रीय बाल चार्टर का निरूपण कर रही है, जो बच्चों की उत्तरजीविता, संरक्षण तथा विकास आवश्यकताओं के लिए एक व्यापक दस्तावेज होगा। सरकार ने देश में बच्चों के कल्याण संबंधी कानूनों एवं कार्यक्रमों के समग्र परिचालन पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय बाल आयोग गठित करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

कोयला खानों की अवसंरचनात्मक समस्याएं

*550. **श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों की अवसंरचनात्मक समस्याओं को दूर करने और इनमें सुरक्षोपाय सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में स्थित कोयला खानों में सामान्यतः सुरक्षोपायों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विवरण

कोयला मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० द्वारा कोयला खानों में खनन संकार्यों में सुरक्षा को प्राथमिक महत्व दिया जाता है और सुरक्षा से संबंधित अवसंरचनात्मक मुद्दों पर सी०आई०एल० में सभी स्तरों पर लगातार ध्यान दिया जाता है।

सी०आई०एल० की कोयला खानों में सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित व्यापक अवसंरचनात्मक, सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं –

1. **कर्मचारियों की व्यवस्था** – विभिन्न स्तरों पर कोयला खान नियमावली (सी०एम०आर०), 1957 द्वारा निर्धारित अर्हताओं वाले पर्यवेक्षकीय कार्मिकों की नियुक्ति करना। पर्यवेक्षकीय कार्मिकों की स्थिति के आंकलन की निगरानी माननीय कोयला मंत्री की अध्यक्षता वाली कोयला खानों में सुरक्षा पर स्थायी समिति, सुरक्षा में श्रमिकों की भागीदारी जैसे शीर्ष स्तर के निकाय तथा सी०आई०एल० सुरक्षा बोर्ड द्वारा की जाती है और समय-समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

2. **सुरक्षा उपकरण** – कोल इंडिया लि० अपनी खानों में आधुनिक सुरक्षा उपकरण मुहैया करा रही है –

   (1) अत्यधिक पूंजी प्रधान पर्यावरणीय दूर प्रबोधन प्रणालियों (ई०टी०एम०एस०) सहित गैस का पता लगाने वाले उपकरण।

   (2) भूमि के नीचे फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बड़े व्यास वाली बोरिंग मशीन सहित सुरक्षा बोरिंग उपकरण।

   (3) व्यक्तिगत बचाव उपकरण।

   (4) धूल सैम्पलिंग उपकरण।

   (5) सपोर्ट कार्य-निष्पादन तथा रूफ स्ट्राटा के व्यवहार की निगरानी के लिए उपकरण।

   (6) बचाव उपकरण।

   (7) लौ रोधक उपकरण, सहजता से बचाव उपकरण।

   (8) हैम में श्रव्य-दृश्य-अलार्म प्रणाली आग बुझाने वाली प्रणालियां आदि।

3. **आंतरिक सुरक्षा संगठन (आई०एस०ओ०)** – प्रत्येक अनुषंगी कंपनी तथा सी०आई०एल० शीर्ष स्तर पर एक सुसंगठित बहु-विभागीय आंतरिक सुरक्षा संगठन स्थापित किया गया है जो कंपनी के तकनीकी निदेशक को रिपोर्ट करता है। आई०एस०ओ० खानों में सुरक्षा स्थिति को मानिटर करता है, सिफारिशें करता है तथा उन सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति को मानिटर करता है।

4. **सुरक्षा में श्रमिकों की भागीदारी** – सुरक्षा समितियों तथा खान स्तर पर श्रमिकों के निरीक्षकों को, क्षेत्र स्तर पर द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय समितियों अनुषंगी कंपनी स्तर पर त्रिपक्षीय समितियों से सी०आई०एल० शीर्ष स्तर पर कोल इंडिया सुरक्षा बोर्ड तक, जहां श्रमिकों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जैसे विभिन्न मंचों के द्वारा सुरक्षा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी स्थापित की गई है।

5. **बचाव संगठन** – कोल इंडिया लि० में एक सुसज्जित बचाव संगठन है जिसमें आपातकाल में बचाव कवर प्रदान करने के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षित बचाव कार्मिक हैं। दुबे समिति तथा कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी स्थायी समिति की 14वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अंतर्गत गठित की गई उप-समिति द्वारा यथा संस्तुत 6 बचाव स्टेशन, पुनश्चर्या प्रशिक्षण सुविधाओं सहित 15 बचाव कक्ष

(आर०आर०आर०टी०) तथा 17 बचाव कक्षों का रख-रखाव किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं। वास्तव में विभिन्न राज्यों की सुरक्षा आंकड़ों में सुधार हुआ है।

(घ) उपर्युक्त (ग) भाग में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार पर संगोष्ठी

*551. **श्री इक़बाल अहमद सरडगी** : क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 फरवरी, 23 को लोक सेवकों के विरूद्ध लंबे समय से लंबित मामलों और केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन की स्वीकृति से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के प्रभावी तरीकों का पता लगाने हेतु केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो, एशियाई विकास-बैंक और आर्थिक सहयोग एवं विकास-संगठन द्वारा संयुक्त रूप से एक तीन दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी और भारत सहित 14 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था;

(घ) यदि हां, तो इस संगोष्ठी के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, हां। मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दिए जाने के लंबित चल रहे केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के मामलों की समीक्षा किए जाने की दृष्टि से एक बैठक आयोजित की गई।

(ख) उपर्युक्त बैठक में केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के मामलों में मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दिए जाने के मामलों के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा जानकारी ठीक तरह से संकलित किए जाने और उसे समय पर अद्यतन किए जाने, बारीकी से ठोस अनुवर्ती कार्रवाई करने की दृष्टि से कंप्यूटरों का प्रयोग किए जाने, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग तथा विधि-मंत्रालय द्वारा अपनी-अपनी सलाह शीघ्रता से दिए जाने, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो, संबंधित मंत्रालय तथा केन्द्रीय सतर्कता-आयोग आदि की संयुक्त बैठकें आयोजित किए जाने और मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दिए जाने से संबंधित मामलों की जांच-पड़ताल करके उन पर समुचित कार्रवाई किए जाने के प्रयोजन से, संबंधित विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी (नोडल अधिकारी) द्वारा निर्णय शीघ्र लिए जाने के सिलसिले में, मामलों पर लगातार नज़र रखकर, संबंधित अधिकारियों से संपर्क क़ायम रखने जैसे क़दम उठाकर उनको पहले से और ज्यादा कारगर ढंग से मॉनीटरिंग की जानी तय की गई।

(ग) जी, हां। सेमिनार का आयोजन, एशियन विकास-बैंक और आर्थिक सहयोग तथा विकास-संगठन (ए०डी०बी०-ओ०ई०सी०डी०) एशिया पेसिफिक के संबंध में भ्रष्टाचार-निरोधी पहल (इनीशिएटिव) एवं भारत-सरकार द्वारा किया गया। उपर्युक्त सेमिनार की मेजबानी, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो-अकादमी, गाजियाबाद द्वारा की गई। उपर्युक्त सेमिनार में भारत सहित एशिया/ओशियाना क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त सेमिनार में हिस्सा ले रहे देशों के "प्रशिक्षकों" का प्रशिक्षण, संबंधित देशों में भ्रष्टाचार के अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाए जाने से संबंधित अनुभव के आदान-प्रदान और भ्रष्टाचार के अपराधों से संबंधित मामलों के अध्ययन से किया गया।

[हिन्दी]

मार्गो और परम्परागत बीज

*552. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक कीटनाशकों के लिए प्रभावी विकल्प का पता लगाने हेतु कोई गम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसंधान विभाग ने रसायनों के स्थान पर मार्गो बीज और अन्य परम्परागत बीजों जैसे हानिरहित कीटनाशकों के विकल्प पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार समेकित कीट प्रबंधन (आई०पी०एम०) दृष्टिकोण को संवर्धित कर रही है जिससे जैव कीटनाशकों और जैव नियंत्रण तत्वों पर अधिक निर्भरता हो तथा कृषि रसायन का न्यायोचित किन्तु सीमित प्रयोग हो।

(ग) और वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशालाएं नामत:

(घ) (i) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नालॉजी, हैदराबाद और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एन०बी०आर०आई०), लखनऊ ने जैव पेस्टिसाइडों के उत्पादन के लिए नीम सीड्स और कस्टर्ड एपिल स्थल से प्रक्रिया विकसित की है।

(ii) जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने बायो-डिग्रेडेबल और पर्यावरण अनुकूल बोटानिकल पेस्टिसाइडों के विकास के लिए अनेक आर एंड डी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है।

[अनुवाद]

आई०डी०एस०एम०टी० योजना के मार्गनिर्देश

*553. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि देश में छोटे और मध्यम शहरों के समेकित विकास (आई०डी०एस०एम०टी०) योजना का क्रियान्वयन और प्रगति संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध में मार्गनिर्देशों में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों से इस संबंध में परामर्श लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं। योजना के प्रारंभ अर्थात 1979-80 से 2002-03 तक, योजना के अंतर्गत कुल 1340 कस्बों को शामिल किया गया तथा 60576.60 लाख रु० की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई इसके मुकाबले 75882.34 लाख रु० की राशि खर्च किए जाने की सूचना मिली है।

(ख) से (च) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना तथा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर की जाने वाली पुनरीक्षा के आधार पर सरकार आई०डी०एस०एम०टी० योजना के मौजूदा मार्गनिर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर रही है। विचाराधीन प्रस्ताव की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(i) स्थानीय निकायों की बढ़ती हुई अवस्थापना जरूरतों को देखते हुए अधिक लागत परिव्यय के साथ अवस्थापना परियोजनाएं शामिल करना।

(ii) अधिक कस्बों को शामिल करने के लिए 5 लाख आबादी की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 10 लाख तक तक की आबादी वाले कस्बों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

(iii) प्रस्ताव है कि अन्य अवस्थापना घटकों के अलावा योजना के तहत जल आपूर्ति तथा सफाई परियोजनाओं को शामिल किया जाए जिन पर योजना की कम से कम 40% राशि खर्च की जाए।

(iv) यद्यपि 10 लाख तक की आबादी वाले कस्बों को शामिल करके योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है फिर भी एक लाख से कम आबादी वाले कस्बों को योजना के तहत प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जा रही राशि में से लगभग 50% राशि मुहैया कराकर उनके विकास पर बल दिया जाएगा।

(v) धनराशि का शीघ्र प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय अंश प्रदान करने की प्रक्रिया को और दुरस्त बनाने का प्रस्ताव है।

(vi) राज्यों में राज्य स्तरीय स्वीकृति समितियों के अनुमोदित परियोजनाओं में कुछ परिवर्तन करने का अधिकार देने का सुझाव दिया जा रहा है।

(vii) परियोजना तैयार करने, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए विशेष घटक बनाने और इसके लिए कुल परियोजना लागत का 1.5% भाग मुहैया कराने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

प्रारूप मार्गनिर्देश राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को टिप्पणियों के लिए भेजे गए थे। दिनांक 14.5.2002 को आयोजित पुनरीक्षा बैठक के दौरान प्रस्तावित दिशानिर्देशों की मुख्य बातों पर राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय खोलना

*554. **श्री राम सिंह कस्वां :**
योगी आदित्यनाथ :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक अपने राज्यों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है।

विवरण

पहले से चल रहे केन्द्रीय विद्यालयों तथा नये विद्यालय खोलने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य	पहले से ही चल रहे विद्यालयों की संख्या	नए विद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	41	–
2.	अरूणाचल प्रदेश	11	3
3.	असम	48	–
4.	बिहार	30	–
5.	गोवा	5	–
6.	गुजरात	40	–
7.	हरियाणा	27	–
8.	हिमाचल प्रदेश	20	1
9.	जम्मू-कश्मीर	35	26
10.	कर्नाटक	32	1
11.	केरल	26	2
12.	मध्य प्रदेश	71	–
13.	महाराष्ट्र	51	–
14.	मणिपुर	5	–
15.	मेघालय	7	–
16.	मिजोरम	2	–
17.	नागालैण्ड	6	–
18.	उड़ीसा	29	–
19.	पंजाब	40	–
20.	राजस्थान	53	5
21.	सिक्किम	3	–
22.	तमिलनाडु	30	–
23.	त्रिपुरा	5	13
24.	उत्तर प्रदेश	93	–
25.	पश्चिम बंगाल	49	–
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (संघशासित प्रदेश)	3	–
27.	चंडीगढ़	5	–
28.	दिल्ली	40	–
29.	पांडिचेरी	2	–
30.	दादर व नगर हवेली	1	–
31.	छत्तीसगढ़	22	–
32.	उत्तरांचल	36	–
33.	झारखंड	24	1
34.	लक्षद्वीप (संघशासित प्रदेश)	1	–
35.	दमन व दीव (संघशासित प्रदेश)	1	–
36.	विदेशों में	2	–
	कुल	895 [illegible]	53

सरकारी क्षेत्रों में दलितों के लिए रोज़गार के अवसर

*555. **श्री रामदास आठवले :** क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष, 1991 से आज तक नई आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित किए जाने के फलस्वरूप, सरकारी क्षेत्र में, विशेषकर दलितों के लिए रोजगार के अवसरों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दलितों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) 31-03-1991 को मौजूद स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र में रोज़गार 190.57 लाख था जो 31-03-2001 को मौजूद स्थिति के अनुसार, बढ़कर 191.36 लाख हो गया। इस तरह, वर्ष, 1991 से वर्ष, 2001 तक की अवधि के दौरान, दलितों को सुलभ रोज़गार के अवसरों सहित, रोज़गार के अवसरों में बढ़ोतरी हुई।

(ग) राष्ट्र के अन्तर्गत सेवाओं में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक, अर्द्धसरकारी और स्वायत्त निकायों सहित, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण किए जाने का प्रावधान है। सरकार से सहायता-अनुदान प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक अभिकरणों में भी आरक्षण की नीति लागू कर दी गई है।

विनिवेश से संबंधित जिन मामलों में प्रबन्धन-नियंत्रण को अंतरित किया जाना अपेक्षित हो, उनमें व्यावसायिक कौशल नीति से सम्बद्ध भागीदारी से किए जाने वाले शेयर-खरीद-करार और शेयर होल्डर-करार में आरक्षण के बारे में समुचित प्रावधान किए जाते हैं। ऊपर दर्शाए गए करारों में विशेष रूप से इस आशय का उल्लेख रहता है कि व्यावसायिक कौशल-नीति से सम्बद्ध भागीदार यह समझता है कि सरकार अपनी रोजगार-नीतियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लाभ की दृष्टि से कुछ सिद्धान्तों का अनुसरण करती है तथा वह (व्यावसायिक कौशल-नीति से सम्बद्ध भागीदार) कम्पनी से ऐसे व्यक्तियों को रोज़गार के पर्याप्त अवसर मुहैया करवाने के अपने सर्वाधिक कारगर प्रयास करवाएगा।

[अनुवाद]

महिलाओं से संबंधित कानून

*556. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल :**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि महिलाओं से संबंधित अनेक कानून पुराने और अप्रभावी हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु कोई कदम उठाये गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) महिलाओं से संबंधित कानून न तो पुराने हैं और न ही अप्रभावी। कानूनों की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के परामर्श से महिलाओं से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। समीक्षा के फलस्वरूप, पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित अधिनियमों में संशोधन किये गए :–

(1) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

(2) गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971

(3) भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (भरण-पोषण) से संबंधित धारा

(5) प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन तथा दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994

(6) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

(7) विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 2001

ग्रामीण क्षेत्रों में जय विज्ञान स्वास्थ्य परियोजना

*557. **श्री संजय लाल :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जय विज्ञान स्वास्थ्य परियोजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन जिलों का चयन किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध में निजी क्षेत्रों और गैर-सरकारी संगठनों को भी सम्बद्ध करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए चयनित गैर-सरकारी संगठनों और निजी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ड़) क्या सरकार इस संबंध में निजी क्षेत्र को उनकी परियोजना के लिए ऋण/सहायता भी प्रदान कर रही है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों को कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(छ) इस परियोजना के अंतर्गत अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं; और

(ज) सरकार द्वारा इस परियोजना को और अधिक सफल बनाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ज) 3 जनवरी, 1999 को अन्य विभागों के साथ सहयोग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 21 राष्ट्रीय जय विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किए गए थे। इनमें ''ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जय विज्ञान स्वास्थ्य परियोजना'' नामक एक परियोजना शामिल है। उच्च शैक्षिक योग्यता वाले चिकित्सा पेशेवरों के नेतृत्व वाली एक निजी कम्पनी द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस परियोजना का लक्ष्य टेलिमेडिसिन नेटवर्किंग प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण लोगों के लिए सुदूर चिकित्सीय नैदानिक देख-भाल प्रदान करना है। यह परियोजना विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश तथा इसके आस-पास कार्यान्वित की जा रही है और इसका लक्ष्य 100 सामान्य प्रैक्टिशनरों (जी०पी०) को 5 क्षेत्रीय नैदानिक केन्द्रों (आर०डी०सी०) से जोड़ना है, जो कि वस्तुत: मुख्य केन्द्र से जुड़े हैं, जो विजयवाड़ा के निकट टाडेपल्ली में एक बहु-विषयात्मक अस्पताल है। इस परियोजना का उद्देश्य वियजवाड़ा तथा इसके आस-पास के 5 जिलों में पहचान किए गए दूर-दराज के क्षेत्रों में रोगियों के लिए चिकित्सीय नैदानिक देखभाल प्रदान करना है।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने 998 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत में से 460 लाख रुपये की ऋण सहायता प्रदान की है। बहु विशेषता अस्पताल, जो कि मुख्य केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है, की स्थापना उद्यमी द्वारा पहले ही की जा चुकी है और आर०डी०सी० तथा जी०पी० के साथ कुछ संबंध भी स्थापित कर लिए गए हैं। कम्पनी से परियोजना समापन की ब्यौरेवार रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

इस परियोजना से देश में अन्य स्थानों पर इसी तरह की परियोजनाएं शुरू करने के लिए उद्यमियों को प्रेरित करने में अग्रणी बनने की अपेक्षा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान

*558. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को ''सुविधानुसार परीक्षा प्रणाली'' (जब चाहो तब परीक्षा दो) की सुविधा प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सत्र 2003-2004 के लिए दसवीं कक्षा तक के लिए विद्यार्थियों को यह सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थानों और मुक्त शिक्षा संगठनों के बीच मुक्त शिक्षा के विभिन्न माडलों पर विचार करने और बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु संस्थान द्वारा मार्च, 2003 में भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ और ''कामनवेल्थ आफ लर्निंग, कनाडा'' के सहयोग से एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान विभिन्न राज्यों के पांच केन्द्रों में एक प्रायोगिक कार्यक्रम के रूप में 'सुविधानुसार परीक्षा प्रणाली' की सुविधा प्रदान कर रहा है और सत्र 2003-2004 से संपूर्ण माध्यमिक क्षेत्र के लिए उसका विस्तार करने का इरादा है।

(ग) और (घ) जी, हां। समुदाय शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास के व्यापक क्षेत्रों तक अपने कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का विस्तार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान ने मार्च, 2003 में नई दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। विभिन्न संगठनों से लगभग 250 शिक्षाविदों, समुदाय कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों और पंचायती राज कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया। प्राथमिक तथा पूर्व-डिग्री स्तर की सामान्य, समृद्ध जीवन निर्माण करने वाली तथा व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर चौंसठ निबंधन प्रस्तुत किए गए।

[अनुवाद]

एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा किया गया सर्वेक्षण

*559. **श्री चिन्तामन वनगा :**
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि यशपाल समिति ने वर्ष 1990 में स्कूली बच्चों पर से पाठ्यक्रम के बोझ में भारी कमी करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन०सी०ई०आर०टी०) ने स्कूली बच्चों पर से पाठ्यक्रम का भार घटाने हेतु कोई अध्ययन किया है जैसा कि दिनांक 2-4-2003 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो अध्ययन के निष्कर्षों सहित ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा स्कूली बच्चों पर से पाठ्यक्रम का भार कम करने के संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अध्ययन "प्राथमिक पूर्व तथा प्राथमिक स्तरों पर बच्चों पर पाठ्यचर्या का बोझ" के निष्कर्षों में ये बातें शामिल हैं : स्कूलों में अपर्याप्त भौतिक सुविधाएं, शिक्षण के अधिक घंटे, शिक्षक-पत्र अनुपात में काफी भिन्नताएं, स्कूल पहुंचने के लिए लम्बी दूरी तय करना, सभी पब्लिक स्कूलों में भारी स्कूल बैग, शिक्षकों का अपर्याप्त सेवाकालीन प्रशिक्षण, अभिभावकों द्वारा गृह-कार्य पर बल।

(घ) पाठ्यचर्या बोझ कम करने के लिए भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए, जिसमें निम्नलिखित/शामिल हैं :

(I) भारत सरकार द्वारा 1994 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यशपाल समिति रिपोर्ट की सिफारिशें कार्यान्वयन हेतु भेजी गई थीं।

(II) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या संरचना-2000 तैयार करते समय यशपाल समिति रिपोर्ट की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया। परिषद ने तद्नुसार कक्षा-XII तक सभी कक्षाओं के लिए विषय-वार पाठ्य-विवरण तैयार किए हैं।

(III) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में इस आवश्यकता को दोहराया है कि स्कूल बैग के भार को कम किया जाए, कक्षा-I तथा कक्षा-II के विद्यार्थियों को कोई गृह-कार्य न दिया जाए, आवधिक परीक्षाओं के बजाय सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाए तथा चित्रकला, संगीत, नृत्य आदि जैसे विषयों को पढ़ाया जाए।

ई०आर०एन०ई०टी०

***560. श्री पवन कुमार बंसल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) और ए०आई०सी०टी०ई०) ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग कालेजों को "एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क (ई०आर०एन०ई०टी०) इंडिया" के अंतर्गत जोड़ने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो भाग लेने वाले संस्थानों के चयन हेतु निर्धारित मानदंडों सहित योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना में पहले से शामिल विश्वविद्यालयों और कालेजों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में स्थित सभी पात्र विश्वविद्यालयों और कालेजों को यू०जी०सी०–इंफोनेट स्कीम के अंतर्गत इंटरनेट कनेक्टिविटि प्रदान करने के प्रयोजन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत स्वायत्त सोसायटी के रूप में कार्यरत शिक्षा तथा अनुसंधान नेटवर्क भारत के साथ समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया है। इस स्कीम का उद्देश्य उपर्युक्त विश्वविद्यालयों और कालेजों को नेटवर्क से जोड़ने के लिए कम्प्यूटर उपलब्ध कराने और केबल बिछाने के साथ-साथ अपेक्षित अवसंरचना प्रदान करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन सभी विश्वविद्यालयों, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12-ख के अधीन मान्यता प्राप्त हैं, से अनुरोध किया है कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा तथा अनुसंधान नेटवर्क, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क तथा संबंधित विश्वविद्यालय के बीच चार पक्षीय करार सम्पन्न करने के लिए अपने प्रस्ताव भेजें। इस स्कीम के अन्तर्गत अवसंरचना की कुल लागत का 90 प्रतिशत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वहन किया जाता है जबकि शेष 10 प्रतिशत लागत संबंधित संस्थान द्वारा वहन की जाती है। तथापि कनेक्टिविटि पर होने वाला पूरा आवर्ती खर्च पांच वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वहन किया जाता है। अब तक कुल 77 विश्वविद्यालयों ने चार पक्षीय करार सम्पन्न किया है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटि प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा अनुसंधान नेटवर्क भारत

के साथ समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया है। इस स्कीम के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं को इस प्रयोजनार्थ 10.00 लाख रु० अथवा वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी राशि कम हो, प्रदान करती है। स्व-वित्तपोषी निजी संस्थाओं के लिए इस राशि को 5.00 लाख रु० तक अथवा वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी कम हो, सीमित कर दिया गया है। कनेक्टिविटि शिक्षा तथा अनुसंधान नेटवर्क द्वारा प्रदान की जाती है। वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत शामिल की गई संस्थाओं की संख्या क्रमश: 14 और 34 थी।

[हिन्दी]

अवैध प्रवासियों का सौंपा जाना

*561. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश उन लोगों को वापस लेने से मना कर रहे हैं जो जम्मू-कश्मीर और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में उन देशों के प्राधिकारियों की मदद से घुस आते हैं और जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है जैसा कि 24.2.2003 के 'राष्ट्रीय सहारा' में खबर छपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान उन पाकिस्तानी नागरिकों को भी वापस लेने का इच्छुक नहीं है जो भारतीय जेलों में अपनी सजा पूरी कर चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या नीति अपनायी है;

(ङ) ऐसे मामलों का निपटान होने तक उनका खर्च कौनसी एजेन्सी वहन करती है; और

(च) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) राष्ट्रीय सहारा के दिनांक 24.2.2003 के अंक में प्रकाशित रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए जेल की सजा पूरी कर चुके अपने नागरिकों को कथित रूप से वापस लेने से इन्कार करने के बारे में प्रकाश डाला गया है। पाकिस्तानी कैदियों की वापसी प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 1982 के कांसुलर एक्सेस प्रोटोकाल के अनुसार पाकिस्तानी कैदियों को समय-समय पर कांसुलर ऐक्सेस प्रदान की जाती है। उनकी पहचान कर लिए जाने के बाद, पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा अस्थायी यात्रा दस्तावेज प्रदान करने होते हैं तत्पश्चात कैदियों को प्रत्यावर्तित किया जाता है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक, जो देश में अवैध तौर पर घुस आए हैं, देश के विभिन्न भागों में ठहरे हुए हैं। अवैध तौर पर ठहरे हुए ये बांग्लादेशी नागरिक, जब पकड़ में आ जाते हैं, तो उन्हें वापस भेज दिया जाता है। तथापि, बांग्लादेश सरकार यही कहती रहती है कि भारत में अवैध तौर पर कोई बांग्लादेशी नहीं ठहरे हुए हैं।

(ङ) भारत सरकार राज्य सरकारों को प्रत्यावर्तन तथा आप्रवासन संबंधी कार्यों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है।

(च) कैदियों की पहचान के सत्यापन के मामले में त्वरित कार्यवाई करने के लिए मामले को कूटनीतिक स्तर पर उठाया जाता है।

[अनुवाद]

शीरा उत्पादन

*562. **श्री ए० नरेन्द्र : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में शीरे के वितरण और उसके मूल्य हेतु कोई मानदंड निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में वर्तमान में शीरे के संबंध में अपनायी जा रही दरों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान शीरे के कुल उत्पादन और इसके निर्यात व आयात का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने शीरे के अवैध प्रयोग को रोकने, देश में इसकी बिक्री और वितरण हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या इसकी अवैध बिक्री रोकने और वितरण को नियंत्रित करने हेतु कोई सरकारी एजेन्सी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) जून, 1993 में शीरे के विनियंत्रण के परिणामस्वरूप राज्य सरकार शीरे की बिक्री और वितरण को नियंत्रित करती है और संबंधित राज्य अधिनियमों और नियमों के अन्तर्गत इसके अवैधानिक प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए उपाय करती है।

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-02 में शीरे का आयात क्रमश: 74353, 25881 और 31594 मी० टन था। 1999-2000 के दौरान कोई निर्यात नहीं हुआ जबकि वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान निर्यात क्रमश: 553902 मी० टन और 221116 मी० टन था।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पुलिस बल का वेतनमान

5473. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस बल के अन्तर्गत काम करने वाले पुलिस कांस्टेबल दिल्ली पुलिस बल में काम करने वाले पुलिस कांस्टेबलों की तुलना में कम वेतनमान ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अंडमान और निकोबार पुलिस बल के पुलिस कांस्टेबलों के वेतनमान को दिल्ली पुलिस बल में पुलिस कांस्टेबलों द्वारा लिए जा रहे वेतनमान के बराबर करने हेतु उसमें संशोधन करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) वेतनमान के कब तक संशोधित तथा कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। अंडमान और निकोबार पुलिस बल के कांस्टेबल पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती योग्यता 8वीं पास है जबकि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती योग्यता मैट्रिक है। तद्नुसार, अंडमान और निकोबार पुलिस बल के कांस्टेबलों को, गैर-मैट्रिक पास सिपाहियों पर लागू, 2750-4400 रुपये का प्रतिस्थापन वेतनमान स्वीकृत किया गया है और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबलों को मैट्रिक पास सिपाहियों पर लागू 3050-4590 रुपये का प्रतिस्थापन वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

(ग) से (ङ) अंडमान और निकोबार पुलिस बल के सिपाहियों का वेतनमान बढ़ाकर दिल्ली पुलिस में उनके समकक्ष पदधारियों को मिलने वाले वेतनमान के समान करने संबंधी एक प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्रीय भंडार में प्रतिभूति-निक्षेप का प्रयोग

5474. श्री रामजी मांझी : क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भंडार ने आपूर्तिकर्ताओं से प्रतिभूति-निक्षेप के रूप में करोड़ों रुपए एकत्र किए हैं और वे केन्द्रीय भंडार में पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की पूर्व सहमति के बिना अपनी दिन प्रतिदिन की व्यापारिक गतिविधियों के लिए इस धनराशि का प्रयोग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि एकत्र की गई है और इस विश्वास-भंग के क्या कारण है?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) केन्द्रीय भंडार, आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण करते समय उनसे ब्याज के बिना वापस किए जाने योग्य जमानत-धनराशि लेता है। यह धनराशि, केन्द्रीय भंडार के तुलन-पत्र में मौजूदा देनदारी के रूप में ठीक तरह से दर्शाई जाती है। अत: "विश्वास-भंग" का प्रश्न नहीं उठता। केन्द्रीय भंडार के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे के अनुसार, वर्ष, 1999 से वर्ष, 2002 तक की अवधि के दौरान "जमानत-धनराशि, आपूर्तिकर्ता और कर्मचारी" शीर्ष के अन्तर्गत धनराशि निम्नानुसार रही :

वर्ष	धनराशि (लाख रुपए में)
1999-2000	180.667
2000-2001	205.225
2001-2002	295.359

असम गैस क्रैकर परियोजना

5475. श्री एम०के० सुब्बा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम गैस क्रैकर संग्राम समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में गैस क्रैकर परियोजना की स्थापना करने संबंधी सभी मुद्दों को स्वीकार करने के लिए उनसे भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में जिन मुद्दों पर की गई, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और तत्संबंधी विस्तृत लागत और समय सीमा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) असम गैस क्रैकर परियोजना के लिए सहायता देने हेतु अपेक्षित धनराशि के मामले को शीघ्र निपटाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। परियोजना की लागत 3600 करोड़ रुपये अनुमानित है। फीडस्टाक सप्लाई समझौते और भूमि के अधिग्रहण को अंतिम रूप देने पर परियोजना अधिकारियों को परियोजना 44 माह में शुरू होने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अधिकरण

5476. **श्री विष्णुदेव साय :** क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासनिक अधिकरणों और खंडपीठों की संख्या कितनी है;

(ख) इनके पास कितने मामले लंबित हैं;

(ग) क्या केन्द्र-सरकार ने पहले ही छत्तीसगढ़ में अधिकरण को समाप्त करने हेतु अपनी स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लंबित मामलों के निपटान को सुकर बनाने हेतु की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ङ) मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोई भी राज्य-प्रशासनिक अधिकरण कार्यरत नहीं है। अगस्त 02, 1988 को स्थापित किया गया मध्य प्रदेश-राज्य-प्रशासनिक अधिकरण, मध्य प्रदेश की सरकार के अनुरोध पर और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन-स्वरूप, केन्द्र-सरकार द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से, अप्रैल 17, 2003 को समाप्त कर दिया गया। जहां तक उपर्युक्त राज्य-प्रशासनिक अधिकरण में न्याय निर्णयन हेतु लम्बित चल रहे मुकदमों का संबंध है, राज्य-प्रशासनिक अधिकरणों में न्याय-निर्णयन हेतु लंबित चल रहे मुकदमों से संबंधित जानकारी, केन्द्रीकृत रूप से मॉनीटर नहीं की जाती, क्योंकि ये राज्य-प्रशासनिक अधिकरण, संबंधित राज्य-सरकारों द्वारा रखे जाते हैं और किसी राज्य-प्रशासनिक अधिकरण में न्याय-निर्णयन हेतु लम्बित चल रहे मुकदमों का न्याय-निर्णयन द्वारा निबटारा किया जाना सहज और सुकर बनाने की दृष्टि से आवश्यक क़दम उठाने का दायित्व, संबंधित राज्य-सरकार का है।

[अनुवाद]

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को वित्तीय सहायता

5477. **श्री महबूब जाहेदी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को 3265.17 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता अब बंद कर दी है और इसके विपरीत ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कोयले के मूल्य निर्धारण पर निषेध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के निदेश के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अपने उत्पादन को उत्पादन लागत की अपेक्षा कम मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड प्राधिकरण बंसरा कोलियरी के अंतर्गत भूमिगत सी शाफ्ट नई खानों पर काम नहीं किया है और कोरडीह कोयला खान पिट संख्या 12 पर उत्पादन को लंबित रखा जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) जी, हां। तथापि, ई०सी०एल० को कोयला कीमतों के निर्धारण पर कोई निषेध नहीं लगाया गया है क्योंकि विनियमन के बाद, कोयला कीमतें कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०) द्वारा निर्धारित की जा रही हैं।

(ख) प्रारम्भिक वर्षों में, सरकार ई०सी०एल० के नकद घाटे को पूरा करने के लिए गैर-योजनागत ऋण के माध्यम से सहायता उपलब्ध करा रही थी क्योंकि ई०सी०एल० शुरू से ही काफी लेखागत तथा नकद घाटे उठा रही थी। 1982-83 से कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 के अंतर्गत एक अवधारण मूल्य तंत्र लागू किया गया था। इस तन्त्र के अंतर्गत, प्रत्येक अनुषंगी कम्पनी के लिए कोयले की अवधारण कीमत अधिसूचित की गई थी। वास्तविक रूप में वसूल की गई कोयला कीमत की अधिक्य/कमी तथा अधिसूचित अवधारण कीमत को प्रत्येक कम्पनी द्वारा, सी०आई०एल० द्वारा अनुरक्षित किए

जा रहे कोयला कीमत विनियमन लेखा (सी०पी०आर०ए०) में अंशदान/दावा किया जाना अपेक्षित था। ई०सी०एल० जैसी घाटे में चल रही कंपनियों के लिए, अवधारण कीमत, वसूल की गई कोयला कीमत से काफी अधिक थी और इसलिए कम्पनी सी०पी०आर०ए० से अंतर का दावा करने की स्थिति में थी। यद्यपि, अवधारण कीमत तन्त्र के अंतर्गत वित्तीय प्रवाहों ने ई०सी०एल० को अपने नकद घाटे को पूर्ण रूप से पूरा करने में समर्थ बना दिया, पर इसे योजना ने लाभ कमाने वाली अनुषंगियों को अपने कमान क्षेत्र के भीतर चालू कोयला परियोजनाओं की निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके द्वारा जुटाए गए संसाधनों को प्रतिधारित करने से रोक दिया। इसके अतिरिक्त, अवधारण कीमत तन्त्र के प्रचालन के कारण लाभ में चलने वाली कम्पनियां के लाभों में भी महत्वपूर्ण कमी आई। अत: अवधारण कीमत तन्त्र को 1996-97 से बंद कर देना पड़ा।

(ग) और (घ) विनियमन के बाद से, ई०सी०एल० सहित, सी०आई०एल० की सभी अनुषंगी कंपनियों द्वारा उत्पादित कोकिंग तथा नान-कोकिंग, दोनों प्रकार के कोयले के कीमत सी०आई०एल० द्वारा निर्धारित की जा रही है। कोयले के विभिन्न ग्रेडों की कीमत निर्धारित करते समय, सी०आई०एल० निम्नलिखित को ध्यान में रखती है।

– बाजार शक्तियां, जैसे मांग और इसकी उपलब्धता, आयातित कोयले की उपलब्धता सहित।

– कोयला उत्पादन की निवेश लागत में वृद्धि के लिए प्रावधान किए जाने की आवश्यकता।

तथापि, वृद्धि को स्टोर मदों, विद्युत आदि की कीमतों में वृद्धि से संबंधित विभिन्न आर०बी०आई० सूचकांकों तक सीमित रखा जाता है।

(ङ) और (च) बांसरा कोलियरी का 'सी' शाफ्ट ''संक'' हो गया है और नवम्बर 2002 से प्रचालनशील बना दिया गया है। इस शाफ्ट से कोयला उत्पादन शुरू हो चुका है। कुआरडीह कोलियरी की 11 तथा 12 पिट यूनिटों के मामले में, सितम्बर 1999 तथा दिसम्बर 2000 में हुई भारी वर्षा से हुए जलाप्लावन के कारण प्रचालन रोक दिए गए थे।

[हिन्दी]

निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना

5478. श्री राम टहल चौधरी :
श्री शिवाजी माने :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार में अवैध निर्माण के बारे में सूचना प्राप्त करने हेतु किसी निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किन टेलीफोन नम्बरों पर सूचना दी जा सकती है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में लोगों को जागरूक बनाने के लिए कितने विज्ञापन जारी किए गए और सरकार द्वारा इसका व्यापक प्रचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में इस निगरानी प्रकोष्ठ में कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ङ) इस प्रकोष्ठ के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु किन अधिकारियों को अधिकृत किया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद तथा दिल्ली छावनी बोर्ड जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अवैध निर्माणों के बारे में सूचना प्राप्त करने हेतु उन्होंने मानीटरिंग सेल स्थापित किए हैं। ब्यौरे इस प्रकार है :–

दिल्ली विकास प्राधिकरण : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी भूमि पर अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों के संबंध में शिकायतें प्राप्त करने हेतु डी-ब्लाक, भूतल, विकास सदन, आई०एन०ए० नई दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष सभी दिनों में प्रात: 6 बजे से सायं 10 बजे तक कार्य करता है। नियंत्रण कक्ष के निम्नलिखित टेलीफोन न० पर शिकायतें प्राप्त की जाती हैं :– 24690431/एक्टेन्शन नं० 2330, 2473 तथा 2181.

इस प्रकार प्राप्त शिकायतें संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने हेतु दी जाती हैं। इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोई विज्ञापन जारी नहीं किया है।

नवम्बर, 2002 में नियंत्रण कक्ष की शुरूआत से लेकर अब तक टेलीफोन/लिखित रूप में 14 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद : नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने शिकायतें प्राप्त करने हेतु इंटिग्रेटेड वॉयस रेस्पौंस सिस्टम (आई०वी०आर०एस०) संस्थापित किया है, जिसमें अवैध निर्माण से संबंधित शिकायतें भी शामिल हैं। इसके अलावा, अवैध निर्माणों सहित विभिन्न नागरिक सेवाओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने हेतु एक नियंत्रण कक्ष है। सूचना निम्नलिखित को दी जा सकती है :–

(i) केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष

फोन 23348300, 23348031
51501355-60/2276

(ii) आई०वी०आर०एस० : 5252525252

(iii) मुख्य वास्तुकार के अधीन अनधिकृत निर्माण प्रकोष्ठ
फोन 23742984

(iv) वेबसाइट : *www.ndmc.gov.in*

शिकायत प्रकोष्ठ निदेशक (पी०आर०) के अधीन कार्य करता है गत तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने विभिन्न अन्तरालों पर समाचार पत्रों में 4 विज्ञापन जारी किए हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष में विभिन्न प्रकृति की 324 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। निदेशक (पी०आर०) शिकायत कक्ष का नेतृत्व करता है, जो सचिव/अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् को शिकायतों के निपटान के संबंध में रिपोर्ट पेश करता है।

दिल्ली छावनी बोर्ड : दिल्ली छावनी बोर्ड में अवैध निर्माणों के बारे में सूचना प्राप्त करने हेतु कोई औपचारिक मानीटरिंग सेल स्थापित नहीं किया गया है। तथापि, इंजीनियरिंग ब्रांच को अवैध निर्माणों का पता लगाने/रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अनधिकृत निर्माणों को नियंत्रित करने के लिए समुचित चौकसी बरती जाती है।

दिल्ली नगर निगम : सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

'एजुकेशन इंडिया-2003' संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी

5479. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 2003 में नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एजुकेशन इंडिया-2003 का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रदर्शनी में कौन-कौन से देशों ने भाग लिया था; और

(ग) अन्य देशों में शैक्षिक और प्रौद्योगिकीय प्रगति से समझने में छात्र समुदाय और शिक्षक बिरादरी के लिए उक्त प्रदर्शनी कहां तक लाभप्रद पाई गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। टैपकान प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की सरकारी सहायता से नई दिल्ली में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी में निम्नलिखित देशों ने भाग लिया– आस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, कनाडा, साइप्रस, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, भारत, आयरलैण्ड, इजरायल, इटली, लिथुआनिया, नार्वे, पोलैण्ड, रूमानिया, रूस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्विटजरलैंड, नीदरलैण्ड, टर्की, यूनाइटेड अरब अमीरात, उक्रेन, यूनाइटेड किंगडम तथा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका।

(ग) प्रदर्शनी विदेशों से आए अपने प्रतिस्थानियों के साथ भारतीय बन्धुत्व के विचारों के मुक्त आदान-प्रदान तथा पारस्परिक सहयोग का एक अनूठा मंच साबित हुई जिससे प्रदर्शनी में भाग लेने वाले बहुत से छात्रों तथा शिक्षकों को लाभ प्राप्त हुआ।

जल-मल व्ययन प्रणाली

5480. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **शहरी विकास और गरीबी** उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक उनके मंत्रालय को उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार की ओर से इन राज्यों में विभिन्न शहरों और नगरों में जल-मल व्ययन प्रणाली में सुधार करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए स्वीकृत/अस्वीकृत/लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस अवधि के दौरान इन राज्यों में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई/जारी की गई और प्रयोग की गई?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) यह मंत्रालय 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए०यू०डब्ल्यू०एस०पी०) चला रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में पिछले तीन वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा अनुमोदित योजनाओं तथा राज्य सरकार को लौटाई गई योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। इस मंत्रालय में त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत विचार हेतु कोई योजना लंबित नहीं है। पिछले तीन वर्ष के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की नियत/प्रदान की गई राशि तथा प्रयोग की गई राशि का विवरण इस प्रकार है :–

(लाख रु० में)

वर्ष	नियत धनराशि	प्रदत्त धनराशि	सूचित व्यय
2000-01	1491.92 *	1680.19 *	1259.25
2001-02	2068.88	2219.25	2070.73
2002-03	2655.81	2426.09	301.02 (जून, 2002 तक)

*इसमें उत्तरांचल राज्य भी शामिल है।

इस मंत्रालय को दिसंबर, 2001 में प्रधानमंत्री कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ है इसके साथ लखनऊ के महापौर द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को अनुमोदन तथा वित्तीय सहायता के लिए भिजवाई गई 102.6 करोड़ रु० की लागत वाली लखनऊ जल आपूर्ति प्रणाली में सुधार संबंधी परियोजना रूपरेखा प्राप्त हुई है। चूंकि लखनऊ की आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से अधिक है अत: इस पर त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत विचार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री कार्यालय को बता दिया गया था कि वे राज्य सरकार को योजना का निष्पादन राज्य योजना कोष से करने तथा यदि आवश्यक हो तो हडको का ऋण प्राप्त करने का परामर्श दे।

बिहार राज्य के संबंध में मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान अनुमोदित की गई तथा राज्य सरकार को लौटाई गई योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-III और IV में दिए गए हैं। इस मंत्रालय में त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत विचार के लिए कोई योजना लंबित नहीं है। पिछले तीन वर्ष के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार को नियत/प्रदान की गई धनराशि तथा प्रयोग की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है :-

(लाख रु० में)

वर्ष	नियत धनराशि	प्रदत्त धनराशि	सूचित व्यय
2000-01	380.40 *	शून्य #	117.32 **
2001-02	261.96	शून्य #	47.30 **
2002-03	336.27	419.05	33.24 (जून, 2002 तक)

* इसमें झारखण्ड राज्य का हिस्सा भी शामिल है।

1999-2000 तक प्रदत्त धनराशि के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण राज्य सरकार को कोई धनराशि नहीं दी जा सकी।

** बिहार सरकार ने 2000-01 से पहले जारी की गई धनराशि का व्यय सूचित किया है।

सीवरेज तथा जल निकासी के लिए योजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :-

इस मंत्रालय को योजना आयोग के दिनांक 11.2.03 के पत्र द्वारा 800 लाख रु० की लागत वाली बलिया शहर की सीवरेज योजना की परियोजना रूपरेखा प्राप्त हुई इसके लिए विशेष केन्द्रीय सहायता देने पर विचार करने हेतु मंत्रालय की टिप्पणियां मांगी गई थीं। मंत्रालय की टिप्पणियां हमारे दिनांक 11.3.2003 के पत्र द्वारा योजना आयोग को भिजवा दी गई थीं। फिलहाल सीवरेज तथा सीवेज निपटान योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऐसी कोई केन्द्रीय/केन्द्र प्रवर्तित योजना नहीं है जिसके तहत मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

विदेशी सहायता के लिए परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :-

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2530.81 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर उत्तर प्रदेश के 15 शहरों नामत: देहरादून, झांसी, मेरठ, नैनीताल, बरेली, लखनऊ इलाहाबाद, गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर शाहजहांपुर रूड़की, मुरादाबाद, गोरखपुर तथा शक्तिनगर में जल आपूर्ति सीवरेज तथा कचरा निपटान के लिए विश्व बैंक सहायता हेतु अनुरोध किया है। मंत्रालय ने विदेशी सहायता हेतु इस प्रस्ताव की सिफारिश आर्थिक कार्य विभाग को की है। तथापि आर्थिक कार्य विभाग चाहता है कि योजना आयोग का अनुमोदन लिया जाए। योजना आयोग ने आगे जानकारी मांगी है जिसे कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम तथा उत्तर प्रदेश सरकार को अनुपालन के लिए भेज दिया गया है।

बिहार राज्य जल परिषद ने विदेशी सहायता के लिए 1492.20 करोड़ रु० की संशोधित अनुमानित सहायता के साथ पटना शहर के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि सीवरेज, जल निकासी तथा कचरा निपटान पर एक पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस मंत्रालय ने जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोओपरेशन से वित्त वर्ष 2003 पैकेज के तहत ऋण सहायता प्राप्त करने की संभावना का पता लगाने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को इस प्रस्ताव की सिफारिश की है। साथ ही राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे परियोजना के लिए अपना अनुमोदन देने के साथ-साथ चरणों में वित्त मुहैया कराने व अपने हिस्से की पर्याप्त धनराशि मुहैया कराने और इस मंत्रालय के तकनीकी विंग केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सी०पी०एच० ई०ई०ओ०) की तकनीकी टिप्पणियों का अनुपालन करने हेतु अपनी स्वीकृति दें।

विवरण-I

राज्य : उत्तर प्रदेश | स्थिति 20.04.2003

क. स्वीकृत परियोजनाएं | (रु० लाखों में)

क्र० सं०	कस्बे का नाम	जिला	आबादी (1991 की जनगणना)	स्वीकृति तारीख माह/वर्ष	परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6
1.	सौंख	मथुरा	7121	मई, 2000	61.58
2.	पटियाली	एटा	9366	मई, 2000	77.20
3.	विजयगढ़	अलीगढ़	4759	जुलाई, 2000	51.60
4.	स्वार	रामपुर	19782	जुलाई, 2000	174.41
5.	शमशाबाद	फरुखाबाद	19489	सितंबर, 2000	142.86
6.	अछलदा	औरैया	7144	सितंबर, 2000	50.94
7.	केराकट	जौनपुर	9036	सितंबर, 2000	34.19
8.	रमकोला	कुशीनगर	11740	सितंबर, 2000	77.85
9.	मुसाफिरखाना	सुलतानपुर	5731	सितंबर, 2000	52.76
10.	बरहालगंज	गोरखपुर	15799	सितंबर, 2000	98.92
11.	कछवा	मिर्जापुर	12977	सितंबर, 2000	62.50
12.	सोहरतगढ़	सिद्धार्थ नगर	7308	अक्तूबर, 2000	69.85
13.	सरायमीर	आजमगढ़	10621	अक्तूबर, 2000	73.50
14.	मोरावन	उन्नाव	12101	अक्तूबर, 2000	96.67
15.	चौमुहा	मथुरा	8935	अक्तूबर, 2000	82.24
16.	खानपुर	बुलंद शहर	11420	अक्तूबर, 2000	37.86
17.	भींगा	शारावस्ती	16528	अक्तूबर, 2000	31.46
18.	औरस	उन्नाव	3724	अक्तूबर, 2000	65.46
19.	दिबियापुर	औरैया	13687	अक्तूबर, 2000	56.00
20.	मुन्दा बाजार	गोरखपुर	9951	अक्तूबर, 2000	96.60
21.	सेवाराही	कुशीनगर	17069	अक्तूबर, 2000	97.52
22.	कैप्टनगंज	कुशीनगर	9525	अक्तूबर, 2000	84.05
23.	कोरियागंज	अलीगढ़	8846	अक्तूबर, 2000	79.43

1	2	3	4	5	6
24.	सिसौली	मुजफ्फरनगर	10621	अक्तूबर, 2000	59.88
25.	भाटपरानी	देवरिया	9827	अक्तूबर, 2000	59.26
26.	बुगरासी	बुलंदशहर	11093	दिसंबर, 2000	86.15
27.	इकोना	श्रावस्ती	10014	दिसंबर, 2000	67.90
28.	कछला	बदायूं	5842	दिसंबर, 2000	76.40
29.	हाता	कुशीनगर	9327	दिसंबर, 2000	96.03
30.	गोसाईगंज	फैजाबाद	11155	दिसंबर, 2000	83.15
31.	दोहरीघाट	मऊ	8051	दिसंबर, 2000	48.59
32.	सैंथाल	बरेली	11271	दिसंबर, 2000	36.81
33.	मंडावर	बिजनौर	15405	दिसंबर, 2000	93.24
34.	खड्डा	कुशीनगर	10008	दिसंबर, 2000	97.03
35.	सैदपुर	बदायूं	11753	दिसंबर, 2000	71.78
36.	नवाबगंज	गोंडा	13756	दिसंबर, 2000	80.10
37.	कोइरीपुर	सुल्तानपुर	6122	दिसंबर, 2000	56.74
38.	मोहम्मदाबाद-गोहाना**	मऊ	15350	दिसंबर, 2000	97.50 ●●
39.	सफीपुर	उन्नाव	16955	दिसंबर, 2000	91.78 ●●
40.	हसायन	हाथरस	4513	दिसंबर, 2000	45.95
41.	ऊंचाहार	रायबरेली	6705	दिसंबर, 2000	125.10
42.	शाहपुर	मुजफ्फरनगर	13271	जनवरी, 2001	86.40
43.	रसूलपुरा	जे.पी. नगर	10710	जनवरी, 2001	84.90
44.	बेहात	सहारनपुर	14424	जनवरी, 2001	92.90
45.	गंज मुरादाबाद	उन्नाव	7808	जनवरी, 2001	69.94
46.	अफजलगढ़	बिजनौर	18649	जनवरी, 2001	130.84
47.	सुल्तानपुर	सहारनपुर	12642	जनवरी, 2001	102.30
48.	मलीहाबाद	लखनऊ	13477	जनवरी, 2001	95.00
49.	इगलास	अलीगढ़	7952	जनवरी, 2001	162.37
50.	पीपीगंज	गोरखपुर	8337	जनवरी, 2001	81.77

1	2	3	4	5	6
51.	दरियागंज	बाराबंकी	12628	जनवरी, 2001	24.47
52.	मुरसन	हाथरस	9673	जनवरी, 2001	66.30
53.	अमीनगर सराय	बागपत	8274	जनवरी, 2001	48.22
54.	फफूंद	औरैया	12200	जनवरी, 2001	111.69
55.	देवरानियां	बरेली	12422	जनवरी, 2001	172.91
56.	बाबरपुर अजीतमल	औरैया	18350	जनवरी, 2001	195.27
57.	हैदराबाद	उन्नाव	5798	जनवरी, 2001	47.10
58.	सिधौली	सीतापुर	13657	जनवरी, 2001	38.13
59.	रिठौरा	बरेली	9734	जनवरी, 2001	29.32
60.	लालगंज	रायबरेली	15418	जनवरी, 2001	67.94
61.	परिक्षितगढ़	मेरठ	13675	जनवरी, 2001	94.66
62.	अम्बाता	सहारपुर	10295	जनवरी, 2001	80.90
63.	खरखौदा	मेरठ	10549	अक्तूबर, 2001	66.13
64.	फलावदा	मेरठ	13995	अक्तूबर, 2001	86.33
65.	बाबूगढ़	गजियाबाद	3514	अक्तूबर, 2001	33.48
66.	चरथावल	मुजफ्फरनगर	18577	अक्तूबर, 2001	84.43
67.	जलालाबाद	मुजफ्फरनगर	19351	अक्तूबर, 2001	87.40
68.	सिसवा बाजार	महाराजगंज	16265	नवंबर, 2001	78.15
69.	आनंद नगर	महाराजगंज	7798	नवंबर, 2001	82.41
70.	निजामाबाद	आजमगढ़	8680	नवंबर, 2001	49.68
71.	अतरौलिया	आजमगढ़	10036	नवंबर, 2001	50.40
72.	रामपुर कारखाना	देवरिया	7852	नवंबर, 2001	58.14
73.	टिकैत नगर	बाराबंकी	6872	नवंबर, 2001	23.26
74.	चितबरा गांव	बलिया	16690	नवंबर, 2001	70.35
75.	बिलहौर	कानपुर नगर	14995	नवंबर, 2001	132.95
76.	अग्रवालमंडी	बागपत	10802	नवंबर, 2001	51.93
77.	मीरगंज	बरेली	9104	नवंबर, 2001	96.03

1	2	3	4	5	6
78.	फूलपुर	इलाहाबाद	16761	दिसंबर, 2001	109.40
79.	सरसावा	सहारनपुर	11404	दिसंबर, 2001	48.76
80.	ककोरी	लखनऊ	13016	दिसंबर, 2001	66.27
81.	अमेठी	लखनऊ	9331	दिसंबर, 2001	79.40
82.	गौरीबाजार	देवरिया	5027	दिसंबर, 2001	64.66
83.	चाकिया	चंदौली	10587	दिसंबर, 2001	67.95
84.	हैदरगढ़	बाराबंकी	9567	दिसंबर, 2001	47.92
85.	कादीपुर	सुलतानपुर	5285	जनवरी, 2002	62.28
86.	कोराउन	इलाहाबाद	7832	जनवरी, 2002	377.39
87.	पिनहट	आगरा	11752	जनवरी, 2002	119.18
88.	दोस्तपुर	सुलतानपुर	9909	जनवरी, 2002	78.00
89.	मछलीशहर	जौनपुर	17643	जनवरी, 2002	91.70
90.	शमशाबाद	आगरा	19172	जनवरी, 2002	104.67
91.	माधोगंज	हरदोई	8723	जनवरी, 2002	47.60
92.	बबराला	बदायूं	9767	जनवरी, 2002	110.80
93.	सहवार	एटा	16346	जनवरी, 2002	67.38
94.	मोहनपुर	एटा	4598	जनवरी, 2002	21.78
95.	साकित	एटा	5009	जनवरी, 2002	66.69
96.	लावर	मेरठ	14468	जनवरी, 2002	86.37
97.	पहासू	बुलंदशहर	13398	मार्च, 2002	37.67
98.	बरुआ सागर	झांसी	18783	मार्च, 2002	167.16
99.	अमापुर	एटा	6438	अप्रैल, 2002	28.53
100.	भारगेन	एटा	16125	अप्रैल, 2002	78.71
101.	अमेठी	सुलतानपुर	10661	मई, 2002	13.25
102.	फतेहाबाद	आगरा	13624	जुलाई, 2002	70.78
103.	चुर्क पुरमा	सोनभद्र	10200	सितंबर, 2002	110.75
104.	जरवाल	बहराईच	11746	नवंबर, 2002	82.00
105.	निवारी	गाजियाबाद	8866	नवंबर, 2002	60.44

1	2	3	4	5	6
106.	मनियार	बलिया	14589	दिसम्बर, 2002	63.03
107.	पुसियाबाजार	रविदास नगर	13005	दिसम्बर, 2002	72.05
108.	बिल्थरा रोड	बलिया	16966	दिसम्बर, 2002	79.57
109.	सहतवार	बलिया	16956	दिसम्बर, 2002	26.70
110.	हंडिया	इलाहाबाद	13009	दिसम्बर, 2002	135.59
111.	सादत	गाजियाबाद	8279	जनवरी, 2003	75.65
112.	पचपेवरा	बलरामपुर	12479	जनवरी, 2003	64.80
113.	परसना	मथुरा	7715	जनवरी, 2003	71.42
114.	नाकुर	सहारनपुर	15177	जनवरी, 2003	105.46
115.	खमारिया	रविदास नगर	19126	जनवरी, 2003	112.50
116.	महाराजगंज	गोरखपुर	17436	जनवरी, 2003	82.61
117.	बिलराम	एटा	9501	जनवरी, 2003	58.78
118.	अवागढ़	एटा	7863	जनवरी, 2003	68.50
119.	धनरौरा	जेपी नगर	16480	जनवरी, 2003	133.22
120.	साहसपुर	बिजनौर	18194	जनवरी, 2003	46.88
121.	जोया	जेपी नगर	6514	जनवरी, 2003	124.82
122.	मड़ियाहु	जौनपुर	15489	जनवरी, 2003	88.77
123.	पट्टी	प्रतापगढ़	6750	जनवरी, 2003	77.86
124.	बहुवा	फतेहपुर	7179	जनवरी, 2003	45.96
125.	दसना	गाजियाबाद	16388	जनवरी, 2003	69.85
126.	केमारी	रामपुर	17491	जनवरी, 2003	161.00
127.	कदौरा	जलौन	10007	जनवरी, 2003	108.90
128.	दातागंज	बदायूं	15403	जनवरी, 2003	79.26
129.	महावान	मथुरा	5533	जनवरी, 2003	71.56
130.	किरावली	मैनपुरी	14177	जनवरी, 2003	139.20
131.	एकदिल	इटावा	8422	जनवरी, 2003	110.14
132.	कामपील्ल	फार्रुखाबाद	6760	जनवरी, 2003	86.61

1	2	3	4	5	6
133.	कटरा मेदनीगंज	प्रतापगढ़	5575	जनवरी, 2003	79.60
134.	जंगीपुर	गाजीपुर	8242	जनवरी, 2003	120.16
135.	गरौथा	झांसी	6965	जनवरी, 2003	31.00
136.	जनसाथ	मुजफ्फर नगर	13862	जनवरी, 2003	77.26
137.	रामपुरा	जालौन	8814	जनवरी, 2003	80.70
138.	बालदेव	मथुरा	7707	जनवरी, 2003	40.06
139.	फराह	मथुरा	5923	जनवरी, 2003	70.35
140.	गोवर्धन	मथुरा	14878	जनवरी, 2003	56.40
141.	कोडाजहानाबाद	फतेहपुर	19170	जनवरी, 2003	77.53
142.	जसवंत नगर	इटावा	19707	जनवरी, 2003	103.20
143.	कुराना	हमीरपुर	8659	जनवरी, 2003	75.75
144.	अंतु	प्रतापगढ़	6343	जनवरी, 2003	75.20
145.	सखानु	बदायूं	6528	जनवरी, 2003	51.39
146.	रूदयान	बदायूं	6898	जनवरी, 2003	50.89
147.	जयथरा	एटा	6900	जनवरी, 2003	40.03
148.	कुसुमारा	मैनपुरी	7059	जनवरी, 2003	42.49
149.	कोटारा	जालौन	6932	जनवरी, 2003	72.39
150.	माधौगढ़	जालौन	9992	जनवरी, 2003	53.96
151.	उमरी	जालौन	7453	जनवरी, 2003	57.42
152.	बेसावन	अलीगढ़	5010	जनवरी, 2003	64.40
153.	मुंडिया	बदायूं	4830	जनवरी, 2003	47.20
154.	बेवर	मैनपुरी	15994	जनवरी, 2003	97.77
155.	बाबेरू	बांदा	11827	जनवरी, 2003	62.47
156.	जगनेर	आगरा	8722	फरवरी, 2003	79.39
157.	बाह	आगरा	12642	फरवरी, 2003	69.67
158.	रूरा	कानपुर देहात	10801	फरवरी, 2003	151.17
159.	सिकन्दरा	कानपुर देहात	7850	फरवरी, 2003	74.38
160.	शिवाली	कानपुर देहात	6656	फरवरी, 2003	62.77

1	2	3	4	5	6
161.	अमरौधा	कानपुर देहात	7351	फरवरी, 2003	52.50
162.	मैंदु	हाथरस	10100	फरवरी, 2003	70.35
163.	सुमेरपुर	हमीरपुर	18351	फरवरी, 2003	134.92
164.	जलालाबाद	बिजनौर	12468	फरवरी, 2003	104.22
165.	कमालगंज	फर्रुखाबाद	11105	फरवरी, 2003	66.44
166.	उझारी	जेपी नगर	14125	फरवरी, 2003	38.69
167.	कुंढारकी	मुरादाबाद	18531	फरवरी, 2003	134.47
168.	गंगापुर	वाराणसी	5645	फरवरी, 2003	74.71
169.	सिधपुरा	एटा	9093	फरवरी, 2003	46.35
170.	छाता	मथुरा	16355	फरवरी, 2003	107.00
171.	किस्नी	मैनपुरी	6177	फरवरी, 2003	67.76
172.	कुरसाथ	उन्नाव	4958	फरवरी, 2003	44.55
173.	बिघपुर	उन्नाव	5935	फरवरी, 2003	50.68
174.	ज्ञानपुर	रविदास नगर	8850	फरवरी, 2003	52.78
175.	मिलाक	रामपुर	18966	मार्च, 2003	53.06
176.	टिकारी	बागपत	12707	मार्च, 2003	27.63
177.	अलापुर	बदायूं	16291	मार्च, 2003	110.98
178.	वजीरगंज	बदायूं	13170	मार्च, 2003	120.24
179.	महोना	लखनऊ	5690	मार्च, 2003	53.60
180.	भोगांव	मैनपुरी	19832	मार्च, 2003	83.06
181.	इटौंजा	लखनऊ	5099	मार्च, 2003	47.27
182.	दोघट	बागपत	12310	मार्च, 2003	26.03
183.	शिवराजपुर	कानपुर	7518	मार्च, 2003	45.87
184.	उगु	उन्नाव	6012	मार्च, 2003	65.95
185.	औरंगाबाद	बुलंदशहर	15298	मार्च, 2003	61.97
186.	किशनपुर	फतेहपुर	5444	मार्च, 2003	21.66
187.	बहसुमा	मेरठ	8942	मार्च, 2003	22.24
		कुल	2076069		14551.46

●● संशोधित लागत

विवरण-II

राज्य-उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार को लौटाई गई योजनाओं का विवरण

क्र० सं०	कस्बे का नाम	जिला	अनुमानित लागत (लाख रु०)	लौटाने के कारण
1	2	3	4	5
1.	इरिक	झांसी	19.42	संशोधन के लिए अभ्युक्तियां भेजी गई। उत्तर की प्रतीक्षा है।
2.	कटघर लालगंज	आजमगढ़	84.38	संशोधन के लिए अभ्युक्तियां भेजी गई। उत्तर की प्रतीक्षा है।
3.	किरौली	आगरा	105.61	अभ्युक्तियां भेजी गई। उत्तर की प्रतीक्षा है।
4.	राया फेज-II	मथुरा	75.68	लौटाई गई क्योंकि यह पहले से ही एयूडब्ल्यूएसपी के तहत अनुमोदित थी।
5.	पाटला	गाजियाबाद	16.54	एयूडब्ल्यूएसपी के मानदंड के अनुसार योजना की पात्रता नहीं।
6.	देवा	बाराबंकी	99.09	एयूडब्ल्यूएसपी के मानदंड के अनुसार योजना की पात्रता नहीं।
7.	सिरसा	इलाहाबाद	65.24	एयूडब्ल्यूएसपी के मानदंड के अनुसार योजना की पात्रता नहीं।
8.	पुआयन	शाहजहांनपुर	73.63	एयूडब्ल्यूएसपी के मानदंड के अनुसार योजना की पात्रता नहीं।
9.	नगौठा	सहारनपुर	47.91	एयूडब्ल्यूएसपी के मानदंड के अनुसार योजना की पात्रता नहीं।
10.	सामथर	झांसी	39.17	एयूडब्ल्यूएसपी के मानदंड के अनुसार योजना की पात्रता नहीं।
11.	गोकुल	मथुरा	99.50	एयूडब्ल्यूएसपी के मानदंड के अनुसार योजना की पात्रता नहीं।
12.	ऊन	मुजफ्फरनगर	27.89	एयूडब्ल्यूएसपी के मानदंड के अनुसार योजना की पात्रता नहीं।
13.	फतेहगंज पूर्वी	बरेली	59.56	एयूडब्ल्यूएसपी के मानदंड के अनुसार योजना की पात्रता नहीं।
14.	अझुआ	कोशाम्बी	69.50	एयूडब्ल्यूएसपी के मानदंड के अनुसार योजना की पात्रता नहीं।
15.	सैय्यद राजा	चंदौली	46.50	एयूडब्ल्यूएसपी के मानदंड के अनुसार योजना की पात्रता नहीं।
16.	झिझियाना	मुजफ्फरनगर	49.78	एयूडब्ल्यूएसपी के मानदंड के अनुसार योजना की पात्रता नहीं।
17.	मसवासी	रामपुर	8.45	एयूडब्ल्यूएसपी के मानदंड के अनुसार योजना की पात्रता नहीं।
18.	अनूपशहर	बुलंदशहर	194.34	एयूडब्ल्यूएसपी के मानदंड के अनुसार योजना की पात्रता नहीं।
19.	खेतासराय	जौनपुर	131.16	एयूडब्ल्यूएसपी के मानदंड के अनुसार योजना की पात्रता नहीं।
20.	दनकौर	गौतम बुद्धनगर	39.97	इस कार्यालय में योजनाएं बहुत विलंब से प्राप्त हुई और चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को राज्य स्तरीय तकनीकी जांच समिति (एस०एल०टी०एस०सी०) के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए वापस भेजी गई।
21.	बाजना	मथुरा	58.51	
22.	नेउरिया हुसेनपुर	पीलीभीत	88.87	
23.	बिलसंडा	पीलीभीत	82.38	

1	2	3	4	5
24.	महोली	सीतापुर	70.18	
25.	बछरावां	रायबरेली	83.00	
26.	परसादीपुर	रायबरेली	84.04	
27.	महाराजगंज	रायबरेली	99.43	

विवरण-III

राज्य : बिहार *स्थिति : 20.04.2003*

क. स्वीकृत परियोजना (लाख रु० में)

क्र० सं०	कस्बे का नाम	जिला	आबादी (1991 की जनगणना)	मंजूरी की तिथि मास/वर्ष	परियोजना लागत (लाख रु०)
1.	नसरीगंज	रोहतास	16688	मार्च, 2002	99.13
2.	नोकहा	रोहतास	16601	मार्च, 2002	125.53
3.	महाराजगंज	सिवान	17115	मार्च, 2002	130.00
4.	मोतीपुर	मुजफ्फरपुर	17637	मार्च, 2002	234.54
5.	जानीपुर	पटना	6618	फरवरी, 2003	70.69
			74659		659.89

विवरण-IV

राज्य : बिहार

बिहार सरकार को लौटाई गई स्कीमों का विवरण

क्र० सं०	कस्बे का नाम	जिला	अनुमानित लागत (लाख रु०)	वापस करने का कारण
1.	खुसरूपुर	पटना	174.30	जांच की गई और टिप्पणियां भेजी गई। उत्तर प्रतीक्षित।
2.	कांटी	मुजफ्फरपुर	309.47	इस कार्यालय है स्कीमें काफी विलंब से प्राप्त हुई थीं तथा राज्य स्तरीय तकनीकी जांच समिति (एसएलटीएससी) में चालू वित्त वर्ष में विचार के लिए रखने हेतु राज्य सरकार को भेजी गई।
3.	कहलगांव	कहलगांव	171.89	
4.	चनपटिया	पश्चिम चम्पारण	145.56	

महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कोयले का आयात

5481. श्री सुबोध मोहिते : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को अपने ताप विद्युत स्टेशन हेतु 375000 टन कोयले का आयात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आयात किया जा रहा गुणवत्ता वाला कोयला घरेलू बाजार में उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो कोयले का आयात करने हेतु अनुमति देने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) और (ख) कोयले का आयात खुला सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) के अन्तर्गत किया जाता है और इसलिए उपभोक्ता कोयले का आयात करने के लिए स्वतन्त्र हैं तथा कोयले का आयात करने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।

(ग) कोयला भंडारों के भौगोलिक स्वरूप के कारण भारतीय पारम्परिक तौर पर उच्च राख तत्व वाला होता है जबकि आयातित कोयला में बहुत कम राख तत्व होता है। अत: जिस गुणवत्ता वाले कोयले को आयात किया जा रहा है, वह घरेलू बाजार में उपलब्ध नहीं है।

(घ) उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

शहरों और नगरों के विकास हेतु विदेशी सहायता

5482. श्री राजो सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक अथवा कोई अन्य विदेशी वित्तीय संस्था विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार में शहरों और नगरों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक इस प्रयोजनार्थ योजना-वार और राज्यवार प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अधिकारियों की झूठी शिकायतें

5483. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारी के विरुद्ध झूठी शिकायत करने वाले किसी व्यक्ति पर भारतीय दण्ड-संहिता की धारा 182 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त ने अधिकारियों के निलंबन का आदेश देने से पूर्व अधिक सावधानी बरतने के लिए मंत्रिमण्डल-सचिव और सचिव (कार्मिक) को लिखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ईमानदार अधिकारियों के बचाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182 में, किसी लोक-सेवक से अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग, किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से करवाने की दृष्टि से उसे (किसी लोक-सेवक को) झूठी जानकारी देने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने का प्रावधान है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त ने मार्च, 2002 में यह सुझाव दिया था कि संबंधित प्राधिकारी, किसी सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार के आधार पर निलंबित करने से पहले, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग से परामर्श करें। इस सिलसिले में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने यह बताया था कि उपर्युक्त आयोग, तीन कार्य-दिवसों के भीतर यह दर्शाते हुए अपनी सलाह दे देगा कि निलंबन न्यायोचित है अथवा नहीं? और यदि तीन दिन के भीतर, उपर्युक्त आयोग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो तो यह माना जा सकता है कि उसे (उपर्युक्त आयोग को) निलंबन के प्रति कोई आपत्ति नहीं है। उन मामलों के-संबंध में उपर्युक्त आयोग ने यह सुझाव दिया था कि किसी व्यक्ति को निलंबित किए जाने के 24 घंटे के भीतर, उसे (उपर्युक्त आयोग को) ऐसे निलंबन की जानकारी करवाते हुए संपूर्ण मामला भेज दिया जाए और यदि केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त उससे सहमत नहीं हो तो निलंबित कर दिया गया व्यक्ति बहाल कर दिया जाए, जिनमें किसी व्यक्ति को तत्काल निलंबित किया जाना हो।

(ङ) ईमानदार कर्मचारियों के संरक्षण के निम्नलिखित उपाय मौजूद हैं :—

(i) केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने यह अनुदेश जारी किया है कि किसी भी अनाम अथवा छद्म नाम शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए;

(ii) भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम, 1988 की धारा 19 और दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा 197 में यह अपेक्षित है कि छानबीन करने वाला अभिकरण, लोक-सेवकों के विरुद्ध मुकदमा चलाना शुरू करने से पहले संबंधित मंत्रालय/विभाग की मंजूरी ले ले; और

(iii) किसी लोक-सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में उस पर कोई शास्ति लगाने से पहले, अनुशासनिक प्राधिकारी, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग और संघ-लोक-सेवा-आयोग से परामर्श करें।

एल्युमिनियम संयंत्रों की स्थापना

5484. श्री अनन्त नायक : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में और आज तक सरकार ने देश में एल्युमिनियम संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक स्वीकृत/लम्बित प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) उनके लम्बित होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष प्रस्तावों को जल्दी से जल्दी स्वीकृति देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ङ) एल्युमिनियम क्षेत्र को अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधान से छूट प्राप्त है। नए एल्युमिनियम संयंत्र स्थापित करने की इच्छुक पार्टियों को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डी०आई०पी०पी०) में केवल औद्योगिक उद्यम ज्ञापन (आई०ई०एम०) दाखिल करना होता है। इस प्रकार दाखिल किए गए आई०ई०एम० पर कोई स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। डी०आई०पी०पी० से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान एल्युमिनियम संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी राज्य सरकार द्वारा कोई आई०ई०एम० दाखिल नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में, राज्य सरकारों द्वारा एल्युमिनियम संयंत्र स्थापित करने के किसी प्रस्ताव के लंबित रहने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कम्प्यूटरीकरण

5485. श्री परसुराम माझी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी०एस०यू०) के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कम्प्यूटरीकरण हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम और विशेषकर नालको द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) खान मंत्रालय के अधीन चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं अर्थात् : (i) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको), (ii) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच०सी०एल), (iii) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (एम०ई०सी०एल०), और (iv) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड (बी०जी०एम०एल०)।

(ख) नालको, एच०सी०एल० और एम०ई०सी०एल० का कम्प्यूटरीकरण हो गया है। बी०जी०एम०एल० को कर्नाटक उच्च न्यायालय, जहां यह मामला न्यायाधीन है, के निर्णय के अध्यधीन औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(ओ) के अंतर्गत 1.3.2001 से बंद कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चूंकि किसी संगठन में कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग एक सतत् प्रक्रिया है जिसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंधित बोर्ड प्रत्यायोजित शक्तियों के अंदर निर्णय लेने में सक्षम हैं। इसलिए, सरकार के स्तर पर कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

राष्ट्रीय पंचायती राज सम्मान

5486. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 अप्रैल 2003 को "हिन्दू" में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार ने जिला, मध्यवर्ती और ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज सम्मान आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और सम्मान देने के लिए जारी दिशा-निर्देश क्या है; और

(ग) इसके लिए अपनायी जाने वाली प्रस्तावित चयन प्रक्रिया क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू उत्पाद से व्यय

5487. श्री जे०एस० बराड़ : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत खर्च हुआ है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/प्रस्तावित हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जी०एन०पी०) के प्रतिशत के रूप में आर एण्ड डी व्यय क्रमश: 0.72 प्रतिशत, 0.77 प्रतिशत तथा 0.81 प्रतिशत था और वर्ष 2000-01 के लिए अनुमानित आंकड़ा 0.93 प्रतिशत है।

(ग) सरकार द्वारा घोषित "विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति-2003" में उद्योग द्वारा आर० एण्ड डी० निवेश में बढ़ी हुई भागीदारी के साथ 10वीं योजना के अंत तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निवेश के स्तर को कम से कम 2 प्रतिशत बढ़ाने पर विचार किया गया है। वैज्ञानिक एजेंसियों के लिए 10वीं योजना के विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिव्यय को 9वीं योजना के 12022.17 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25243.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार उद्योग तथा संस्थानों में आर० एण्ड डी० पर निवेश को कई वित्तीय लाभों तथा अन्य सहायता उपायों जैसे आर० एण्ड डी० व्यय पर आयकर में छूट, प्रायोजित अनुसंधान के लिए भारित कर में कमी, सरकार द्वारा विधिकृत आर एण्ड डी परियोजनाओं में प्रयोग हेतु आयातित माल पर सीमा शुल्क में छूट, व्यावसायिक आर एण्ड डी कंपनियों के लिए 5 वर्ष तक कर में कमी और उत्कृष्ट आर एण्ड डी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के माध्यम से बढ़ावा दे रही है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती

5488. श्री ए० ब्रह्मैया : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती के लिए अपनाये गये मापदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या विगत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपनी संख्या में 6 प्रतिशत वृद्धि की है;

(ग) यदि हां, तो तथ्य और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में विकलांगों के लिए निर्धारित 3 प्रतिशत आरक्षण देने के क्या प्रयास किये गये हैं;

(छ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 2002-03 के दौरान भर्ती किये गये विकलांग व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(ज) विगत तीन वर्षों के दौरान भर्ती की गयी "फोलोवर केटेगरिज" की संख्या क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कांस्टेबलों और अनुचरों (फोलोवरों) की भर्ती के लिए, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को रिक्तियां उनके अखिल भारत जनसंख्या अनुपात के अनुसार आवंटित की जाती हैं। भर्ती, लिखित परीक्षा, शारीरिक क्षमता परीक्षण, चिकित्सा जांच और साक्षात्कार में प्राप्त मेरिट के आधार पर होती है। अन्य श्रेणी के कार्मिकों के संबंध में भर्ती, अखिल भारतीय आधार पर आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है।

(ख) जी, नहीं श्रीमान।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व में सुधार लाने हेतु यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किये जाते हैं कि इन समुदायों के पात्र उम्मीदवारों को इन बलों में रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी दी जाय।

(च) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारिता) अधिनियम, 1995 की धारा 33 व 47 के क्षेत्राधिकार से छूट दी गई है और बल में वर्दीधारी पदों में विकलांग व्यक्तियों की भर्ती करना आवश्यक नहीं है।

(छ) शून्य

(ज) गत दो वर्षों के दौरान भर्ती किए गए अनुचरों (फोलोवरों) की संख्या निम्न है :

2001 — 62

2002 — 287

[हिन्दी]

भारत के महापंजीयक के कम्प्यूटर संवर्ग के कर्मचारी

5489. श्री सुरेश चन्देल :
श्री महेश्वर सिंह :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के महापंजीयक, माध्यस्थ बोर्ड और केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) द्वारा उक्त के कार्यालय में कार्यरत कम्प्यूटर संवर्ग के कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए निर्णय को लागू नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार संसद में संकल्प पारित करने का है, जो उक्त कर्मचारियों के हितों के लिए बिल्कुल घातक होगा जिससे उक्त निर्णय पूर्णतया निरर्थक हो जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किस समय तक इन निर्णयों के कार्यान्वित होने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) संयुक्त परामर्श दात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, सचिवों की समिति ने माध्यस्थम बोर्ड के पंचाट पर विचार किया और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक न्याय के हित में इसे अस्वीकार करने की सिफारिश की थी। सरकार ने सचिवों की समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और तदनुसार लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः दिनांक 11.03.03 और दिनांक 12.03.03 को एक विवरण पहले ही सभा पटल पर रख दिया गया है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय के हित में उक्त पंचाट को अस्वीकार करने हेतु संसद में एक संकल्प शीघ्र ही पेश करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए गहन पाठ्यक्रम की शिक्षा

5490. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और जरूरतमंद स्त्रियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से "कन्डेन्सड कोर्स आफ एजुकेशन फार वुमेन" नामक योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के तहत 2002-03 के दौरान सहायता-प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संगठनों की संख्या कितनी है;

(घ) इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं की वास्तविक और अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ङ) इस योजना की कार्य प्रमाणिकता की समीक्षा करने के लिए प्रस्तावित कदम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा) : (क) जी, हां।

(ख) 'महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम' नामक स्कीम का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा और आवश्यक कौशल प्रदान करके उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष और इससे अधिक आयु-वर्ग की अनुत्तीर्ण तथा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाली लड़कियों को स्कूली शिक्षा पूरी करवाना है।

(ग) वर्ष 2002-03 के दौरान, इस स्कीम के अंतर्गत 137 स्वैच्छिक संगठनों को धनराशि प्रदान की गई।

(घ) वर्ष 2002-03 में स्कीम के अंतर्गत 3475 महिलाएं लाभान्वित हुई।

(ङ) स्कीम के कार्यकरण के सम्बन्ध में समय-समय पर रिपोर्ट देने के लिए प्रत्येक राज्य में अनुवीक्षण तंत्र उपलब्ध .है।

उच्च दरों पर डिब्बों का आयात

5491. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि मैट्रो रेलवे के डिब्बे देशी उत्पादकों द्वारा उत्पादित डिब्बों की कीमतों से पांच या सात गुणा ज्यादा दरों पर आयात किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) चेन्नई की "इन्टीग्रल कोच फैक्टरी" जो कि डिब्बों का उत्पादन प्रतियोगी दरों पर करने की क्षमता रखती है उसे विश्वव्यापी निविदा से बाहर रखने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पौन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन्टीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई ने दिल्ली मैट्रो कोचेज के लिए ग्लोबल निविदा में भाग नहीं लिया क्योंकि उनके पास आधुनिक मैट्रो कोच निर्मित करने की प्रौद्योगिकी नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें

5492. श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों को बाजार में उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कुछ विषयों को छोड़कर माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य सामग्री निर्धारित करता है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निम्नलिखित विषयों की पुस्तकें प्रकाशित की है :–

कक्षा IX-X

अंग्रेजी)
संस्कृत) – सम्प्रेषणात्मक पाठ्यक्रम
फ्रेंच)

कक्षा XI-XII

फंक्शनल इंग्लिश
जैवप्रौद्योगिकी
उद्यमशीलता

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दिल्ली बुक स्टोरों और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से ये पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की इकाईयों को बंद किया जाना

5493. श्री सुनील खां : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि दुर्गापुर इकाई के कर्मचारियों को अपने क्वार्टर तुरंत खाली करने होंगे जबकि सरकार ने घोषणा की थी कि वे अप्रैल, 2003 तक इन क्वार्टरों में रह सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या स्कूल, अस्पताल, बिजली, जल इत्यादि जैसे बुनियादी सुविधायें अप्रैल, 2003 तक उपलब्ध कराई जायेंगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि सरकार मैसर्स फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व कर्मचारियों के समान हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत हाल ही में सेवानिवृत्त हुए पूर्व कर्मचारियों को 50 प्रतिशत अनुग्रह राशि और अवकाश वेतन बकाये को जारी करने और क्वार्टरों को अपने पास रखने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(च) क्या सरकार ने उक्त निर्णय के कार्यान्वयन के लिए हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड को सूचित कर दिया था;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, हां। चालू शैक्षिक सत्र के अंत तक स्कूलों तथा औषधालयों को घटाये गये स्तर पर जारी रखा गया है। यद्यपि शैक्षिक सत्र के अंत तक कम्पनी के क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों को विद्युत और जल आपूर्ति की व्यवस्था राज्य, विद्युत/जल बोर्डों आदि के माध्यम से स्वयं करनी थी, मौजूदा व्यवस्था 30 अप्रैल, 2003 तक जारी है।

(ङ) से (ज) जी, हां। सरकार ने निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात कामगार श्रेणी को 50 प्रतिशत अनुग्रह राशि की अदायगी करने का निर्णय एच०एफ०सी० को 24.4.2003 को सूचित कर दिया है।

विद्युत आपूर्ति को काट दिया जाना

5494. श्री सुकदेव पासवान : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीएसईएस, दिल्ली में काम करने वाले कनिष्ठ अभियंता ने 25.2.2003 को विकास मार्ग में ट्रैफिक लाइट को विद्युत आपूर्ति 5 घंटे के लिए काट दी थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जीवन रक्षक दवाइयां

5495. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई भेषज नीति को लागू करते हुए जीवन रक्षक दवाइयों पर मूल्य नियंत्रण बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) नई भेषज नीति में सरकार द्वारा प्रस्तुत मार्किट शेयर और कारोबार के नए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मानदंडों से कई आवश्यक औषधियां मूल्य नियंत्रण सूची से बाहर हो जाएंगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (ङ) सरकार ने फरवरी, 2002 में "भेषज नीति-2002" की घोषणा की है, जिसकी प्रतियां संसद ग्रंथागार में उपलब्ध हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इस नीति के मुख्य उद्देश्य हैं – जन साधारण को अधिक मात्रा में खपत होने वाली अच्छी गुणवत्ता की आवश्यक भेषजों की उचित कीमत पर देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करना और लागत प्रभावी गुणवत्ता वाले उत्पादन के लिए स्वदेशी सक्षमता को सुदृढ़ करना। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान हैं :–

"(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आवश्यक औषधों की अकारादि क्रम से बनी राष्ट्रीय आवश्यक औषध सूची (1966) में प्रकाशित 279 मदों और 173 मदों, जिन्हें विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों, आपातकालीन देखभाल इत्यादि में प्रयोग की दृष्टि से मंत्रालय ने महत्वपूर्ण माना है, में प्रयुक्त होने वाली कुल दवाओं में से सेरा और वेक्सीन, रक्त उत्पादों, सम्मिश्रणों, आदि को निकाल कर प्रपुंज औषधों का मूल्य विनियमन के लिए चयन किया जाए।

(ii) मूल्य नियंत्रण का दायरा निश्चित करने के लिए मार्च, 2001 के ओ०आर०जी०-एम०ए०आर०जी० को डेटा आधार होगा।

(iii) किसी प्रपुंज औषध के संबंध में किसी सूत्रयोगकर्ता के लिए मूविंग एनुअल टोटल (एम०ए०टी०) का निर्णय ओ०आर०जी०-एम०ए०आर०जी० (मार्च, 2001) के सभी समूहों/श्रेणियों में उस सूत्रयोगकर्ता के सामने सूचीकृत सभी प्रबलताओं, खुराक रूपों और पैक आकारों को शामिल करते हुए उस प्रपुंज औषध के सभी एकल संघटक सूत्रयोगों इसके लवणों, इस्टरों, स्टिरियोआइसोमर्स और व्युत्पादों के एम०ए०टी० मूल्य को जोड़कर किया जाएगा।

(iv) जैसाकि उपर्युक्त उप-पैरा (iii) में निष्कर्ष निकाला गया है, किसी विशेष प्रपुंज औषध के संबंध में सभी सूत्रयोगकर्ताओं के लिए एम०ए०टी० मूल्य को खुदरा कारोबार में कुल एम०ए०टी० मूल्य का निर्णय करने के लिए जोड़ा जाएगा।

(v) जैसा कि उपर्युक्त उप पैरा (iii) में निष्कर्ष निकाला गया है, किसी प्रपुंज औषध के संबंध में किसी एक सूत्रयोगकर्ता के लिए एम०ए०टी० कीमत को उस प्रपुंज औषध के

संबंध में उपर्युक्त उप-पैरा (iv) में निष्कर्षित कुल एम०ए०टी० कीमत में उस सूत्रयोगकर्ता के प्रतिशत हिस्से की गणना करने के लिए आधार बनाया जाएगा।

(vi) प्रपुंज औषधों को मूल्य नियंत्रण के तहत रखा जाएगा, यदि :—

(क) किसी विशेष प्रपुंज औषध के संबंध में उपर्युक्त पैरा (iv) में निष्कर्षित कुल एम०ए०टी० मूल्य 2500 लाख रुपए (25 करोड़ रुपए) से अधिक हो और किसी भी सूत्रयोगकर्ता का प्रतिशत हिस्सा जैसा कि उपर्युक्त उप-पैरा (V) में परिभाषित किया गया है, 50 प्रतिशत या इससे अधिक हो।

(ख) किसी विशेष प्रपुंज औषध के संबंध में उपर्युक्त उप-पैरा (iv) में निष्कर्षित कुल एम०ए०टी० कीमत 2500 लाख रु० (25 करोड़ रुपए) से कम, किन्तु 1000 लाख रुपए (10 करोड़ रुपए) से अधिक हो, और जैसा कि उपर्युक्त उप पैरा (v) में स्पष्ट किया गया है, किसी भी सूत्रयोगकर्ता का प्रतिशत हिस्सा 90 प्रतिशत या इससे अधिक हो।

(vii) प्रपुंज औषध के रूप में जिनकी मूल्य नियंत्रण के लिए पहचान नहीं की गई है, उन समेत या तो अलग-अलग या अन्य प्रपुंज औषधों के साथ सम्मिश्रण में ऊपर पहचाने गए किसी प्रपुंज औषध वाले सभी सूत्रयोग मूल्य नियंत्रण के अधीन होंगे।''

कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के परिणामस्वरूप 12.11.2002 को एक आदेश हुआ जो सरकार पर भेषज-नीति 2002 को मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू करने पर रोक लगाता है। सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

[हिन्दी]

कश्मीरी छात्रों का उत्पीड़न

5496. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपने राज्य से बाहर अध्ययन करने वाले कश्मीरी छात्रों के उत्पीड़न के मामले हाल ही में सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार ने इस संबंध में संबद्ध राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने के लिए केन्द्र सरकार से इस मामले को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर के छात्रों का कथित रूप से उत्पीड़ित किए जाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए संबद्ध राज्य सरकारों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) उत्पीड़न के ऐसे कोई मामले केन्द्र सरकार के ध्यान में नहीं आए हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 12/3/03 को एक आतंकवादी मॉडयूल का भण्डाफोड़ करने के संबंध में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अध्ययन कर रहे जम्मू और कश्मीर के चार विद्यार्थी गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे आतंकवादी हार्डवेयर के अभिशंसी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इन विद्यार्थियों के विरूद्ध संगत कानूनों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

गवाहों को सुरक्षा

5497. श्रीमती रेणुका चौधरी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अपराधिक मामलों में अभियोजन से संबंधित वर्तमान प्रणाली की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें अभियोजन के प्रमुख गवाह अपना साक्ष्य बदल देते हैं और वे अपने बयानों से मुकर जाते हैं जिससे अधिकांश जघन्य अपराधों का जांच कार्य पूरा नहीं हो पाता और अपराधी बच कर निकल जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तो क्या ऐसी स्थिति के लिए अभियोजन के गवाहों के लिए सुरक्षा के अभाव को मुख्य रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान सम्मन नोटिसों में दोषी व्यक्ति को ''अपराधी'' के रूप में संबोधित करने की कतिपय अनुचित प्रक्रिया और अदालतों में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर भी आकर्षित किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए और इन त्रुटियों को दूर करने के लिए कोई न्यायिक प्रशासनिक आयोग स्थापित करने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) गवाहों के अपने बयान से मुकर जाने की समस्या से निपटने के उद्देश्य से विधि आयोग ने अपनी 178वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में धारा 164-क जोड़ने की सिफारिश की है जो निम्न प्रकार से है :—

"164 क (1) प्रत्येक पुलिस अधिकारी ऐसे अपराध की जांच करते समय, जिसके लिए 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि का कारावास (जुर्माने सहित या जुर्माने के बगैर) की सजा दी जा सकती हो, जिसमें ऐसे अपराध भी शामिल है जिसके लिए मृत्युदण्ड की सजा हो सकती है, उन सभी व्यक्तियों को, जिनकी गवाही मामले के न्यायसंगत परिणति के लिए आवश्यक हो, उनके बयान दर्ज करने के लिए नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा।

(2) मजिस्ट्रेट उनके सामने प्रस्तुत किए गए इस प्रकार के व्यक्तियों के बयान, उप धारा (1) के तहत शपथ पर दर्ज करेगा और धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट के आने तक इन बयानों को अपने पास रखेगा।

(3) इस प्रकार के बयानों की प्रतियां जांच-अधिकारी को दी जाएगी।

(4) यदि बयान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट के पास इस प्रकार के अपराधों को संज्ञान में लेने की शक्तियां न हो तो वह इस प्रकार से दर्ज बयानों को मामले को संज्ञान में लेने के लिए शक्तिप्राप्त मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(5) उप-धारा (1) के तहत गवाह के रूप में विधिवत रूप से दर्ज किसी व्यक्ति के बयान को, यदि ऐसे गवाह को पेश किया जाता है और उसकी परीक्षा ली जाती है, तो न्यायालय के विवेक पर और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उपबन्धों के अनुसार, साक्ष्य माना जाएगा।"

दाण्डिक विधि और दण्ड प्रक्रिया, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है अतः विधि आयोग की 178वीं रिपोर्ट को राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया है।

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के संगत प्रावधानों के अनुसार हिन्दी में उपर्युक्त विधि शब्दावली का प्रयोग करने का काम उच्च न्यायालयों का है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना संबंधित उच्च न्यायालय का काम है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उच्च न्यायालय जिसके क्षेत्राधिकार में वह राज्य पड़ता है के साथ परामर्श करके नियम और विनियम बनाती है। राज्य न्यायिक सेवा के सदस्य इन नियमों और विनियमनों के तहत शासित होते हैं।

इस बात का ध्यान रखा जाता है कि निष्ठा वाले व्यक्तियों को भर्ती/पदोन्नत किया जाए और उपयुक्त अधिकारियों द्वारा चूक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाय। पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

न्यायपालिका के सदस्य भी लोक सेवक हैं। लोक सेवक द्वारा कदाचार/भ्रष्टाचार किए जाने के बारे में प्राप्त किसी शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कम्प्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कोर्स

5498. **श्री सवशीभाई मकवाना** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कोर्स इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस पाठ्यक्रम को इंजीनियरिंग कॉलेजों में शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इससे राज्यवार कितने कॉलेजों के लाभान्वित होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, डिग्री इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के लिए अनुमोदित नामों के अन्तर्गत नहीं आती। तथापि कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग; इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग; तथा सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग विषयों में कम्प्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी का विषय पढ़ाया जाता है और कुछ हद तक इसे विद्युत इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया जाता है। उपरोक्त विषयों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा छात्रों की अनुमोदित प्रवेश संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा इंजीनियरिंग में कम्प्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी को एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम के रूप में शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा छात्रों की अनुमोदित प्रवेश क्षमता की संख्या			
		सूचना प्रौद्योगिकी	कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी	इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9225	14490	21685	45400
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	30	30	60
4.	असम	0	80	60	140
5.	बिहार	110	290	530	930
6.	चंडीगढ़	30	30	120	180
7.	छत्तीसगढ़	590	685	670	1945
8.	दमन एवं द्वीव	0	0	0	0
9.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0
10.	दिल्ली	450	740	1070	2260
11.	गोवा	180	180	180	540
12.	गुजरात	1260	1575	1473	4308
13.	हरियाणा	1200	2410	3225	6835
14.	हिमाचल प्रदेश	120	150	310	580
15.	जम्मू एवं कश्मीर	160	200	460	820
16.	झारखंड	100	255	315	670
17.	कर्नाटक	2244	6695	9115	18054
18.	केरल	1630	2870	4350	8850
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	1800	2730	2790	7320
21.	महाराष्ट्र	6405	9345	13230	28980
22.	मणिपुर	0	60	60	120
23.	मेघालय	45	45	45	135
24.	मिजोरम	0	40	40	80

1	2	3	4	5	6
25.	नागालैंड	0	0	0	0
26.	उड़ीसा	1515	2165	2580	6260
27.	पांडिचेरी	330	400	820	1550
28.	पंजाब	700	2080	3030	5810
29.	राजस्थान	1090	1814	2764	5668
30.	सिक्किम	60	120	180	360
31.	तमिलनाडु	13145	16430	28880	58455
32.	त्रिपुरा	0	40	0	40
33.	उत्तरांचल	240	510	855	1605
34.	उत्तर प्रदेश	2955	5450	7989	16394
35.	पश्चिम बंगाल	1810	2320	2390	6520
	कुल	47394	74229	109246	230869

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय

5499. प्रो० दुखा भगत :
श्री मनसुखभाई डी० वसावा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निजी कम्पनियों के नियंत्रण में होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात के तटीय क्षेत्र

5500. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कुल कितना तटीय क्षेत्र है;

(ख) राज्य में कितने बड़े/छोटे बंदरगाह हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वृहत् महासागर क्षेत्र के विकास के लिए गुजरात को कितनी धनराशि मुहैया कराई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : : (क) गुजरात राज्य की तट रेखा लगभग 1215 किलोमीटर लम्बी है।

(ख) गुजरात राज्य में एक बड़ा और चालीस छोटे बंदरगाह हैं।

(ग) पत्तन क्षेत्र में केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य को नीचे लिखी सहायता प्रदान की है :

(i) पारंपरिक मत्स्यन जलयान के प्रेरण हेतु 687.64 लाख रुपये तथा मछुआरों द्वारा भुगतान किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति

(ii) समेकित तटीय जलकृषि विकास हेतु 53.20 लाख रुपये; तथा

(iii) छोटे पत्तनों और मत्स्यन बंदरगाहों के विकास हेतु 97 लाख रुपये।

आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के लिए धनराशि

5501. **श्री श्रीनिवास पाटील : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार 10वीं योजना में आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के लिए धनराशि आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आपदा प्रबंधन के लिए कोई व्यापक नीति बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किन-किन प्राकृतिक आपदाओं में इस धनराशि का उपयोग किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षों अर्थात 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान गृह मंत्रालय को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम पर केन्द्रीय सैक्टर योजना स्कीम के लिए क्रमशः 4.07 करोड़ रु० तथा 4.87 करोड़ रु० राशि की निधियां आबंटित की गई जिसमें मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं परामर्श, प्रमुख घटनाओं का प्रलेखन, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संवेदनशीलता मूल्यांकन तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं।

(ग) और (घ) एक रोडमैप/फ्रेम वर्क तैयार किया गया है जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना, आपदा तैयारी, न्यूनीकरण एवं कार्रवाई योजनाएं तथा विकास योजनाओं के साथ उनका एकीकरण, संवेदनशीलता, मूल्यांकन और प्रचार-प्रसार, निवारण ढांचागत और गैर ढांचागत उपायों का विकास तथा कार्यान्वयन, सामाजिक लामबंदी तथा जागरूकता, पूर्व चेतावनी प्रणालियों तथा संबद्ध प्रचार तंत्र का सुदृढ़ीकरण, विभिन्न स्तरों पर जागरूकता सृजन तथा प्रशिक्षण के जरिए क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के लिए संस्थागत प्रबंधों का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं।

(ङ) गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध निधि, भूकंप, चक्रवात, बाढ़ भूस्खलन आदि सहित विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए देश में क्षमता निर्माण हेतु उपयोग में लाई जा रही है।

पैंशन-लाभ

5502. **श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को अंतिम वेतन निकासी पर शत प्रति शत महंगाई-भत्ता दिए जाने पर विचार करने के पश्चात् डी०सी०आर०जी० दिए जाने की अंतिम तिथि 01 अप्रैल 1995 निर्धारित किए जाने और इससे विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को नुकसान होने के संबंध में विभिन्न पैंशनर-एसोसिएशनों से अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के 13-02-2002 के फैसले को देखते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मुम्बई की पूर्ण खंडपीठ के 97 क और सं० 542, 942 और 943 में 21.09.2001 के फैसले को लागू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, विशेषकर 29.04.2002 को सरकार द्वारा दायर और उच्च न्यायालय (न्यायाधिकरण) मुम्बई में स्वीकृत रिट याचिका का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उच्चतम न्यायालय के फैसले सं० 937/95 और 13.02.2002 की विशेष अनुमति याचिका (एस०एल०पी०) सं० 11043/95 का ब्यौरा क्या है; और

(च) पैंशनरों के कल्याणार्थ 01.07.1993 से 31.03.1995 तक प्रभावी अनुवर्ती आदेशों को अब तक जारी न किए जाने के क्या कारण हैं?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पैंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (च) इस मुद्दे पर कुछ पैंशनभोगियों ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण मुम्बई में अपना विरोध दर्ज करवाया। माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने इस बारे में यह निर्णय दिया कि उसे 01.04.1995 को निर्णायक तारीख के रूप में निश्चित किए जाने में कोई अन्तर संबंध अथवा तर्क संगत विचार नजर नहीं आया। उपर्युक्त निर्णय के विरूद्ध सरकार ने उच्च न्यायालय, मुम्बई में एक रिट याचिका दायर कर दी है। उपर्युक्त रिट याचिका स्वीकार कर ली गई है और उपर्युक्त मसला न्यायाधीन है।

विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं० 11043/1995 और सी०ए० सं० 937/1995 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिनांक 13.02.2002 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने नियंत्रक प्राधिकारी के उस आदेश में दखलन्दाजी करने से ही इनकार किया है जिसमें याचियों को देय निवृत्ति-उपदान, निवृत्ति-उपदान-भुगतान-अधिनियम, 1972 के अनुसार, देय मंहगाई-भत्ता जोड़कर परिकलित किए जाने का निदेश दिया गया था, जबकि उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधान, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं है।

अंडमान और निकोबार में विकास योजना

5503. श्री के० येरननायडू : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री की जनवरी, 2003 में हुई अंडमान निकोबार द्वीप समूह यात्रा के पश्चात् वहां विकास संबंधी योजनाएं शुरू की हैं/शुरू करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वहां इन योजनाओं और अन्तर-द्वीपीय हेलीकॉप्टर सेवा के कब तक शुरू होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) 19 जनवरी, 2003 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित द्वीप विकास प्राधिकरण की दसवीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में सचिवों की स्थायी समिति पर अन्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में पर्यटन, मात्स्यिकी उच्च मूल्य वाली कृषि तथा हाइड्रोकार्बन उर्जा संसाधनों के विकास के लिए नीति की सिफारिश करने की समय-बद्ध जिम्मेदारी डाली गई है जो पर्यावरणीय और रणनीतिक चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए विकासात्मक आकांक्षाओं को पूरा करने की जरूरत के साथ मेल खाती हो। जहां तक अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह में अन्तर्द्वीपीय हेलीकॉप्टर सेवा का संबंध है, अपेक्षित तकनीकी क्लीयरेंस प्राप्त कर ली गई है तथा इसके तत्काल शुभारंभ के लिए जमीनी कार्य पूरा कर लिया गया है।

ग्रामीण विकास के लिए निधियों का आबंटन

5504. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विशेषकर देश के सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विकास के लिए प्रति व्यक्ति राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गयी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गयी और केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि जारी की गयी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) और (ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) को देश में अभिज्ञात सूखा प्रवण क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार को पुन: उपयोग योग्य बनाकर इन क्षेत्रों को सूखे के प्रभाव से मुक्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1973-74 में शुरू किया गया था। कार्यान्वयन की एक इकाई 500 हैक्टेयर क्षेत्र की एक वाटरशेड परियोजना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है। वाटरशेड परियोजनाएं वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार स्वीकृत की जाती हैं और निधियां संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद को पांच वर्षों की परियोजना अवधि में सात किस्तों में जारी की जाती हैं। गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जारी की गई निधियों का ब्यौरा

राज्य	2000-2001 (लाख रुपये में)	2001-2002 (लाख रुपये में)	2002-2003 (लाख रुपये में)
आंध्र प्रदेश	4759.58	4067.00	4854.99
बिहार	100.19	242.06	249.75
छत्तीसगढ़	680.75	700.28	1599.62
गुजरात	1427.34	1165.31	3273.13
हिमाचल प्रदेश	247.00	316.62	370.81
जम्मू और कश्मीर	368.76	297.00	222.75
झारखण्ड	686.60	882.13	555.50
कर्नाटक	1425.97	2093.75	2265.04
मध्य प्रदेश	2495.50	4361.00	4721.01
महाराष्ट्र	1898.75	2009.62	1294.62
उड़ीसा	681.69	970.10	901.10
राजस्थान	980.75	1195.13	1430.93
तमिलनाडु	908.50	864.88	1059.53
उत्तर प्रदेश	183.63	905.72	1717.85
उत्तरांचल	324.00	510.75	376.37
पश्चिम बंगाल	135.00	317.65	108.00
राज्यों को जारी की गई कुल राशि	18958.01	20899.00	24999.00

सूचना-स्वातन्त्र्य-अधिनियम

5505. श्री ए०सी० जोस : क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सूचना-स्वातन्त्र्य-अधिनियम के छूट संबंधी खंड की आलोचना की ओर आकर्षित किया गया है जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) से (6) में दिए गये तर्कसंगत प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) निजी और स्वयंसेवी क्षेत्रों को जनता से संबंधित सूचना प्रदान करने के कर्तव्य से वंचित करने के क्या कारण हैं?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना का स्वातन्त्र्य-अधिनियम, 2002 की धारा 08 में निहित छूटें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार हैं।

(ग) उपर्युक्त अधिनियम का बुनियादी उद्देश्य, जनता के प्रति सरकार के खुलेपन, उसकी पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देना और शासन के संचालन में लोगों की पूरी एवं पहले से कहीं और अधिक सार्थक प्रतिभागिता सहज और सुकर बनाना है। इसलिए निजी (गैर सरकारी) और स्वैच्छिक क्षेत्र, उपर्युक्त अधिनियम के दायरे में नहीं आते।

पेट्रो-रसायन उद्योगों का विकास

5506. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां तक पेट्रो-रसान उद्योगों के विकास का संबंध है राजस्थान अब तक घाटे में रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्थान के अड़ोस-पड़ोस में मूल फीड स्टॉक की अनुपलब्धता के कारण राज्य में पेट्रो-रसायन उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बीकानेर और नागौर क्षेत्रों में हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों का पता चला है जिससे राज्य में पेट्रो-रसायन उद्योगों की स्थापना हो सकेगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(छ) क्या सरकार इन क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए पेट्रो-रसायन उद्योगों को स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (घ) तकनीकी आर्थिक विचार, फीडस्टॉक की उपलब्धता सहित समेकित पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्सों का स्थान नियत करता है। हालांकि राजस्थान में पेट्रो केमिकल क्रैकर काम्प्लेक्स नहीं है, किन्तु इसके पास डाउनस्ट्रीम पॉली विनायल क्लोराइड (पी०वी०सी०) और पॉलीस्ट्रीन (पी०एस०) इकाइयां हैं।

(ङ) और (च) राजस्थान के ब्लॉक आर०जे०-ओ०एन०-90/1 में तेल की खोज की गई है। खोज से अवगत कराया जा रहा है ताकि उसकी वाणिज्यिक संभावनाओं का आकलन किया जा सके।

(छ) से (झ) चालू आर्थिक नीति निजी उद्यमियों को पेट्रो केमिकल्स उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। राजस्थान में पेट्रो केमिकल्स उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार विचार नहीं कर रही है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को लाभ

5507. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्यों से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या न बढ़ाने और योजना आयोग द्वारा वर्ष 1990-2000 में अनुमानित गरीबी रेखा का ही अनुपालन करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों को गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले उन सभी परिवारों को लाभ प्रदान करने की अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार मार्गनिर्देशों की समीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जो एक शहरी गरीबी उपशमन योजना है, के बारे में राज्य सरकारों को इस प्रकार के कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अनेक राज्यों ने शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण एवं औजार किट लागत, सब्सिडी, शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डी०डब्ल्यू०सी०यू०ए०) समूहों की पुन: संरचना तथा शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू०डब्ल्यू०ई०पी०) के अंतर्गत सामग्री श्रम अनुपात के बारे में प्रशासनिक व कार्यालय खर्चों की सीमा को शामिल करते हुए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन हेतु अपने सुझाव भेजे हैं।

[हिन्दी]

पेयजल के लिए निधियों का आबंटन/ जारी किया जाना

5508. **श्री रामदास रूपला गावीत :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003-2004 के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम योजना (पी०एम०जी०वाई०) के अंतर्गत ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी० और पेयजल घटक के अंतर्गत पेयजल योजनाओं के लिए राज्यों को सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गयी है/जारी की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2003-04 के लिए राज्यवार आवंटन और रिलीज को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के संबंध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए०सी०ए०) योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा दी जाती है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के छह घटक हैं – प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पेय जल, ग्रामीण आवास पोषण और ग्रामीण विद्युतीकरण। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह तय करने की छूट है कि वे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के छह घटकों में अपनी योजना और प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का परस्पर आवंटन कर सकते हैं। पोषण के घटक के संदर्भ में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का कम से कम 15% आवंटन बच्चों में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए अवश्य निर्धारित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के सभी घटकों के लिए वर्ष 2003-04 के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का आवंटन – 2003-04

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 2003-04
1	2	3
	गैर-विशेष श्रेणी राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	15644.00
2.	बिहार	24173.00
3.	छत्तीसगढ़	3435.00
4.	गोवा	72.00
5.	गुजरात	7122.00
6.	हरियाणा	1834.00
7.	झारखंड	7446.00
8.	कर्नाटक	8273.00
9.	केरल	7608.00
10.	मध्य प्रदेश	8500.00
11.	महाराष्ट्र	10917.00
12.	उड़ीसा	10863.00
13.	पंजाब	4442.00
14.	राजस्थान	10611.00
15.	तमिलनाडु	11547.00
16.	उत्तर प्रदेश	37087.00
17.	पश्चिम बंगाल	18490.00
	उप जोड़	188064.00

1	2	3
	विशेष श्रेणी के राज्य	
1.	अरूणाचल प्रदेश	6500.00
2.	असम	19000.00
3.	हिमाचल प्रदेश	7000.00
4.	जम्मू व कश्मीर	18000.00
5.	मणिपुर	4800.00
6.	मेघालय	4112.00
7.	मिजोरम	4300.00
8.	नागालैंड	4526.00
9.	सिक्किम	3000.00
10.	त्रिपुरा	5693.00
11.	उत्तरांचल	7000.00
	उप जोड़	83931.00
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1078.00
2.	पांडिचेरी	465.00
3.	अंडमान व निकोबार समूह	1002.00
4.	चंडीगढ़	442.00
5.	दादर व नागर हवेली	128.00
6.	लक्षद्वीप	172.00
7.	दमन व दियु	111.00
	उप जोड़	3398.00
	कुल जोड़	275393.00

पेयजल योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि

5509. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में विशेषकर गुजरात में पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ख) इस योजना अवधि के लिए स्वीकृत की गयी पेयजल योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) यह मंत्रालय 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (ए०यू०डब्ल्यू०एम०पी०) कार्यान्वित कर रहा है। 10वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, ए०यू०डब्ल्यू०एम०पी० के तहत समूचे देश के लिए 900 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। धनराशि का नियतन योजना आयोग द्वारा प्रत्येक वार्षिक योजना में मुहैया कराई गई राशि के अनुसार आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर अनुमोदित किए जाने वाले ए०यू०डब्ल्यू०एस०पी० के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

(ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान ए०यू०डब्ल्यू०एम०पी० के तहत अनुमोदित स्कीमों और जारी किए गए केन्द्रीय अंश का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

विवरण

प्रवर्तित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (ए०यू०डब्ल्यू०एस०पी०)

क्र० सं०	राज्य	वार्षिक आवंटन 2002-03	2002-03 के दौरान अनुमोदित स्कीमें		2002-03 के दौरान जारी केन्द्रीय अंश
			सं०	स्थापना लागत	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	382.19	शून्य	–	385.90
2.	अरूणाचल प्रदेश	92.09	शून्य	–	0.00

1	2	3	4	5	6
3.	असम●	608.35	2	999.78	571.60
4.	बिहार●	336.27	1	70.69	419.05
5.	छत्तीसगढ़	339.72	8	674.81	430.52
6.	गोवा	73.45	शून्य	–	75.29
7.	गुजरात	627.80	22	2308.58	664.47
8.	हरियाणा●	244.46	4	1182.01	579.94
9.	हिमाचल प्रदेश●	91.81	शून्य	–	297.60
10.	जम्मू व कश्मीर●	57.38	शून्य	–	0.00
11.	झारखंड	250.20	शून्य	–	445.97
12.	कर्नाटक●	756.34	4	3129.98	1055.35
13.	केरल	270.86	5	1072.84	268.21
14.	मध्य प्रदेश	1418.56	42	5042.29	1236.46
15.	महाराष्ट्र	743.72	5	2255.02	563.76
16.	मणिपुर	192.55	5	558.12	174.80
17.	मेघालय	36.28	शून्य	–	0.00
18.	मिजोरम	100.46	1	186.28	46.57
19.	नागालैंड	47.44	शून्य	–	85.42
20.	उड़ीसा	469.41	3	1019.22	254.81
21.	पंजाब	257.08	शून्य	–	0.00
22.	राजस्थान●	720.76	10	1341.13	568.48
23.	सिक्किम	13.95	1	355.88	83.97
24.	तमिलनाडु	717.31	10	1972.52	813.16
25.	त्रिपुरा●	128.37	2	599.40	241.66
26.	उत्तर प्रदेश●	2655.79	89	6564.76	2426.09
27.	उत्तरांचल●	185.93	7	1283.86	320.97
28.	पश्चिम बंगाल	376.45	2	610.92	184.95
		12195.00	223	31208.09	12195.00

●संशोधित लागत

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार रोधी शाखा द्वारा छापे

5510. श्री रामजीवन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कोई ऐसे दिशा-निर्देश जारी किये हैं कि एस०एच०ओ० के अधीनस्थों के कदाचार में लिप्त पाये जाने पर उनके इस व्यवहार के लिए एस०एच०ओ० को ही जिम्मेदार ठहराया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली में भ्रष्टाचार रोधी शाखा द्वारा कितने पुलिस स्टेशनों पर छापे मारे गये और भ्रष्टाचार में स्टेशनवार कितने अधीनस्थ अधिकारी लिप्त पाये गये; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने एस०एच०ओ० को जिम्मेवार ठहराया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जिलों और अन्य यूनिटों में पर्यवेक्षण अधिकारियों को सलाह दी गई है कि यदि उनके मातहत काम करने वाला कोई अधिकारी कदाचार में शामिल पाया जाता है तो इसे उनकी पर्यवेक्षण और कार्य निष्पादन की गुणवत्ता के प्रतिकूल माना जाएगा और उनसे यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उन्होंने अपने प्रभार के अंतर्गत आने वाली यूनिटों में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। वर्ष 2002 से 2003 (15 अप्रैल, 2003 तक) के दौरान भ्रष्टचार-निरोधी शाखा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत, विभिन्न पुलिस स्टेशनों में तैनात 11 पुलिस कार्मिकों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।

(ग) पर्यवेक्षण अधिकारियों को लिखित निर्देश जारी करने के बाद, एक मामला हुआ जिसमें, स्टेशन हाऊस आफिसर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करने वाले एक पुलिस कार्मिक के घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

[हिन्दी]

वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वेम्बे) के अंतर्गत आवास इकाइयां

5511. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
श्री रामदास रूपला गावीत :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वेम्बे) के अंतर्गत राज्यवार कितनी आवास इकाइयों का निर्माण किया गया; और

(ख) इनके निर्माण पर वर्षवार और राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गयी?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना 2-12-2001 को प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2001-2002 के दौरान 27271 रिहायशी इकाइयों और 4605 टायलेट सीटों के निर्माण/सुधार के लिए 16 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा 7356.00 लाख रु० की सब्सिडी जारी की गई थी, इनमें से, 5447 रिहायशी इकाइयों और 3000 टायलेट सीटों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जबकि 8222 रिहायशी इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया है।

वर्ष 2002-03 के दौरान 110388 रिहायशी इकाइयों और 21488 टायलेट सीटों के निर्माण/सुधार के लिए 17 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा 21835.03 लाख रु० की सब्सिडी जारी की गई थी। इनमें से 6952 रिहायशी इकाइयों और 3658 टायलेट सीटों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 42682 रिहायशी इकाइयां और 7825 टायलेट सीटें निर्माणाधीन हैं। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया है।

विवरण-I

वर्ष 2001-2002 के दौरान वाम्बे के अंतर्गत वित्तीय और वास्तविक प्रगति का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जारी की गई भारत सरकार सब्सिडी (लाख रु० में)	शामिल इकाइयां		वास्तविक प्रगति			
					आवास		शौचालय	
			आवास	शौचालय	पूरी की गई	चालू	पूरी की गई	चालू
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1200.00	4000	0	742	93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	छत्तीसगढ़	65.00	325	0		325		
3.	दिल्ली	50.00	167	0	167			
4.	गुजरात	384.00	1536	0	168	1368		
5.	जम्मू व कश्मीर	87.00	387	0		128		
6.	कर्नाटक	915.00	3333	575	3333			
7.	केरल	182.00	910	0		169		
8.	मध्य प्रदेश	246.00	984	0	12	478		
9.	महाराष्ट्र	1198.00	4661	597				
10.	पाण्डिचेरी	33.50	170	40	5	30		
11.	राजस्थान	300.00	1500	0		1500		
12.	तमिलनाडु	1172.00	2610	3000	680	1855	3000	
13.	त्रिपुरा	10.05	45	0		45		
14.	उत्तर प्रदेश	743.45	3717		72	772		
15.	उत्तरांचल	36.00	180	0				
16.	पश्चिम बंगाल	734.00	2746	393	268	1459		
	कुल	7356.00	27271	4605	5447	8222	3000	0

विवरण-II

वर्ष 2002-03 के दौरान वाम्बे के अंतर्गत वित्तीय और वास्तविक प्रगति का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जारी की गई भारत सरकार सब्सिडी (लाख रु० में)	शामिल रिहायशी इकाइयों की सं०	शामिल टायलेट सीटों की सं०	पूरी की गई रिहायशी इकाइयों की सं०	निर्माणाधीन रिहायशी इकाइयों की सं०	पूरी की गई टायलेट सीटों की सं०	निर्माणाधीन टायलेट सीटों की सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	5535.437	22268	392				
2.	छत्तीसगढ़	629.410	2185	462		676		
3.	गुजरात	3089.000	18776	1460		18716		98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	जम्मू व कश्मीर	38.320	170	0				
5.	कर्नाटक	2042.600	7104	2215	1455	5435		
6.	केरल	2389.650	11948	0				
7.	मध्य प्रदेश	934.780	4054	170		133		
8.	महाराष्ट्र	845.780	328	3900				
9.	मणिपुर	7.875	35	0				
10.	नागालैंड	9.000	40	0	16	24		
11.	उड़ीसा	61.200	306	0				
12.	राजस्थान	900.000	4000	0		800		
13.	तमिलनाडु	2846.500	27226	11880	5481	16898	3658	7727
14.	त्रिपुरा	144.978	644	0				
15.	उत्तरांचल	160.150	701	100				
16.	उत्तर प्रदेश	1108.880	5412	0				
17.	पश्चिम बंगाल	1191.650	5191	909				
		21835.030	110388	21488	6952	42682	3658	7825

[अनुवाद]

हीरों का खनन

5512. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कौन-कौन सी हीरा खाने हैं;

(ख) क्या देश में विशेषकर उड़ीसा में नयी हीरा खानों का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) खान मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो (आई०बी०एम०) से प्राप्त सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन०एम०डी०सी०) के स्वामित्व वाली मझगांव हीरा खान ही देश की एक मात्र हीरे की खान है।

(ख) और (ग) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में हीरे के लिए स्रोत चट्टान किम्बरलाइट/लेम्प्रोइट की खोज का कार्य प्रारंभ किया है। हाल ही में जी०एस०आई० ने उड़ीसा के बारगढ़ जिले के सेकड़ी क्षेत्र और नवपाड़ा जिले के दुमारपुर और मसनकुडा के संरक्षित वन क्षेत्र में दो लेम्प्रोइट डाइक्स का भी पता लगाया है।

[हिन्दी]

आई०ए०एस० अधिकारियों की पदोन्नति और वरिष्ठता

5513. **श्री मानसिंह पटेल :**

श्री मनसुखभाई डी० वसावा :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष, 1994 से पदोन्नत हुए आई०ए०एस० अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने और उन्हें पदोन्नति प्रदान करने के लिए

भारत-सरकार बनाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर्स एसोसिएशन के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निर्देशों का पालन करने में विलंब में क्या कारण हैं;

(ग) उनके मंत्रालय को इस संबंध में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) वर्ष, 1994 में भारतीय प्रशासनिक सेवा-अधिकारी-संघ बनाम भारत-सरकार के किसी भी मुकदमें में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति किए जाने और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदोन्नत किए गए अधिकारियों की वरिष्ठता निश्चित किए जाने का कोई भी निर्णय नहीं दिया।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बेघर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार

5514. श्री रामशकल : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल बिल्डिंग्स आर्गनाइजेशन द्वारा एकत्रित आकड़ों के अनुसार ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों और महानगरों में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवारों की संख्या क्या है जिनके पास अपने घर/आवासीय सुविधा नहीं है; और

(ख) सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों एवं महानगरों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेघर परिवारों के बारे में सूचना एकत्र नहीं करता है।

(ख) राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति, 1998 के उद्देश्यों में एक उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की विशेष आवश्यकताओं का पूरा करना है। तथापि, चूंकि आवास राज्य का विषय है, अतः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के लिए आवास योजनाएं तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है।

[अनुवाद]

आपराधिक मामले में एन०एस०जी० के अधिकारियों की संलिप्तता

5515. श्री चन्द्रभूषण सिंह :
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में एक नागरिक को गायब करने में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के तीन अधिकारी संलिप्त पाये गये हैं जैसाकि 21 मार्च, 2003 को 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में खबर प्रकाशित हुई है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर में हिरासत के दौरान गायब होने वाले लोगों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े एकत्रित किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा गारद में प्रतिनियुक्ति पर गए सेना के तीन अधिकारी 17/18 अगस्त, 1990 के बीच की रात को एक युवक के गायब होने की घटना में कथित रूप से संलिप्त थे। इन अधिकारियों को बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद में उनका कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात वर्ष 1992 में सेना में प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

(ग) 1996 में, जम्मू और कश्मीर सरकार ने अभियोजन की मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार से कहा। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में इसे स्वीकार नहीं किया गया। राज्य सरकार को जांच-पड़ताल तेजी से और शीघ्र पूरी करने की सलाह दी गई। यह भी उल्लेख किया गया कि इस जांच-पड़ताल की कार्रवाई के दौरान अगर कोई ऐसा साक्ष्य मिलता है, जिससे पुनः विचारण आवश्यक हो जाए, तो मामले को अभियोजन की मंजूरी के लिए पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। दोबारा, 6.9.1999 को राज्य सरकार से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए एक अनुरोध प्राप्त हुआ। मामले की जांच करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने 10.11.1999 को राज्य सरकार से जांच-पड़ताल पूरी करने और सक्षम न्यायालय के समक्ष चालान दायर करने का अनुरोध किया और अभियोजन के प्रश्न पर अथवा अन्यथा

उसके पश्चात निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद, केन्द्रीय सरकार को जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति की मंजूरी के लिए कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) इसके उत्तर में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में हिरासत से लापता हुए व्यक्तियों के बारे में विवरण

क्रम सं०	वर्ष	इस प्रकार के दर्ज मामलों की संख्या	संलिप्त व्यक्तियों की संख्या	अंतिम निर्णय लिए गए और न्यायालय में चालान दायर किए गए मामलों की संख्या	राज्य पुलिस द्वारा की जा रही जांच-पड़ताल के मामले
1	2000	17	25	1	16
2	2001	11	11	0	11
3	2002	8	11	0	8
	कुल	36	47	1	35

सरकारी सेवा में आरक्षण

5516. **श्री पी०सी० थामस :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री रामदास रूपला गावीत :
योगी आदित्यनाथ :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांग व्यक्तियों और अन्य आरक्षित वर्गों की नौकरियों संबंधी बकाया रिक्तियों का प्रत्येक वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान अब भी जारी है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया;

(घ) वर्तमान में सरकारी सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा बकाया रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) इस बारे में जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इस बारे में जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ङ) सभी मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ मुहैया करवाए जाने की नीति उनके यहां गम्भीरतापूर्वक और ठीक तरह से कार्यान्वित की जा रही है। ये अनुदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों से भरे जाने हेतु उपयुक्त चुने गए पद भरने की दृष्टि से संघ-लोक-सेवा-आयोग और कर्मचारी-चयन-आयोग को अपना मांग-पत्र भेजे जाने के साथ-साथ, इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जाए कि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को 3% आरक्षण मुहैया करवाए जाने की नीति ध्यान में रखी गई है। संघ-लोक-सेवा-आयोग और कर्मचारी-चयन-आयोग से ऐसा कोई भी मांग-पत्र स्वीकार नहीं करने का अनुरोध किया गया है जिसके साथ उपर्युक्त आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

निधियों का उपयोग

5517. **श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा जारी धनराशि का उपयोग ही नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा उपलब्ध निधियों के पूर्ण उपयोग हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (ग) रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में, वर्ष 2000-01 के बजट से 79.31 करोड़ रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई थी। इसमें 60.66 करोड़ रुपए गैर-योजनागत तथा 18.63 करोड़ रुपए योजनागत राशि शामिल है। गैर-योजनागत राशि का मुख्य अंश मुद्रा दर में अंतर

के कारण कम आवश्यकता के साथ भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा प्रदान किया गया प्रमात्रा प्रत्याशित से कम होने के कारण भी अभ्यर्पित किया गया था। यह अभ्यर्पण आर्थिक उपायों के अंतर्गत कुछ पदों को न भरे जाने के साथ-साथ वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया गया 10 प्रतिशत कटौती के कारण भी हुआ था। बजट योजना में अभ्यर्पण का कारण मुख्यतः उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए गैर-व्यपगत पूल निधि के लिए बजट योजना का 10% अंश का सहयोग देना भी था। धन की अधिकाधिक उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने स्थिति की समीक्षा की। परिणामस्वरूप, वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान, धन का अभ्यर्पण क्रमशः 4.49 करोड़ रु० (लगभग) (3.20 करोड़ रु० योजनागत तथा 1.29 करोड़ रु० गैर-योजनागत) तथा 8.93 करोड़ रु० (लगभग) (6.93 करोड़ रु० योजनागत तथा 2.00 करोड़ रु० गैर योजनागत) का हुआ था।

उर्वरक विभाग में, पिछले तीन वर्षों के दौरान, मात्र वित्तीय वर्ष 2001-02 में यूरिया की कम आयात के कारण अनुमान से कम धन का उपयोग हुआ था। 12 लाख मी०टन यूरिया के आयात के लिए प्रावधान रखा गया था जबकि मात्र 2.2 लाख मी०टन वास्तविक आयात किया गया था। 2001-02 में सी०आई०एफ० मूल्य में भी कमी का रूझान रहा है। 2001-01 के दौरान, देश के विभिन्न राज्यों में सूखा जैसी स्थिति देखी गई थी जिसके कारण देश में उर्वरकों का कम उपयोग हुआ। इसके परिणामस्वरूप निधियों का कम उपयोग हुआ।

[हिन्दी]

आविष्कारकों को पुरस्कार

5518. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष से आविष्कारकों को उनके आविष्कार के लिये पुरस्कार देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो पुरस्कार धनराशि समेत तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ पुरस्कार पाने वालों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार ने आविष्कारकों को पुरस्कृत करने के लिए 'राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन', 'स्कूली बच्चों के लिए सी०एस०आई०आर० हीरक जयंती आविष्कार पुरस्कार' तथा 'जैव प्रौद्योगिकी उत्पादन एवं प्रक्रिया विकास तथा वाणिज्यीकरण पुरस्कार' जैसी अनेक स्कीमें शुरू की है। इन स्कीमों के ब्यौरे और पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के चयन के मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन

तृणमूल स्तर के नवाचारों पर स्काउटिंग एवं प्रलेखन हेतु राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन की स्थापना की गई है। एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए आविष्कारकों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह स्कीम पिछले दो वर्षों से चल रही है।

स्कूली बच्चों के लिए सी०एस०आई०आर० हीरक जयंती आविष्कार पुरस्कार

सरकार ने वर्ष 2002 में 'स्कूली बच्चों के लिए सी०एस० आई०आर० हीरक जयंती आविष्कार पुरस्कार' नामक एक स्कीम शुरू की थी। किसी भी भारतीय विद्यालय में कक्षा XII तक का विद्यालय जाने वाला कोई भी भारतीय जिसकी उम्र 30 जून, 2002 को 18 वर्ष से कम हो, इस पुरस्कार के लिए आवेदन हेतु पात्र थे। इसमें कुल 60 पुरस्कार थे।

यथा निर्धारित चयन मानदण्ड इस प्रकार है : आविष्कार किसी मौजूदा समस्या में कोई नई अवधारणा या विचार या समाधान के लिए असाधारण, स्मरणीय और व्यावहारिक अथवा पूरी तरह एक नयी पद्धति/युक्ति/उपयोगिता का परिचायक होना चाहिए। प्रोटोटाइप/प्रयोगात्मक आंकड़ों के जरिये प्रमाणित आविष्कार की अवधारणा को भी मान लिया जाएगा भले ही इस आविष्कार पर कार्य न हुआ हो।

पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन द्विस्तरीय प्रणाली द्वारा किया गया था– 1. चयन करने के लिए पांच सदस्यीय एक विशेषज्ञ समिति 2. अंतिम अनुशंसा करने वाली समिति।

जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद तथा प्रक्रिया विकास और वाणिज्यीकरण पुरस्कार

जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कृषि, जैव चिकित्सा तथा पर्यावरण विज्ञानों सहित जैव प्रौद्योगिकी और जैव विज्ञान के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अथवा उत्पाद की नयी प्रक्रिया, उत्पाद विकास तथा इसके वाणिज्यीकरण के संबंध में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों/नवाचारियों/उद्यमियों/संस्थाओं/सरकारी अथवा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्र की कम्पनियों के लिए वर्ष 2001 में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद तथा प्रक्रिया विकास तथा वाणिज्यीकरण पुरस्कारों की स्थापना की है। वर्ष 2001 से हर वर्ष 11 मई को आयोजित प्रौद्योगिकी दिवस पर पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की उपयुक्तता के आधार पर 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रत्येक पुरस्कार स्वरूप एक लाख रुपये नकद तथा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ विशेषरूप से गठित विशेषज्ञ

समिति की सिफारिशों के आधार पर पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन किया जाता है। इन पुरस्कारों के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के चयन हेतु पिछले पांच वर्ष के दौरान दिए गए योगदान पर मुख्य रूप से विचार किया जाता है।

बाघ (टाइगर) के क्लोन का विकास

5519. डा० अशोक पटेल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने बाघ (टाइगर) के पूरी तरह विलुप्त हो जाने के मद्देनजर उसके क्लोन का विकास करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ईरान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (घ) किसी बाघ (टाइगर) का क्लोन विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) ईरान के साथ जैवप्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए कोई निश्चित समझौता नहीं है।

रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों पर अमरीका-इराक युद्ध का प्रभाव

5520. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका-इराक युद्ध शुरू होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रासायनिक उर्वरकों के मूल्य बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रासायनिक उर्वरकों के नाम क्या है और उनके युद्ध से पहले मूल्य क्या था और युद्धोपरांत मूल्य क्या है; और

(ग) अमरीका-इराक युद्ध के पश्चात भारतीय बाजार में इन उर्वरकों के मूल्यों में अलग-अलग किस सीमा तक वृद्धि हुई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जहां अरब की खाड़ी से प्रिल्ड यूरिया का औसत लागत एवं माल भाड़ा मूल्य जनवरी, 2003 के अंतिम सप्ताह से बढ़ना प्रारंभ हुआ और इराक युद्ध के ठीक पहले यह 140 अमरीकी डॉलर प्रति मी० टन से बढ़कर 173 अमरीकी डॉलर प्रति मी० टन हो गया और युद्ध के दौरान यह कम होकर 170 अमरीकी डॉलर प्रति मी० टन हो गया। तथापि इसमें अप्रैल, 2003 में और कमी आई है। दूसरी ओर डी०ए०पी० का औसत लागत एवं मालभाड़ा मूल्य इराक युद्ध से पूर्व 225 अमरीकी डॉलर प्रति मी० टन था जो युद्ध के दौरान बढ़कर 228-229 अमरीकी डॉलर प्रति मी० टन हो गया। (स्रोत साप्ताहिक आधार पर प्रकाशित उर्वरक विपणन बुलेटिन)।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य भिन्नता का असर भारतीय बाजार में सभी प्रमुख रासायनिक उर्वरकों पर नहीं पड़ा है क्योंकि इन उर्वरकों, नामतः यूरिया, डी०ए०पी०, एम०ओ०पी० और मिश्रित ग्रेड, का बिक्री मूल्य/अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा एक समान रूप से निर्धारित/अधिसूचित किया जाता है जो सम्पूर्ण देश में लागू होता है।

[अनुवाद]

गरीबी उन्मूलन हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत परियोजनायें

5521. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गरीबी उन्मूलन हेतु स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं को आंध्र प्रदेश के अन्य पिछड़े जिलों तक विस्तार करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं किन तिथियों को प्रस्तुत की गई थीं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार का राज्य को इन विशेष परियोजनाओं को कब तक मंजूरी देने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजु) : (क) जी, नहीं। मंत्रालय को चालू परियोजनाओं का आंध्र प्रदेश के अन्य पिछड़े जिलों तक विस्तार करने हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रसायन क्षेत्र

5522. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसायन क्षेत्र में किये जा रहे अनुसंधान और विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) रसायन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। जहां तक सरकार का संबन्ध है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान (डी०एस०आई०आर०) विभाग और रसायन और पेट्रो रसायन विभाग सहित विभागों से जुड़े संस्थान और प्रयोगशालाएं, रसायन सेक्टर के विकास के लिए अनुसंधान कार्य में लगे हैं।

(ख) रसायन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों (एफ०डी०आई०) की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अण्डमान और निकोबार में पुलिस बल को मुफ्त राशन

5523. **श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में पुलिस बल को मुफ्त राशन देने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

बालिका समृद्धि योजना

5524. **श्री बी०एस० बसवराज :**
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालिका समृद्धि योजना को लागू करने के लिए वर्ष 2003- 2004 में कितना बजट आवंटन किया गया और वर्ष 2002-2003 के दौरान राज्यवार कितनी राशि आवंटित और उपयोग में लाई गई;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से उक्त योजना के अंतर्गत बजट आवंटन बढ़ाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार अभी तक कितनी धनराशि जारी की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2003-2004 के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यों को और धनराशि आवंटित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान धनराशि आवंटन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा) : (क) वर्ष 2002-2003 में बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत कोई राशि निर्मुक्त नहीं की गई। तथापि, वर्ष 2003-04 के लिए इस स्कीम के अंतर्गत 15.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

(ख) और (ग) 31.3.2003 तक की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्य सरकारों के पास बची शेष राशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) से (च) निर्मुक्त की गई निधियों के लिए जिन राज्यों द्वारा सम्पूर्ण उपयोग प्रमाण-पत्र भेजे जाएंगे, उन राज्यों को निधियां आवंटित/निर्मुक्त की जाएंगी। आवर्धित आवंटन पिछली निर्मुक्तियों के सम्बन्ध में उनके निष्पादन पर निर्भर करेगा।

(छ) और (ज) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

'बालिका समृद्धि योजना' के अंतर्गत 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास बची शेष राशि का ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य का नाम	31.3.2003 तक बची शेष राशि (रु० लाखों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	–
2.	अरूणाचल प्रदेश	6.581
3.	असम	362.92
4.	बिहार	2116.8
5.	गोवा	0
6.	गुजरात	258.16
7.	हरियाणा	68.975
8.	हिमाचल प्रदेश	21.13
9.	जम्मू व कश्मीर	80.785
10.	कर्नाटक	34.83
11.	केरल	123.1
12.	मध्य प्रदेश	440.19
13.	महाराष्ट्र	455.865
14.	मणिपुर	19.61
15.	मेघालय	12.541
16.	मिजोरम	0
17.	नागालैंड	7.71
18.	उड़ीसा	223.155
19.	पंजाब	82.48
20.	राजस्थान	289.572
21.	सिक्किम	8.275
22.	तमिलनाडु	225.585
23.	त्रिपुरा	1.00
24.	उत्तर प्रदेश	1742.94
25.	पश्चिम बंगाल	335.29
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3.58
27.	चण्डीगढ़	1.67
28.	दादर एवं नगर हवेली	2.39
29.	दमन एवं दीव	1.365
30.	दिल्ली	26.99
31.	लक्षद्वीप	1.385
32.	पाण्डिचेरी	5.85
33.	छत्तीसगढ़	0
34.	झारखण्ड	100
35.	उत्तरांचल	100
	कुल	7160.724

इंजीनियरिंग कालेज

5525. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में स्थानवार आज की तारीख के अनुसार कितने इंजीनियरिंग कालेज कार्यरत हैं और कालेजवार कितने छात्र वर्षवार दाखिला लेते हैं;

(ख) क्या सरकार के पास इन इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के दौरान निगरानी करने हेतु कोई निगरानी एजेंसी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन कालेजों में सरकार की आरक्षण नीति का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में स्वीकृत इंजीनियरी कालेजों की संख्या 250 है जिसमें छात्रों की कुल प्रवेश-क्षमता 79,122 है। अनुमोदित संस्थानों की अवस्थिति तथा अन्य विवरण; अखिल भारतीय

तकनीकी शिक्षा परिषद् की सरकारी वैबसाइट (डब्ल्यू०डब्ल्यू०डब्ल्यू० ए०आई०सी०टी०ई० एरनेट० इन) पर उपलब्ध है। विशेषज्ञ दलों द्वारा मूल्यांकन के माध्यम से अनुमोदन प्रदान करते समय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् मानीटरिंग की व्यवस्था रखती है। सम्बद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा गठित प्रवेश संबंधी समितियों द्वारा इंजीनियरी कालेजों में प्रवेश दिए जाते हैं। राज्य सरकारों से अपेक्षा होती है कि वे राज्यों में विद्यमान आरक्षण नीति का पालन करें।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी० एस०वाई०) के अंतर्गत बचत करने हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन

5526. **श्री रामरोठ ठाकुर :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस० वाई०) के अंतर्गत महिलाओं को और बचत करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो योजना के अंतर्गत इस संबंध में महिलाओं को क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रवेश बिन्दु के रूप में रिवफंट के साथ स्वसहायता समूहों का गठन किया जाता है और समूहों को बचत करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। यह बचत समूह संचय तैयार करने में उनकी सहायता करती है, जिसे सदस्यों के बीच छोटे-छोटे ऋणों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जब संभाव्तिशील समूह के रूप में समूह का आकलन कर लिया जाता है तो इसे बैंक के माध्यम से आवर्ती निधि दे दी जाती है। आवर्ती निधि समूह संचय के बराबर अनुदान राशि होती है और ऋण समूह संचय के चार गुणा तक हो सकता है। यह आवर्ती निधि सदस्यों के बीच छोटे ऋण के रूप में घूमती रहती है।

स्वसहायता समूह केवल महिलाओं के लिए या मिश्रित समूह भी हो सकते हैं।

भूमि प्रबंधन

5527. **श्री रघुनाथ झा :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर भूमि प्रबंधन कार्य नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप भूमि उत्पादकता और कृषि उत्पादन में वृद्धि को धक्का लगा है जैसाकि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपने 2000 के प्रतिवेदन तीन के पृष्ठ 221 पर पैरा 4.12.02 में बताया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ङ) भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सी० एण्ड ए०जी०) ने 2000 की रिपोर्ट संख्या 3 के पैरा 4.12.2 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया था कि कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, मिजोरम एवं मेघालय राज्यों में पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत भूमि प्रबंधन से संबंधित कार्यों के कार्यान्वयन में कुछ कमियां थीं। तथापि, सी० एण्ड ए०जी० की इस रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि भूमि की उत्पादकता और कृषि उत्पादन उक्त कमियों के कारण प्रभावित हुए थे। चूंकि योजनाएं राज्यों द्वारा कार्यान्वित की गई थीं, इसलिए सी० एण्ड ए०जी० की टिप्पणियां संबंधित राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणी हेतु भेज दी गयीं। सी० एण्ड ए०जी० की टिप्पणियों से राज्य सहमत नहीं हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नामक नई योजना के अंतर्गत, मृदा एवं नमी संरक्षण अनुमेय गतिविधियां हैं, जिन्हें पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा क्षेत्र की महसूस की गई आवश्यकताओं के अनुरूप शुरू किया जा सकता है।

[हिन्दी]

बागडिगी खान का निर्माण

5528. **प्रो० रीता वर्मा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बागडिगी कोयला खान दुर्घटना के बाद गोताखोरों को खान में फंसे कोयला कामगारों को ढूंढने में सफलता नहीं मिली क्योंकि खान का अनुमोदित योजनानुसार निर्माण नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक योजना के अनुसार निर्माण न करने हेतु किन लोगों को जिम्मेदार माना गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बागडिगी कोयला खान विशेषकर उस खान जिसमें दुर्घटना हुई थी, को योजना को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा?

कोयला मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) गोताखोर फंसे हुए खनिकों तक नहीं पहुंच सके थे क्योंकि जीवन रेखा इत्यादि की उनकी

अपनी ही सीमाएं थीं जिन्होंने उन्हें खान की खदानों में पूरी तरह नीचे तक जाने से रोक दिया था। खनन नक्शों को बिना किसी उपर्युक्त सर्वेक्षण के तैयार तथा अनुरक्षित किया गया था।

(ख) बागडिगी जांच न्यायालय द्वारा निम्नलिखित सर्वेक्षकों की जिम्मेदारी निर्धारित की है :–

(i) श्री आर०एन० कुन्डु

(ii) श्री एच०सी० कुशवाहा

(iii) श्री आर०सी० दास

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) दिनांक 2-2-2001 को पानी के अन्तर्वाह की घटना के पश्चात 17-3-2001 को सीम VII का नया नक्शा तैयार किया गया था।

स्वतंत्रता सेनानियों को सुविधाएं

5529. **श्री पी०आर० खूंटे :**
श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को कोई सुविधा/सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत मृत स्वतंत्रता सेनानी पेंशनरों की विधवाएं, अविवाहित/बेरोजगार पुत्रियों, माता और पिता को केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही परिवार पेंशन और अन्य सुविधाओं के प्रयोजनार्थ, परिवार के सदस्यों/आश्रितों को पात्र माना जाता है। वास्तविक और जरूरतमंद मामलों में उन स्वतंत्रता सेनानियों जो पेंशन पाने के पात्र नहीं है, के आश्रितों को भी गृह मंत्री विवेकाधीन अनुदान से वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जाता है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशनरों की मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्यों को केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

(i) स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं के साथ एक परिचारक को आजीवन मुफ्त रेलवे पास (प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित) की सुविधा।

(ii) विधवाओं और उनके आश्रितों को केन्द्र सरकार के सब अस्पतालों में और सरकारी उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन सरकारों के उपक्रमों द्वारा चलाये जाने वाले अस्पतालों में भी मुफ्त चिकित्सा सुविधायें। उन्हें केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा भी दी गई है।

(iii) स्वतंत्रता सेनानी को अबंटित सरकारी आवास में रह रहे स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी/पति, स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद छः माह की अवधि के लिए आवास को रखने के हकदार हैं।

(iv) विधवाओं को व्यवहार्यता के अध्यधीन, स्थापना अधिभारों के बिना और मात्र आधे किराये के भुगतान पर दूरभाष सुविधा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित रिक्तियों की आपस में अदला-बदली

5530. **सरदार बूटा सिंह :** क्या उप-प्रधान मंत्री 18-12-2002 के अतारांकित प्रश्न सं० 4590 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 02-07-1997 के डी०ओ०पी० एंड टी०. के का०ज्ञा० सं०-36012/2/96-स्था० (आरक्षण) जारी होने के साथ श्रेणी 'ख' से श्रेणी 'क' के निम्नतर स्तर पर चयन द्वारा पदोन्नत होने के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच आरक्षण की उस वर्ष अदला-बदली संबंधी सरकार का अनुदेश वापस/रद्द नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) पदों के आधार पर आरक्षण आरम्भ किए जाने के पश्चात्, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किसी रिक्त पद को किसी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किसी रिक्त पद को किसी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से भरा जाना संभव नहीं है।

(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किसी रिक्त पद को, आरक्षण की अदला-बदली करके, किसी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से भरे जाने से अनुसूचित जातियों को मिलने वाला आरक्षण, उनके लिए निर्धारित आरक्षण से अधिक हो जाएगा, जो कि आर०के० सब्बरवाल बनाम पंजाब-सरकार के मुकदमें में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार अनुमत नहीं है।

भेषजों का निर्यात

5531. **श्री के०पी० सिंह देव :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार औषधों, भेषजों और 'फाइन केमिकल्स' के निर्यात को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान (वर्षवार) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) भारत सरकार भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए सभी भारतीय निर्यातकों (औषधों, भेषजों और फाइन केमिकलों के निर्यातकों समेत) को बाजार विकास सहायता स्कीम (एम०डी०ए०) और बाजार पहुंच पहल स्कीम (एम०ए०आई०एस०) के द्वारा निर्यात संवर्धन परिषद के जरिए वित्तीय सहायता दो रही है। एम०डी०ए० कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित निर्यात संवर्धन गतिविधियां प्रारंभ की गई हैं :–

(1) बिक्री एवं अध्ययन दौरों तथा अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों में भागीदारी के लिए विदेशों की यात्रा करने के लिए औद्योगिक निर्यातकों को वित्तीय सहायता।

(2) बायर सेलर मीट्स के लिए शिष्टमंडल लेने के लिए वित्तीय सहायता।

विगत पांच वर्षों के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रमों के तहत निम्नलिखित प्रदान करके सरकार द्वारा फोकस-लेटिन अमेरिका, फोकस अफ्रीका और फोकस-सी०आइ०एस० जैसे फोकस एरिया कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं :–

(i) प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सदस्य निर्यातकों को सरकार द्वारा हवाई यात्रा किराए की प्रतिपूर्ति।

(ii) सरकार एम०ए०आई०एस० के तहत वेयरहाउसिंग सुविधाओं हेतु प्रथम वर्ष के लिए कुल खर्चों का 75%, द्वितीय वर्ष के लिए 50% और तीसरे वर्ष के लिए 25% वहन कर रही है।

(iii) कार्यालय में कार्मिकों को कार्य पर लगाने की 50% लागत को सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

(iv) भेषजों के लिए पंजीकरण प्रभारों के 50% की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

औद्योगिक क्षेत्र से वाणिज्यिक क्षेत्र में परिवर्तित की गई भूमि का प्रयोग

5532. **श्री माणिकराव होडल्या गावित :** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983 में समयपुर बादली विस्तार औद्योगिक क्षेत्र के लगभग 69 हेक्टेयर क्षेत्र को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के लिए औद्योगिक क्षेत्र से वाणिज्यिक क्षेत्र में परिवर्तित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इंडस्ट्रियल यूज़ जोन एरिया के विस्तार का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे औद्योगिक क्षेत्र के एक भाग को बादली रेलवे स्टेशन के उत्तर में स्थित यादव नगर को 1983 में स्वीकृत कर आवासीय प्रयोग हेतु परिवर्तित किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) एम०पी०डी०-2001 के अनुसार संदर्भगत क्षेत्र के भाग को ट्रक टर्मिनल/परिवहन हेतु भूमि उपयोग के लिए रखा गया है।

(ग) इंडस्ट्रियल उपयोग क्षेत्र का कोई विस्तार नहीं है। एम०पी०डी०-2001 भूमि उपयोग प्लान उसमें निहित नीतियों के अनुसार ही तैयार किया गया है।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

आदिवासियों का प्रवास

5533. **श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आदिवासियों के असम के उत्तरी कछार पहाड़ियों और कछार जिलों से मणिपुर में बढ़ते प्रवास के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन दो जिलों में बढ़ती साम्प्रदायिक हिंसा के कारण ऐसा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इससे लगभग कितने आदिवासी परिवार प्रभावित हुए हैं; और

(ङ) इन विस्थापित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) मार्च-अप्रैल, 2003 में हुई जातीय हिंसा के परिणामस्वरूप उत्तरी कछार पहाड़ियों तथा असम के कछार जिलों से आदिवासियों के आप्रवासन के बारे में सरकार को रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। असम सरकार द्वारा स्थापित राहत शिविरों में विभिन्न समुदायों के 4200 व्यक्ति ठहरे हुए हैं। राज्य सरकार ने क्षेत्र में सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

5534. श्री विष्णुदेव साय : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे राज्य कौन से हैं जो केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण एवं राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण से वंचित हैं;

इन न्यायाधिकरणों को गठित न किए जाने के क्या कारण

(ग) वे राज्य कौन से हैं जिन्होंने विद्यमान न्यायाधिकरणों को बंद कर दिया है; और

(घ) वे राज्य कौन से हैं जिन्होंने नए न्यायाधिकरणों को गठित करने की मांग की है?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) भारत के सभी राज्यों में कार्यरत केन्द्र-सरकार के सभी कर्मचारी दिल्ली में अवस्थित अपनी प्रधान न्यायपीठ और दिल्ली से बाहर विभिन्न स्थानों पर अवस्थित अपनी 16 न्यायपीठों से युक्त केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के सिवाय अन्य सभी राज्यों में कोई भी राज्य प्रशासनिक अधिकरण नहीं है।

(ख) इस बारे में संबंधि राज्य-सरकारों से कोई भी अनुरोध नहीं मिला है।

(ग) मध्य प्रदेश।

(घ) गुजरात और पंजाब।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डार से लेखन सामग्री की खरीद

5535. श्री रघुनाथ झा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय सुधार आयोग ने अपनी सिफारिशों में यह उल्लेख किया है कि सरकारी विभाग अपनी लेखन सामग्री संबंधी आवश्यकताओं की मांग जिन दरों पर केन्द्रीय भंडार से करते हैं, वे बाजार मूल्यों से तुलना किये जाने पर प्रतिस्पर्धी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत पांच वर्ष में से प्रत्येक वर्ष के दौरान मांगकर्त्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु लेखन सामग्री की खरीद करने के लिए जी०ओ०आई०एस०ओ० का बजट अनुमान आवश्यकता से बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो जी०ओ०आई०एस०ओ० का कम बजट अनुदान आबंटित करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या जी०ओ०आई०एस०ओ० को समाप्त करने और सरकारी विभागों को लेखन सामग्री की आपूर्ति करने हेतु प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग को उत्तरदायी बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे संबंधित ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, नहीं। पिछले पांच वर्षों से भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय को आबंटित बजट का उनके द्वारा पूरा उपयोग नहीं किया गया।

(ङ) और (च) व्यय सुधार आयोग ने भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय को बंद करने की सिफारिश की है। शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने अब तक इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है।

उग्रवादियों द्वारा मारे गए कर्मचारी

5536. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में उग्रवादी हिंसा में केन्द्र सरकार के कितने कर्मचारी मारे गए;

(ख) इन लोगों को अब तक कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरियां नहीं दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उग्रवादियों द्वारा आंध्र प्रदेश में मारे गए सरकार के कर्मचारियों के आश्रितों की नौकरी हेतु कितने आवेदन केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हुए हैं; और

(च) मृतक कर्मचारियों के निकटतम संबंधियों को नौकरियां प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों (2000-02) के दौरान आन्ध्र प्रदेश में अतिवादी हिंसा में 11 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी (के०रि०पु० बल-8, के०औ०सु० बल-1, भा०सं०नि०लि०-1, भा०खा०नि०-1) मारे गए।

(ख) के०रि०पु० बल ने 7 मामलों में निकटतम संबंधी को 7.50 लाख रु० का अनुग्रहपूर्वक मुआवजा अदा किया है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भा०खा०नि० के मृत कर्मचारी की विधवा को 1.50 लाख रु० का अनुग्रहपूर्वक अनुदान स्वीकृत किया है। भा०सं०नि०लि० के दिवंगत कर्मचारी के शोक संतप्त परिवार को 17000/- रु० की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) भा०सं०नि०लि० के पास एक अनुरोध, न्यायालय से अभिभावक प्रमाण पत्र के अभाव में लम्बित पड़ा है।

(च) केन्द्र सरकार के मौजूदा नियमों/अनुदेशों के अनुसार ग्रुप 'ग' और 'घ' श्रेणियों में 5% रिक्तियां अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों के लिए आरक्षित होती हैं।

राज्यों में पंचायत चुनाव

5537. श्री ए० नरेन्द्र : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक राज्य में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहां निर्वाचित पंचायत नहीं है;

(ख) क्या दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में यह परिकल्पना की गई है कि पंचायती राज विकास संबंधी धन को केवल निर्वाचित पंचायतों को ही दिया जाना है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान पंचायतों को राज्यवार आबंटित/जारी धन कितना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, हां। यह मानकर कि 73वां संविधान संशोधन के पश्चात निर्वाचित पंचायत होना आवश्यक है, तदनुसार दसवें वित्त आयोग ने निर्वाचित पंचायतों के लिए निधियां प्रदान की। दसवें वित्त आयोग ने राज्यों में उन स्थानीय निकायों को भी निधियां प्रदान की जिन्हें संविधान के अनुसार पंचायत चुनाव आयोजित नहीं कराने थे।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को आबंटित एवं पंचायतों को रिलीज की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चालू वर्ष में राज्यों को निधियों की रिलीज ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानीय निकाय अनुदान के उपयोग के लिए राज्यों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जाएगी।

विवरण

विगत 3 वर्षों के दौरान वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को आबंटित एवं रिलीज की गयी निधियां

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य	वार्षिक आबंटन	रिलीज की गयी निधियां			
			2000-01	2001-02	2002-03 से अब तक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	15204.83	0.00	15204.83	15204.83	30409.66

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरूणाचल प्रदेश	556.85	278.42	0.00	0.00	278.42
3.	असम	4668.95	0.00	4668.95	2334.47	7003.42
4.	बिहार	10875.00	0.00	10875.00	16312.50	27187.50
5.	छत्तीसगढ़	4200.39	2100.00	6300.79	4200.38	12601.17
6.	गोआ	185.45	92.72	278.19	92.72	463.63
7.	गुजरात	6960.87	0.00	6960.87	10441.30	17402.17
8.	हरियाणा	2941.75	1470.88	4412.63	2941.74	8825.25
9.	हिमाचल प्रदेश	1313.38	656.68	1970.08	656.69	3283.45
10.	जम्मू व कश्मीर	1488.14	744.06	744.08	0.00	1488.14
11.	झारखंड	4825.76	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	7882.35	3941.18	11823.53	3941.17	19705.88
13.	केरल	6592.58	3296.28	9888.88	6592.58	19777.74
14.	मध्य प्रदेश	10109.00	5054.70	15163.30	10109.00	30327.00
15.	महाराष्ट्र	13134.58	6567.28	19701.88	6567.29	32836.45
[illegible]	मणिपुर	375.43	187.72	563.15	0.00	750.87
17.	मेघालय	512.16	256.08	768.28	256.08	1280.40
18.	मिजोरम	157.11	78.56	235.67	157.10	471.33
19.	नागालैंड	257.33	128.66	386.01	128.66	643.33
20.	उड़ीसा	6911.76	3455.88	10367.64	3455.88	17279.40
21.	पंजाब	3092.71	0.00	0.00	9278.13	9278.13
22.	राजस्थान	9818.96	4909.48	14728.44	4909.48	24547.40
23.	सिक्किम	105.85	52.92	158.79	52.92	264.63
24.	तमिलनाडु	9322.36	4661.18	13983.54	4661.18	23305.90
25.	त्रिपुरा	569.19	284.60	853.79	284.59	1422.98
26.	उत्तर प्रदेश	23342.67	11671.34	35014.01	11671.33	58356.68
27.	उत्तरांचल	3040.00	1520.00	4560.00	0.00	6080.00
28.	पश्चिम बंगाल	11554.59	5777.30	17331.89	5777.29	28886.48
	कुल	160000.00	57185.92	206944.18	120027.31	384157.41

शिक्षा संबंधी डकार फ्रेम वर्क ऑफ एक्शन

5538. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने भारत और कुछ अन्य देशों को छोड़ दिया है क्योंकि भारत सरकार डकार फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन के अनुसरण में शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय कार्ययोजना को प्रस्तुत करने में असफल रही है; और

(ख) कार्य योजना को नहीं सौंपने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) जी, नहीं। 'डकार फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन' के अनुरूप ही भारत के सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम को सहायता प्रदान करने के संबंध में विचार-विमर्श करने हेतु विश्व बैंक मिशन ने 13 से 24 फरवरी, 2003 को भारत का दौरा किया।

परिवार-पेंशन

5539. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन-आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद परिवार-पेंशन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार परिवार-पेंशन किस दर पर दी जाती है;

(ग) क्या पति-पत्नी, दोनों के दिवगंत होने के बाद उन पर आश्रित बच्चों को परिवार-पेंशन का मिलना जारी रहता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और शेष आश्रित बच्चे, विशेषकर बालिका किस पर निर्भर होगी?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिशों के अनुसार, कुटुम्ब-पेंशन, पहले की स्लैब-दर के स्थान पर, 01.01.1996 से, दिवगंत कर्मचारी द्वारा आहरित अन्तिम वेतन के 30 प्रति शत की एकसी दर पर देय है। न्यूनतम कुटुम्ब-पेंशन, 1275 रुपए प्रति माह की दर से और अधिकतम कुटुम्ब-पेंशन, सरकार में देय उच्चतम वेतन की 30 प्रति शत धनराशि प्रति माह की दर से दी जानी निर्धारित की गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सिविल सेवा-पेंशन-नियम, 1972 के नियम 54(6) के अनुसार माता और पिता दोनों की मृत्यु हो जाने अथवा जीवित माता या पिता के पुनर्विवाह कर लेने में से पहले घटने वाली घटना पर, पात्र बच्चे, कुटुम्ब-पेंशन प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं।

(ङ), (ग) और (घ) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय

5540. श्री अनन्त नायक : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारत सरकार के पाठ्य पुस्तक मुद्रणालयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुछ पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय यूनेस्को द्वारा उपहारस्वरूप दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये सभी मुद्रणालय केन्द्रीय सरकार के पास हैं अथवा इनमें से कुछ का हस्तांतरण राज्य सरकारों को किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उन मुद्रणालयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें राज्य सरकारों को हस्तांतरित किया गया है और वे राज्य कौन से हैं;

(च) क्या वर्तमान में ये सभी मुद्रणालय कार्यरत हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो किन मुद्रणालयों को बंद किया गया है और उनको बंद करने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) इस समय शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधीन मैसूर, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर में भारत सरकार के तीन पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। 25 वर्ष से भी पहले यूनेस्को कार्यक्रम के तहत कुछ मशीनें और उपकरण फेडरल रिपब्लिक और जर्मनी द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए थे।

(घ) और (ङ) फिलहाल तीनों मुद्रणालय केन्द्रीय सरकार के पास हैं।

(च) और (छ) जी, हां।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बालवाड़ी निधि

5541. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं हेतु 'राष्ट्रीय बालवाड़ी निधि योजना' के अंतर्गत कार्यक्रम/योजनाएं कौन सी हैं;

(ख) योजना के अंतर्गत ऋण अनुदान एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने संबंधी मानदण्ड क्या हैं;

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य सरकार का हिस्सा और वित्तीय अंशदान कितना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों/योजनाओं हेतु राज्यवार और वर्षवार आबंटित धन कितना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा) : (क) महिला एवं बाल विकास विभाग 'राष्ट्रीय शिशुगृह कोष, 1994' नामक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, शिशुगृह, आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह और शिशुगृह कर्मियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) राज्य सरकारें, बाल कल्याण के क्षेत्र में सेवा के लिए प्रसिद्ध ऐसे स्वैच्छिक संगठन अथवा महिला मण्डल, जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत अथवा सार्वजनिक न्यास के रूप में कम से कम पिछले दो वर्षों से पंजीकृत हों, कोष से वित्तीय सहायता के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार के माध्यम से आवेदन करने के पात्र हैं।

(ग) इस स्कीम के कार्यान्वयन में राज्य सरकार का कोई हिस्सा अथवा वित्तीय अंशदान नहीं है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय शिशुगृह कोष से निर्मुक्त राज्य-वार राशि का ब्यौरा

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	49.83	71.52	83.91
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	6.90	0.74	42.90
4.	बिहार	–	4.69	11.24
5.	दिल्ली	0.37	–	–
6.	गोवा	–	–	–
7.	गुजरात	2.89	6.18	2.80
8.	हरियाणा	6.78	7.46	35.97
9.	हिमाचल प्रदेश	2.62	0.77	–
10.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–
11.	झारखण्ड	–	1.51	–
12.	कर्नाटक	7.25	5.81	11.30
13.	केरल	–	–	–
14.	मध्य प्रदेश	6.41	12.69	9.86
15.	महाराष्ट्र	22.39	14.15	21.17
16.	मणिपुर	2.40	1.01	–
17.	मेघालय	–	0.49	–
18.	मिजोरम	–	–	–
19.	नागालैंड	–	–	–
20.	उड़ीसा	15.44	14.84	5.82
21.	पंजाब	1.85	4.16	–
22.	राजस्थान	6.22	2.20	0.74
23.	सिक्किम	–	–	–
24.	तमिलनाडु	13.18	13.24	22.81
25.	त्रिपुरा	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	25.78	16.99	21.22
27.	उत्तरांचल	–	3.97	33.72
28.	पश्चिम बंगाल	13.07	3.14	103.68
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–	–
30.	चण्डीगढ़	–	–	–

1	2	3	4	5
31.	दादर एवं नगर हवेली	–	–	–
32.	दमन एवं दीव	–	–	–
33.	लक्षद्वीप	–	–	–
34.	पाण्डिचेरी	–	–	–
	कुल	183.38	185.56	407.14

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान

5542. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान से पुनर्नियोजन हेतु सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखने और उसका चयन करने से संबंधित दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या सरंकार ने राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान की सभी सिफारिशों को स्वीकार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो मामले की स्थिति से संबंधित ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहल पर राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 60/62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति के पश्चात् शिक्षकों के पुर्ननियोजन के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श हेतु एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया था।

(ख) जी, हां।

(ग) इस बैठक की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान ने रिपोर्ट की एक प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास भेज दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्कीम पर विचार किया गया था परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसी प्रकार की एक स्कीम 'लब्ध प्रतिष्ठ प्रोफेसर' पर विचार किए जाने के कारण इस स्कीम को आस्थगित कर दिया गया था।

विवरण

सिफारिशें तथा कार्यकारी सार

1. बैठक में आम राय थी कि जहां तक संभव हो उच्चतर शिक्षा पद्धति के लिए अच्छे शिक्षकों की सेवाएं उपलब्ध की जानी चाहिए।

2. अच्छे शिक्षक आम तौर पर अपने कैरियर के अंतिम चरणों के दौरान अपनी क्षमताओं के विकास के चरमोत्कर्ष पर होते हैं और इस प्रकार उनके द्वारा 30 या 35 वर्षों में ग्रहण किए गए अनुभव और ज्ञान का उच्चतर शिक्षण संस्थाओं द्वारा अवश्य समुचित उपयोग किया जाना चाहिए।

3. अधिवर्षिता अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् शिक्षकों की सेवाओं का लाभ उठाने के संबंध में कोई निर्णय लेते समय मुख्यत: संस्थान की आवश्यकताओं तथा पद्धति की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

4. शिक्षकों की सेवाएं लेते समय उनके अन्य गुणों के साथ-साथ कालेज स्तर पर कार्य कर चुके शिक्षकों की योग्यता और विश्वविद्यालय स्तर पर कार्य कर चुके शिक्षकों की शिक्षण तथा अनुसंधान संबंधी योग्यताओं पर विचार किया जाना चाहिए।

5. शिक्षकों की शिक्षण योग्यताओं और अनुसंधान सामर्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए उपर्युक्त मानदंड तैयार करने होंगे।

6. अधिकतर सहभागी सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया है कि अधिवर्षिता अथवा सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षकों का चयन करते समय उनके सेवाकाल के अंतिम पांच वर्ष के दौरान विद्यार्थियों द्वारा किए गए उनके मूल्यांकन पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

7. पात्र शिक्षकों की सेवाएं लेने के लिए संस्थाओं के हित में स्वस्थ तथा गरिमापूर्ण प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए न कि ऐसी प्रक्रिया जिससे व्यक्तिगत लाभ के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहन मिले।

8. तैयार की गई स्कीम ऐसी होनी चाहिए कि उससे विभागों में कार्य कर रहे नवयुवकों/अन्य की प्रोन्नति की सम्भावना अवरूद्ध न हों और वे वरिष्ठ पदों के अनुभव से वंचित न रहें।

9. जिन शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद भी रखे जाने का प्रस्ताव है उन्हें चाहिए कि वे अपने पदों से जुड़े विशेषाधिकार को त्याग दें जैसे कि नियुक्ति, कार्यालय सरकारी आवास आदि।

10. गवन में अन्तर्ग्रस्त अथवा चरित्रहीन शिक्षकों अथवा उन शिक्षकों जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है के मामलों पर सेवाविस्तार हेतु विचार नहीं किया जाना चाहिए।

11. अच्छे शिक्षकों की सेवाओं का 65 वर्ष की आयु तक लाभ उठाया जाए और कुछ आपवादिक मामलों में कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि उनकी सेवाओं का लाभ 70 वर्ष की आयु तक भी उठाया जा सकता है।

12. इस बैठक में सर्वसम्मिति से यह प्रस्ताव भी पारित किया गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सहित इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश तथा प्रक्रिया तैयार करने के लिए सदस्यों की एक लघु समिति बनाई जाए :

(क) शिक्षक की गरिमा के अनुरूप इस स्कीम के लिए उचित नाम का चयन करना – क्योंकि पुनर्नियोजन शब्द का प्रयोग इस पेशे के लिए उचित नहीं है।

(ख) चयन के मानदंड।

(ग) शिक्षकों की स्थिति और गरिमा को ध्यान में रखकर चयन प्रक्रिया का निर्माण।

(घ) सेवा शर्तें।

(ङ) नियुक्ति प्रक्रिया।

(च) वित्तीय प्रभाव।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

5543. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने विकलांग लोगों के लाभार्थ विभिन्न कार्यक्रमों को शामिल करने में सहयोग करने हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कब तक लागू होने की संभावना है;

(घ) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विकलांग लोगों के पुनर्वास संबंधी अध्ययन से संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु उपाधियां प्रदान करता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और भारतीय पुनर्वास परिषद ने दिनांक 21 सितम्बर, 2000 को एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विकलांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए विस्तार, प्रशिक्षण तथा शिक्षा कार्यक्रमों के संवर्धन और कार्यान्वयन की व्यवस्था है। इसमें एक प्रमाण-पत्र कार्यक्रम शामिल है जिसका मुख्य उद्देश्य विकलांगता के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता को बढ़ाना तथा व्यावहारिक कौशल प्रदान करना है जो अभिभावकों, बच्चों की देखभाल करने वाले कर्मियों और सामुदायिक कर्मियों के लिए है। इसके साथ-साथ चार वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम भी इसमें शामिल है जिसका उद्देश्य विकलांगों की विभिन्न श्रेणियों के साथ कार्य करने हेतु योग्य व्यावसायिकों का प्रशिक्षित कैडर तैयार करना है। इसके अतिरिक्त दृश्य-श्रव्य प्रेरणात्मक विस्तार कार्यक्रम भी इसमें शामिल है।

मानसून संबंधी पूर्वानुमान

5544. श्री राम मोहन गाड्डे :
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मौसम विभाग गत वर्ष के दौरान सूखे जैसी स्थिति के पूर्वानुमान में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक ने 16.4.2003 को घोषणा की थी कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान देश में वर्षा सामान्य से कम होगी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय मौसम विभाग की टिप्पणियों पर क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (ङ) 1988 से भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई०एम०डी०) एक सांख्यिकीय मॉडल, जो कि वर्षा को 16 पूर्ववर्ती पैरामीटरों से जोड़ता है, के प्रयोग से दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा का दीर्घावधि पूर्वानुमान करता रहा है। 2002 के अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग के दीर्घावधि मानसून

पूर्वानुमान सही थे। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए पिछले वर्ष के मानसून पूर्वानुमान में वास्तविक मान से 20 प्रतिशत का विचलन था।

2002 का सूखा कई अनियमित लक्षणों के कारण था जैसे :

(i) देश के पश्चिमी भागों में अनियमित चक्रवात विरोधी प्रवाह अवरोही गति की उपस्थिति;

(ii) 5 से 6 दबाव प्रति मौसम सामान्य को देखते हुए इस मौसम के दौरान मानसून दबावों की अनुपस्थिति;

(iii) हल्के तथा क्षण भंगुर निम्न दबाव के क्षेत्र तथा गर्त;

(iv) एक कमजोर मानसून गर्त जो कि जुलाई में काफी समय के लिए हिमालय की पादगिरी के निकट स्थित था;

(v) अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में कमज़ोर पारगामी भूमध्यीय प्रवाह;

(vi) एल-निनो का अनियमित व्यवहार।

जी, हां। नए अपनाए गए 8-पेरामीटर पॉवर रिग्रेशन मॉडल के आधार पर, 2003 की दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु (जून-सितम्बर) के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के दीर्घावधि पूर्वानुमान हैं कि समग्र रूप से संपूर्ण देश के लिए वर्षा के + 5 प्रतिशत की मॉडल त्रुटि के साथ दीर्घावधि औसत (एल०पी०ए०) के 96 प्रतिशत होने की संभावना है।

समग्र रूप से संपूर्ण देश के लिए 2003 की दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के लिए नया 8-पेरामीटर प्रोबेब्लिस्टिक मॉडल बताता है;

सूखे की 21 प्रतिशत संभावना (एल०पी०ए० के 90 प्रतिशत से कम वर्षा),

सामान्य से कम वर्षा की 39 प्रतिशत संभावना (एल०पी०ए० का 90 से 97 प्रतिशत),

सामान्य के आसपास वर्षा की 14 प्रतिशत संभावना (एल०पी०ए० का 98-102 प्रतिशत),

सामान्य से अधिक वर्षा की 23 प्रतिशत संभावना (एल०पी०ए० का 103-110 प्रतिशत),

भारी वर्षा की 3 प्रतिशत संभावना (एल०पी०ए० के 110 प्रतिशत से अधिक)।

16 अप्रैल, 2003 को भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी दीर्घावधि पूर्वानुमान, मॉडल में प्रयोग किए गए 8 वातावरण, भूमि तथा महासागर पेरामीटरों के संबंध में मार्च, 2003 तक के आंकड़ों पर आधारित हैं।

विभिन्न सरकारी एजेंसियों को भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान से अवगत कराया गया है।

मितव्ययिता संबंधी उपाय

5545. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कठोरतम तरीके से मितव्ययिता संबंधी उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्ष 2001-2002 की तुलना में वर्ष 2002-2003 में मंत्रियों और शिष्टमंडलों के विदेश दौरों पर व्यय कई गुना बढ़ गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) केन्द्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों के विदेशी दौरों पर व्यय में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। जबकि इस सम्बन्ध में 2001-02 में व्यय 27.81 करोड़ रुपये था, 2002-2003 में यह 28.34 करोड़ रुपये था। यह थोड़ी बहुत वृद्धि मुख्यतया वायुयान किराये में वृद्धि के कारण हुई है।

विदेश दौरों से संबंधित सभी प्रस्तावों पर सरकार में विभिन्न स्तरों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से केवल उन्हीं दौरों के लिए अनुमति दी जाती है जो अपरिहार्य हों।

मद्यनिर्माण शालाओं की क्षमता का विस्तार

5546. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑल इंडिया डिस्टिलरस् एसोसिएशन ने केन्द्र से मद्यनिर्माण शालाओं की क्षमता के विस्तारण पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रतिबंध वर्ष 1975 से लागू हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने ऑल इंडिया डिस्टिलरस् एसोसिएशन के अनुरोध पर विचार किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) देश में चरणबद्ध रूप में मद्य निषेध लागू करने के उद्देश्य से निम्नलिखित पेयों के आसव अथवा ब्रिविंग के लिए विद्यमान क्षमता के विस्तार के लिए, 100% निर्यातोन्मुख वाले मामले को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार द्वारा 19 नवम्बर, 1975 को प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस प्रतिबंध में अप्रैल, 1988 में आंशिक रूप से छूट दिया गया था जब शीरा रहित कच्चे माले पर आधारित पेय अल्कोहल के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता का विस्तार अनुमत्य था। तदन्तर, बियर बनाने के लिए नई क्षमता सृजित करने के लिए भी फरवरी, 1989 में अनुमति दी गई थी। इसे भी 1.4.1989 से वापस ले लिया गया था।

चालू स्थिति यह है कि उच्चतम न्यायालय 29.1.1997 को हुए एक फैसले के माध्यम से यह बताया कि पेय के प्रयोजन से अल्कोहल तैयार करने में कार्यरत उद्योग पूरी तरह से राज्यों के नियंत्रण में होना चाहिए। 29.1.1997 का यह फैसला आज की स्थिति में लागू है।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा अधिगृहित भूमि हेतु मुआवजा

5547. श्री नरेश पुगलिया : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने वर्ष 1997 में निरगुडा खुली मुहाने की खानों के लिए मुंगोली गांव की सम्पूर्ण कृषि भूमि अधिगृहीत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों को अधिगृहित भूमि के लिए मुआवजा दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या नागपुर न्यायाधिकरण में मुआवजे से संबंधित मामले लम्बित हैं;

(छ) यदि हां, तो क्या इस न्यायाधिकरण में न्यायाधीश की नियुक्ति कर ली गई है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो न्यायाधिकरण के न्यायाधीश की नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस न्यायाधिकरण में न्यायाधीश की नियुक्ति कब तक होने की संभावना है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) मुंगोली ग्राम की आंशिक कृषि भूमि (206.59 हेक्टेयर) को निरगुडा ओ०सी०पी० हेतु कोयला धारी क्षेत्र (अ तथा वि) अधिनियम, 1957 की धारा 9 (i) के अंतर्गत दिनांक 23.01.1997 के स०आ० सं० 406 के द्वारा अधिगृहीत कर लिया गया है।

(ग) से (ङ) अधिगृहीत की गई भूमि के लिए अदा किए गए मुआवजे के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

1.	कुल अधिगृहीत भूमि	206.59 हेक्टेयर
2.	अधिगृहीत भूमि के विरूद्ध अदा किया गया कुल मुआवजा	1,00,77,891.06 रुपये
3.	अदा की गई राशि	62,94,688.89 रुपये
4.	विशेष न्यायाधिकरण, नागपुर में लम्बित राशि	19,48,303.15 रुपये
5.	परिवार के विवादित तथा अदालती मामलों के कारण लम्बित	18,34,899.02 रुपये

(च) जी, हां। 18 भू-वंचितों के 19,48,303.15 रुपये के मुआवजे वाले मामले नागपुर में विशेष न्यायाधिकरण में लम्बित हैं।

(छ) जी, नहीं।

(ज) और (झ) विशेष, न्यायाधिकरण, नागपुर के न्यायाधीश को 15.4.99 से नियुक्त नहीं किया जा सका। उक्त पद के लिए पहले निर्धारित किया गया पारिश्रमिक नए उम्मीदवार को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए कोयला मंत्रालय ने संशोधित निबन्धन तथा शर्तों को अन्तिम रूप दिया और महाराष्ट्र सरकार ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से इच्छुक उम्मीदवारों के नाम प्रायोजित करने का अनुरोध किया। लम्बे पत्र व्यवहार के पश्चात्, महाराष्ट्र सरकार ने उक्त पद को भरने के लिए किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नाम को प्रायोजित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। अन्ततः पद को राज्य सरकारों के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित किया गया कि वे उपर्युक्त सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नाम को प्रायोजित करें। उसके पश्चात, एक सकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ है। तथापि, इसी बीच न्यायाधिकरण के कार्यकाल 31.3.2002 को समाप्त हो गया और 31.2.2002 से आगे विशेष न्यायाधिकरण

के कार्यकाल के विस्तार का एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। वित्त मंत्रालय नागपुर में विशेष न्यायाधिकरण के कार्यकाल का विस्तार करने पर सहमत नहीं हुआ और उसने विधि मंत्रालय के परामर्श से दावों को निपटाने के लिए अन्य तरीके ढूंढने की सलाह दी। मामले की विधि मंत्रालय के परामर्श से जांच की गई और उनका यह मत था कि विशेष न्यायाधिकरण के कार्यकाल का विस्तार किया जाना चाहिए। इसलिए प्रस्ताव को पुन: वित्त मंत्रालय को सन्दर्भित किया गया है। वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त होते ही एक न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

सी०सी०एल० में मशीनरी का उपयोग

5548. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की मशीनरी के 30 प्रतिशत भाग का भी उचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है जबकि खराब मशीनों को मरम्मत तथा डीजल की खरीद के नाम पर सरकारी कोष से बड़ी मात्रा में धनराशि का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में प्रबंधन की कथित सांठ-गांठ की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० (सी०सी०एल०) में हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (हैम) के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है :–

हैम	1.4.2003 को पंजी पर कुल संख्याएं	कार्यरत संख्या	कार्यरत प्रतिशत
शावेल	114	101	88.59
डम्पर	609	470	77.17
डोजर	177	144	81.35
ड्रिल	173	135	78.03
कुल	1073	850	79.20

आंकड़े दर्शाते हैं कि कुल हैम का औसतन 79 प्रतिशत हैम कार्य कर रहे हैं।

हैम की सामान्यत: कम्पनी की केन्द्रीय/क्षेत्रीय/इकाई कार्यशाला में पुनरूद्धार/मरम्मत की जाती है। 2002-03 के दौरान लगभग 10 करोड़ रुपये के व्यय से कम्पनी की कार्यशाला में 63 हैमों की पुनरूद्धार/मरम्मत की गई है।

डीजल सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों से नियंत्रित मूल्यों पर खरीदा जाता है। वर्ष 2002-03 के दौरान डीजल की खरीद पर खर्च की गई कुल राशि 105.83 करोड़ रुपये थी और खपत की दर उत्खनन के प्रति घनमीटर पर 0.73 लीटर (अनंतिम) थी। पिछले 2 वर्षों के दौरान भी डीजल की खपत वही (अर्थात उत्खनन के प्रति घनमीटर पर 0.73 लीटर) थी।

(ग) इस संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं है/जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रौद्योगिकी मिशन

5549. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार का विचार भारत को वर्ष 2020 तक पूर्णत: विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 10 प्रौद्योगिकी मिशनों को आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रौद्योगिकी मिशनों और उनकी प्रस्तावित संरचना तथा कार्य विधि का ब्यौरा क्या है;

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) इस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद् (टाइफैक), नई दिल्ली ने भारत को एक पूर्णत: विकसित राष्ट्र बनाने के लिए टेक्नोलॉजी विजन फॉर इंडिया अपटू 2020 नामक एक दीर्घावधि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विजन तैयार किया। इस दस्तावेज के आधार पर, मिशन मोड परियोजनाएं शुरू करने के लिए निम्नलिखित छ: क्षेत्रों की प्रारंभिक रूप से पहचान की गई है :

1. कृषि एवं कृषि खाद्य प्रसंस्करण।
2. सड़क निर्माण तथा परिवहन उपकरण
3. वस्त्र मशीनरी उन्नयन

4. स्वास्थ्य देख-रेख सेवाएं तथा हर्बल/प्राकृतिक उत्पाद

5. भारतीय उद्योग से संबंधित विज्ञान एवं इंजीनियरी कालेजों का उन्नयन (मिशन रीच)

6. विद्युत ऊर्जा, शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, हाईड्रोजन ऊर्जा आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लक्षित कार्यक्रम।

अब तक मिशन मोड में 60 परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

हडको द्वारा अर्जित लाभ

5550. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हडको ने वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान 300 करोड़ रुपये से अधिक का रिकार्ड लाभ अर्जित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) वर्ष 2001-2002 की हडको की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001-2002 के दौरान आवास एवं नगर विकास निगम लि० (हडको) ने कर तथा पूर्वावधि समायोजन पूर्व लाभ के रूप में 133.88 करोड़ रु० कमाए हैं। पूर्वावधि समायोजन के और करों के लिए प्रावधान के पश्चात् वर्ष के लिए 114.06 करोड़ रुपए का निवल लाभ (कर के पश्चात) कमाया गया है।

[हिन्दी]

जैवप्रौद्योगिकी का विकास

5551. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि जैवप्रौद्योगिकी से देश में कृषि संबंधित जीन के अध्ययन और अनुसंधान में सहायता मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अब तक कितने जीनों का पता लगाया गया है और वर्तमान में कितने जीनों पर अनुसंधान कराया जा रहा है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बच्चा") : (क) और (ख) जी, हां। कृषि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही के वर्षों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति से देश में कृषि संबंधित जीनों के अध्ययन तथा अनुसंधान के काम में सहायता मिलेगी। जैवप्रौद्योगिकी के नए तरीकों ने पुनः प्रजनन की बाधाओं को पार करके हमारे हित के विभिन्न फसल पादपों में जीनों की पहचान करने, विलगन तथा हस्तांतरण कार्य को संभव बना दिया है। इससे आण्विक प्रजनन तथा पराजीनी पादपों के विकास के जरिए फसल सुधार में सहायता मिलती है। विभिन्न प्रयोगशालाओं में ऐसे कई पादपों का विकास किया गया है जिनमें वांछित कृषि संबंधी लक्षण हैं जैसे कीट तथा रोग प्रतिरोध, हर्बीसाइड सहनशीलता, देरी से पकना, अधिक पौष्टिक गुणवत्ता, हेटरोसिस प्रजनन आदि। खाद्य टीकों के मामले में अच्छी प्रगति हुई है।

(ग) पहचान की गई जीनों के प्रयोग से पराजीनी फसलों के विकास में लगभग 22 अनुसंधान संस्थान कार्यरत हैं। फसल सुधार के लिए विशिष्ट रूप से जरूरी 27 जीनों की पहचान पहले की कर ली गई है। ये जीन हैं :– बी०टी०, प्रोटीस इनहीबिटर, लेक्टिन, फैटी एसिड डीसेच्युरेस, ऊतक विशिष्ट प्रोमोटर, वाइरस प्रतिरोध, प्रोटीन गुणवत्ता तथा खारेपन की प्रतिरोधक जीन। ठंडे रेगिस्तान तथा मेंग्रोव क्षेत्र से स्ट्रैस संबंधी 24 जीनों का विलगन भी किया गया है। इनमें से कुछ जीनों को व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फसलों में अंतरित कर दिया गया है।

मुख्य रूप से जिस विशेषता को लक्ष्यित किया गया है, वह कीट प्रतिरोध है जिसमें चावल, कपास, तम्बाकू, टमाटर, बैंगन, गोभी, बंदगोभी, मटर, गन्ना आदि जैसी फसलों में मुख्यत: बी०टी० प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। एमारेन्थस प्रोटीन जीन ए०एम०ए० 1 के अतिनिष्पीडन के द्वारा आलू में पोषकता गुणवत्ता सुधारने के लिए, एमिनो एसिड के संतुलित संयोजन तथा अधिक उपज वाले पराजीनी आलू के संबंध में खेत में परीक्षण कार्य उन्नत स्तर पर चल रहा है। हाइब्रिड बीजों का विकास करने के लिए सरसों में बारनेस तथा बारस्टार जीनों का सन्निवेश किया गया है जो नर-बन्ध्यता तथा उर्वरता को पुन: बहाल करने की क्षमता प्रदान करती हैं। सरसों के तेल में लीनोलिनिक एसिड के स्तर को कम करने के लिए कम इरूसिक एसिड पृष्टभूमि में फैटी एसिड डीसेच्युरेस 2 जीनों (एफ०ए०डी० 2) की एंटिसेंस जीनों वाले पराजीनी सरसों के पादप भी उगाये गये हैं। ऐसे पराजीनी टमाटर के विकास के संबंध में भी काम चल रहा है, जिसमें अधिक लाइकोपिन, अधिक पोस्ट-हारवेस्ट शेल्फ लाइफ और गुणवत्ता हो तथा उच्च बीटा-कैरोटीन से युक्त पराजीनी चावल के विकास के संबंध में भी कार्य प्रगति पर है।

चावल और गेहूं को ऐसी जीनों से रूपांतरित किया गया है, जो स्ट्रैस प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती हैं। विकसित किए गए इन पराजीनियों का आण्विक स्तर पर लक्षण वर्द्धन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चावल जीनोम अनुक्रमण के लिए भारतीय पहल से 2500 से

अधिक जीनों की पहचान की गई है तथा कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण जीनों का निर्धारण करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिनका फंक्शनल विश्लेषण निकट भविष्य में शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

सैनिक फार्मस् को ढहाया जाना

5552. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
डा० चरण दास महंत :
श्री भास्करराव पाटील :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल में दिल्ली नगर निगम को सम्पूर्ण सैनिक फार्म कॉलोनी के ढहाए जाने के प्रस्ताव के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में सैनिक फार्मों ने भूमि उपयोग विनियमों और भवन निर्माण संबंधी उप विधियों का उल्लंघन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों का कार्यान्वयन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ङ) दिल्ली नगर निगम (दिननि) ने सूचित किया है कि भू-उपयोग और भवन उप-नियमों का उल्लंघन करके बनी सैनिक फार्म कालोनी के बारे में राजीव मल्होत्रा बनाम भारत संघ तथा अन्य के नाम से एक याचिका सी०डब्ल्यू०पी० सं० 6734/2000 उच्च न्यायालय, दिल्ली में लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय ने 4.4.2003 को आदेश पारित किया जिसमें आयुक्त, दिल्ली नगर निगम को दिनांक 9.7.2001 के इलफनामें सहित प्रस्तुत प्रस्तावित नीति के कार्यान्वयन की प्रविधि के बारे में न्यायालय को बताने की निर्देश दिया है। आयुक्त, दिल्ली नगर निगम ने समय बढ़ाने के लिए 22.4.2003 को माननीय न्यायालय में हलफनामा प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

दिल्ली में भूमि आवंटन हेतु लम्बित प्रस्ताव

5553. **श्री रामदास आठवले :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि और विकास कार्यालय में दिल्ली में विभिन्न संस्थानों और पब्लिक स्कूलों के भूमि आवंटन हेतु कितने प्रस्ताव लम्बित हैं और वे कौन सी तिथि से लम्बित हैं;

(ख) इस संबंध में इन प्रस्तावों की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है;

(घ) क्या गत दो वर्षों के दौरान आज तक सरकार को इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने हेतु लोक प्रतिनिधियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औषधि मूल्य

5554. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान औषध नीति के अनुसार कौन सी दवाओं को मूल्य नियंत्रण के अधीन रखा गया है;

(ख) औषधियों के मूल्यों पर कौन सा प्राधिकारण नियंत्रण रख रहा है;

(ग) क्या औषधियों पर नियंत्रण रखते हुए भारतीय कम्पनियों के मुकाबले बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्राथमिकता दी जा रही है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (ङ) सितम्बर, 1994 में घोषित "औषध नीति में संशोधन, 1986" में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर मूल्य नियंत्रण के अधीन शामिल किए जाने के लिए औषधियों की पहचान की गई है। इस समय, 74 प्रपुंज औषधियां तथा उन पर आधारित सूत्रयोग मूल्य नियंत्रण के

अंतर्गत हैं तथा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन०पी०पी०ए०) द्वारा उनका मूल्य निर्धारण/संशोधन किया जाता है। सरकार द्वारा अधिसूचित/निर्धारित मूल्य सभी विनिर्माताओं पर लागू होते हैं चाहे कंपनी भारतीय है या बहु-राष्ट्रीय।

[अनुवाद]

लोगों का पुनर्वास

5555. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़कों, बांधों, पुलों और अन्य सरकारी परियोजनाओं के निर्माण के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास हेतु एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) और (ख) ऐसी परियोजनाओं, जिनसे 1000 या इससे अधिक परिवार विस्थापित होते हैं, के संबंध में 'परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास) विधेयक' के नाम से एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

बी०एड० पाठ्यक्रमों को मान्यता

5556. डा० मन्दा जगन्नाथ :
श्री कालवा श्रीनिवासुलु :
श्री जी० गंगा रेड्डी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने बी०एड० पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु कालेजों को मान्यता दिये जाने के संबंध में अनुरोध भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिन कालेजों को मान्यता दिए जाने की मांग की गई हैं वे निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं;

(घ) यदि हां, तो मान्यता प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) कब तक मान्यता दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2003-04 के दौरान बी०एड० पाठ्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र से युक्त 579 आवेदन-पत्र 31 दिसम्बर, 2002, जो इन आवेदनों, की प्राप्ति की अन्तिम तिथि थी, तक प्राप्त हुए। आवेदन-पत्रों का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) जिन संस्थाओं के आवेदन पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित 31 दिसम्बर, 2002 तक प्राप्त हो गए थे, उनके आवेदनों में बातई गई कमियां, यदि कोई हो, को 15 मार्च, 2003 तक ठीक करने के लिए संस्थाओं को अवसर प्रदान किया गया। अनुपालन रिपोर्टों के प्राप्त होन पर परिषद् की क्षेत्रीय समितियों ने इन संस्थाओं में विजिटिंग टीमें भेजकर संगत आवेदनों पर कार्रवाई शुरू कर दी। विजिटिंग टीमों की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद ही क्षेत्रीय समितियों द्वारा अपनी बैठकों में संस्थाओं को स्वीकृति प्रदान करने संबंधी निर्णय लिया जाता है।

विवरण

वर्ष 2003-2004 के दौरान बी०एड० पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों का राज्यवार विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2003-04 के लिए बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु प्राप्त आवेदनों की संस्था
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	1
3.	असम	14
4.	बिहार	2
5.	छत्तीसगढ़	6
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	44
8.	हरियाणा	15
9.	हिमाचल प्रदेश	24

1	2	3
10.	केरल	211
11.	मणिपुर	4
12.	महाराष्ट्र	26
13.	मध्य प्रदेश	26
14.	मेघालय	4
15.	नागालैंड	1
16.	पंजाब	17
17.	राजस्थान	3
18.	उत्तर प्रदेश	153
19.	पश्चिम बंगाल	6
20.	चंड़ीगढ़	1
21.	दिल्ली	12
	कुल	579

स्व-वित्तपोषित कालेजों के लिए प्रबंधन कोटा

5557. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार स्व-वित्तपोषित कालेजों में प्रवेश हेतु प्रबंधन कोटा के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस संबंध में यह मुद्दा राज्य सरकारों के साथ उठाया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा टी०एम०ए० पै फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य सरकार तथा अन्य के मामले में अक्तूबर, 2000 में दिए गए निर्णय की घोषणा के परिणामस्वरूप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने अन्तरिम नीतिगत विनियम अधिसूचित किए। इन अन्तरिम विनियमों में यह प्रावधान है कि तकनीकी संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा प्रवेश हेतु आरक्षित की जा सकने वाली सीटों की प्रतिशतता को राज्य सरकार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित कर सकती है और अल्पसंख्यक तथा गैर-अल्पसंख्यक तकनीकी संस्थाओं के लिए भिन्न प्रतिशतता निर्धारित की जा सकती है बशर्ते प्रबंधन द्वारा आरक्षित सीटों की अधिकतम सीमा गैर-अल्पसंख्यक तकनीकी संस्थाओं के मामले में संस्वीकृत प्रवेश क्षमता के 15% और अल्पसंख्यक संस्थाओं के मामले में 50% से अधिक न हो। 10 मार्च, 2003 को आयोजित राज्य शिक्षा सचिवों (तकनीकी) की बैठक में इन अन्तरिम नीतिगत विनियमों को सामान्य तौर पर स्वीकृति प्रदान की गई थी।

[हिन्दी]

आई०पी०एस० अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामले

5558. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने आई०पी०एस० अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं।

(ख) क्या उनके विरूद्ध कोई जांच चल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उच्च अधिकारियों में भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात 2000 से 2002 से भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण 81 भा०पु०से० अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

(ख) उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ग) इसके उत्तर में एक विवरण संलग्न हैं।

(घ) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम में, दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त उपबन्ध हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग और राज्य सतर्कता आयुक्त, अधिकारियों में भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई करते हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों से भा०पु० सेवा अधिकारियों के खिलाफ लम्बित मामलों की राज्य-वार/संवर्ग वार संख्या

क्र० सं०	राज्य/संवर्ग का नाम	भा०पु० सेवा के उन अधिकारियो की संख्या जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई हैं
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	—
2.	ए०जी०एम०यू०	5
3.	असम और मेघालय	1
4.	बिहार	2
5.	छत्तीसगढ़	—
6.	गुजरात	21
7	हरियाणा	5
	ाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू और कश्मीर	—
10.	झारखंड	1
11.	कर्नाटक	—
12.	केरल	1
13.	मध्य प्रदेश	2
14.	महाराष्ट्र	2
15.	मणिपुर-त्रिपुरा	2
16.	नागालैंड	—
17.	उड़ीसा	9
18.	पंजाब	2
19.	राजस्थान	—
20.	सिक्किम	—
21.	तमिलनाडु	14
22.	उत्तरांचल	—
23.	उत्तर प्रदेश	7
24.	पश्चिम बंगाल	6
	कुल	81

[अनुवाद]

चल अपराध विज्ञान इकाईयां

5559. श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्यारहवें वित्त आयोग ने देश के 415 जिलों में चल अपराध विज्ञान इकाईयां स्थापित करने हेतु 49.80 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में आगे और कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत निधि में से कुल कितनी निधि राज्य-वार राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा यथाशीघ्र ऐसी इकाईयां स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को प्रेरित करने हेतु और क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। विभिन्न राज्यों में 415 जिलों में मोबाईल फारेन्सिक यूनिटें (मोबाईल) एफ०एस०एल०) स्थापित करने के लिए XI वें वित्त आयोग द्वारा किए गए 49.80 करोड़ रु० के प्रावधान के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। उपलब्ध सूचना के अनुसार हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और तमिलनाडु राज्य सरकारों ने अनेक मोबईल एफ०एस०एल० स्थापित किए हैं और शेष राज्य सरकारें इन्हें स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं।

(ङ) विभिन्न राज्यों में मोबाईल एफ०एस०एल० स्थापित करने के लिए 49.80 करोड़ रु० के आवंटन की तुलना में वित्त मंत्रालय ने अभी तक 16,01,70000/-रु० की राशि रिलीज की है। 21.4.2003 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों को रिलीज की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(च) वित्त मंत्रालय द्वारा धन राशि रिलीज करने के बाद मोबाईल एफ०एस०एल० स्थापित करने के लिए कदम उठाना राज्य सरकारों का काम है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों से अनुरोध करती रही है कि इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत/रिलीज की गई धनराशि के प्रयोग के लिए कार्यक्रम बनाए। इसके अलावा, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की गैर-योजना स्कीम के तहत भी राज्य सरकारों को राज्य एफ०एस०एल० के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए धन दिया जाता है। धन के प्रयोग की प्रगति का प्रबोधन भी किया जा रहा है। 7.1.2003 को नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक में राज्य एफ०एस०एल० के उन्नयन। आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा 8.2.2003 को आन्तरिक सुरक्षा पर हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस बात को दोहराया गया था।

विवरण-I

राज्यों में 415 जिलों में मोबाईल एफ०एस०एल० गठित करने के लिए XIवें वित्त आयोग द्वारा किए गए 49.80 करोड़ रु० के प्रावधान के ब्यौरे :–

क्रम सं०	राज्य	मोबाईल एफ०एस०एल०	आवंटित धन, रु० लाखों में
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	18	216
2.	अरूणाचल प्रदेश	13	156
3.	असम	25	300
4.	बिहार	57	684
5.	गोवा	2	24
6.	गुजरात	25	300
7.	हरियाणा	15	180
8.	हिमाचल प्रदेश	12	144
9.	जम्मू और कश्मीर	4	48
10.	कर्नाटक	27	324
11.	केरल	17	204
12.	मध्य प्रदेश	37	444
13.	महाराष्ट्र	21	252
14.	मणिपुर	9	108
15.	मेघालय	7	84
16.	मिजोरम	3	36
17.	नागालैंड	10	120
18.	उड़ीसा	19	228
19.	पंजाब	20	240
20.	राजस्थान	30	360
21.	सिक्किम	4	48
22.	तमिलनाडु	1	12
23.	त्रिपुरा	4	48
24.	उत्तर प्रदेश	15	180
25.	पश्चिम बंगाल	20	240
	कुल	415	4980

विवरण-II

21.4.2003 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों को रिलीज की गई राशि के ब्यौरे :–

क्रम सं०	राज्य	रु० लाखों में
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	138.31
2.	अरूणाचल प्रदेश	62.74
3.	असम	120.66
4.	बिहार	45.85
5.	छत्तीसगढ़	72.39

1	2	3
6.	गोवा	4.82
7.	गुजरात	30.17
8.	हरियाणा	72.40
9.	हिमाचल प्रदेश	16.19
10.	जम्मू और कश्मीर	19.31
11.	झारखंड	22.93
12.	कर्नाटक	130.31
13.	केरल	82.05
14.	मध्य प्रदेश	93.57
15.	महाराष्ट्र	101.35
16.	मणिपुर	10.86
17.	मेघालय	33.78
18.	मिजोरम	14.48
	नगालैंड	48.26
20.	उड़ीसा	91.70
21.	पंजाब	96.53
22.	राजस्थान	144.79
23.	सिक्किम	4.83
24.	तमिलनाडु	12.96
25.	त्रिपुरा	19.31
26.	उत्तर प्रदेश	62.74
27.	उत्तरांचल	2.41
28.	पश्चिम बंगाल	46.00
	कुल	1601.70

कुपोषित बच्चे

5560. श्री के० येरननायडू : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग आधे भारतीय बच्चे कुपोषण के शिकार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बड़े पैमाने पर खाद्य संबंधी राज सहायता से कुपोषण का शिकार होने में कमी नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा) : (क) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 (1998-99) के अनुसार, 0-3 वर्ष आयु वर्ग के 47% बच्चे कम वज़नी हैं।

(ख) और (ग) कुपोषण की समस्या बहु-आयामी है, जिसका निवारण केवल खाद्य रियायत देकर नहीं किया जा सकता। यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाला दुष्चक्र है तथा यह घरेलू स्तर पर खाद्य असुरक्षा; लोगों की अल्प क्रय शक्ति; विशेषकर महिलाओं में निरक्षता तथा अज्ञानता; खराब स्वास्थ्य; बालिकाओं के साथ भेदभाव; महिलाओं की कमजोर समाजार्थिक स्थिति; स्वास्थ्य देखभाल; सुरक्षित पेयजल तथा साफ-सफाई की कमी; जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, आदि जैसे घटकों के अन्तर-सम्बन्धित कारकों का परिणाम है।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे कार्यक्रमों में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना का पोषाहार घटक, अल्प-पोषित किशोरियों तथा गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए 51 जिलों में चलाई गई प्रायोगिक परियोजना, पोषाहार शिक्षा कार्यक्रम, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर पोषाहारीय सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आदि शामिल हैं।

इंजीनियरिंग स्नातकों को रोजगार

5561. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार कितने इंजीनियरिंग स्नातकों ने विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों में अर्हता प्राप्त की;

(ख) उनमें से कितनों को सरकारी, सार्वजनिक और गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरियां प्रदान की गई; और

(ग) सरकार द्वारा देश में बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों को नौकरियां प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) हालांकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद देश में स्थित इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों की दाखिला संख्या हेतु अनुमोदन प्रदान करती है, परंतु इन कॉलेजों में दाखिले राज्य स्तरीय समितियों के माध्यम से दिए जाते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध 1200 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अनन्तिम ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। छात्रों के ज्ञान और कौशल को परिपूर्ण बनाते हुए उनको रोजगार योग्य बनाने की दृष्टि से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित इंजीनियरी कॉलेजों द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, अल्पकालीन कार्यक्रम, सेमिनार, व्यक्तित्व विकास संबंधी परीक्षाओं आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेजों से उत्तीर्ण होने वाले छात्र भारत तथा विदेश, दोनों में, स्थित विभिन्न संगठनों तथा स्वरोजगार के क्षेत्रों में भी रोजगार प्राप्त करते हैं।

[हिन्दी]

भू-स्वामियों को मुआवजा

5562. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मालिकों को मुआवजा देने के क्या मानदंड हैं, जिनके मकानों का दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में अधिग्रहण किया गया है;

(ख) क्या अनेक संपत्ति मालिकों, जिनकी भूमि अथवा संपत्ति दिल्ली के मेट्रो रेल परियोजना हेतु अधिग्रहीत की गई थी, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिया गया है।

(ख) और (ग) ऐसे सभी भूस्वामियों/मकान मालिकों, जिनकी भूमि अथवा सम्पत्ति डी०एम०आर०सी० द्वारा अभिग्रहीत की गयी थी, को उन मामलों को छोड़कर भुगतान किया गया है, जहां मामला न्यायालय में लम्बित पड़ा हुआ है अथवा दावेदारों ने अपने दावों के समर्थन में कागजात फाइल नहीं किए हैं।

लम्बित मामलों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

दिल्ली एम०आर०टी०एस० परियोजना के बारे में मुआवजे के भुगतान के बारे में सूचना

क्र० सं०	ग्राम/स्थान	अवार्ड	अधिशेष (मुआवजे की भुगतान न की गयी राशि)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
उत्तर				
1.	सिविल स्टेशन (माल रोड़)	02/1999-2000	16433213	शेष क्षेत्रफल अर्थात् 925 वर्ग मीटर का कब्जा डीएमआरसी द्वारा नहीं लिया गया है। कुछ दावेदारों ने सम्बद्ध कागजात फाइल नहीं किए।
2.	रामबाग दिल्ली पट्टी	03/1999-2000	35953785	35506499 रु०। शेष क्षेत्रफल अर्थात 7699.42 वर्ग मीटर का कब्जा डीएमआरसी द्वारा नहीं लिया गया। 4472286 रु० कुछ दावेदारों ने सम्बद्ध कागजात फाइल नहीं किये।
3.	दिल्ली पट्टी रोशनारा रोड	04/1999-2000	शून्य	न तो कब्जा लिया गया और न ही धनराशि प्राप्त हुई।
4.	सिविल स्टेशन 15 शामनाथ मार्ग	02/डीसी/एन/2001-02	शून्य	स्वामित्वाधिकार (हक) विवादित। पूरी राशि एडीजे न्यायालय को दिनांक 5.11.2001 को भेज दी गई।

1	2	3	4	5
5.	दिल्ली पट्टी पुल बंगश	02/डीसी/एन/2001-02	3398459	अपने दावों के समर्थन में कुछ दावेदारों ने अपेक्षित कागजात फाइल नहीं किये हैं।
6.	सिविल स्टेशन (कैबलरी लेन, छात्र मार्ग)	07/डीसी/एन/2001-02	शून्य	मालिकों को 256436079 रु० का भुगतान किया गया, 167603545 रु० सूट सं० 30-31 के अंतर्गत एडीजे न्यायालय को भेज दिए गए।
7.	मेहता बिल्डिंग, ओल्ड रोहतक रोड, रामबाग, दिल्ली	12/डीसी/एन/2001-02	शून्य	स्वामित्वाधिकार विवादित। पूरी राशि सूट सं० 30-31 के अंतर्गत दिनांक 31.7.2002 को एडीजे न्यायालय भेज दी गई है।
8.	सिविल स्टेशन 30 अलीपुर रोड	09/डीसी/एन/2002-03	शून्य	मामला न्याय-निर्णयाधीन है। 23619138 रु० की राशि 30.1.2002 को उच्च न्यायालय भेज दी गई (80% राशि) 11064049 रु० की राशि 11/2002 को एडीजे न्यायालय को भेजी गई।
उत्तर-पूर्व				
9.	चंद्रावल	1/1999-2000	184855526	सम्पूर्ण धनराशि अर्थात 18485526 रु० 11/2002 को एडीजे कोर्ट में जमा किये गये।
मध्य				
··	चावड़ी बाजार	2/01-02		न्यू अमर सिनेमा की 50% भुगतान राशि मालिकों को जारी की गई। शेष भुगतान जारी नहीं किया गया क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया। अवार्ड द्वारा कवर की गई शेष भूमि के 6 भूस्वामियों की भुगतान राशि सुवितरण हेतु एडीजे कोर्ट में जमा की गई और मामला न्यायालय से अनिनिर्णित है।
11.	गली हकीम, बक्का	1/99-2000 3/2001-02		तीन भूस्वामियों का भुगतान लंबित है क्योंकि उन्होंने भुगतान के लिए आवंदन नहीं किया है।
12.	पाठक बादल बाग	1/2001-02		सात भूस्वामियों को सुवितरण हेतु 37537404 रु० की भुगतान राशि एडीजे कोर्ट में जमा है। मामला न्यायालय में लंबित है।
उत्तर-पश्चिम				
13.	पृठ खुर्द, बरवाला, पसाली, पहलादपुर बांगर			सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा क्रमश: 1043 बीघा 16 बिस्वा, 192 बीघा 7 बिस्वा, 10 बिस्वासी, 50 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वासी तथा 2 बीघा भूमि अपेक्षित है। उपरोक्त भूमि एलएसी अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित है। सीडब्ल्यूपी सं० 7860/02 तथा

1	2	3	4	5
				सीएम सं० 13403/03 में ईश्वर सिंह तथा अन्य बनाम संघ सरकार और अन्य शीर्षक से एक मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है और न्यायालय ने यथास्थिति की मंजूरी दे दी है। संदर्भाधीन मामले के अंतर्गत जैसे ही भूमि का कब्जा हो जायेगा अधियाचन विभागों को उसे सौंप दिया जायेगा, वैसे ही इच्छुक पार्टियों को मुआवजा संवितरित कर दिया जायेगा।
पश्चिम				
14.	मुंडका			1365157 रु० का मुआवजा लंबित है। भुगतान राशि प्राप्त करने के लिए 24 भूस्वामी आगे नहीं आये हैं।

[अनुवाद]

झूठे मामलों को दर्ज करना

5563. **श्री रघुनाथ झा :**
श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस अपराधियों की बजाय निर्दोष लोगों के विरूद्ध झूठे मामले दर्ज करती पाई गई है और न्यायालय अनेक बार यह बात दिल्ली पुलिस के अन्य अधिकारियों के ध्यान में लाये हैं;

(ख) यदि हां, तो आम जनता का उत्पीड़न करने के दोषी पाए गए पुलिसवालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें न्यायालयों ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को लिखा है और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे दो मामले हुए हैं जिनमें न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य गढ़े गए हैं और/अथवा पुलिस अधिकारियों ने अभियुक्त के विरूद्ध झूठा साक्ष्य दिया। जबकि, एक मामले में संलिप्त दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाई प्रारंभ की गई है, दूसरे ममले से संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से मामले में शामिल एक मात्र पुलिस अधिकारी के विरूद्ध समुचित विभागीय कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य स्रोतों से मामलों के फर्जी पंजीकरण के बारे में प्राप्त शिकायतों की भी जांच की जाती है तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध यदि कोई हो, समुचित अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की गणना

5564. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की गणना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो 1995 की गणना के आधार पर विभिन्न मंत्रालयों में केन्द्रीय सरकार के नियमित और नैमित्तिक, राजपत्रित और गैर-राजपत्रित कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की 1995 के बाद कोई गणना की गई है;

(घ) यदि हां, तो हाल की गणना के अनुसार कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो अब तक गणना नहीं कराए जाने के क्या कारण हैं?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, हां।

(ख) 31.03.1995 को मौजूद स्थिति के अनुसार, केन्द्र-सरकार के नियमित राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों का मंत्रालय-वार ब्यौरा, संलग्न विवरण में दर्शाया जा रहा है। अनियमित कामगारों से संबंधित जानकारी नहीं रखी जाती।

(ग) और (घ) वर्ष, 1995 के पश्चात्, 31.03.2001 को मौजूद स्थिति के अनुसार, कर्मचारियों से संबंधित जानकारी इकट्ठी करने की दृष्टि से कर्मचारियों की गणना से जुड़ा कार्य, जनवरी, 2002 में आरंभ किया गया है। उपर्युक्त जानकारी इकट्ठी करने का कार्य पूरा कर लिए जाने के पश्चात्, उपयुक्त जानकारी सारणीबद्ध की जाएगी और एक रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित कर दी जाएगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मार्च 31, 1995 को मौजूद स्थिति के अनुसार केन्द्र-सरकार के नियमित कर्मचारियों का मंत्रालय-वार ब्यौरा

मंत्रालय/विभाग	कर्मचारियों की संख्या		कुल नियमित
	अराजपत्रित	राजपत्रित	
1	2	3	4
1. कृषि	11498	1469	12967
2. परमाणु-ऊर्जा	21244	11336	32580
3. रसायन और उर्वरक	325	270	595
4. नागर-विमानन	15856	2148	18004
कोयला-मंत्रालय	1757	402	2159
6. वाणिज्य-मंत्रालय	3631	604	4235
7. संचार	674711	28463	703174
8. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	46906	12370	59276
9. रक्षा	488772	12077	500849
10. इलैक्ट्रॉनिकी	978	612	1590
11. पर्यावरण और वन	2108	1029	3137
12. विदेश	3932	1544	5476
13. वित्त	185501	24588	210089
14. खाद्य और नागरिक आपूर्ति	2810	1147	3957
15. खाद्य-प्रसंस्करण-उद्योग	96	49	145
16. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	23339	4432	27771
17. गृह-मंत्रालय	508162	25428	533590
18. मानव-संसाधन-विकास	10840	1686	12526
19. उद्योग	5870	1317	7187
20. सूचना और प्रसारण	43259	12293	55552
21. श्रम	8419	2421	10840
22. विधि और न्याय	2363	915	3278
23. खान	14710	3337	18047
24. गैर पारम्परिक ऊर्जा-स्रोत	224	186	410
25. महासागर-विकास	155	45	200
26. संसदीय कार्य	1218	505	1723
27. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन	526	237	763
28. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	240	74	314
29. योजना	5355	789	6144
30. विद्युत	1834	1404	3238
31. रेल	1591364	13632	1604996
32. ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार	1674	615	2289
33. विज्ञान और प्रौद्योगिकी	22273	1777	24050
34. अंतरिक्ष	7434	8207	15641
35. इस्पात	1465	444	1909
36. भूतल-परिवहन	5957	689	6646
37. वस्त्र	980	185	1165
38. पर्यटन	472	95	567
39. शहरी कार्य और रोजगार	35576	4312	39888
40. जल-संसाधन	12144	2085	14229
41. कल्याण	662	399	1061
42. विविध विभाग	25799	4040	29839
महायोग	**3792439**	**189657**	**3982096**

चमड़ा प्रौद्योगिकी

5565. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पुरानी और मृत जानवरों की निम्न स्तरीय खाल को परिवर्तित करके उच्च स्तरीय चमड़ा प्राप्त करने की एक नई तकनीक ईजाद की है;

(ख) यदि हां, तो किस चमड़ा अनुसंधान संस्थान ने प्रौद्योगिकी को विकसित किया है;

(ग) क्या सरकार ने इस पर कोई रिपोर्ट तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की घटक प्रयोगशाला, केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, चैन्ने ने जर्जर व मृत पशुओं से प्राप्त नष्ट-भ्रष्ट खालों तथा चर्म की गुणवत्ता का उन्नयन कर उन्हें उच्च गुणवत्ता वाला चमड़ा बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों तथा तकनीकों का विकास किया है। देश की अनेक चर्मशोधशालाओं में इन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सी०एस०आई०आर० की घटक प्रयोगशाला केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान ने इस विषय पर कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है।

हिरासत में हुई मौतें

5566. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बड़ी संख्या में हिरासत में हुई मौतों के मामलों को निपटा पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष लम्बित मामलों की संख्या कितनी है और गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार कितने मामलों के संबंध में निर्णय लिया गया और उनका निपटारा किया गया;

(ग) क्या विधि के अनुसार इन मामलों में से कोई मामला निर्णय हेतु न्यायालय में लम्बित है;

(घ) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद इस प्रकार के मामले न्यायालय से वापस ले लिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) वर्ष 1993 से 31.3.2003 तक राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन०एच०आर० सी०) ने हिरासत में हुई मौतों के 8596 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से, इन वर्षों के दौरान 6552 मामले निपटा दिए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार 2044 मामले लंबित थे। गत दो वर्षों के दौरान कुल 5300 मामले निपटाए गए। हिरासत में हुई मौतों के अनिर्णित मामलों, पंजीकरण की तिथि और निपटान के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इन मामलों में से किसी मामले पर न्यायालय में अलग से कार्यवाहियां चल रही हैं या बाद में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप न्यायालयों से ऐसे मामले वापिस ले लिए गए हैं।

विवरण

गत दो वर्षों के दौरान हिरासत में हुई मौतों के अनिर्णित मामलों की राज्यवार संख्या, पंजीकरण, निपटान को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	1.4.01 की स्थिति के अनुसार लंबित	1.4.2001 से 31.3.02 तक पंजीकृत	1.4.01 से 31.3.02 तक के दौरान निपटान	1.4.02 की स्थिति के अनुसार लंबित (2+3-4)	1.4.02 से 31.3.03 तक पंजीकृत	1.4.02 से 31.3.03 तक के दौरान निपटान	1.4.03 की स्थिति के अनुसार लंबित (5+6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	**449**	97	410	136	122	77	181

1	2	3	4	5	6	7	8
अरूणाचल प्रदेश	14	02	09	07	04	03	08
असम	114	30	90	54	28	31	51
बिहार	606	146	575	177	157	102	232
गोवा	12	05	17	—	01	01	—
गुजरात	178	52	131	99	51	45	105
हरियाणा	94	39	87	46	47	30	63
हिमाचल प्रदेश	05	02	03	04	02	03	03
जम्मू और कश्मीर	08	—	01	07	—	—	07
कर्नाटक	216	50	179	87	65	42	110
केरल	122	37	122	37	54	35	56
मध्य प्रदेश	221	45	204	62	37	38	61
महाराष्ट्र	549	152	512	189	143	123	209
मणिपुर	06	—	05	01	01	02	—
[illegible]	10	05	12	03	06	06	03
[illegible]	02	—	—	02	02	—	04
नागालैण्ड	06	—	05	01	—	—	01
उड़ीसा	194	56	203	47	42	49	40
पंजाब	202	77	170	109	74	51	132
राजस्थान	208	54	195	67	61	27	91
सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	221	55	176	100	68	39	129
त्रिपुरा	03	01	01	03	02	02	03
उत्तर प्रदेश	795	194	679	310	185	175	320
पश्चिम बंगाल	144	71	130	85	65	58	92
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	06	—	05	01	—	01	—
चंडीगढ़	05	01	—	06	03	03	06

1	2	3	4	5	6	7	8
दादरा और नागर हवेली	–	–	–	–	–	–	–
दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	–
दिल्ली	136	32	128	40	32	31	41
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–
पांडिचेरी	–	–	–	–	01	–	01
छत्तीसगढ़	64	32	69	27	32	33	26
झारखंड	101	59	117	43	47	41	49
उत्तरांचल	08	11	04	15	08	03	20
कुल	4699	1305	4239	1765	1340	1061	2044

सी०आई०एस०एफ० द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई औद्योगिक इकाईयां

5567. श्री ए० नरेन्द्र : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी और सरकारी क्षेत्र में और अधिक औद्योगिक इकाईयों को सी०आई०एस०एफ० द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को 10 सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) ब्यौरों को दर्शाते हुए एक विवरण उत्तर के साथ संलग्न है।

विवरण

क्र०सं०	विवरण
1	2
	झारखण्ड
1.	डी०वी०सी० का तिलैया हाईडल पावर स्टेशन/बांध, कोदरमा
	मणिपुर
2.	लोकतक परियोजना, मणिपुर
	अरूणाचल प्रदेश
3.	सियांग एच०ई० परियोजना अलांग त्वान, पश्चिम सियांग जिला
	हरियाणा
4.	पी०एक्स० – पी०टी०ए०, पानीपत का आई०ओ०सी०
	महाराष्ट्र
5 से 7	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के 3 पावर स्टेशन (चन्द्रपुर, कोराडी, पारली)
8.	मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट, मुम्बई
	त्रिपुरा
9.	पी०जी०सी०आई०एल० कुमारघाट ट्रांसमिशन लाइन, अगरतला
	उड़ीसा
10.	आई०बी० थर्मल पावर स्टेशन, झारसुगुडा
11.	सी०पी०पी० राउरकेला
	उत्तरांचल
12.	मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, उत्तरकाशी
	गुजरात
13.	कम्प्रेशर स्टेशन (जी०ए०आई०एल०), हजीरा
14.	नेशनल टेक्सटाइल निगम, अहमदाबाद की मिल यूनिटें।

1	2
15.	इफ्को कलोल
	छत्तीसगढ़
16.	बी०ई०एस०सी०एल०, भिलाई
	तमिलनाडु
17.	एन०एफ०सी०, पालैयाकामल
	जम्मू और कश्मीर
18.	पकल डल०एच०ई० परियोजना, किश्तवार
19.	पी०जी०सी०आई०एल०, किशनपुर।

[हिन्दी]

नए शहरी क्षेत्रों और राजधानियों का विकास

5568. श्री विष्णुदेव साय : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वृहद् नए शहरी क्षेत्रों और राजधानियों को विकसित करने हेतु स्वीकृति दिए जाने के संबंध में क्या प्रावधान निर्धारित किए गए हैं;

(ख) वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान इसके अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से भूमि अधिग्रहण और वृक्ष गिराने से संबंधित प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(घ) छत्तीसगढ़ की राजधानी की परियोजना के संबंध में प्रस्ताव पर उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) नए शहरी क्षेत्र और राजधानियां विकसित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार, नीति निर्माण, तकनीकी मार्गदर्शन तथा केन्द्र प्रवर्तित स्कीमों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है।

शहरी विकास योजना विनिर्माण और कार्यान्वयन (यू०डी०पी०एफ० आई०) दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ किसी कस्बे में भू-उपयोग संरचना के लिए दिशानिर्देशों का भी उल्लेख है।

मेगा शहरों में अवस्थापना विकास के लिए केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के अंतर्गत मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बंगलौर में राज्य सरकारों द्वारा नामित नोडल एजेंसियों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

छोटे तथा मझौले कस्बों के एकीकृत विकास के लिए केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार 1991 की जनगणना के अनुसार 5 लाख तक की आबादी वाले और निर्वाचित स्थानीय निकायों वाले मौजूदा कस्बों में शहरी अवस्थापना को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती है।

नया राजधानी शहर विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु छत्तीसगढ़ सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। चूंकि 9वीं योजना व 10वीं योजना में इस प्रयोजनार्थ कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए यह मंत्रालय इस प्रयोजन हेतु कोई वित्तीय सहायता मुहैया कराने की स्थिति में नहीं है।

[अनुवाद]

दक्षिणी दिल्ली में भवनों को गिराया जाना

5569. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 17.12.2002 के अतारांकित प्रश्न सं० 4411 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०एम०सी० एक्ट, 1957 की धारा 343(1) के अंतर्गत स्थानवार 828 भवन/फार्म हाऊस गिराए जाने के लिए निर्धारित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो अब तक गिराए गए भवनों/फार्म हाऊसों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) इस संबंध में दिल्ली नगर निगम की नीति का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाविद्यालयों को स्वायत्त दर्जा

5570. श्री अनन्त नायक :
श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्त दर्जा प्रदान किए गए महाविद्यालयों और संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) महाविद्यालयों और संस्थानों को स्वायत्त दर्जा दिए जाने से संबंधित लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव वर्ष 2003-2004 के दौरान कुछ और महाविद्यालयों को स्वायत्रता दिए जाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) स्वायत्त कालेज स्कीम के अंतर्गत अभी तक आठ राज्यों में स्थित 29 विश्वविद्यालयों के 133 कालेजों को स्वायत्त कालेज का दर्जा प्रदान किया गया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास 17 कालेजों के प्रस्ताव लम्बित हैं जिसका विशेषज्ञ समिति दौरा करेगी।

(ग) और (घ) स्वायत्त कालेज स्कीम एक सतत स्कीम है और समय-समय पर कालेजों को स्वायत्तता का दर्जा उनकी शैक्षिक ख्याति, संकाय, भौतिक सुविधाओं, सांस्थानिक प्रबंधन, वित्तीय संसाधनों, जिम्मेदार प्रशासनिक संरचना और संकाय की सहभागिता इत्यादि को ध्यान में रखकर दिया जाता है।

ए०आई०सी०टी०ई०

5571. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने विदेशी तकनीकी उपाधियों के संबंध में निर्णय लेने और उनके स्तर को आंकने के लिए किसी विदेशी प्रत्यापन निकाय के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ए०आई०सी०टी०ई० का विचार इस प्रकार के निकायों को देश में हमारे तकनीकी संस्थानों का उचित आकलन करने की अपनी क्षमता के उन्नयन में सहायता देने के लिए भारत में आमंत्रित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने विदेशी तकनीकी डिग्रियों के संबंध में निर्णय लेने और उनके स्तर को आंकने के लिए न तो किसी विदेशी प्रत्यायित निकाय से समझौता किया है और न ही ऐसे निकायों से कोई प्रस्ताव आमंत्रित किया है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा द्विभाषा विकल्प को समाप्त करना

5572. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी शिक्षा सत्र से द्विभाषा को समाप्त करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वरिष्ठ स्कूल परीक्षाओं में अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत और उर्दू भाषाओं को छोड़कर सभी भाषाओं के लिए कोर और वैकल्पिक भाषाओं के विकल्पों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। संशोधित नीति के अनुसार स्कूल अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत और उर्दू भाषाओं को छोड़कर ''भाषा और साहित्य'' के सिंगल मोड अन्तर्गत सभी भाषाओं की शिक्षा उपलब्ध करेंगे। वास्तव में इससे स्कूलों और विद्यार्थियों के बीच लगातार उत्पन्न हो रहा भ्रम दूर होगा। क्षेत्रीय भाषाओं के संबंध में यह प्रस्ताव अनेक राज्य बोर्डों के अनुरूप भी होगा।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए धनराशि

5573. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्षों के दौरान आज तक सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए अलग-अलग राज्यवार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान समेकित बाल विकास सेवा (सामान्य) स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त राशि का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है :–

क्र० सं०	राज्य	निर्मुक्त राशि (रु० लाखों में)		
		2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	6229.00	6580.61	8564.85
2.	अरूणाचल प्रदेश	681.00	1895.39	2522.72
3.	असम	5070.97	6188.61	7988.33
4.	बिहार	3756.00	2145.11	1937.97
5.	गोवा	284.13	339.25	430.75
6.	गुजरात	3726.01	8070.09	6905.28

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	3593.61	3660.50	4297.19
8.	हिमाचल प्रदेश	1764.28	1984.42	2133.77
9.	जम्मू व कश्मीर	2266.00	2739.18	3666.22
10.	कर्नाटक	7466.18	7660.68	10541.29
11.	केरल	3101.90	3516.30	5895.08
12.	मध्य प्रदेश	5590.00	3771.08	6040.51
13.	महाराष्ट्र	6688.62	10193.48	12199.61
14.	मणिपुर	1254.75	901.07	2360.06
15.	मेघालय	664.75	1060.15	1156.87
16.	मिजोरम	868.95	572.95	1139.16
17.	नागालैंड	1941.60	1907.00	2376.47
18.	उड़ीसा	6133.71	6881.86	8676.42
19.	पंजाब	3759.46	3730.77	3677.09
20.	राजस्थान	5954.43	5947.07	7324.27
	सिक्किम	156.01	192.35	280.97
	तमिलनाडु	10286.90	9289.80	13410.76
23.	त्रिपुरा	630.98	1481.36	1333.21
24.	उत्तर प्रदेश	11519.28	12696.42	9249.89
25.	पश्चिम बंगाल	8047.13	12650.02	16229.63
26.	छत्तीसगढ़	625.61	1800.79	2934.24
27.	झारखण्ड	865.57	1961.66	4767.38
28.	उत्तरांचल	462.78	1246.76	836.21
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			
1.	दिल्ली	808.47	796.41	986.18
2.	पांडिचेरी	154.85	154.85	237.09
3.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	107.88	154.85	164.32
4.	चण्डीगढ़	88.04	93.35	121.50
5.	दादर एवं नगर हवेली	26.83	31.85	42.00
6.	दमन एवं दीव	52.56	37.45	43.24
7.	लक्षद्वीप	25.43	31.62	30.83
	कुल	104653.79	122365.19	150497.71

II. वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आई०सी०डी०एस० परियोजनाओं (प्रशिक्षण कार्यक्रम उदिशा को छोड़कर) के अंतर्गत निर्मुक्त राज्य-वार राशि

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य	2000-01	2001-02	2002-03
1.	आंध्र प्रदेश	2000.00	5000.00	4750.00
2.	बिहार	—	1000.00	5251.00
3.	छत्तीसगढ़	—	600.00	3764.00
4.	झारखण्ड	—	400.00	1432.00
5.	मध्य प्रदेश	4712.00	6000.00	7886.00
6.	केरल	1000.00	2900.00	426.00
7.	महाराष्ट्र	700.00	—	6124.00
8.	राजस्थान	1500.00	3500.00	3355.00
9.	तमिलनाडु	1000.00	—	—
10.	उत्तर प्रदेश	3000.00	2526.00	4053.00
11.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	790.00
	कुल	13912.00	21926.00	37831.00

III. वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान उदिशा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का राज्य-वार विवरण

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	200.00	950.00	780.00

1	2	3	4	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	75.00	8.00
3.	असम	125.00	55.00	132.75
4.	बिहार	0.00		78.77
5.	छत्तीसगढ़	40.00	300.00	250.00
6.	गोवा	6.00	5.00	5.00
7.	गुजरात	100.00	100.00	150.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	45.00	60.63
9.	हरियाणा	30.00	70.00	52.22
10.	जम्मू व कश्मीर	5.00	85.00	62.53
11.	झारखण्ड	0.00	20.00	100.00
12.	कर्नाटक	150.00	50.00	158.00
13.	केरल	0.00	250.00	300.00
14.	मध्य प्रदेश	400.00	575.00	744.17
15.	महाराष्ट्र	50.00	450.00	611.93
16.	मणिपुर	33.00	60.00	
17.	मेघालय	40.00	45.00	25.00
18.	मिजोरम	20.00	45.00	10.28
19.	नागालैण्ड	50.00	50.00	40.00
20.	उड़ीसा	50.00	250.00	50.00
21.	पंजाब	0.00		100.00
22.	राजस्थान	0.00	550.00	946.27
23.	सिक्किम	0.00		
24.	तमिलनाडु	0.00		48.42
25.	त्रिपुरा	5.00	4.00	70.73
26.	उत्तर प्रदेश	300.00	750.00	356.15
27.	उत्तरांचल	20.00		110.94
28.	पश्चिम बंगाल	175.00	150.00	400.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00		
30.	चण्डीगढ़	0.00	4.00	
31.	दमन एवं दीव	0.00		
32.	दादर एवं नगर हवेली	0.00	2.00	
33.	दिल्ली	50.00	25.00	28.00
34.	लक्षद्वीप	0.51	1.50	1.00
35.	पांडिचेरी	0.00	5.00	3.96
	कुल	1849.51	5007.50	5684.75

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड की शक्तियां

5574. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी०आई०एल० की सात कोल उत्पादक सहायक कंपनियां अब से अपनी खरीद स्वयं करेगी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने सी०आई०एल० से उसके द्वारा नॉन कोर क्षेत्र उपभोक्ताओं हेतु उपयोग किए जा रहे विपणन अधिकारियों को भी वापस ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है;

(ङ) ये व्यवस्थाएं कब तक प्रभावी होने की संभावना है; और

(च) इससे कोल इंडिया लिमिटेड को किस हद तक फायदा होने की संभावना है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ग) विस्फोटकों की अधिप्राप्ति को छोड़कर, कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०) की अनुषंगी कम्पनियों को अपनी खरीद स्वयं करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई है। महानदी कोलफील्ड्स लि० (एम०सी० एल०) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (डब्ल्यू०सी०एल०) तथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (एस०ई०सी०एल०) के मामले में नॉन-कोर क्षेत्र में विपणन से संबंधित शक्तियां पूर्णत: प्रत्यायोजित कर दी गई हैं।

(ख) और (घ) उन प्रचालनात्मक दायित्वों, जिनको अनुषंगी कम्पनियां आसानी से निपटा सकती है, को अपने से हटाकर

सी०आई०एल० संवर्धित उत्पादन तथा परिवर्तन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर बेहतर योगदान प्रदान करने में समर्थ होगी। यह कदम अनुषंगियों को अधिक प्रतिस्पर्धी भी बनाएगा और इससे प्रचालनात्मक स्तर पर त्वरित निर्णय लिए जा सकेंगे।

(ङ) कोल इंडिया लि० को तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाने तथा अनुपालन की सरकार को रिपोर्ट करने के निदेश दिए गए हैं।

(च) ये उपाय कोल इंडिया लि० को मध्य तथा दीर्घावधि कार्यनीतिक आयोजना, समन्वयन तथा इसके कार्यनीतिक निर्णयों के कार्यान्वयन के सूक्ष्म प्रबोधन के संबंध में समग्र दिशा-निर्देश तथा निदेश देने की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केन्द्रित करने तथा बेहतर फोकस प्रदान करने में सहायक होंगे।

[हिन्दी]

मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा डिग्री दिया जाना

5575. **श्री रामदास आठवले :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों को नियमित विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों के समकक्ष मानने दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों को देश में स्थित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली समकक्ष डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के समतुल्य माना जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1992 में सभी विश्वविद्यालयों को इस आशय का परिपत्र जारी किया जा चुका है।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी धमकी

5576. **श्री कैलाश मेघवाल :**
श्री राम मोहन गाड्डे :
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6.4.2003 के 'द हिन्दू' में छपे 'मिलिटेन्ट्स कोल द शॉट्स हीयर' से संबंधित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी स्थानीय लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर रहे हैं कि वे अपनी समस्याओं हेतु पुलिस और सुरक्षा एजेन्सियों से सम्पर्क न करें और किसी भी विवाद के निपटान हेतु उनसे सम्पर्क करें;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की जानकारी में अब तक कितने ऐसे मामले आए हैं; और

(घ) सरकार ने आतंकवादियों के ऐसे अभियानों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी हां, श्रीमान। सरकार को समाचार की जानकारी है।

(ख) और (ग) आतंकवादियों द्वारा स्थानीय जनता को अपनी समस्याओं के हल के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेन्सियों के पास न जाने और किसी भी विवाद के हल करने के लिए आतंकवादियों के पास आने के लिए बाध्य किए जाने के बारे में कोई रिपोर्ट/सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) राज्य में बदलती हुई सुरक्षा स्थिति और उपलब्ध आसूचना जानकारी की राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों पर निरन्तर पुनरीक्षा शोधन और प्रबोधन किया जाता है ताकि उभरते हुए खतरों और आतंकवादियों से लड़ने के लिए जमीनी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर में कार्य कर रहे सुरक्षा बल और राज्य पुलिस को, राष्ट्रविरोधी तत्वों की गैर-कानूनी गति-विधियों को रोकने के लिए सुग्राही बनाया गया है।

बी०सी०सी०एल० में लम्बित भूमि विवाद

5577. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **कोयला मंत्री** बी०सी०सी०एल० में लम्बित भूमि विवाद के बारे में 17.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4194 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष 5 मिलियन टन कोयले के उत्पादन की हानि की वजह से कितनी वित्तीय क्षति हो रही है;

(ख) क्षतिपूर्ति और रोजगार की मांग पूरा करने में कितना खर्च आएगा;

(ग) कितने लोगों के रोजगार की बात शामिल है और बी०सी०सी०एल० के तत्संबंधी निर्णय में कितना अंतर है और दिनांक

1.3.2003 को भूमि विवाद के दस पहले सबसे बड़े मामलों में कितनी भूमि हानि हुई है; और

(घ) भूमि की हानि और हुई हानि के दावों को निपटाने से कितना लाभ होगा और दस बड़े विवादों में से प्रत्येक में बी०सी०सी० एल० और भूमि हानियों के बीच बन रही कुल बकाया राशि से संबंधित सभी तथ्यों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) कोल इंडिया लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रचालन कौशल के वर्तमान स्तर पर प्रति वर्ष 5 मि० टन कोयला उत्पादन की हानि के कारण लगभग 60 करोड़ रु० का वित्तीय घाटा हुआ है।

(ख) अधिकतर मामलों में भूमि का अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत किया जा रहा है। इस प्रकार के भूमि अधिग्रहण के मामलों के एवज में दिए जाने वाले रोजगार की संख्या को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि विभिन्न समूह दावे तथा प्रतिदावे कर रहे हैं। अत: इस चरण पर मुआवजे तथा रोजगार की ओर हुए कुल व्यय को परिमाणित करना सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ) 1.3.2003 की स्थिति के अनुसार, बी०सी०सी०एल० में भूमि विवाद के प्रथम 10 बड़े मामले नीचे दिए गए हैं :–

ओ०सी०पी० का नाम	मौजा	भूमि एकड़ में	आवासों की संख्या
ब्लाक II	केशर गढ़	170.00	108
ब्लाक IV	सोनार डीह	45.17	–
फुलारीटांड	मंदरा और बरवाबेरा	19.19	250
झरिया पुनर्वास	कर्मा टांड	97.52	–
-वही-	नगरी कलन	217.25	–
निचित पुर	महिली डीह	77.32	–
गंगा	बसुरिया	15.17	56
विश्वकर्मा	भुगत डीह	65.00	33
ईस्ट बसुरिया	गरेरिया	46.55	124
गोलक डिह	गोलक डीह	6.99	50
		760.16	621

दर्शाए गए आवासों की संख्या 621 है जो राज्य सरकार द्वारा उस समय भूमि सौंपे जाने के समय विद्यमान थे, पर यह संख्या अद्यतन तिथि को अधिक होगी।

उसी भूमि पर विभिन्न समूहों की रोजगार की मांग पर समय-पर पर उतार-चढ़ाव आते हैं और परिणामस्वरूप एक मामले, अर्थात विश्वकर्मा को छोड़कर कम्पनी को मानदण्डों तथा मांग के बीच के अंतर को आकलित करना सम्भव नहीं है।

1982 में बी०सी०सी०एल०, राज्य सरकार तथा भू-वंचितों के प्रतिनिधियों के बीच हुए त्रिपक्षीय करार के आधार पर, बी०सी०सी० एल० 50 रोजगार उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई जिसमें से 42 रोजगार दिए जा चुके हैं। उपर्युक्त रोजगार उपलब्ध कराने के बावजूद, बी०सी०सी०एल० द्वारा भौतिक कब्जा अभी भी प्राप्त करना बाकी है। अब विश्वकर्मा के भू-वंचितों के प्रतिनिधियों ने कुल 90 रोजगारों की मांग रखी है जिसका अंतर 40 है।

खेलकूद संबंधी कार्यकलाप

5578. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्मी, जाड़ा अथवा अन्य छुट्टियों के दौरन खेलकूद अथवा राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न परियोजनाओं में छात्र समुदाय की व्यापक क्षमता का एन०सी०सी० कैम्पों के अलावा अन्य मंचों में लाभकारी प्रयोग हेतु कोई विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) छात्र समुदाय की व्यापक क्षमता का उपयोग विभिन्न प्रकार से अर्थात राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एन०एस०एस०) में किया जा सकता है। युवा कार्यक्रम और खेलकूद मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत राष्ट्रीय सेवा स्कीम के उद्देश्य अर्थात ''सामुदायिक सेवा के माध्यम से +2 और कालेज स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास'' को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक वर्ष स्वयंसेवक आवंटित किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल स्वयसेवकों की संख्या (विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए गए) इस प्रकार हैं :–

क्र०सं०	वर्ष	स्वयंसेवकों की संख्या
1.	2000-2001	16.89 लाख
2.	2001-2002	17.56 लाख
3.	2002-2003	19.37 लाख

आवंटित किए गए स्वयंसेवकों में से आधे पूरे वर्ष के दौरान किन्तु मुख्यत: छुट्टियों के दौरान ही राष्ट्रीय सेवा स्कीम का विशेष अभियान कार्यक्रम चलाते हैं। विशेष अभियान कार्यक्रमों के अन्तर्गत अपनाए गए क्षेत्र में 10 दिन तक की अवधि का शिविर लगाया जाता है। जिसमें कुछ सामुदायिक कार्यकलापों के लिए विद्यार्थी स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर कार्य करते हैं। विगत में विशेष अभियान कार्यक्रम के शीर्षक रहे हैं : ''अकाल राहत हेतु युवा शक्ति का उपयोग'', ''वनरोपण और वृक्षरोपण में युवा शक्ति का उपयोग'', ''जन साक्षरता में युवा शक्ति का उपयोग'', ''सामाजिक समरसता के संचार के लिए युवा शक्ति का उपयोग'' और ''हरियाली के लिए युवा शक्ति का उपयोग'', ''जन संवर्धन के लिए युवा शक्ति का उपयोग'', आदि और वर्ष 2003-2004 के लिए मुख्य विषय ''स्वच्छता के लिए युवा शक्ति का उपयोग'' है। इन कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से रहने, अनुभव को परस्पर बांटने और विभिन्न समुदायों के साथ सतत संवाद कायम करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय भण्डार का कारोबार

5579. श्री रामजी मांझी : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार की बिक्री पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष कम हुई है, जबकि एन०सी०सी०एफ० का कारोबार उक्त अवधि के दौरान कई गुना बढ़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय भण्डार और एन०सी०सी०एफ० की बिक्रियों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) केन्द्रीय भण्डार की कुल बिक्री के वर्ष, 2001-2002 तक के लेखा परीक्षित आंकड़े सुलभ हैं। केन्द्रीय भण्डार और एन०सी०सी०एफ० की कुल बिक्री के वर्ष, 2001-2002 तक के तुलनात्मक आंकड़े निम्नानुसार हैं :

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय भण्डार की कुल बिक्री	एन०सी०सी०एफ० की कुल बिक्री
1999-2000	231.457	312.20
2000-2001	279.381	403.79
2001-2002	261.665	380.51

अत: केन्द्रीय भण्डार और एन०सी०सी०एफ० दोनों की ही कुल बिक्री के मामले में बढ़ोतरी/घटत का रूझान एकसा रहा है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान व्यय

5580. श्री रघुनाथ झा : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने **नौवीं** पंचवर्षीय योजना (1997-2000) के दौरान स्वीकृत परिव्यय की तुलना में कम खर्च किया है और निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनका मंत्रालय असफल रहा है जैसा कि पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति ने 2001 के अपने प्रतिवेदन संख्या 13 के पैरा 17-19 में उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन टिप्पणियों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा है और उस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (घ) पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति की टिप्पणियों के ब्यौरे इसकी वर्ष 2001 की प्रकाशित रिपोर्ट सं० 13 में पैरा 17-19 में उपलब्ध हैं। पैरा 17-19 और स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया उत्तर संलग्न विवरण में दिया गया है। व्यय में कमी के कारणों को स्थायी समिति को प्रस्तुत किए गए उत्तर में स्पष्ट किया गया है। मानीट्रिंग/मूल्यांकन में सुधार करने के लिए स्थायी समिति की टिप्पणियों को अग्रेतर कार्रवाई हेतु नोट कर लिया गया है।

विवरण

17. समिति यह नोट करती है कि नौंवीं योजना (1997-2002) के दौरान रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के लिए स्वीकृत परिव्यय 6760.00 करोड़ रु० कर दिया गया था, जिसे कम करके 4012.56 करोड़ कर दिया गया था। परन्तु इस परिव्यय का भी उपयोग किए जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि पहले चार वर्षों के दौरान वास्तविक खर्च 2739.28 करोड़ रु० हुआ। योजना के अंतिम वर्ष में 209 करोड़ रु० के संभावित खर्च को शामिल किए जाने के पश्चात् उपयोग की गई कुल राशि 2948.28 करोड़ रु० बनती है, जो कम किए गए परिव्यय से कहीं कम है। विभाग ने राशि के कम उपयोग के लिए (एक) असम गैस क्रैकर परियोजना के लिए गैस सप्लाई समझौते को अंतिम रूप दिए जाने में धीमी प्रगति; (दो) भोपाल गैस रिसाव त्रासदी में लेने वाले वास्तविक खर्च की राशि में फेर-बदल होना; (तीन) आई०पी०सी०एल० और एच०ओ०सी०एल० द्वारा संसाधनों की कमी महसूस करना यह तीन कारण बताए हैं। प्रतिकूल

बाजार परिस्थितियों के कारण गत चार वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के इन दोनों उपक्रमों द्वारा धनराशि का आंतरिक सृजन अत्यधिक दबाव में था। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1997 में जब नौवीं पंचवर्षीय योजना की संकल्पना की गई थी, तब विकास दर लगभग 7-2 प्रतिशत थी, लेकिन बाद के वर्षों में धीरे-धीरे कम होकर यह 5 प्रतिशत रह गई। साक्ष्य के दौरान, विभाग ने यह स्वीकार किया कि वास्तविक कार्य हुए बिना आई०पी०सी०एल० में विनिवेश की बात करने से योजनागत परिव्यय के उपयोग पर भी कुछ हद तक असर पड़ेगा। यद्यपि, विभाग ने यह कहा है कि वह आवधिक रूप से योजना आयोग/कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ बातचीत करता रहा है, फिर भी समिति का यह अनुमान है कि इन संगठनों में कई औपचारिक तालमेल नहीं है।

18. समिति सुनियोजित विकास के महत्व हेतु बार-बार दबाव डालती रही है। आयोजना विगत की उपलब्धियों और विफलताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तथा इसमें भविष्य के लिए संतुलित लक्ष्यों का प्रावधान किया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसी को निर्धारित उद्देश्यों/लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दूरदृष्टि और वचनबद्धता विकसित करनी चाहिए।

19. समिति को मजबूर होकर यह कहना पड़ रहा है कि विभाग नौवीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है। योजना आयोग/कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपनी निरीक्षक की भूमिका सही ढंग से नहीं निभाई है। समिति यह सिफारिश करती है कि योजना आयोग को योजनाबद्ध उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में सभी मंत्रालयों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करना चाहिए और उनके अनुभवों के आधार पर न्यूनतम मानक निर्धारित करने के लिए, जिन्हें किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक एजेंसी/मंत्रालय विभाग को अवश्य प्राप्त करना चाहिए, दिशानिर्देश तैयार करने चाहिएं, यदि कोई एजेंसी इन्हें प्राप्त करने में विफल रहती है, तो योजना आयोग को कार्य-निष्पादित करने के कारकों का मूल्यांकन करने के लिए एक अर्द्धवार्षिक बैठक करनी चाहिए। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एक प्रकोष्ठ को अनन्य रूप से विशिष्ट नियत कार्य, दायित्व सौंपा जाए और योजनाबद्ध स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु उसे जवाबदेह ठहराया जाए।

सरकार का उत्तर

समिति की यह सिफारिश सभी विभागों तथा मंत्रालयों के अधीन योजना स्कीमों से संबंधित एक आम सिफारिश है।

2. जहां तक समिति की इस टिप्पणी का संबंध है कि यह विभाग 9वीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है, यह कहा जा सकता है कि जब पंचवर्षीय योजना 1996-97 में इस विभाग द्वारा तैयार की गई थी, तब इसे 7.2% के औसत आधार पर लगातार तीन वर्ष की उच्च वृद्धि की पृष्ठ भूमि में तैयार किया गया था। तथापि, योजना अवधि के औपचारिक रूप से प्रारम्भ होने के 2 वर्ष के बाद अर्थात 1999 में योजना को अन्तिम रूप से मंजूर किया गया था, उस समय तक देश की आर्थिक वृद्धि 7.2% से घटकर 5% रह गई थी। इसलिए प्रतिकूल बाजार हालातों एवं परिवर्तित आर्थिक माहोल को मद्देनजर रखते हुए योजना को कम करना पड़ा। तदनुसार, मुख्यतया इंडियन पेट्रो केमिकल्स कार्पोरेशन लि० तथा हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि० को पेश आ रही संसाधनों की अड़चन के कारण विभाग की 9वीं योजना को मूलत: 6760 करोड़ रुपये से घटाकर 4012.56 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया था। सरकारी क्षेत्र के इन दोनों उपक्रमों का परिव्यय विभाग के लिए मंजूर किए गए योजना परिव्यय का 95% बनता है ऐसा उन पहलुओं के कारण हुआ है जिनसे न केवल रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति धीमी हो जाने से समग्र अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। इसके अलावा, किसी सामरिक ग्राहक के पक्ष में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण सहित आई०पी०सी०एल० में अपनी इक्विटी के 25% का विनिवेश करने के सरकार के निर्णय के कारण क्रियान्वयन हेतु नई स्कीमों को लम्बित रखना पड़ा, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि सरकार से प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण किसी सामरिक ग्राहक को होने की हालत के कंपनी में नई स्कीमों को कार्यान्वित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। परम्परागत तौर पर लाभ अर्जित करती आ रही कंपनी नामत: एच०ओ०सी०एल० 9वीं योजना के प्रथम वर्ष से ही न केवल एक घाटे वाली कंपनी हो गई, बल्कि इसे परिवर्तित कारोबार के माहौल के कारण नकद घाटा होना भी प्रारम्भ हो गया जिससे कंपनी को अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। विभाग की मूल योजना के योजना आकार में परिवर्तन/गैर कार्यान्वयन इन पहलुओं के कारण हुआ। जैसा कि देखा जाएगा, ये पहलू कंपनियों के प्रबंधन या रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के नियंत्रण से परे थे।

3. पैरा 1 में स्पष्ट की गई स्थिति को देखते हुए इस विभाग ने विचाराधीन सिफारिश को इस मामले में समुचित कार्रवाई करने के लिए योजना आयोग को भेजा है।

क्रोम अयस्क खानें

5581. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां वर्तमान में क्रोम अयस्क पाया जाता है;

(ख) उन राज्यों में अलग-अलग अब तक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को कितनी क्रोम अयस्क खानें पट्टे पर दी गयी हैं;

(ग) क्या उन राज्यों में क्रोमाइट खानों को बंद किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार उनके बंद होने के क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) खान मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो (आई०बी०एम०) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, जिन क्रोम अयस्क धारक राज्यों में क्रोमाइट भण्डारों की पहचान की गई है, वे हैं – आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक महाराष्ट्र मणिपुर उड़ीसा और तमिलनाडु।

(ख) निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों से खनिज रियायतें प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र निरंतर प्राप्त होते हैं तथा राज्य सरकारों द्वारा उन्हें प्रोसेस किया जाता है। वर्ष 2001-2002 के दौरान विद्यमान क्रोमाइट की सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की खानों की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है :–

राज्य	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
कर्नाटक	2	–	2
महाराष्ट्र	–	1	1
उड़ीसा	6	11	17
कुल	8	12	20

(ग) और (घ) आई०बी०एम० के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में पांच क्रोमाइट खानों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निदेश, पर्यावरण और वन मंत्रालय से मंजूरी न मिलना, आदि जैसे कारणों की वजह से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और मांग में कमी व खनिज के समाप्त हो जाने के कारण दो खानों का परित्याग कर दिया गया है। खनन पट्टा समाप्त हो जाने की वजह से महाराष्ट्र में एक खान का परित्याग कर दिया गया है।

[हिन्दी]

सामुद्रिक रहस्य

5582. **श्री विष्णुदेव साय** : क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र के रुचिकर और वैज्ञानिक रहस्यों की जानकारी को विभिन्न संबद्ध क्षेत्रों को देने के लिए विभागों द्वारा कौन सी योजनाएं चलायी जा रही है;

(ख) किन स्थानों पर चित्र और फिल्म प्रदर्शनियां लगायी गयी है;

(ग) क्या देश के अन्य शहरों में भी इसी प्रकार की प्रदर्शनी लगाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) महासागर विकास विभाग के समुद्र प्रेक्षण और सूचना सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत, संभाव्य मत्स्यन क्षेत्र से संबंधित सूचना तटीय राज्यों के चुनिंदा स्थानों में प्रसारित की जा रही है।

(ख) समुद्र प्रेक्षण और सूचना सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत रत्नागिरी, मछलीपत्तनम, काकीनाडा तथा विशाखापत्तनम में अंकीय प्रदर्शन बोर्ड स्थापित किए गए हैं। संभाव्य मत्स्यन क्षेत्र में जुड़ी सूचना को काकीनाडा, मछलीपत्तनम, विशाखापत्तनम, बेहरामपुर, कोच्चि, मंगलोर और रत्नागिरी स्थित उपग्रह श्रव्य प्रसारण के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है। इसके अलावा विभाग ने जनसाधारण और स्कूली बच्चों में समुद्री जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनियां और मेले आयोजित किए हैं और उनमें भागीदारी भी की है। गत दो वर्षों के दौरान ऐसी भागीदारी का ब्यौरा इस प्रकार है :

2001-2002

1. 18-21 जुलाई, 2001 तक "मेड इन इंडिया" शो, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका।
2. 25-29 सितम्बर 2001 तक 'भारत व्यापार प्रदर्शन', साओ पावसो, ब्राजील।
3. 10-13 अक्तूबर, 2001 तक "भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रवर्ती एक्सपो 2001" (इनमेक्स 2001) मुंबई।
4. 14-27 नवबर, 2001 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2001 (आई०आई०टी०एफ० 2001) नई दिल्ली (उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दूसरा स्थान मिला और रजत पदक प्रदान किया गया)।
5. 12-19 जनवरी 2002 तक "स्वदेशी विज्ञान मेला," कोच्चि (उत्कृष्ट प्रदर्शिनों के लिए निर्णायक मंडल द्वारा विभाग को एक विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया)।

2002-2003

1. 12 से 15 सितंबर, 2002 तक एन्वायरी इंटरनेशनल 2002, प्रगति मैदान, नई दिल्ली (विभाग के पेवेलियन को सराहना पुरस्कार मिला)।

2. 25 से 30 अक्टूबर, 2002 तक स्वेदीश मेला, के०पी०, ग्राउण्ड, इलाहाबाद (विभाग को सर्वोत्तम सहभागी पुरस्कार प्राप्त हुआ।)

3. 14 से 27 नवंबर, 2002 तक इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आई०आई०टी०एफ० 2002), नई दिल्ली।

4. 28 जनवरी से 4 फरवरी, 2003 तक स्वदेशी मेला, मुंबई।

5. 11 से 16 फरवर, 2003 तक इंडिया इंटरनेश्नल सेंटर में ''द ओशन एण्ड द वर्ल्ड'' प्रदर्शनी।

6. 17 से 21 फवरी, 2003 तक मास्को में इंडियन ट्रेड फेयर 2003

(ग) प्रदर्शनियों का आयोजन विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का हिस्सा है।

(घ) इस संबंध में प्राप्त आमंत्रण के आधार पर अथवा ऐसे कार्य की जरूरतों पर विचार करके स्थलों का चयन किया जाता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय

5583. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी संगठनों और अन्य पंजीकृत निकायों को केन्द्रीय विद्यालय चलाने हेतु अधिकार प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में केन्द्रीय विद्यालयों के माध्यम से एकसमान शिक्षा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश के सभी केन्द्रीय विद्यालयों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यचर्या के अनुरूप एक समान शिक्षा पहले से ही विद्यमान है।

[हिन्दी]

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा खानों को बंद किया जाना

5584. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० ने अंगवली और पिछरी कोयला खानें बंद कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन खानों को कब से बंद किया गया है और इनको बंद करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इन खानों को फिर से खोलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा अंगवली खान को बन्द कर दिया गया है लेकिन पिछरी खान में खनन किया जा रहा है।

(ख) अंगवली खान को 1980 से बन्द कर दिया गया है क्योंकि उच्च बाढ़ वाले स्तर के अन्तर्गत यह स्थल अलग-थलग पड़ गया है और प्रतिकूल भू-खनन स्थिति के कारण वैज्ञानिक तथा यांत्रिक खनन संभव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

दिल्ली में अतिक्रमण

5585. श्री रामदास आठवले : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने अभी तक राजधानी से अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी में विशेषकर मध्य जिला पुलिस के अंतर्गत इंद्रप्रस्थ एस्टेट जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पंत अस्पताल, मीरदर्द रोड, माता सुंदरी रोड आदि में अतिक्रमण जारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार/दिल्ली पुलिस द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) वर्तमान में सरकारी भूमि से अतिक्रमणों को हटाना भूमि का स्वामित्व

रखने वाली संबंधित एजेंसियों की जिम्मेवारी है। तथापि, दिल्ली पुलिस, भूमि का स्वामित्व रखने वाली संबंधित एजेंसियों के अनुरोध पर ऐसे अतिक्रमणों को हटाने में सहायता प्रदान करती है।

(ग) से (ङ) दिल्ली नगर निगम का फील्ड स्टाफ नियमित रूप से इन क्षेत्रों का निरीक्षण करता है और जब कभी भी ऐसे अतिक्रमण का पता चलता है तो उसे, यदि आवश्यक हो, स्थानीय पुलिस की मदद से हटाया जाता है।

[अनुवाद]

एल्यूमीनियम का उत्पादन करने वाले संयंत्रों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

5586. **श्री ए० नरेन्द्र :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एल्यूमीनियम का उत्पादन करने वाले संयंत्रों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्रों द्वारा कमाए गए लाभ/उठाए घाटे का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक संयंत्र द्वारा एल्यूमीनियम का कितना उत्पादन और निर्यात किया गया है;

(ग) इस समय देश में एल्यूमीनियम की मांग और खपत कितनी है;

(घ) देश में एल्यूमीनियम की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रमुख एल्यूमीनियम कंपनियों द्वारा कम राख की मात्रा वाले कोयले (गैर-कोकिंग कोल) के आयात के लिए कितना व्यय किया गया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) सरकार नियमित रूप से नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको) के कार्य निष्पादन की समीक्षा कर रही है। यह उपक्रम खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एल्यूमीनियम का उत्पादन करने वाला एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र की एल्यूमिनियम कम्पनियों के कार्य निष्पादन का संबंध है, सरकार द्वारा इनके कार्य-निष्पादन की समीक्षा नहीं की जाती है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक उत्पादकों द्वारा अर्जित लाभ/उठाए घाटे तथा एल्यूमीनियम के उत्पादन और निर्यात संबंधी ब्यौरा (वर्ष 2002-2003 के आंकड़े अनन्तिम हैं) निम्नानुसार है :–

कम्पनी	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03
	उत्पादन एम०टी० में			(लाभ (पी०ए०टी०) (करोड़ रु० में)			निर्यात एम०टी० में		
भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (बालको)	86532	70353	96095	-43.04* (हानि)	18.76	लागू नहीं	22.60	3028.15	शून्य
नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लि० (नालको)	230516	231674	244708	655.83	409.35	520.24	118868	106282	107302
हिंडालको इंडस्ट्रीज लि०	251492	261338	266313	678.1	686.0	लागू नहीं	47477	43639	लागू नहीं
इण्डियन एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड (इंडाल)	43924	41014	50970	116.0	117.1	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
मद्रास एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड (मालको)	28789	30282	31102	27.74	13.89	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

*अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है।

(ग) इस समय देश में एल्यूमीनियम की मांग और खपत 6 लाख टन से अधिक है।

(घ) सरकार ने एल्यूमीनियम क्षेत्र को डिरेगूलेट और विनियंत्रित कर दिया है तथा एल्यूमीनियम को ओपन जनरल लाइसेंस (ओ०जी०एल०) वर्ग के अंतर्गत रखा है। एल्यूमीनियम तथा इसके उत्पादों का स्वतंत्र रूप से व्यापार किया जा सकता है।

(ङ) खान मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मालको एकमात्र ऐसी प्रमुख एल्यूमीनियम कम्पनी है जो गैर-कोकिंग कोल का

आयात कर रही है। मालको द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान उसके द्वारा गैर-कोकिंग कोल के आयात पर किया गया व्यय निम्नानुसार है :–

वर्ष	मात्रा एम०टी० में	शुल्क समेत उतराई लागत (करोड़ रु० में)
2000-01	338265	92.45
2001-02	333630	90.07
2002-03	लागू नहीं	लागू नहीं

यूरिया का उत्पादन करने वाले संयंत्र

5587. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 01.01.2003 की स्थिति के अनुसार यूरिया का उत्पादन करने वाले कितने संयंत्र काम कर रहे हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कितने संयंत्र बंद किए गए;

(ग) क्या यह सच है कि तैलीय ईंधन आधारित नांगल उर्वरक संयंत्र प्रचालन में है जबकि तैलीय ईंधन पर आधारित और उसी प्रकार के डिजाइन वाला सिंदरी संयंत्र बंद कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) दिनांक 1.1.2003 को क्रियाशील यूरिया उत्पादक संयंत्रों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) निम्नलिखित यूरिया संयंत्र बंद कर दिये गये हैं अथवा गत दो वर्षों से इनमें प्रचालन बंद हैं :–

क्र० सं०	संयंत्र/इकाई का नाम	राज्य	प्रचालन बंद करने का वर्ष/माह
1.	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० : सिन्दरी	झारखण्ड	मार्च, 2002
2.	नेवली लिगनाईट कारपोरेशन	तमिलनाडु	जनवरी, 2002
3.	दि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लि० : कोचीन-I	केरल	मई, 2001
4.	डंकन इंडस्ट्रीज लि० : कानपुर	उत्तर प्रदेश	अप्रैल, 2002

(ग) जी, हां।

(घ) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० (एफ०सी०आई०) की सिन्दरी इकाई को बंद कर दिया गया है क्योंकि इसे प्रौद्यो-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

विवरण

(क) दिनांक 1 जनवरी, 2003 को निम्नलिखित यूरिया उत्पादक संयंत्र क्रियाशील हैं :–

क्र०सं०	संयंत्र/इकाई का नाम	राज्य
1	2	3
1.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० : नांगल-II	पंजाब
2.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० : भटिंडा	पंजाब
3.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० : पानीपत	हरियाणा
4.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० : विजयपुर	मध्य प्रदेश
5.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० : विजयपुर विस्तार	मध्य प्रदेश
6.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० : ट्राम्बे-V	महाराष्ट्र
7.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० : थाल	महाराष्ट्र
8.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० : नामरूप-III	असम
9.	मद्रास फर्टिलाइजर लि० : चेन्नई	तमिलनाडु
10.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० : कलोल	गुजरात
11.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० : फूलपुर	उत्तर प्रदेश
12.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० : फूलपुर विस्तार	उत्तर प्रदेश
13.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० : आंवला	उत्तर प्रदेश
14.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० : आंवला विस्तार	उत्तर प्रदेश
15.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि० : हजीरा	गुजरात

1	2	3
16.	मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० : मंगलौर	कर्नाटक
17.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि० : बड़ोदरा	गुजरात
18.	सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि० : तूतीकोरीन	तमिलनाडु
19.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि० : भरूच	गुजरात
20.	श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० : कोटा	राजस्थान
21.	जुआरी इंडस्ट्रीज लि० : गोवा	गोवा
22.	इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स लि० : जगदीशपुर	उत्तर प्रदेश
23.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० : काकीनाड़ा	आंध्र प्रदेश
24.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० : काकीनाड़ा विस्तार	आंध्र प्रदेश
25.	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० : गड़ेपन	राजस्थान
	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० : गड़ेपन विस्तार	राजस्थान
27.	टाटा केमिकल्स लि० : बबराला	उत्तर प्रदेश
28.	ओसवाल केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० : शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश

संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र

5588. प्रो०उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद के अंतर्गत "संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र (एस०ई०आर०सी०)" को बंद करने/के निजीकरण के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र को अपने अनुसंधान कार्य और अध्ययन के माध्यम से निजी एजेंसियों से और अधिक जुटाने का प्रयास करने के लिए निदेश दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र को परामर्श आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से कितनी आय हुई है; और

(च) वर्ष 2003-2004 के दौरान संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र को अधिक स्व-निर्भर बनाने के लिए योजना का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बच्चदा") : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सी०एस०आई०आर० ने वर्ष 2002-03 के दौरान एस०ई०आर०सी० के लिए रुपये 10.35 करोड़ आबंटित किए हैं।

(घ) से (च) एस०ई०आर०सी० को वर्ष 2003-04 के लिए अनुसंधान कार्य तथा अध्ययन करने हेतु निजी एजेंसियों से अपनी निधियां जुटाने के लिए सी०एस०आई०आर० द्वारा विशिष्ट तौर पर कोई निदेश नहीं दिए गए हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान एस०ई०आर०सी० का बाह्य नगद आगत रुपये 19.93 करोड़ था।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

5589. श्री विष्णुदेव साय : क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय सेवा-संवर्ग के अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर अपराध और भ्रष्टाचार के कितने मामले लंबित हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी राज्यवार स्थिति क्या है?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31.03.2003 को मौजूद स्थिति के अनुसार, अखिल भारतीय सेवाओं के संवर्ग के अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर अपराधों और भ्रष्टाचार के 100 मामले हैं।

(ख) इस बारे में विवरण सलंग्न है।

विवरण

मामलों की राज्य/संवर्ग-वार स्थिति

संवर्ग/राज्य	विभिन्न अवस्थाओं में चल रहे मामलों की संख्या	
	छान-बीन की अवस्था में चल रहे मामलों की संख्या	न्यायालयों में सुनवाई की अवस्था में चल रहे मामलों की संख्या
अरूणाचल, गोवा, मिजोरम और संघ-राज्य क्षेत्र	11	8
आन्ध्र प्रदेश	1	—
असम-मेघालय	—	2
बिहार/झारखंड	—	9
गुजरात	3	2
हिमाचल प्रदेश	—	2
हरियाणा	—	9
जम्मू और कश्मीर	2	—
कर्नाटक	—	2
कैरल	1	2
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	1	4
महाराष्ट्र	1	—
मणिपुरा-त्रिपुरा	1	4
नागालैण्ड	—	1
उड़ीसा	1	1
पंजाब	1	3
राजस्थान	1	—
सिक्किम	—	2
तमिलनाडु	2	7
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	3	10
पश्चिम बंगाल	1	2
कुल	30	70

[अनुवाद]

कामगारों को सुरक्षित पेयजल

5590. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० के प्रबंधन ने कुजू और हजारीबाग कोयला क्षेत्र के कामगारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना पर अभी तक हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० प्रबंधन ने अभी तक सारूबेदा फिल्टर संयंत्र पर कोई व्यय किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कामगारों को सारूबेदा फिल्टर संयंत्र से सुरक्षित पेयजल मिल रहा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां। कोल इंडिया लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार कुजू तथा हजारीबाग कोयला क्षेत्र के कामगारों को एकीकृत जल आपूर्ति योजना (आई०डब्ल्यू०एस० एस०), कुजू के माध्यम से सुवाह्य पेय जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(ख) एकीकृत जल आपूर्ति योजना (आई०डब्ल्यू०एस०एस०), कुजू, कर्मचारियों के घरेलू उपयोग के लिए तथा सी०सी०एल० के कुजू और हजारीबाग क्षेत्र के औद्योगिक उपयोग के लिए जल मुहैया कराने के लिए परिकल्पित, एक 6 एम०जी०डी० क्षमता वाली जल आपूर्ति योजना है। इस कुल क्षमता में से 4 एम०जी०डी० घरेलू उपयोग हेतु है।

(ग) अभी तक 15.92 करोड़ रुपये (लगभग) का व्यय हो चुका है।

(घ) और (ङ) आई०डब्ल्यू०एस०एस० कुजू के लिए 15.92 करोड़ रु० के कुल व्यय में से 88.00 लाख रुपए (लगभग) का व्यय सारुबेरा फिल्टर संयंत्र के लिए किया गया है।

(च) जी, हां। वर्तमान में सारुबेरा फिल्टर संयंत्र से दो कोलियरियों नामत: आरा तथा सारूबेरा को शोधित जल की आपूर्ति की जा रही है।

(छ) सारुबेरा फिल्टर संयंत्र के मामले में, आरा कोलियरी के परित्यक्त खदानों में से एक खदान से जल निकाला जा रहा है। सारूबेरा फिल्टर संयंत्र से कुजू कोलियरी तक स्वच्छ जल पाइप लाइन लगाने का कार्य पूरा हो गया है और यह प्रचालन हेतु तैयार है। यह कुजू कोलियरी को स्वच्छ पेज जल की सुविधा मुहैया कराएगी।

(ज) उपरोक्त (छ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता है।

[हिन्दी]

1993 के मुंबई बम विस्फोट

5591. **श्री रामदास आठवले : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उनके मंत्रालय को 1993 के मुंबई बम विस्फोट की जांच संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और ालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) जाच पड़ताल के आधार पर, मुम्बई पुलिस और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अभी तक 1993 के मुम्बई बम विस्फोट मामले में संलिप्त 124 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। 122 अभियुक्तों के खिलाफ पहले ही समुचित मामले, आरोप इत्यादि दायर कर दिए गए हैं और उनका विचारण अंतिम अवस्था में है।

[अनुवाद]

योजना अवधियों के अंतर्गत धनराशियों का आबंटन/उपयोग

5592. **श्री ए० नरेन्द्र : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं योजना के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आबंटित और जारी की गई धनराशियों का राज्यवार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना अवधि के दौरान राज्यों द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार, योजनावार निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त की गई उपलब्धियां क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।

अनुकंपा के आधार पर रोजगार

5593. **श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला मंत्री** 3.12.2002 के अतारांकित प्रश्न सं० 2334 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 से पूर्व के मृत्यु उपरान्त अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान करने संबंधी किसी भी मामले की स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं और संबंधित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) एन०सी०डब्ल्यू०ए० का उल्लंघन करके मनमाने ढंग से किसी वर्ष विशेष के निर्धारण (कट आफ ईयर) को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सूचित किए अनुसार 1996 से पूर्व मृत्यु का कोई मामला लंबित नहीं है। 1996 से पूर्व के शेष 45 मामले मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से निपटाये नहीं जा सके;

(i) आवेदन में दी गई सूचना में अंतर और प्रामाणिकता की पुलिस द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकी थी;

(ii) अप्रत्यक्ष आश्रित के लिए रोजगार का दावा जबकि परिवार में आश्रित मौजूद हैं;

(iii) कर्मचारी की मृत्यु की तिथि को दावाकर्ता का 15 वर्ष से कम आयु का होना।

(iv) भूतपूर्व-कर्मचारी द्वारा दिए गए सेवा उद्धरणों के अनुसार आश्रित का 35 वर्ष से अधिक आयु का होना;

(v) 15 वर्ष बीत जाने के पश्चात आवेदन प्रस्तुत करना;

(vi) विभिन्न आश्रितों द्वारा दावे तथा प्रति दावे और कुछ मामलों का न्याय-निर्णयाधीन होना;

(vii) दूसरी तथा तीसरी पत्नियों, दत्तक पुत्रों तथा दत्तक पुत्रियों के मामलों का कानूनी रूप से वैध न पाया जाना।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड ने मामलों को निपटाने के लिए 1996 को कट-ऑफ वर्ष के रूप में निर्धारित नहीं किया है।

ग्रामीण विकास सम्बन्धी संयुक्त उद्यम

5594. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस में ग्रामीण विकास हेतु संयुक्त उद्यम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या फ्रांस के प्रधान मंत्री के साथ आए 170 सदस्यीय शिष्टमंडल ने अपनी भारत यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरे क्या है; और

(घ) ग्रामीण विकास के विषय में संबंधों का विकास करने के लिए दोनों देश किस सीमा तक सहमत हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) जी, नहीं। भारत और फ्रांस ने ग्रामीण विकास हेतु संयुक्त उद्यम संबंधी किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सीमा पर खर्च की गयी धनराशि

5595. श्री राजो सिंह : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बड़ी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश की विभिन्न सीमाओं पर कितने सैनिक तैनात किये गये हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सीमाओं की रक्षा करने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा सीमाओं की रक्षा करने के लिए बढ़ते हुए व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) रक्षा सेवाएं तथा सीमा चौकसी बल देश की थल, वायु तथा तटीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं।

इन बलों पर होने वाला प्रति वर्ष व्यय बजट में शामिल किया जाता है तथा संसद से मंजूर करवाया जाता है। व्यय को इष्टतम स्तर पर रखने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

सरकार देश की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है तथा इसके लिए अपेक्षित राशि बलों को उपलब्ध कराई जाती है।

तैनाती आदि के ब्योरे प्रकट करना जनहित में नहीं है।

[अनुवाद]

कॉरपोरेट जासूसी और जालसाजी के मामलों से निपटना

5596. डा० चरण दास महंत :
श्री कमल नाथ :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय कम्पनियां जालसाजी और कॉरपोरेट जासूसी के मामलों से निपटने हेतु समुचित रूप से तैयार नहीं है जैसा कि 20 मार्च, 2003 के स्टेट्समैन में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जालसाजी के ऐसे मामलों से निपटने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है; और

(ग) इस संबंध में भारतीय कम्पनियों को प्रशिक्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) भारतीय कम्पनियां, अपने कर्मचारियों द्वारा संगठन के भीतर, धोखा-धड़ी के मामलों से निपटन के लिए समुचित रूप से या अन्यथा तैयार न होने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है, क्योंकि उन्हें इस प्रकार की धोखाधड़ी और कारपोरेट जासूसी को रोकने के लिए स्वयं ही आन्तरिक प्रणालियां और तरीक निकालने होते हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिए न तो कोई कदम उठाए हैं और न ही इस संबंध में भारतीय कम्पनियों को शिक्षित करने के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया है।

ज्योतिष और वास्तुकला शास्त्र संबंधी पाठ्यक्रम

5597. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज्योतिष और वास्तुकला शास्त्र संबंधी पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयों, संबद्ध और घटक महाविद्यालयों के क्या नाम हैं;

(ख) क्या किसी भी विश्वविद्यालय में ज्योतिष और वास्तु कला शास्त्र में एम०फिल०, पी०एच०डी० और डी०एच०सी०/डी०.लिट् पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे विश्वविद्यालय कौन से हैं और इस संबंध में उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इन विषयों के लिए संकाय सदस्यों के चयन की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालयों, संबद्ध एवं संघटक एवं संघटक कालेजों द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों के संबंध में आंकड़ा एकत्र किया जा रहा है तथा सभा पटल पर रख दिया जाएगा। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वैदिक ज्योतिष विज्ञान पर पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए 2001-2002 में 16 विश्वविद्यालयों का चयन किया है। इन विश्वविद्यालयों की सूची विवरण के रूप में दी गई है।

– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों एवं कालेजों ओं, रीडरों एवं प्रोफेसरों की नियुक्ति एवं कैरियर में उन्नति से संबंधित न्यूनतम अर्हता के संबंध में विनियम अधिसूचित किया है।

(ङ) वैदिक ज्योतिष विज्ञान आरम्भ करने के लिए 2001-2002 के दौरान 16 विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 15 लाख रु० का अनुदान जारी किया है।

विवरण

2001-02 से वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चुने गए विश्वविद्यालयों की सूची

1. बी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
2. बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा
3. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
4. जम्मू विश्वविद्यालय
5. जीवाजी विश्वविद्यालय
6. लखनऊ विश्वविद्यालय
7. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय
8. मैसूर विश्वविद्यालय
9. पंजाब विश्वविद्यालय
10. रांची विश्वविद्यालय
11. राजस्थान विश्वविद्यालय
12. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
13. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट
14. श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी
15. शानमुघा कला, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं शोध अकादमी
16. विक्रम विश्वविद्यालय

आयुध अधिनियम का उल्लंघन

5598. श्री विनय कुमार सोराके : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अखिल भारतीय पुलिस लीग ने देश में अपने कार्यकर्त्ताओं को पंचशूल का वितरण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पंचातन पाक कहा जाने वाला यह हथियार हिन्दुत्व संगठनों के त्रिशूल के समान दिखता है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि पंचातन पाक के फलकों को जानबूझकर आयुध अधिनियम के उल्लंघन से बचने के लिए 9 इंच से छोटा रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो कट्टरवादियों द्वारा उक्त सशस्त्र धार्मिक गतिविधियों को रोकने के लिए केन्द्र/राज्यों द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 13.3.2003 को मुम्बई में एक प्रैस कांफ्रेस का आयोजन किया जहां पंचशूल वितरण संबंधी विचार रखा गया था। तथापि, ये पंचशूल, अभी तक बनाए या वितरित नहीं किए गए हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते हैं।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री अनंत कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* सं० एल०टी० 7566/2003]

(2) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 12 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 21 [का०आ० (अ)] जो 17 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट मेट्रो सरेखण में परिवर्तन करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिए* सं० एल०टी० 7566-ए/2003]

[हिन्दी]

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* सं० एल०टी० 7567/2003]

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नालॉजी, राँची के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नालॉजी, राँची के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिए* सं० एल०टी० 7568/2003]

(3) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, राउरकेला के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, राउरकेला के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* सं० एल०टी० 7569/2003]

(5) (एक) टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिए* सं० एल०टी० 7570/2003]

(7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ, टेक्नालॉजी, वारंगल के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ, टेक्नालॉजी, वारंगल के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[डा० वल्लभ भाई कथीरिया]

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल०टी० 7571/2003]

(9) (एक) कालीकट रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, कालीकट के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कालीकट रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, कालीकट के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल०टी० 7572/2003]

(11) (एक) टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भोपाल के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भोपाल के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल०टी० 7573/2003]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुख देव सिंह ढिंडसा) : श्री छत्रपाल सिंह की ओर से मैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं० एल०टी० 7574/2003]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-II, उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश सर्वशिक्षा परियोजना बोर्ड), लखनऊ के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-II, उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश सर्वशिक्षा परियोजना बोर्ड), लखनऊ के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल०टी० 7575/2003]

(3) (एक) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III, उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश सर्वशिक्षा परियोजना बोर्ड), लखनऊ के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III, उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश सर्वशिक्षा परियोजना बोर्ड), लखनऊ के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल०टी० 7576/2003]

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2003 जो 8 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 54 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* सं० एल०टी० 7577/2003]

(2) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 60 के अंतर्गत उक्त अधिनियम में जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 404(अ) जो 4 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन तीन सदस्यीय समीक्षा समिति के गठन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* सं० एल०टी० 7578/2003]

(3) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल (डेंटल सर्जन कैडर) भर्ती नियम, 2002 जो 19 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसचूना संख्या सा०का०नि० 422(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* सं० एल०टी० 7579/2003]

अपराह्न 12.02 बजे

[हिन्दी]

प्राक्कलन समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग – बैंकिंग प्रभाग) – 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' के बारे में, प्राक्कलन समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, हम मद संख्या 9 ध्यानाकर्षण को लेंगे।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके स्थगन प्रस्ताव की सूचना नामंजूर कर दी गई है। आप इसे 'शून्य काल' में उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, कृपया मुझे इसे उठाने की अनुमति दी जाये। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाएं अस्वीकृत कर दी गई हैं। आप इसे 'शून्य काल' में उठा सकते हैं जो ध्यानाकर्षण के बाद शुरू होगा। अब श्री मोहन एस० देलकर बोलेंगे।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में नागरिकों को, जो उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अधिशासित होते हैं, संविधान में निहित मूल लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किए जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री मोहन एस० देलकर (दादरा और नागर हवेली) : महोदय, मैं, तत्काल जन महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर उप-प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दे :

> ''दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में नागरिकों को, जो उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अधिशासित होते हैं, संविधान में निहित मूल लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किये जाने से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाये जाने वाले कदम।''

उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : महोदय, संघ शासित क्षेत्र दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली को संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा शासित किया जाता है। सरकार ने, विकास योजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया तथा इस संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनेक ठोस उपाय किए हैं।

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसरण में पंचायती राज संस्थानों की द्विस्तरीय प्रणाली, जिसमें ग्राम पंचायत और जिला पंचायत होती हैं, दोनों ही संघ शासित क्षेत्रों, दमण और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली में स्थापित की गई है। दमण और दीव में एक जिला पंचायत और 10 ग्राम पंचायते हैं। दादरा और नागर हवेली में एक जिला पंचायत तथा 11 ग्राम पंचायतें हैं। इन पंचायतों के सदस्य सीधे चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। उन्हें आवश्यक शक्तियां और प्राधिकार दिए गए हैं ताकि वे स्थानीय स्वशासन के प्रभावी संस्थान के रूप में कार्य कर सकें। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषय पंचायतों को हस्तांतरित किये जाने हैं ताकि वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार तथा कार्यान्वित कर सके। दमण और दीव संघ शासित क्षेत्र ने अभी तक कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, पशु पालन तथा पशु चिकित्सा सेवाएं, पर्यटन, शिक्षा तथा लोक निर्माण कार्य आदि से संबंधित 20 योजनाएं हस्तांतरित की हैं। इसी प्रकार, दादरा और नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र ने सामुदायिक विकास, पशुपालन और पशुचिकित्सा, शिक्षा, विद्युत, लोक निर्माण कार्य इत्यादि से सम्बन्धित 18 योजनाएं हस्तांतरित की हैं। पंचायती राज संस्थानों के प्रभावी कार्यकरण के लिए उन्हें समुचित निधियां और पदाधिकारी भी उपलब्ध कराए गये हैं।

दमण और दीव नगर पालिका (संशोधन) विनियम, 1994 के द्वारा दमण और दीव के दो जिलों, प्रत्येक के लिए एक नगरपालिका स्थापित की गई है। नगरपालिका के सदस्य सीधे चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। नगरपालिकाओं को शक्तियां और प्राधिकार दिए गए हैं ताकि वे स्व:शासन के संस्थान के रूप में कार्य कर सकें। सिलवासा के लिए एक नगरपालिका स्थापित करने संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्र सरकार और दोनों संघ शासित क्षेत्रों के जन प्रतिनिधियों के बीच परस्पर सीधी बातचीत के उद्देश्य से प्रशासनिक और विकासात्मक मुद्दों पर केन्द्रीय गृह मंत्री को सलाह देने हेतु दोनों संघ शासित क्षेत्रों, प्रत्येक के लिए एक-एक, गृह मंत्री को सलाहकार समिति गठित की गई है। गृह मंत्री की सलाहकार समिति में, अन्य के साथ-साथ, संघ शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला लोक सभा का सदस्य, जिला पंचायतों से पांच सदस्य, जिला पंचायतों के सदस्यों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से एक सदस्य, यदि जिला पंचायत के पांच सदस्यों में से कोई भी महिला सदस्य नहीं हो तो एक महिला सदस्य, इनके सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त, दमण और दीव की गृह मंत्री की सलाहकार समिति में, दमण और दीव की नगरपालिका परिषदों के अध्यक्ष भी इसके सदस्य होते हैं।

जिन तथ्यों का मैंने उल्लेख किया है, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने उनके शासन में लोगों की अपेक्षित भागीदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए निचले स्तरों पर दोनों संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन के कार्यकरण के लोकतन्त्रीकरण हेतु ठोस उपाय किए हैं। दोनों संघ शासित क्षेत्रों का मौजूद प्रशासनिक ढांचा संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री मोहन एस० देलकर : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने की अनुमति दी है। मैंने यह सारा स्टेटमेंट पढ़ा है।

संविधान में संशोधन होने के बाद आज दस साल हुए हैं। 29 विभाग, विषय जिला पंचायतों को देने थे। वहां लेजिस्लेचर नहीं है, असैम्बली नहीं है। इसलिए गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया था कि ज्यादा पॉवर्स हम यूनियन् टैरीटरीज को देंगे। 29 विभाग तो वैसे ही देने थे, जैसे संविधान में प्रावधान हैं। 29 में से सिर्फ चार विभाग दस साल में दिये गये हैं और वे भी चार विभाग आज कागज पर हैं। उसमें कोई अधिकार जिला पंचायतों को नहीं दिया गया। यहां तक कि गृह मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किये। 8 मुद्दे उन्होंने जारी किए, डाइरेक्टिव्य जारी किये के ये-ये एडमिनिस्ट्रेशन को करना है। उसको भी डेढ़-दो साल हो गये हैं। अभी तक उसका भी अमलीकरण नहीं हुआ है। आज हालात ऐसे हो गये हैं, मैंने सिर्फ यह कहा है कि संविधान का आर्टिकल 14 का वॉयलेशन हुआ है। हमारे यहां लोकतंत्र है। यह प्रजातंत्र है। सारे लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में फैसले करने का अधिकार है। आज यूनियन टैरीटरीज में क्या है? कुछ भी नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 14 के तहत सारे नागरिकों को यह अधिकार है तो क्यों यूनियन टैरीटरीज में नहीं है? यह मैंने प्रश्न उठाया है। यह हमारे मूलभूत अधिकारों का सवाल है और आज हालत क्या है कि हमें अधिकार न मिलने से हालात क्या है कि स्वास्थ्य विभाग खत्म हो गया। एक रिसर्च स्टेशन बन गया। चीफ मैडिकल ऑफिसर ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जिसको मैडिकल एक्टिविटीज से कोई मतलब नहीं है। वे योग्य नहीं है। ऐसे व्यक्ति को चीफ मैडिकल ऑफिसर बनाया गया है। हॉस्पिटल का एक रिसर्च स्टेशन बना दिया गया।

आज शिक्षा विभाग की हालत क्या है? पूरे देश में सबसे कम लिटरेसी हमारे यहां है। भारत सरकार की सर्व शिक्षा अभियान योजना है, उसके अंतर्गत सभी राज्यों ने रिपोर्ट दे दी है और काम शुरू हो गया है, लेकिन हमारे यहां शिक्षा की यह हालत है कि अभी तक रिपोर्ट ही नहीं दी गई है। इसी तरह से भारत सरकार की

पी०एम०जी०एस० योजना है। उसका फंड डी०आर०डी०ए० से विदड्रा कर दिया गया और दूसरी जगह यूज किया गया, जबकि यह गाइडलाइंस के खिलाफ है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा कोई रोल नहीं है, हमसे कंसल्ट तो क्या, पूछा तक नहीं जाता, कोई चर्चा नहीं होती, कोई मीटिंग नहीं होती। इसलिए कौन इस बात की जानकारी लेगा कि क्या हो रहा है। प्रशासक का क्या रोल है, यह मैं बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

एक प्रशासक मुख्य मंत्री से बड़ा है। वह मुख्य मंत्री और राज्यपाल दोनों है।

[हिन्दी]

ऐसा कहीं भी नहीं होता। हम तो तब पता चलता है जब अखबारों में इस बारे में आता है या लोगों से हम सुनते हैं कि ये-ये रूल्स बना दिए गए हैं। आज वहां के प्रशासक के पास सारी पावर्स हैं। पालिसी डिसीजन लेने की पावर भी उसके पास है, रूल्स बनाने की पावर भी उसके पास है, बजट इम्प्लीमेंट की पावर भी उसके पास है, लेकिन कोई चर्चा नहीं होती। चुने हुए प्रतिनिधि वहां बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे नहीं पूछा जाता। हम यहां गृह मंत्रालय में आकर कहते हैं कि यहां से डायरेक्टिव इश्यू हुए हैं, उनका क्या हुआ। मैं उप प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शुरूआत की कि यूनियन टैरिटरीज में यह सुविधा हो। आपने डेढ़ साल पहले इस बारे में डायरेक्टिव इश्यू किए थे।

अध्यक्ष महोदय : आपको केवल-दो-तीन मिनट का समय मिला है इसलिए कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन एस० देलकर : गृह मंत्रालय से 12 तारीख को डायरेक्टिव इश्यू हुए थे। आपने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत कैसे काम करेगी, कैसी-कैसी सुविधा होगी। आज तक उस डायरेक्टिव का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जहां तक सर्विस रूल बनाने की बात है, यहां से कहा गया कि पंचायत का प्रशासन कैसा हो, उसके लिए सर्विस रूल कैसे बनाने हैं, यह डायरेक्टिव इश्यू किया गया। होम मिनिस्ट्री ने बताया कि ऐसे-ऐसे रूल्स बनाने हैं। डिस्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए, जनरल बॉडी की मीटिंग में पास किए गए। प्रशासक को उसको पास करने की पावर है, नोटिफाई करने की पावर है। लेनिक डेढ़ साल से उसके पास रूल्स पड़े हैं, उसको नोटिफाई नहीं किया गया। खुद कहते हैं कि आप पास करो, हम नोटिफाई करेंगे। लेकिन डेढ़ साल से नोटिफाई नहीं किए गए। उन्होंने खुद रूल्स बना लिए। डिस्ट्रिक्ट पंचायत ने खुद को अथोरिटी बना दिया, प्रशासक को बना दिया, डवलपमेंट कमिशनर को अथोरिटी बना दिया और प्रेजीडेंट तथा वाइस प्रेजीडेंट को बना दिया। लेकिन जो चुने हुए लोग हैं, उनको सर्विस रूल में कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन एस० देलकर : यह मामला लाखों लोगों का है। बहुत महत्वपूर्ण मामला है इसलिए कृपया मेरी बात सुनी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन देलकर, नियम भाषण की अनुमति नहीं देता है। मैं, वह विशेष नियम जिसके अन्तर्गत आपने यह ध्यान आकर्षित किया है, आपकी जानकारी हेतु पढ़ना चाहूंगा। नियम में यह स्पष्ट कहा गया है :

> ''ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाये, कोई वाद-विवाद नहीं होगा, परन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य-सूची में मद खिाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न पूछ सकेगा और ऐसे सभी प्रश्नों के अंत में मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिया जायेगा ..''

इसीलिये, आपको प्रश्न पूछना है। यह नियम है।

[हिन्दी]

श्री मोहन एस० देलकर : मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्री में वहां के 35,000 किसान शेयर होल्डर्स हैं। तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री श्री वैंकेया नायडू, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह तथा तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री विद्या सागर राव वहां आए थे। उन्होंने शूगर फैक्ट्री की नींव डाली थी। प्रोजेक्ट को भारत सरकार से क्लियरेंस मिल गई थी। उन्होंने कहा था कि हम शुरूआत कर रहे हैं। लेनिक दो साल हो गए, अनुमति मिल गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं हुआ। आडवाणी जी वहां सिलवासा में आए थे। वहां पीने के पानी के एक प्रोजेक्ट की शुरूआत करनी थी। उस प्रोजेक्ट से आसपास के 15-20 गांव उससे कवर हो रहे थे। माननीय आडवाणी जी वहां आये थे। उन्हीं के हाथों से स्विच ऑन करवा दिया गया और कहा गया कि आज से यह सारा पानी 10-12 गांवों को मिलेगा। उस दिन तो स्विच ऑन करवा दिया, लेकिन सर, 10 महीने के बाद लोगों को पानी मिला। यह हालत आज नगर हवेली और दमन-दीव की है और बाकी की यूनियन टैरेटरीज की भी है। इसलिए हमने नोटिस भेजा है और सर, हम न्याय चाहते हैं। जब सारे देश के लोगों को यह अधिकार मिल रहा है तो दादरा और नागर हवेली को क्यों नहीं मिल रहा है? वहां एक बॉडी बनाई गयी, वहां चीफ कौंसलर गृह मंत्रालय से बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत को ज्यादा पावर देने की बात कही गयी। लेकिन आज दादरा और नागर हवेली को कोई पूछने वाला नहीं है।

[श्री मोहन एस० देलकर]

[अनुवाद]

जनरल मुर्शरफ और मेरे प्रशासक के बीच क्या अन्तर है? कोई अन्तर तो नहीं है। वह एक तानाशाह है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन एस० देलकर, कृपया समाप्त कीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन एस० देलकर : डेढ़ साल से गृह मंत्रालय का डायरेक्टिव्ज इम्प्लीमेंट न करे, किसी के साथ बात न करें। हमें दूसरे दिन सुबह पता चलता है कि वहां पर ये काम हो रहे हैं।

सर, मैं तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। भातर सरकार ने संविधान में संशोधन करके चीफ कौंसलर की पोस्ट क्रिएट की। यह इस हेतु से बनाई गयी कि वहां पर असेम्बली नहीं है इसलिए ज्यादा एग्जीक्युटिव पावर हम चीफ कौंसलर को देंगे। क्या माननीय उप प्रधान मंत्री जी यह बताएंगे कि क्या उस चीफ कौंसलर को एडमिनिस्ट्रेशन का हैड बनाया जाएगा।

[अनुवाद]

वह संघ राज्य क्षेत्र के शीर्ष निर्वाचित निकाय के केवल प्रमुख है और वही अध्यक्ष है। वह निर्वाचित सदस्य है।

चुनकर वहां बैठाया है। क्या उनको एडमिनिस्ट्रेशन का हैड बनाया जाएगा? क्या चीफ कौंसलर के नीचे एडमिनिस्ट्रेटर काम करेंगे, क्या आप ऐसा प्रावधान वहां पर करेंगे? जो 29 डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रिक्ट पंचायत को देने थे। उसमें से अब तक केवल चार सबजैक्ट्स दिये हैं। आपके अधिकारी गलत बात कर रहे हैं। वहां से जो स्टेटमेंट आया है, आपके अफसर लिखकर लाए हैं, मुझे पता है। मैं आज चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर मेरी एक भी बात गलत हो तो मैं इस पार्लियामेंट से रिजाइन करके चला जाऊंगा। प्रैसीडेंट को ऑफिसर बोलता है कि कौन प्रैसीडेंट है, आप बाहर हो जाइये।

[अनुवाद]

मैं पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूं।

[हिन्दी]

प्रैसीडेंट को हटाने की बात करते हैं, हर रोज चिट्ठी लिखते हैं, यह हालत वहां की है। केवल चार सबजैक्ट्स डिस्ट्रिक्ट पंचायत को दिया गया है। बाकी के 25 डिपार्टमेंट्स आप कब तक देने वाले हैं? संविधान में तो आप कहते हैं कि हम पूरा अधिकार दे देंगे, आप काम करोगे, आप फैसला करोगे, आप निर्णय करोगे। आप मुझे बताएं कि बाकी के 25 डिपार्टमेंट्स, आप कब देंगे?

आखिर में, माननीय उप-प्रधान मंत्री जी मुझे बताएं कि होम मिनिस्टरी से 12 तारीख को जो डायरेक्टिव्ज इश्यू किए गये थे उन्हें डेढ़ साल हो गया है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगा? मुझे इन चार सवालों का रिप्लाई चाहिए। जिस अधिकारी ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री एस० बंगरप्पा (शिमोगा) : यह मामला संघ राज्य क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति से संबंधित है। इसलिये, इस पर सभा में विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। इसलिये माननीय अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस विषय पर चर्चा होने दें। *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत चर्चा कराये जाने की अनुमति दें *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यह पहली बार हुआ है। जहां पर लैजिस्लेटिव असेम्बलीज नहीं है, वहां का मसला कभी भी डिस्कस नहीं हुआ है और यह सभी पर अप्लाई करता है। वहां पर टोटल मनमर्जी चलती है। कोई सरकार की बात नहीं सुनता और न ही वहां लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाता है और ये जिस सबजैक्ट का जिक्र कर रहे हैं, वह कहीं पर भी बार-बार कहने के बाद भी ट्रांसफर नही हुआ है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष जी, श्री पवन बंसल जी कह रहे हैं, वह बिल्कुल ठीक बात है। यूनियन टैरेटरीज पर यहां कभी भी डिस्कशन नहीं हुआ है। यह बहुत गंभीर मामला है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० बंगरप्पा : महोदय, यह संवैधानिक प्रावधान से संबंधित मामला है। इस पर सभा में कभी भी चर्चा नहीं हुई। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगारप्पा, कृपया चर्चा जारी रहने दें।

(व्यवधान)

श्री एस० बंगरप्पा : महोदय, क्या माननीय उप-प्रधानमंत्री चर्चा के लिये सहमत होंगे?

(व्यवधान)

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय सबसे बड़ा हथियार *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर यहां दिये जाते हैं। लेकिन मुझे संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा कराने पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि श्री पवन कुमार बंसल चण्डीगढ़ के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। इसमें मुझे कोई ढिचकिचाहट नहीं है, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। आज हुआ यह है कि उठाये गये इस प्रश्न विशेष का अकसर मूल प्रयोजन यह होता है कि कई संघ राज्य क्षेत्रों में पहले से ही विधान सभाएं हैं जबकि कई संघ राज्य क्षेत्रों में विधान सभायें नहीं हैं, इस तरह का प्रश्न उठाया जाता है।

जैसा कि मैंने उल्लेख किया है आज पंचायतें गठित की गई हैं, उनमें निर्वाचित प्रतिनिधि उन संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के विकास में भाग लेते हैं। *(व्यवधान)*

श्री मोहन एस० देलकर : नहीं महोदय, कोई शक्ति नहीं दी गई है। *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे अध्यक्षपीठ से निदेश प्राप्त हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं माननीय उपप्रधानमंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि संविधान के अंतर्गत कार्य पंचायतों को अन्तरित नहीं किए गये हैं। *(व्यवधान)*

श्री एस० बंगरप्पा : महोदय, इस पर एक चर्चा होनी चाहिए।

श्री मोहन एस० देलकर : महोदय, वहां समिति है, निर्वाचित सदस्य है और निकाय है परन्तु शक्तियां नहीं दी गयी है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यहां पर प्रश्नोत्तर नहीं हो रहा है। वाद-विवाद हो रहा है। श्री देलकर आपने अपनी बात कह दी है। आपने इन मुद्दों पर बहुत कुछ कह दिया है। कृपया अब श्री थामस को बोलने दें उन्होंने भी नोटिस दिया है।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, किसी भारतीय का सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार है और दुर्भाग्यवश, जैसा कि उपप्रधानमंत्री ने कहा है जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधान सभा नहीं है वहां के हमारे भाई अपनी पसन्द की विधान सभा और अपनी पसन्द की सरकार चुनने के लिये मताधिकार से वंचित रह जाते हैं। उन्हें योजना बनाने, कानून बनाने या विनियम में कोई भागीदारी नहीं मिलती है।

आज, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के गृहीत होने के बाद मैंने दमन और दीव के जिला पंचायत के अध्यक्ष जो एक महिला है, से बात की उन्होंने मुझे बताया कि दमन से दीव की दूरी 800 किलोमीटर है और पंचायत की बैठक में भाग लेने के लिये जिला पंचायत के सदस्यों को यात्रा भत्ता भी नहीं दिया जाता है। दो तीन वर्षोड से यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता है। वे उन्हें यात्रा भत्ता नहीं दे रहे हैं। वह यह भी बता रही थी कि बैठकें बारी-बारी से दमन और दीव में होती हैं। दमन में दो बैठकें करने के बाद एक बैठक दीव में होगी। अब ये सदस्य वहां कैसे जायेंगे और बैठक में भाग कैसे लेंगे? पंचायत को यह महत्व दिया गया है।

वहां का प्रशासक एक नौकरशाह है। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। किसी का नाम लेना आपत्तिजनक नहीं है। किन्तु कोई भी नौकरशाह जब सत्ता में आयेगा, जैसा कि माननीय सदस्य, श्री मोहन देलकर ने पहले ही कहा है, उसके पास राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा नौकरशाही आदि की शक्ति एक ही व्यक्ति के पास आ जाती है। किसी ऐसे प्रशासक पर आपत्ति नहीं की जा सकती है और वह जनता के प्रति, पंचायत अध्यक्ष या वह जिला पंचायत वह अध्यक्ष या नगर पालिका के प्रति सीधे जबावदेह नहीं होता। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय उप-प्रधान मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं और भाषण मत दें।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, यह स्थिति है। इसलिये, मैं यह भी कहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 239 में यह परिकल्पना की गई है कि "संसद द्वारा बनाये गये कानून द्वारा अन्यथा प्रदत्त के रूप में सुरक्षित, माननीय राष्ट्रपति एक प्रशासक को नियुक्त कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुकदेव पासवान यहां नहीं है। मंत्री महोदय उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री पी०सी० थामस : इसलिये, संसद द्वारा बनाये जाने वाले कानून को प्रथम वरीयता दी गई है और यदि यह नहीं है, तो अवश्य ही प्रशासक शासन कर सकता है।

इसलिये, माननीय उप प्रधानमंत्री से मेरा यह प्रश्न है : क्या सरकार इन दो संघ राज्य क्षेत्रों और लक्षद्वीप के लिये भी, जहां से हमारे उपाध्यक्ष आ रहे हैं, के लिये विधानमण्डल और अन्य संघ शासित

[श्री पी०सी० थामस]

क्षेत्रों पर भी जिनके पास विधानमण्डल नहीं है, सोचेगी और क्या सरकार किसी तरह के विधानमंडल पर विचार करेगी ताकि यहां पर निर्वाचित निकाय बन सके।

मेरा दूसरा प्रश्न जिला पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं से संबंधित है, जिनका पहले ही गठन कर दिया गया है और जिन्हें पहले ही लगभग 18 से 20 अधिकार (शक्तियां) दे दी गई है। क्या सरकार 29 विभागों अथवा योजनाओं को सभी अधिकार देने और योजनाओं आदि को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिये पूरा अधिकार भी देने और संबंधित जिला पंचायतों और नगरपालिका अध्यक्षों को अधिकार देने के संबंध में विचार करेगी?

अब, मैं अपने आखिरी प्रश्न पर आता हूं। ये बहुत ही मनोरम स्थान है। मैं आश्वस्त हूं कि हम सभी को दमन जाना चाहिये। मेरे पास एक बार सिलवस्सा जाने का भी अवसर था। यह केरल की तरह एक सुंदर स्थल है, जहां पर फल, आम और अन्य गतिविधियां है।

अध्यक्ष महोदय : यह किस प्रकार यहां प्रासंगिक है?

श्री पी०सी० थामस : वहां पर उद्योग भी है। छोटा दमन में [illegible] है परन्तु अन्य जगह में कोई उद्योग नहीं है। इसलिये, वहां पर [illegible] एक बड़ी गंभीर शिकायत है कि स्थानीय लोगों को रोजगार [illegible] मिल रहा है। यह भी एक मामला है जिस पर विचार किया जाना है। वे प्रशासक के पास नहीं जा सकते हैं और उससे प्रार्थना कर सकते कि उन्हें रोजगार दिया जाना चाहिये। इस परिप्रेक्ष्य में भी, मैं माननीय अध्यक्ष की अनुमति चाहूंगा और उप-प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि क्या जल्दी से जल्दी और एक समय-सीमा के भीतर निर्वाचित प्रतिनिधियों को और अधिक शक्तियां दी जायेगी, जिसके बारे में माननीय उप-प्रधानमंत्री सभा में कहना चाहेंगे। मैं माननीय उप-प्रधानमंत्री से एक समय-सीमा को घोषित करने के लिये अपील करूंगा जिस समय सीमा के भीतर इन शक्तियों को पूरी तरह से अंतरित किया जा सकता है। और संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों को वास्तव में अंतरित किया जा सकता है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मोहन जी और थॉमस जी ने एक सांसद होने के नाते दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के बारे में जो चिन्ता व्यक्त की, वह स्वाभाविक है। मोहन जी दादरा और नागर हवेली से सांसद है लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हमने 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन किया, उसमें हमने द्विस्तरीय पंचायत का निर्माण किया। हमारे देश में लोकतंत्र है और सरकार चाहती है कि लोकतंत्र में गांवों के लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा वहां का कार्य संचालन ठीक तरह से चले। जैसा आदरणीय उपप्रधान मंत्री जी ने शुरू में निवेदन किया कि दीव और दमन दोनों जगह एक-एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, 10 ग्राम पंचायते हैं, दादरा, नागर हवेली में एक पंचायत है, 11 डिस्ट्रिक्ट पंचायते हैं, दीव, दमन में कार्पोरेशन है और एमपी भी हैं। स्पष्ट है कि इनमें चुनाव की प्रक्रिया से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। पंचायत द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, वे उनके हिसाब से शासन, लोगों का उत्थान और विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पंचायत से उनकी तरफ से काम होता है। एक जागरूक सांसद होने के नाते वे भी अपना रोल अदा करते हैं।

श्री मोहन एस० देलकर : वहां एम०पी० का कोई रोल नहीं है।

श्री हरिन पाटक : उनका अपना एक रोल होता है। वे और पंचायत के सदस्य एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से नियमित रूप से मिलते रहते हैं। वे हर सप्ताह मिलते हैं। यदि आप नहीं मिलते हैं तो मैं कहूंगा कि आप से वे मिलें। आप भी उनसे मिलिए। आपको मिलने में कोई रोक नहीं है। आप फाइव टर्म्स से चुनाव जीत रहे हैं इसलिए मैं मानता हूं कि *(व्यवधान)*

श्री मोहन एस० देलकर : मैंने जो तीन प्रश्न किए, आप उन्हें क्लैरिफाई कर दीजिए।

श्री हरिन पाठक : जैसा मैंने कहा कि तीनों स्तर पर — पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और कार्पोरेशन में जो पावर्स डैलिगेटिड हुए हैं, उसके अनुसार वे काम करते हैं। जैसा मैंने बताया कि 29 सबजैक्ट्स हैं। जब 73वां संविधान संशोधन किया, उसके अन्तर्गत उन्हें देने का काम शुरू किया। जैसा उपप्रधान मंत्री जी ने बताया कि दिल्ली जो एक यूनियन टैरीटरी है, उसकी एक अलग परिस्थिति है। वहां जैसा कामकाज होता है उस हिसाब से अंडमान, निकोबार में नहीं होता है। क्योंकि उसकी एक अलग स्थिति है, उस हिसाब से चंडीगढ़ की एक अलग स्थिति है। कैसे पावर्स डैलिगेट की जाएं, केन्द्र सरकार की योजनाओं को कैसे अमल में लाया जाए, उनकी एक अलग पद्धति है। उसी हिसाब से जब आपने उप प्रधान मंत्री जी की प्रशंसा की तो दो साल पहले सरकार ने सोचा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा अधिकार दमन दिउ, दादरा नागर हवेली एक पंहुचाये जायें। माननीय सदस्य की तरफ से यह सुझाव आया है।

[अनुवाद]

जिला पंचायतों के कर्मचारियों के लिये सेना नियम

[हिन्दी]

और सर्विस रूल्स भेजे भी हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलें। जो अधिकार का अपना क्षेत्र है, उसके बारे में केन्द्र सरकार की ओर से *(व्यवधान)*

श्री मोहन एस० देलकर : माननीय मंत्री जी, इसके बारे में केन्द्र सरकार का कनफ्यूजन है। पहले यह बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत के रूल्स आप फ्रेम करें। हमने रूल्स फ्रेम कर लिये और नोटिफिकेशन के लिये भेजा दिया जिसे आपने रोक दिया। दूसरे सर्विस रूल्स बना दिये और जिसमें डेवलपमेंट कमिशनर, एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद को अथौरिटी बनाने के लिये नोटिफिकेशन भेज दिया। उसमें प्रेज़ीडेंट और बाइस प्रेज़ीडेंट इलैक्टेड मैम्बर्स का कोई रोल ही नहीं है। ये सर्विस रूल्स नोटिफाई करने जा रहे हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी पूर्णत: गृह मंत्रालय को गुमराह कर रहे हैं।

[हिन्दी]

जब रूल्स नोटिफाइ हो जायेंगे तो डेवलेपमेंट कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर खुद अथौरिटी हो जायेंगे।

[अनुवाद]

सेवा नियमों का तात्पर्य क्या है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये आपके पास कोई दूसरा रास्ता हो सकता है।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, दूसरा रास्ता क्या हो सकता है?

श्री मोहन एस० देलकर : अध्यक्ष महोदय, ये गलत प्रणाली लागू करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नियम में दूसरा रास्ता दिया हुआ है।

श्री मोहन एस० देलकर : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे जस्टिस चाहिये। इसमें लाखों लोगों की फीलिंग्स का सवाल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री देलकर, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको माननीय मंत्री से उत्तर नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन एस० देलकर : अध्यक्ष महोदय, यहां गलत बात नहीं होनी चाहिये।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने देलकर जी को रूल के मुताबिक प्रश्न पूछने की इज़ाजत दी। उन्होंने प्रश्न किया और मंत्री जी अब उत्तर दे रहे हैं। आप लोग मंत्री जी का उत्तर सुनिये।

श्री मोहन एस० देलकर : लेकिन मंत्री जी ठीक उत्तर नहीं दे रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसका मतलब यह नहीं कि जो आप उत्तर चाहें, वही मंत्री जी दें। ऐसा नहीं हो सकता है। कृपया आप बैठें। मंत्री जी का उत्तर आने दें। यदि आप मंत्री जी के उत्तर से नाराज हैं, उसके खिलाफ आप नोटिस दे सकते हैं। उसके लिये दूसरा रास्ता भी है।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री को अपना उत्तर पूरा करने दीजिये।

[हिन्दी]

श्री मोहन एस० देलकर : अध्यक्ष जी, इनके पास गलत रिपोर्ट आ रही है और यहां गलत बात रख रहे हैं। सर्विस रूल्स में अथौरिटी के लिये पंचायत से कौन ऑपरेट करेगा *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : आप मेरी बात पूरी करने दीजिये। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, जहां तक संघ शासित क्षेत्रों का संबंध है संविधान छोटे-छोटे टुकड़ों में छिन्न-भिन्न हो गया है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पंचायत की ओर से सर्विस रैगुलेशन के रूल्स थे जिन्हें केन्द्र सरकार को भेजा गया है उसमें कुछ नियम ऐसे हैं जिनपर

[श्री हरिन पाठक]

[अनुवाद]

सरकार, जो कुछ भी हमें भेजा गया है पर विचार कर रही है, परन्तु नियमों में कुछ विसंगतियां है। इसलिये, हम उनकी जांच कर रहे है और जैसे ही जांच समाप्त होती है, हम अवश्य ही यह देखेंगे कि सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है।

[हिन्दी]

जहां तक माननीय सदस्य ने शूगर फैक्टरी के बारे में प्रश्न किया, यह एक अच्छा प्रश्न है। 1990 में यह शुगर फैक्टरी लगाये जाने का फैसला लिया गया था। उस समय यह फैसला लिया गया था कि ज़िसमें शुगर उत्पादक किसान एक सोसायटी बनायें जिसमें केन्द्र सरकार अपना योगदान करे। केन्द्र सरकार उसके लिए 30 हैक्टेयर जमीन दे दे और को-आपरेटिव सोसायटी 12.28 हैक्टेयर जमीन दे दे।

[अनुवाद]

परन्तु वह प्रस्ताव कुछ कारणों से उस समय व्यवहार्य नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

... फैक्टरी नहीं बन पायी। लोगों की इच्छा थी कि वह फैक्टरी कहीं और बने लेकिन आज लोगों की इच्छा है कि यह जगह है। यह लोगों की इच्छा थी कि इस जगह नहीं, किसी और जगह बनाई जाए। फिर यह फैसला लिया गया कि सारंगी एक जगह है, जहां आप लोगों की अनुमति से *(व्यवधान)*

श्री मोहन एस० देलकर : वह दस साल पुरानी बात है, नई जमीन ली गई *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : आपने कहा कि फैक्टरी की क्या स्थिति है। आपकी अनुमति से वह सारंगी में बन रही है। *(व्यवधान)*

श्री मोहन एस० देलकर : आपने सारी परमीशन दे दी। वहां श्री नायडू जी और श्री विद्यासागर राव जी आये।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, आज जो सवाल था, वह यह था कि जो इन क्षेत्रों के लोग हैं, जो जनता है, उन्हें अपने प्रतिनिधित्व के द्वारा शासन करने का अधिकार नहीं है, उसका मैंने उत्तर दे दिया। व्यावहारिक रूप से अगर कहीं पर कोई प्रशासक है, जिसने कहीं पर कोई काम नहीं किया, यदि वह ध्यान में लायेंगे तो हम जरूर करेंगे। जैसा आपने बताया कि जो निर्देश गृह मंत्रालय से दिये गये हैं, उनका अभी पूरा पालन नहीं हुआ है, उन्हें हम जरूर देखेंगे। मैं एक बात और कहूंगा कि जितने प्रशासक हैं, उन्हें भी यह निर्देश दिये जायेंगे कि वे अधिक मात्रा में जनप्रतिनिधियों के साथ इंटरएक्ट करें, उसमें सांसद भी सम्मिलित हैं, वे जरूर करेंगे, इतना आश्वासन मैं देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम शून्यकाल शुरू करेंगे।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास चार-पांच एडजर्नमैन्ट मोशन हैं, मैं हर एक को जीरो ऑवर में लूंगा।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, बिहार का जो विभाजन हुआ, जब यहां बिल पास हो रहा था तो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि एक विशेष सैल गठित किया जायेगा और बिहार को आर्थिक पैकेज दिया जायेगा, बंटवारे के कारण जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जायेगी, क्षतिपूर्ति होगी। *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : बिहार में जो लाठी रैली हो रही है, उस पर सौ करोड़ रुपये खर्च कर दिये, उसके बाद भी यह और पैसा मांग रहे हैं, क्या यह पैसा भी उसी पर खर्च करेंगे। *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : बिहार में लाठी बजावन और तेल पिलावन हो रहा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसमें लाठी भी आती है, आप बैठिये।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार के सभी सांसदों ने चाहे वह लोक सभा के हों *(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आज़ाद (दरभंगा) : अध्यक्ष जी, जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था तो इन्होंने बिहार में कौन सा तीर मार लिया था। इन्होंने लाठी रैली पर दो सौ करोड़ रुपये बरबाद कर दिये। *(व्यवधान)* क्या वहां पैसे का सदुपयोग हो रहा है। *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, सारे एम०पीज० ने प्रधान मंत्री जी को ज्ञापन दिया। जो बिहार के पांच करोड़ बीस लाख की आबादी के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि बिहार का जो कर्ज है,

उसे माफ किया जाए और बिहार को आर्थिक पैकेज दिया जाए। *(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आज़ाद : प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में बिहार को 1400 करोड़ रुपये दिये गये, उनका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। रेडियो, टी०वी० पर न्यूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इनका एडजर्नमैन्ट मोशन है।

श्री कीर्ति झा आज़ाद : बिहार में इन्होंने कितना विकास किया है, वहां सड़कें नहीं है, वहां के लोगों को बाढ़ से निजात नहीं मिली है। *(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार को अभी तक आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया। बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। बिहार को आर्थिक पैकेज न देकर माननीय गृह मंत्री जी ने वहां की जनता के साथ वचन भंग किया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। माननीय सदस्य को बोलने दीजिये; आप उन्हें बोलने से कैसे रोक सकते है?

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : उसके खिलाफ 30 अप्रैल को बिहार में रैली नहीं, महारैला नहीं, रैला का आयोजन किया गया है। *(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आज़ाद : ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की वहां क्या हालत है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कीर्ति आजाद, माननीय सदस्य को अपने विचार स्पष्ट करने दीजिये।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : इस रैला में बिहार भर के लोग आ रहे हैं और केन्द्र सरकार द्वारा जो बिहार की हिस्सा मारी हो रही है, जो केन्द्र सरकार द्वारा सभी ग्रामीण विकास योजनाओं में हमें प्रदत्त हिस्सा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कीर्ति झा आज़ाद : महोदय, चूंकि यह मुद्दा बिहार से संबंधित है, इसलिये मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिये।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : दशम वित्त आयोग ने जिसकी अनुशंसा की है, जो हमारा पंचायती राज का सवा चार सौ करोड़ रुपया बकाया है। *(व्यवधान)* 1 लाख 79 हजार करोड़ रुपया बकाया है, विहार विधान मंडल ने कहा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल डा० रघुवंश प्रसाद सिंह की बात रिकार्ड में जायेगी और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।

[हिन्दी]

रघुवंश प्रसाद जी जो कहेंगे उतना ही रिकार्ड पर लेना है, बाकी नहीं लेना है।

*(व्यवधान)**

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : इसलिए वहां गांधी मैदान में एक अभूतपूर्व महारैला का आयोजन किया गया है। जहां गांव-गांव के किसान और मजदूर जुटे रहे हैं। भारत सरकार ने बिहार का जो हिस्सा मारा है, उसके खिलाफ लोग जुट रहे हैं। बिहार को आर्थिक पैकेज नहीं दिया जा रहा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : भावना गवली जी, आपको क्या हुआ है।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : ** इन्हीं के खिलाफ वहां अपना हिस्सा खोजने के लिए, लाठियों को तेल पिलाकर *(व्यवधान)* दंगाइयों को भगाने के लिए रैला नहीं महारैला होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चूंकि वे स्थगन प्रस्ताव के नोटिस पर बोल रहे हैं, इसलिये इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार की हिस्सा मारी बंद होनी चाहिए। इस मामले पर श्री प्रभुनाथ सिंह और हम अनुपस्थित थे, हमारी अनुपस्थिति का इन्होंने अनावश्यक लाभ उठाया। आज मैं तैयार हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मैं सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि मेरे पास पांच एडजर्नमेंट मोशन के नोटिस थे। एडजर्नमेंट मोशन को

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

मैंने इजाजत नहीं दी और उनको कहा कि आप जीरो आवर में यहां बोल सकते हैं। इसलिए जो पांच नाम मेरे सामने अलग-अलग विषय पर हैं, उन पर माननीय सदस्य यहां बोल रहे हैं। ऐसी कोई पद्धति नहीं है कि एक विषय रखने के बाद दूसरी तरफ से उसका उत्तर देना ही चाहिए। यह पद्धति यहां नहीं है और ऐसी नई पद्धति मैं यहां लाना भी नहीं चाहता हूं। उसके बाद जीरो आवर के नोटिस हैं और ये नोटिस 20 हैं। मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि सभी विषय यहां आने जरूरी हैं। हर माननीय सदस्य बड़ी मेहनत करके सुबह जल्दी आकर यहां नोटिस देता है इसलिए सभी नोटिस मैं लेना चाहता हूं। इसलिए आप मुझे काम करने दें जिसमें आपका सहयोग मैं चाहता हूं। अभी जायसवाल जी बोलें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनका नोटिस है, मैं उनको बोलने की इजाज़त दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, जो रघुवंश बाबू ने कहा है, उसमें कुछ बातें जोड़ना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश बाबू, आप बैठिये। आपने अपनी बात कह दी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल जायसवाल जी जो कहेंगे, वही रिकार्ड पर जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, लगभग ढाई साल पहले देश भर के सारे कैन्टोनमैंट बोर्ड के चुनाव होने थे, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि हम कैन्टोनमैंट बोर्ड *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, ये लोग भी नहीं लिख पाएंगे इतने हल्ले में। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं, इन नोटिसों के समाप्त होने के पश्चात् उन्हें अनुमति देने जा रहा हूं। उनका नोटिस स्थगन प्रस्ताव पर नहीं है।

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

आपका भी नोटिस है मगर जीरो अवर में मैं उनको प्रायॉरिटी दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आप बार-बार क्यों खड़े हो जाते हैं? आपको क्या हो गया है, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब शांत रहिये। प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलने दीजिये।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लाल मुनी जी, आप बैठिये। मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है, आप प्लीज़ बैठिये। ऐसे सदन कैसे चल सकता है? रघुवंश प्रसाद जी, क्या हर प्रश्न का जवाब देने की जरूरत है? आप बहुत अच्छे सदस्य हैं, बहुत अच्छे मान्यवर सदस्य हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लाल मुनी जी, मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है, आप क्यों खड़े रहते हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष जी, आज से ढाई साल पहले जब देश के सारे कैन्टोनमैंट बोर्डों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उस समय भारत सरकार ने यह कहा था कि हम कैन्टोनमैंट बोर्ड के संविधान में संशोधन करना चाहते हैं और इसलिए एक साल के लिए सारे निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। एक साल के अंदर भारत सरकार उन कैन्टोनमैंट बोर्डों के संविधान में कोई संशोधन नहीं कर पाई। फिर उसने एक साल का कार्यकाल बढ़ा दिया कि अभी तक चूंकि संशोधन नहीं हो पाए हैं इसलिए कैन्टोनमैंट बोर्ड के कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाए जाते हैं। दो साल बीतने के बाद भी भारत सरकार संविधान में कोई भी संशोधन नहीं कर पाई है। जब संशोधन नहीं कर पाई तो उसने पूरे देश के कैन्टोनमैंट बोर्डों को भंग कर दिया और भंग करके यह आश्वासन दिया कि जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा और जब तक चुनाव नहीं होगा, तब तक नए बोर्डों की हम संरचना कर रहे हैं जिसमें एक-एक जन प्रतिनिधि हर कैन्टोनमैंट बोर्ड में सरकार नॉमिनेट करेगी। आज छः महीने हो गए लेकिन किसी भी कैन्टोनमैंट बोर्ड में किसी जन प्रतिनिधि का नॉमिनेशन नहीं हुआ है। परिणाम यह निकल रहा है कि केवल चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिमर और वहां का लोकल सैनिक अधिकारी, ये दो मिलकर देश भर के कैन्टोनमैंट बोर्डों में जो चाहे

वह कर रहे हैं। मैं अपने कानपुर कैन्टोनमैंट बोर्ड का उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे यहां इन तीन महीनों के अंदर वहां के कैन्टोनमैंट बोर्ड के सी०ई०ओ० और लोकल ब्रिगेडियर ने मिलकर जल कर में दस गुना बढ़ोतरी कर दी है।

अध्यक्ष महोदय, एकदम 10 गुना बढ़ोत्तरी जलकर में की गई है। इसके अलावा जिन मकानों के टैक्स के पहले ऐसैसमेंट हो चुके हैं, उनके री-एसैसमेंट किए जा रहे हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड में रहने वाले लोगों का कई प्रकार से उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है। अत: मेरी रक्षा मंत्री महोदय से मांग है कि जब तक जनप्रतिनिधियों के चुनाव न हो जाएं, तब तक कैंटोनमेंट बोर्ड में कहीं भी किसी भी तरह की टैक्स में बढ़ोत्तरी न की जाए और चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाएं। चुनाव होने के बाद ही विधान में यदि किसी तरह का परिवर्तन करना हो या संशोधन करना हो, वह किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : जायसवाल जी, आपकी बात पूरी हो गई। अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मेरे पास और लोगों के नाम भी हैं। मैं उन्हें भी बोलने हेतु समय देना चाहता हूं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, यह बहुत गम्भीर सवाल है। मेरी बहुत अहम मांग है कि कैंटोनमेंट बोर्ड में किसी भी प्रकार का टैक्स न बढ़ाया जाए, मकानों के टैक्स के रीएसैसमेंट न किए जाएं और चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाएं। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अभाव में कैंटोनमेंट बोर्डों में अधिकारियों द्वारा लाखों-करोड़ों रुपयों का घपला किया जा रहा है। जो अधिकारी जहां बैठा है, वह जैसा चाहता है, जनता के साथ वैसा व्यवहार करता है और धन का घपला करता है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से रक्षा मंत्री महोदय से पुन: मांग है कि इस तरह के टैक्सों की बढ़ोत्तरी न की जाए और जब तक जनप्रतिनिधि न चुने जाएं तब तक नियमों में किसी भी प्रकार का संशोधन न किया जाए और तब तक जलकर में किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी न की जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहूंगा। इसे सभा में बार-बार उठाना बड़ी क्लेशकर बात है जबकि सरकार बुलडोजर की तरह संघ परिवार के पक्ष में ऐतिहासिक तथ्यों को मोड़ती जा रही है। मैं एन०सी०ई०आर०टी० की नई तैयार की गई इतिहास की पुस्तकों के बारे में बता रहा हूं। इन पुस्तकों में असत्य और आधा सत्य है। जबकि बैकुंट हमारे देश की एक सुंदर पौराणिक अवधारणा है, इसका ऐतिहासिक तथ्य के रूप में इतिहास की पुस्तकों में वर्णन किया गया है। महात्मा गांधी के बारे में बताते हुये, इन पुस्तकों में उनकी हत्या अथवा उनके हत्यारे के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है।

महोदय, हिटलर को भूर्त बताया गया। इतिहास के नाम पर, असत्य और आधे सत्य को वहां पर मिलाया गया है। हमारी नई पीढ़ी को वैज्ञानिक तरीके से सीखना चाहिये। उनके पास वैज्ञानिक दिमाग होना चाहिये। परन्तु इस सभी को जाने दिया गया है।

इसलिये सरकार को स्पष्टीकरण के साथ आगे आना चाहिये कि किसने इस पुस्तक को तैयार किया और किसने इस पुस्तक को तैयार करने में उन्हें प्राधिकृत किया। महोदय, इस देश में महात्मा गांधी को कभी भी इस प्रकार से उपेक्षा नहीं हुई। क्या आप महात्मा गांधी की हत्या, उनकी वीभत्स हत्या और उनके हत्यारे के बारे में बिना बताये उनके बारे में बता सकते हैं? महोदय, इन इतिहास की पुस्तकों में कुछ भी नहीं मिला है *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : क्या नाथूराम गोडसे के बारे में बताना अनिवार्य है? *(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप : इसलिये, इन पुस्तकों को वापिस लिया जाना चाहिये। सरकार को इस सभा में स्पष्टीकरण के साथ आगे आना चाहिये।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं अपने आप को उनके साथ जोड़ता हूं। कल भी मैंने हिटलर के बारे में बताया था।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपका नाम जोड़ दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : महोदय, श्री सुरेश कुरूप द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के साथ मेरा नाम भी जोड़ दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आपका नाम भी जोड़ दिया जायेगा।

अब, श्री रामचन्द्र पासवान

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, कल भी मैंने इसे इस सम्माननीय सभा के ध्यान में लाया कि इस तथ्य हेतु एक रिपोर्ट है कि हिटलर को नाजीस्ट पार्टी के संस्थापक के रूप में, उन पुस्तकों में समाजवाद और राष्ट्रवाद के महान व्यक्ति के रूप में बताया गया है। परन्तु लाखों यहूदियों जिनका कत्ल किया गया के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है *(व्यवधान)* यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

[हिन्दी]

श्री रामचन्द्र पासवान (रोसेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार में पंचायतीराज का गठन हुआ है, चुनाव हुआ है, जो कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ है, लेकिन आज दो साल बीत जाने के बाद भी वहां किसी भी तरह का कोई सांवैधानिक अधिकार पंचायत सदस्यों को नहीं दिया गया है। श्री राम विलास पासवान, श्री चतुरानन मिश्र और अन्य तमाम राजनीति विशेषज्ञों के माध्यम से लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार प्रदेश में जितने भी पंचायतीराज और जिला परिषदों के प्रतिनिधि हैं, उनकी मीटिंग 22 अप्रैल, 2003 को हुई है और सभी लोगों ने इस पर अपनी चिन्ता प्रकट की है। अत: मैं आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार में विकास का कार्य बिल्कुल ठप्प पड़ा है। बिहार की जो सरकार है वह एक प्रकार से लाठी से अपनी सरकार चलाना चाह रही है। दूसरी तरफ केन्द्र की सरकार त्रिशूल बांट कर सरकार चलाना चाहती है। क्या इस तरह त्रिशूल और लाठी को छोड़ कर बिहार के जितने स्थानीय पंचायत एवं जिला परिषद् के प्रतिनिधि हैं, उन्हें संवैधानिक अधिकार कब तक दिया जाएगा, यह हम जानना चाहते हैं? *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : ग्राम पंचायत में जो लोग चुने गए हैं, उन्हें सारे अधिकार दे दिए हैं। *(व्यवधान)* लेकिन जो 600 करोड़ रुपए भारत सरकार ने रोक कर रखे हैं, उसके लिए लोग नहीं बोल रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, मैंने आपको बोलने की इजाज़त नहीं दी है।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने जो अवसर दिया है उसके लिये मुझे अवश्य ही धन्यवाद देना चाहिये। मैं आज अत्यन्त महत्वपूर्ण स्कैंडल की तरह सभा का ध्यान आकर्षित करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

महोदय, एक प्रमुख केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ने एक ऐसी कंपनी में बेइमानीपूर्वक अत्यधिक निवेश किया है जिसके पास धन नहीं है। मैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की बात कर रहा हूं। इसने मई 2002 में महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम में 250 करोड़ रुपये का निवेश किया। यह न केवल खराब निवेश है परन्तु इसमें किया जाने वाला निवेश डूबने वाला भी है क्योंकि इस निगम से एक भी रुपये की वसूली नहीं की जा सकती है।

इस निवेश को करते समय, सरकारी क्षेत्र उपक्रम बोर्ड द्वारा बनाये गये दो मुख्य दिशानिर्देशों की पूरी तरह और जानबूझकर उपेक्षा की गई है। एक, सरकारी क्षेत्र उपक्रम बोर्ड ने यह नियम बनाया कि वह कंपनियां जिनकी रेटिंग सबसे अधिक है, में ही निवेश अवश्य किया जाना चाहिये। इसलिये रेटिंग 'ए०ए०ए०' के क्रम में होनी चाहिये। परन्तु जब निवेश किया गया। कंपनी की 'ए+एस ओ' रेटिंग थी। यह नोट करना रूचिकर और महत्वपूर्ण है कि इस महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम के स्तर में तब से फिर अवनति की है। अब इसका स्तर 'बी०बी०एस०ओ०' है, जो कि शून्य के बराबर है और जो जिल्य की तरह है।

प्रक्रिया में उल्लंघन की गई एक अन्य स्थिति यह थी। सामान्यत: निवेश केवल एक वर्ष के लिये किये जाते हैं। इस मामले में, निवेश दस वर्षों के लम्बे समय के लिये किया गया। यह जनता का धन है यह केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का धन है; यह 250 करोड़ रुपये की धनराशि है। यह निवेश क्यों किया गया? यह निवेश महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम के ठेकेदारों के देयों के निपटान हेतु किया गया था। क्या इस तरीके से हम निवेश करते हैं?

इस तरह जो भारी जालसाजी की गई है, उसके मद्देनजर मैं मांग करता हूं कि संचार मंत्री द्वारा एक वक्तव्य दिया जाये। मैं मांग करता हूं कि एक न्यायिक जांच के आदेश किये जाये। मैं यह भी मांग करता हूं कि आपके द्वारा एक पूरी विधिवत् चर्चा की स्वीकृति की जाये। ये मेरी मांगे है।

अपराह्न 12.51 बजे

[हिन्दी]

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) विश्व विख्यात गणितज्ञ डा० वशिष्ठ नारायण सिंह की दयनीय अवस्था के बारे में

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे विषय की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो एक महान विश्व प्रख्यात गणितज्ञ और राष्ट्र की धरोहर डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह से संबंधित है। डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। जो लोग यहां सांसद हैं, उन सब लोगों को मालूम है कि उन्होंने कम ही समय में ख्याति प्राप्त की है। 1946 में उनका जन्म आरा जिले के बसन्तपुर गांव में हुआ था। 1964 में कम ही समय में उन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। वहां से लौटकर वे भारत आये, यह सोचकर कि हम भारत मां की अपने वतन में जाकर सेवा करेंगे, लेकिन यहां की जो अवस्था है, वह सब को मालूम है। हालांकि इन्होंने यहां आई०आई०टी० कानपुर में 1971 से 1972 तक रीडर के रूप में काम किया। 1972 से 1974 तक कलकत्ता इंडियन एस्थेटिकल इंस्टीट्यूट

में उन्होंने काम किया। उसके बाद वे बीमार हो गये, उसके बाद सही देखभाल नहीं होने के कारण अभी 4.9.2002 को इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एण्ड एलाइड साइंस, शाहदरा में वे भर्ती हैं। मैं पिछले दिनों उन्हें देखने के लिए वहां गया था, हमें उम्मीद है कि सदन और देशवासियों की शुभकामना रही तो वे अच्छे हो भी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उनके परिवार के सामने सबसे बड़ा मुद्दा आ गया है कि यदि यहां से उनको छुट्टी मिलती है तो वे कहां जाएंगे।

यहां माननीय सदस्य रघुनाथ झा जी हैं, उन्होंने और भी बहुत से सदस्यों ने उनकी कुछ हैल्प भी की है। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि जो ऐसे गणितज्ञ हैं, ये भारत की धरोहर हैं, ऐसे लोगों के जीवन की रक्षा करना और उनके परिवार को देखना या उनके भविष्य की चिन्ता करना राष्ट्र का काम होना चाहिए। वहां डॉक्टर से भी मेरी बातचीत हुई थी, उनको छुट्टी मिलने वाली है, लेकिन अभी उनकी मन:स्थिति पूरे तौर से ठीक नहीं है।

ऐसी स्थिति में हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनकी दिल्ली में ठहरने के लिए व्यवस्था की जाये, उन्हें कहीं फ्लैट दिया जाये और उनके जीवन-यापन की भी व्यवस्था की जाये, जिससे हो सकता है कि भविष्य में जो राष्ट्र की धरोहर है और जो महान विश्वविख्यात गणितज्ञ हैं, वे राष्ट्र की कुछ सेवा कर सकें। *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : ये बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, इनका दुनिया में नाम है, आप सरकार से कार्रवाई करने के लिए कहिये। *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : ये बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, आई०ए० में भी इनकी बात जानते थे। ये अमेरिका गये थे और स्पुतनिक बनाने में उनके गणित के फार्मूले का योगदान रहा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह विषय बार-बार आया है। अभी फाइनेंस बिल पर चर्चा जारी है, आप उस पर इसे उठाइये।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, 31 मार्च से हड़ताल चालू है। *(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सरकार को यह सूचना ग्रहण करनी चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस इश्यू पर यूनानिमिटी है, इस सवाल पर होल हाउस यूनानिमस है। *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : मंत्री तो यहां ही हैं।

शहरी विकास और गरीबी उपमशन मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री अनंत कुमार) : रामविलास पासवान जी और बाकी सम्मानित सदस्यों की और सारे सदन की भावनाओं से मैं अवगत हूं। मानव संसाधन मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं इससे अवगत करा दूंगा।

श्री राम विलास पासवान : मकान मंत्री तो आप ही हैं।

श्री अनंत कुमार : मैं तो अवगत हो चुका हूं। इसके बारे में सदन की भावना मालूम है और मैं सम्बन्धित मंत्रियों को इस बारे में सूचना दे दूंगा। *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : मकान तो इन्हीं को दना है, मंत्री तो ये ही हैं, सूचना किसे देनी है। क्या आप इस पर सोचेंगे? *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : सबसे बड़ी समस्या उनके लिए रहने की और स्वास्थ्य की है और दिल्ली में हम लोग कोई फ्लैट की व्यवस्था नहीं करा सकते?

श्री राम विलास पासवान : आप उन्हें एक फ्लैट तो दीजिए।

श्री अनंत कुमार : मैं सम्माननीय सदस्यों से बात करूंगा और इसके बारे में जो कार्रवाई करनी चाहिए, वह करूंगा।

अपराह्न 12.59 बजे

[हिन्दी]

(दो) बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस लोक सभा में तीसरी चौथी बार इस समस्या को उठाया गया है और मैं आज इसे फिर उठा रही हूं।

अपराह्न 1.00 बजे

हमारे खगड़िया लोक सभा क्षेत्र के बारे में सब जानते हैं कि वहां पर आतंकवादी, क्रिमिनल्स, गुण्डे आदि रहते हैं। ऐसे लोगों से हमारी लड़ाई होती रही है। मैं 27 अप्रैल की शाम की घटना आपको सुनाना चाहती हूं। माननीय रेल मंत्री जी का एक कार्यक्रम नौगछिया में था। मैं 10-15 गाड़ियों के साथ नौगछिया से लौट रही थी तो लाइन होटल के पास चुकती ओवरब्रिज है वहां पूर्व विधायक जो सजायाफ्ता है और वह धारा 302 की सजा काट चुका है, वह अपने 100-150 लोगों के साथ राइफल और लाठी लेकर खड़ा था। *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : आपका सपोर्टर था। *(व्यवधान)*

श्रीमती रेनु कुमारी : वह हमारा सपोर्टर क्यों होगा? *(व्यवधान)* वह हमारा सपोर्टर नहीं था। वह तो हमारे खिलाफ लड़ाई कर रहा था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रेनु कुमारी जी, आप आसन की तरह देखकर बोलिये।

(व्यवधान)

श्रीमती रेनु कुमारी : उनके गुण्डों ने हमारी गाड़ी पर लाठी चलाई और हमारे लोगों को उतारा। सिर्फ मेरी गाड़ी को छेड़कर उन्होंने बाकी सारी गाड़ियां अपने पास रख लीं। हमने इस संबंध में एस०पी०, डी०एम० और आई०जी० से कांटेक्ट किया लेकिन आज तक हमारी वे गाड़ियां नहीं छूटी हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि कोई भी लाठी लेकर रैली निकाले, त्रिशूल लेकर रैली निकाले या कल को हो सकता है कि कोई बेलन लेकर रैली निकाले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से बिहार में कानून-व्यवस्था गिर रही है, उसका तो भगवान ही मालिक है। पाप का घड़ा फूटेगा। जब रावण का घमंड नहीं रहा तो और लोगों का क्या रहेगा। मैं यह बात तीसरी चौथी बार कह रही हूं। इससे पहले भी हमारे ऊपर कातिलाना हमला हो चुका है लेकिन आज तक आपने हमें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। यहां से उप प्रधान मंत्री, गृह मंत्री जी चले गये हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहती हूं कि अगर *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्रीमती रेनु कुमारी : आपको क्या मतलब है? *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, * हमारी उम्र की इनकी बेटी है। अगर इनकी बेटी पर हमला होता तो क्या ये ऐसे ही चुप रहते? अध्यक्ष जी आप इनसे पूछिये। *(व्यवधान)* हमारी उम्र की इनकी बेटी है। अगर इनकी बेटी के साथ इस तरह का अन्याय कोई करता तो क्या ये ऐसे ही चुप रहें। * *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश बाबू, आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्रीमती रेनु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार कहा है कि हमें सुरक्षा दी जाये, सिक्योरिटी गार्ड दिया जाये लेकिन आज तक हमें वह सुविधा मुहैया नहीं कराई गयी। अगर हमें इस बार सिक्योरिटी नही दी गयी तो जिस तरह श्री हरेन पांड्या का जनाजा उठा है, उसी तरह क्या सरकार हमारा जनाजा उठने के बाद सिक्योरिटी की व्यवस्था करेगी। मैं फिर कह रही हूं कि अगर यह व्यवस्था नहीं होगी तो हमारी मानसिकता क्या होगी, यह हम नहीं जानते। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहती हूं कि हमें सिक्योरिटी प्रदान की जाये और इस घटना की जांच की जाये। *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, यह हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि श्रीमती रेनु कुमारी को जरूर सुरक्षा प्रदान की जाये। जहां तक गाड़ी की छीना-झपटी का सवाल है तो उसे हम कंडेम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के रेल मंत्री ने बजाफ्ता पटना में प्रैस को कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस पहले होता था लेकिन अब जिसकी लाठी उसकी रेल। जब भारत सरकार के रेल मंत्री उस रैली को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर दूसरे की क्या बात हो सकती है? *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, रेनू कुमारी जी हमारी पार्टी की सांसद हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये कई बार सदन में यह सवाल उठा चुकी हैं। यह बहुत गंभीर सवाल है। बीच के दिनों में डी०जी०पी० से भी इनकी टेलीफोन पर कुछ गर्मा-गर्म बातें हुई थीं जिसके बारे में आपको प्रिविलेज मोशन दिया गया है। आप उस प्रिविलेज मोशन को वहीं रहने दीजिए लेकिन रेनु कुमारी की सुरक्षा के लिए आप स्वयं अपने स्तर से भारत सरकार को निर्देश दीजिए। *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : रेनु कुमारी की कोई सुनने वाला नहीं है। *(व्यवधान)*

श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्माम) **:** रेनु कुमारी के साथ रेणुका चौधरी हैं। *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मुझे तो सुरक्षा नहीं चाहिए लेकिन आप रेनु कुमारी को जरूर सुरक्षा दीजिए। *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार की स्थिति बद से बदतर है। यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। बिहार में रेनु कुमारी की जान पर खतरा है। बिहार की हुकूमत के जो गुण्डे हैं, वे रेनु कुमारी के पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप रेनु कुमारी जी की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था कीजिए। *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, वे गुस्से में बोल रहे हैं। गुंडा शब्द को निकाल दिया जाए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लोक सभा को बिहार सभा मत बनाइए।

(व्यवधान)

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती रेनु कुमारी ने सुरक्षा का जो विषय उठाया है, मैं आपकी अनुमति से उसे गृह मंत्री जी को सूचित कर दूंगी। *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट की सुरक्षा के संबंध में सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सारी सुरक्षा प्रधान मंत्री के समान ले ली है। हमारी जो जेड केटेगरी की सुरक्षा थी, उसे हटा दिया गया है। हम लोग लाज के मारे कुछ नहीं बोलते। इसलिए सुरक्षा के संबंध में भी एक नीति तय होनी चाहिए कि कौन से मैम्बर को सुरक्षा दी जाए, किस व्यक्ति को सुरक्षा की जरूरत है। *(व्यवधान)*

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : अध्यक्ष महोदय, ये बिना बारी के बोले जा रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बरार जो बोलेंगे, केवल वही रिकार्ड में जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम एक निवेदन करना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको दो बार बोलने की अनुमति दी है, अब और नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : राज्य मंत्री ने कहा कि हम गृह मंत्री जी को सूचना दे देंगे। लेकिन सूचना से सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी। हम चाहेंगे कि आप आसन से निर्देशित कीजिए कि श्रीमती रेनु कुमारी की सुरक्षा की व्यवस्था हो।

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे एक विशेष मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी है। इस देश ने बहुत बड़े संत, साधु पैदा किए, बहुत बड़े महान् पीर और फकीर पैदा किए। उन महान् पीरों, फकीरों में गुरु नानक साहब इस संसार के माने हुए पीरों, फकीरों में हैं। उन्होंने 58 वर्ष जो ओडिसी की, उसके तहत गुरु नानक साहब मक्का गए और रास्ते में बगदाद में आकर, जहां इराक में उस वक्त म्यूजिक बैन किया जाता था, उन्होंने सूफीज्म की उस भावना के साथ इस भारत वर्ष की महान् परम्पराओं के तहत वहां अपना रबाब बजा कर कहा–

अव्वल अल्ला नूर उपाया
कुदरत के सब बंदे
एक नूर ते सब जग उपजयो
कौन भले कौ मंदे।

उन्होंने यह बातें कहीं। मैं आपसे बहुत ध्यानपूर्वक विनती करूंगा, आप यह बात सुनें कि बाबर के पहले ऐग्रैशन के दौरान अगर इस देश के किसी पीर, फकीर ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी दी तो एमनाबाद की जेल में गुरूनानक साहब ने जेल काटी।

अब मैं मुद्दे पर आना चाहता हूं। हमने मांग की कि इराक, अमरीका के युद्ध के दौरान गुरुनानक साहब के पांव से पावन वह धरती और गुरुद्वारा डैमेज हुआ है, उसकी रिपेयर की जाए। उसकी रिपेयर के लिए हमारे मुख्यमंत्री और वेरियस आर्गनाईजेशन्स ने अमरीका के ऐमबैस्डर, देश के तमाम लोगों से भी सम्पर्क किया कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 117 मुल्कों में बसने वाले गुरुनानक साहब के नामलेवा केवल सिख ही नहीं हैं, उनके नामलेवा सिंधी हैं, उनके नामलेवा सारी दुनिया में हैं। भारत के माइनौरिटीज कमीशन के चेयरमैन और भाजपा के स्पोक्सपर्सन का बयान आया है कि इराक में कोई गुरुद्वारा नहीं है। वे कह रहे हैं कि इराक में कोई गुरुद्वारा ही नहीं है। इससे बहुत सैंटीमैंट्स हर्ट हुए हैं।

मैं एक सैकिंड में अपनी बात खत्म करूंगा, मैं आपकी इजाजत के बिना कभी नहीं बोलता। एक तरफ बयान आया है। अमरीका इराक में गुरुद्वारे की मरम्मत पर विचार कर रहा है।

उन्होंने मान लिया है कि गुरुनानक साहब के गुरुद्वारे की रिपेयर की जरुरत है और दूसरी तरफ नेशनल माइनौरिटीज कमीशन के चेयरमैन सिख संगत के प्रोग्राम में, जहां अकाली दल बादल और भाजपा के स्पोक्सपर्सन हो, वहां कहा गया कि इराक में कोई गुरुद्वारा नहीं है। मैं आपसे विनती करूंगा, आपके चरणों में विनती करूंगा। छत्रपति शिवाजी, जिनका सारी दुनिया में सत्कार है। इसी तरह से गुरु नानक साहब के बारे में यह कहना कि वहां वो तो फकीर बहलौल और फकीर दस्तगीर जिनके नाम अभी तक वहां अंकित है, वहां गुरु नानक साहब ने जब आकर रबाब बजाई और इंसानियत का, प्रेम का संदेश दिया तो हजारों लोग वहां इकट्ठे हुए। इसलिए यह सारे पंजाब और सारे सदन की भावना है और यह सारे देश की भावना है कि ये शब्द वापस लिये जाएं। *(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर) : मैं श्री जे०एस० बराड़ के साथ जुड़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आपको उनके साथ जोड़ने की अनुमति दी जायेगी।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : अध्यक्ष जी, मैं इसी के समर्थन में एक मिनट बोलना चाहता हूं। *(व्यवधान)* माननीय सांसद जी ने जो बात कही है, उनकी भावना का मैं पूरी तरह से आदर करते हुए उनकी बात का एक अंश समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और वह केवल भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। अध्यात्म की दृष्टि से भी बहुत सारे लोग वहां से प्रेरणा लेते हैं। इसलिए केवल उसकी मरम्मत ही नहीं होनी चाहिए बल्कि उसको अगर और विकसित करने की आवश्यकता हो तो और अच्छे ढंग से विकसित किया जाए लेकिन उसके साथ राजनीति न की जाए। अगर वहां माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाते हैं, उन्होंने कुछ कहा, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी ने इस प्रकार की बात नहीं कही और मैं समझता [illegible] *(व्यवधान)*

[illegible] ज०एस० **बराड़ :** हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : समाचार-पत्रों के आधार पर रोज क्या होता है, क्या आता है, वह आप भी जानते हैं। *(व्यवधान)* हर समाचार-पत्र के लेख पर आप विश्वास करके बहस करेंगे तो सच में हम एक-दूसरे की भावना, श्रद्धा का आदर नहीं कर सकते। नानक साहब का जितना केशधारी सम्मान करते हैं, उतना ही उनका सम्मान वे लोग भी करते हैं जो केशधारी नहीं हैं। इसलिए पूरी भावनाओं के साथ आदर करते हुए और हम आपसे भी आग्रह करेंगे, *(व्यवधान)* जो आवश्यक हो, किया जाए लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो बात कही है, मैं इस बात से पूरी तरह से इंकार करता हूं। इस तरह की बात का खंडन करता हूं और मैं चाहूंगा कि इतने पवित्र स्थान के लिए राजनीतिक शब्द न बोले जाएं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा स्थगित की जाती है और यह अपराहन के दो बजे पुन: समवेत होगी।

अपराह्न 1.13 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.03 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुये*]

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

[हिन्दी]

(एक) राजस्थान में पेयजल की गंभीर समस्या के समाधान के लिए कारगर कदम उठाए जाने की आवश्यकता

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ होते ही राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का घोर संकट भयावह रूप से उपस्थित होने जा रहा है। क्योंकि सभी बांधों और तालाबों के सूख जाने तथा भूमिगत जल के निरंतर गिरावट के कारण शहरी क्षेत्रों में भी कहीं 24 घंटे, कहीं, 48 घंटे, कहीं 72 घंटे में आवश्यकता से बहुत कम पानी उपलब्ध हो पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी भंयकर है। टैंकरों द्वारा जलापूर्ति सर्वथा अपर्याप्त है। अधिकांश हैंडपम्प और ट्यूबवैल सूखने के कगार पर हैं तथा वर्षा नहीं होने तक मई, जून के महीनों में भयावह जल संकट उपस्थित होने वाला है। राजस्थान के कई भागों में फलोराईडयुक्त तथा खारा पानी पीने के कारण नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने की आशंका है। पशुओं के लिए तो स्थिति और भी अधिक भयावह है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि वह उदारतापूर्वक राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी पानी उपलब्ध हो सकता है वहां और अधिक हैंडपम्प और नलकूप खोदने के लिए तथा रेलों तथा अन्य साधनों द्वारा सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पहुंचाने हेतु तुरंत प्रभाव से विशेष युद्धस्तरीय सहायता प्रदान कर राजस्थान की जनता को हलक सूखने से और प्यास से बचाने का प्रयास करें।

(दो) झारखंड में राँची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए 'जलधारा' परियोजना का कारगर कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, झाखण्ड पठारी प्रदेश है। यहां पर सिंचाई के साधनों का अभाव है। लघु सिंचाई योजनाओं का अभाव है और नहर आदि भी ध्वस्त पड़ी हैं, जिसके कारण गरीब किसानों को सिंचाई के लिए बरसात पर निर्भर रहना पड़ता है। पठारी प्रदेश होने के कारण यहां पर कम व्यास व अधिक व्यास के कूप या चैकडेम ही सफल हो सकते हैं, जो जलधारा योजना के अंतर्गत बनाए जा सकते हैं, परन्तु जलधारा योजना भी इस प्रदेश में सफल नहीं हो रही हैं। तालाब जो बनाए गए हैं, वे भी अधूरे हैं और कई क्षेत्रों में तो तालाब नहीं है। इन सबके कारण भूमि का जलस्तर नीचे होता जा रहा है, अगर कूपों, चैकडेमों एवं तालाब का निर्माण जलधारा योजना के अन्तर्गत योजनाबद्ध ढंग से एवं तेजी के साथ किया जाए, तो गरीब किसानों को अपने खेतों को सिंचाई करने में सहायता मिलेगी और भूमि के जलस्तर को नीचे होने से रोका जा सकता है।

अत: सदन के माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जलधारा योजना के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र रांची में सिंचाई हेतु निर्माण कार्य तेजी और योजनाबद्ध ढंग से करके सिंचाई सुविधा सभी वर्गों को दी जाए।

(तीन) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, झारखंड के कार्यकरण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : उपध्यक्ष महोदय, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के क्षेत्र संख्या 3, 4 एवं 5 के कोयला खदानों में लगी आग, कर्मचारियों के आवासों की जर्जर स्थिति, पेयजल संकट, बिक्री एवं सिविल डिपार्टमेंट में सुचारू रूप से काम न होना आदि समस्याओं से प्रबंधन मौन है। इस संबंध में कर्मचारियों एवं आम नागरिकों द्वारा कई बार प्रबंधन का ध्यान आकृष्ट कराया गया, परन्तु कार्रवाई शून्य है।

कोयला खदानों में लाखों टन कायेला जलकर बर्बाद हो रहा है एवं कम्पनी को राजस्व में हानि हो रही है। आवास मेन्टेनेंस, पीने का पानी एवं अन्य कार्यों के लिए कागज पर काम हो जाते हैं, परन्तु इसका लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल पाता है। सैकड़ों विस्थापितों को नौकरी और मुआवजा नहीं मिला है।

अत: सरकार से आग्रह है कि उपर्युक्त समस्याओं का निष्पादन शीघ्रातिशीघ्र किया जाए और इस संबंध में उच्चस्तरीय जांच सुनिश्चित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

(चार) तेल कंपनियों द्वारा विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तेल विक्रेताओं से बकाया देय राशि से अधिक कटौती न किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में विभिन्न तेल कम्पनियां अनुसूचित जाति और जनजाति के बेरोजगार नागरिकों को आरक्षण के तहत डीलरशिप देती हैं तथा कम्पनियां खुद गोदाम तथा शोरूम बनाकर देती हैं, जिसकी वसूली प्रति सिलेन्डर दो रुपए से काटती रहती हैं तथा खर्च राशि पूरी होने के बाद भी डीलरों से राशि काटती रहती है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के ऐसे डीलरों की तेल कम्पनियां इस तरह काफी नुकसान कर रही हैं। इसे रोकने के निर्देश देने का कष्ट करें, जिससे अनुसूचित जाति व जनजाति के हजारों लोगों को राहत मिलेगी।

(पांच) झारखंड में लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बॉक्साइट और एल्युमीनियम आधारित उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता

प्रो० दुखा भगत (लोहरदगा) : उपाध्यक्ष महोदय, झारखण्ड के मेरे संसदीय क्षेत्र लोहरदगा में बाक्साईट और एल्यूमीनियम के अपार भंडार हैं। यहां का कच्चा माल दूरस्थ क्षेत्र रिनकुटी उत्तर प्रदेश एवं रांची के मूरी क्षेत्र में बाक्साईट आधारित उद्योगों में ले जाया जाता है। अगर लोहरदगा के आसपास बाक्साईट आधारित उद्योग स्थापित हो जायें, तो यहां के आदिवासी लोगों को रोजगार मिलेगा और इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। साथ ही परिवहन पर बेकार की लागत को बचाया जा सकता है और परिवहन के समय कच्चे माल की जो हानि होती है, उसको भी बचाया जा सकता है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र लोहरदगा में बाक्साईट और एल्यूमीनियम आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहानात्मक कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

(छह) कर्नाटक में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री जी०एस० बसवराज (तुमकुर) : कर्नाटक राज्य सरकार पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष पिछड़े वर्गों

[श्री जी०एस० बसवराज]

के कल्याण के लिये अपने बजट में वृद्धि कर रही है। परन्तु यह राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ती हुई वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

मैं केन्द्र सरकार से इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान करने का अनुरोध करता हूं और पिछड़ी और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत इन वर्गों के कल्याण हेतु निधियां प्रदान करने का भी अनुरोध करता हूं। कर्नाटक सरकार को जूनियर कालेजों में विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये ट्यूशन फीस की स्वीकृति, पिछड़े वर्ग के लिये नये छात्रावासों को खोलना, आवासीय विद्यालयों और छात्रावास भवनों के निर्माण के लिये निधियां दी जाये। यह कहने की जरूरत नहीं है कि बिना केन्द्रीय सहायता के, कर्नाटक सरकार के लिये राज्य में पिछड़े वर्गों के लोगों की स्थिति अकेले ही सुधारना बहुत ही कठिन है।

(सात) कर्नाटक में विद्युत उत्पादन के लिए वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के कोयला खंडों को आवंटित करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : बंगाल 'ऐम्टा', कोल इंडिया ड और वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के बीच एक समझौता ह कि डब्ल्यू०सी०एल० कोयला भंडारों के सात प्रखंडों में कोयले का दोहन नहीं करेगी और इन प्रखंडों को कोयला मंत्रालय के माध्यम से बंगाल 'ऐम्टा' को सौंप दिया जायेगा ताकि कर्नाटक में बेल्लारी में कर्नाटक पावर कम्पनी लिमिटेड के निर्माणाधीन ताप विद्युत संयंत्र को कोयले की आपूर्ति की जा सके। इससे महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में एन०टी०पी०सी० प्रस्तावित विद्युत संयंत्रों और वहां के सेन्ट्रल इंडिया पावर कम्पनी के भद्रावती विद्युत संयंत्र को कोयला नहीं मिल पायेगा, और इस प्रकार, विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महाराष्ट्र में पहले ही 3000 मेगावाट बिजली की कमी है।

कर्नाटक में विद्युत उत्पादन के लिये वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के कोयला प्रखंडों के आबंटन के सम्बन्ध में दिये गये इस निर्णय की समीक्षा करने की आवश्यकता है और महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले, जहां प्रस्तावित विद्युत संयंत्रों और जल भण्डारण हेतु पहले से ही हजारों एकड़ भूमि ली गई है, में प्रस्तावित विद्युत संयंत्रों के लिये इन कोयला प्रखंडों के आरक्षित किया जाये। तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा भूमि पूजन भी किया गया था। एक स्वतंत्र एजेंसी विशेषकर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सत्य को जानने के लिये इसके बारे में जांच किये जाने की आवश्यकता है।

(आठ) केरल के कन्नूर जिले के तलाई में एक मत्स्य-पत्तन स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

प्रो० ए०के० प्रेमाजम (बडागरा) : केरल के उत्तरी हिस्से में थलासेरी में थलाई मत्स्य पत्तन की आवश्यकता लम्बे अरसे से महसूस की जा रही है। यह प्रत्यक्ष रूप से लगभग 30,000 मछुआरे समुदाय और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों के लिये लाभदायक है। इस संबंध में किये गये अध्ययनों के आधार पर, केरल सरकार ने कन्नूर जिले के थलाई में मत्स्य पत्तन के निर्माण हेतु एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। थलाई खाड़ी इस उद्देश्य के लिये एक बहुत ही उपयुक्त स्थल है और यहां पर प्राकृतिक मत्स्य व्यापार का एक केन्द्र है। परियोजना की अनुमानित लागत 19.40 करोड़ रुपये है।

राज्य में मत्स्य प्रसंस्करण और निर्यात की काफी संभावना है और इस परियोजना के आधुनिकीकरण से इस क्षेत्र की तरक्की होगी। वर्तमान में यह परियोजना भारत सरकार के पास लंबित है। मैं माननीय कृषि मंत्री से इस विषय की जांच करने और शीघ्रता से इस परियोजना को अनुमोदित करने का आग्रह करती हूं।

(नौ) विशाखापत्तनम शहर में रेलवे की जमीन पर रह रहे परिवारों को पुनर्वास के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता

डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम) ; महोदय, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम शहर में लगभग 2200 परिवारों द्वारा कब्जा की गई रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के पुनर्वास हेतु रेलवे बोर्ड को एक प्रस्ताव दिया था। यह प्रस्ताव है कि इस भूमि को खाली करवाया जाये और विशाखापत्तनम में पुराने रेलवे स्टशेन के पास वैकल्पिक रेलवे भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को फिर से बसाया जाये। राज्य सरकार ने, केन्द्र सरकार से राज्य को इस भूमि के नि:शुल्क अंतरण का अुरोध किया था परन्तु रेलवे मंत्रालय आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ है।

इसलिये, केन्द्रीय रेलवे मंत्री से अनुरोध है कि वह इस प्रस्ताव पर पुन: विचार करें और विशाखापत्तनम शहर में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार को नि:शुल्क ऊपर बताई गई भूमि के अंतरण के लिये आवश्यक निर्देश दे।

[हिन्दी]

(दस) उत्तर प्रदेश में खीरी जिले में बेलदाघाट और सिरसीघाट के बीच शारदा नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, जनपद खीरी को उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र से सीधे जोड़ने के लिए जनपद शाहजहांपुर से मोहम्दी होते हुए गोला गोकर्णनाथ एक मार्ग चल रहा है जिसे भारत सरकार द्वारा सी०आर०एफ० के माध्यम से उच्चीकृत किया जा रहा है परन्तु गोला से सीधे निधासन एवं तिकुनियां पहुंचने के लिए 115 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है क्योंकि बीच में शारदा नदी पर पुल नहीं है। यदि शारदा नदी पर बैलदा घाट तथा सिरसी घाट के मध्य पुल का निर्माण करा दिया जाए तो यह दूरी घट कर 60 किलोमीटर रह जाएगी। इस प्रकार तिकोनियं जो भारत-नेपाल सीमा पर स्थित एक बड़ी मंडी है, का सम्पर्क सीधे गोला गोकर्णनाथ होते हुए शाहजहांपुर में लखनऊ-दिल्ली मार्ग से हो सकेगा। यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस मार्ग के खुलने से जनपद खीरी के मध्य क्षेत्र में तीव्र गति से आर्थिक विकास हो सकेगा। विगत में इस पुल के स्थान पर बैलगाड़ियों एवं नौका के माध्यम से कारोबार होता रहा है। अत: सरकार से आग्रह है कि इस व्यापारिक एवं सामरिक महत्व के पुल का शीघ्र ही निर्माण कराने के कार्य किया जाए।

[अनुवाद]

(ग्यारह) देश के प्रत्येक जिले में युवा सेवा केन्द्र स्थापित किए जाने और खेल-कूद स्टेडियम का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

***श्री डी० वेणुगोपाल** (तिरूपत्तूर) : भारत जैसे विशाल देश में जहां कई जाति समुदाय के लोग रहते हैं खेल-कूद को प्रोत्साहन और राष्ट्र-निर्माण जिसमें युवा भी शामिल हैं, को अभी भी ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। हमारी आबादी के 75 प्रतिशत से अधिक 35 वर्ष से कम आयु वर्ग में आती है। देश के लगभग 102 करोड़ लोगों में से लगभग 34 प्रतिशत 15-35 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। यह जानकर दु:ख होता है कि खेल-कूद छात्रवृत्ति के लिए इस वर्ष का आवंटन पिछले वर्ष से कम है। इससे अपने युवाओं को अगले एशियाई खेलों या एथेन्स ओलंपिक के लिए तैयार करने में हमें मदद नहीं मिलेगी। इसी प्रकार, राष्ट्रीय सेवा कोर और हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय पुन: निर्माण कोर के लिए इस साल का आवंटन भी कम है। ऐसे समय में हम जब भूमंडली करण की ओर जा रहे हैं और निजी क्षेत्रों को और अधिक भूमिका देने जा रहे हैं तब हमें अपने युवाओं को सामाजिक और सामुदायिक सेवा क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय युवा आयेाग से प्रतिवेदन आने में भी विलम्ब हुआ है। नई सहस्त्राब्दि में युवाओं के लिए एक कार्य योजना बनाने में मदद करने हेतु उत्तरदायी युवा नेताओं और खिलाड़ियों को शामिल करने की आवश्यकता है इसलिएए, मैं केन्द्र सरकार से देश के प्रत्येक जिले में युवा सामाजिक सेवा केन्द्र और खेल-कूद स्टेडियम की स्थापना के लिए अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(बारह) बिहार में खगड़िया रेलवे स्टेशन के नजदीक एक सड़क ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : उपाध्यक्ष महोदय, खगड़िया रेलवे स्टेशन के पूर्वी ढ़ाला से सटे एन०एच०-31 स्थित खगड़िया एवं होम गार्ड फांड़ी के बीच रोड ओवर ब्रिज के निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है। इस स्थल के नजदीक सदर अस्पताल, बैंक, जेल, महाविद्यालय, अनुमंडल कार्यालय, डी०ए०वी० स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय, मंडल दूर संचार कार्यालय, समाहरणालय तथा कई रिहायशी इलाके हैं। यहां दिन में करीब 40 जोड़ी रेलगाड़ियों के चलने से बार-बार फाटक बंद हो जाता है जिससे ढ़ाला के दोनों तरफ गाड़ियों का तांता लग जाता है इससे यातायात में आम लोगों, कर्मचारियों तथा अधिकारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त स्थल पर रोड ओवरब्रिज बन जाने से इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अत: आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से उपरोक्त स्थल पर रोड ओवर ब्रिज निर्माण की मांग करती हूं।

[अनुवाद]

(तेरह) उड़ीसा के भुवनेश्वर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खंडपारा विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन महत्व के स्थल कैन्टिलो नीला माधव का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता

डा० प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर) : कैन्टिलो नीला माधव, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत खण्डपारा विधान सभा क्षेत्र में अव्यस्थित है। यह पवित्र स्थान है और हमारी संस्कृति का स्रोत है। प्राचीनकाल में इसकी उत्पत्ति के समय से ही पूरे विश्वभर से तीर्थ यात्री भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए इस जगह पर आते थे। विनाशकारी चक्रवात और बाढ़ के समय से यह स्थान पूरी तरह अलग-थलग पड़ गया है। हमारे राज्य की एक बड़ी नदी महानदी इस स्मारक स्थल के बगल से होकर बहती है और नदी की धारा से पूरे नील माधव के स्थान का कटाव हो रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इसका संरक्षण करे और इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित करे।

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[डा० प्रसन्न कुमार पाटसाणी]

इस स्मारक स्थल के पास में पद्मावती नामक एक गांव है जो महानदी के किनारे पर बसा इस विधान सभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। मानसुन के मौसम में बाढ़ से यह गांव सदा प्रभावित होता रहता है।

भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि पद्मावती गांव के निवासियों के जीवन की सुरक्षा करने के लिए तत्काल इस नदी के किनारे-किनारे पत्थर लगाने का आदेश दें।

(चौदह) व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, में एक हवाई अड्डे का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री चंद्र विजय सिंह (मुरादाबाद) : महोदय, सरकार यदि विदेश विनियम में मुरादाबाद से प्रतिवर्ष वर्तमान के 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा विदेशीमुद्रा कमाना चाहती है तो इसे यहां कुछ विवेकपूर्ण संरचनात्मक निवेश करने की आवश्यकता है।

इसके बढ़ते निर्यात में तेजी से प्रसार के लिए एक हवाई अड्डा बनाने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 को बेहतर बनाते हुए इसे 'एक्सप्रेस वे' बनाने अथवा इसे हापुड़ से मुरादाबाद तक चार लाइनों [illegible] बनाने की जरूरत है। भारी यातायात को देखते हुए यह व्यापारिक [illegible] संभव होगा और इससे मुरादाबाद में व्यापार और निर्यात को आवश्यक गति मिलेगी। अधिकांश भावी व्यापारी लोग इस सड़क से बचते हैं क्योंकि संकीर्ण, भीड़ युक्त और गड्ढा युक्त होने के कारण इस पर खतरा है।

(पंद्रह) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकशन को ढेंकनाल से उत्कल विश्वविद्यालय, उड़ीसा में स्थानांतरित किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री के०पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन, ढेंकानाल को उत्कल विश्वविद्यालय में स्थानांतरित करने के मुद्दे पर ढेंकानाल संसदीय क्षेत्र और उड़ीसा के लोग बहुत ही उत्तेजित हैं। आई०आई०एम०सी० की स्थापना 1993 में ढेंकानाल में हुई थी जिसका उद्देश्य पूर्वी भारत के लिए मास कम्यूनिकेशन में गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान उपलब्ध कराना था। केन्द्र सरकार ने नगालैण्ड के दीमापुर, मध्य प्रदेश के झाबुआ और केरल के कोट्टायम, में इसी प्रकार के संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया। आई०आई०एम०सी०, ढेंकानाल को ढेंकानाल में पहाड़ी पर स्थित इसके नए परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया। तब से आज तक भारत सरकार ने निर्माण गतिविधियों और कर्मचारियों पर लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। उडीया के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी छात्र शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस संस्थान ने एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया क्योंकि इसके छात्रों ने कई राष्ट्रीय दैनिकों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इसलिए केवल इस आधार पर कि यह वित्तीय और प्रशासनिक समस्याओं से घिरा हुआ है, इसे उत्कल विश्वविद्यालय में स्थानांतरित करना उचित नहीं होगा। इसे स्थानांतरित कर देने से शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में इसकी स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी वह पूरा नहीं हो पाएगा।

इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि आई०आई०एस०सी०को ढेंकानाल से स्थानांतरित करने के किसी भी प्रयास को रोका जाए।

अपराह्न 2.22 बजे

[अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2003

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 11 अर्थात्, वित्त-विधेयक पर विचार करेगी। श्री सांगतम खड़े थे। अब वे बोलना जारी रखें।

श्री के०ए० सांगतम (नागालैंड) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने वित्त विधेयक, 2003 से सम्बंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया था लेकिन कुछ विशेष कारण से सभा की बैठक स्थगित करनी पड़ी। तथापि मैं पूर्वोत्तर में 10 वर्षों से दिए जा रहे कर अवकाश और पूर्वोत्तर के उद्योगपत्तियों और पूर्वोत्तर में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को उत्पाद शुल्क में दी जाने वाली छूट के बारे में उल्लेख कर रहा हूं। कई कारण से पूर्वोत्तर बहुत पिछड़ा हुआ है और इसकी आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत खराब है। इसलिए, भारत सरकार पूर्वोत्तर के लिए एक के बाद एक पैकेज की घोषणा कर रही है लेकिन भारत सरकार की छिछोरी नीति के कारण उद्योगपत्तियों को गलत संदेश गया है।

महोदय, समस्या का समाधान क्रियान्वयन नीति के मौजूद कमी को दूर करना है न कि इसे समाप्त करना अथवा हर महीने इसमें बदलाव लाना और डेढ़ साल के भीतर नौ अधिसूचनाएं जारी करना। इस प्रक्रिया से 'एक कदम आगे और दो कदम पीछे' का संदेश जाता है। इस सम्बन्ध में असम सरकार त्रिपुरा सरकार और पूर्वोत्तर के संसद सदस्य भारत के प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री से पूर्वोत्तर में कर-अवकाश दिवस और उत्पाद शुल्क में छूट को जारी रखने के सम्बन्ध में मिले थे।

व्यक्तिगत तौर पर मैं समझता हूं कि तम्बाकू उत्पादों जैसे रिगरेट, गुटका, पान-मसाला आदि में निकोटीन की मात्रा और अन्य मादक पदार्थों के बारे में लोगों के बीच भारत सरकार के उचित मंत्रालय

द्वारा यह संदेश फैलाना चाहिए कि मनुष्य द्वारा इनका उपयोग अच्छा नहीं है और भारत सरकार के उपयुक्त मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में एक व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाना चाहिए। तथापि, मेरा विचार यहां अहम मुद्दा नहीं है बल्कि बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा पूर्वोत्तर भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है और हमें इस क्षेत्र के लोगों को भी बेहतर रोजगार उपलब्ध कराना है तथा पूर्वोत्तर में औद्योगिक विकास लाना है। इस संबंध में हमे दो निश्चित रास्ते तय करने होंगे। कुछ ऐसी सिगरेट कम्पनियां हैं जो तैयार माल पूर्वोत्तर क्षेत्र में लाकर उत्पाद शुल्क में छूट पाने की कोशिश करती है, जो सरकार यहां के लिए देती है। इसी प्रकार ऐसी कम्पनियां जिन्होंने पहले ही इस क्षेत्र में कारखाने लगा रखे हैं और पूर्वोत्तर में लोगों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध करा रही है उन्हें कर अवकाश और उत्पाद शुल्क में छूट का लाभ दिया जाना चाहिए। जब तक हम इन चीजों की पहचान नहीं की जाएगी इससे कोई फायदा नहीं होगा और इस पर एक समान प्रतिबंध लगाना भारत सरकार के लिए उचित नहीं होगा।

मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत जारी एक अधिसूचना सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। इसमें बताया गया है– ''पूर्व के वित्त मंत्रालय (राजस्वविभाग) में केन्द्र सरकार द्वारा भारत सरकार की अधि सूचना सं० जी०एस०आर० 508(इ०), दिनांक 8 जुलाई, 1999 और जी०एस०आर० 509(इ०) दिनांक 8 जुलाई, 1999, केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 5(क) की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी और अतिरिक्त ड्यूटी उत्पाद (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के उप-धारा (3) और अतिरिक्त ड्यूटी, उत्पाद (वस्त्र और वस्त्र सामान) अधिनियम, 1978 की धारा 3 के उप-धारा (3) के साथ पठित, अब संशोधित हो जाएगा और उस अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट तिथि के अनुसार, भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित माना जाएगा, और तद्नुसार, किसी न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकार के किसी निर्णय, डिग्री या आदेश में अर्तविष्ट होने के बावजूद, की गई कोई कार्रवाई या सभी उद्देश्यों के लिए किया गया कुछ भी कार्य यथा वैधता और प्रभावी रूप से की गई या मानो इस उप-धारा द्वारा यथा संशोधित अधिसूचनाएं सभी समय के लिए लागू रही हैं।

प्रस्तावित संशोधन ने भारत सरकार की छिछोरी नीति और विश्वसनीयता पर निवेशकों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के मन में एक गंभीर संदेह पैदा कर दिया है। यह निरोधक कार्रवाई सभी उद्योगों पर रोक लगाएगा जिन्होंने पूर्वोत्तर में निवेश करने के लिए पहले ही योजना बना रखी है या जो वहां जा चुके हैं। लोग सरकारी मशीनरी में विश्वास खो देंगे और अलगाववादी ताकतों को फलने-फूलने का अच्छा अवसर मिलेगा। यदि इसे नहीं रोका गया तो, संसद जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, से आम लोगों में गलत जन नीति का संदेश जाएगा क्योंकि एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक प्रणाली की नींव सरकार के वायदों और कार्यों की विश्वसनीयता और सच्चाई पर टिकी होती है।

उन सभी लोगों को जिन्होंने पूर्वोत्तर के लिए बनाई गई नीति का दुरुपयोग किया है और इस नीति का दोहन किया है उन्हें काली सूची में डाला जाना चाहिए और उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। इस देश की एकता, अखण्डता, शांति और सौहार्द के व्यापक हित में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बनाई गई औद्योगिक नीति को किसी भी मंत्रालय द्वारा बदला नहीं जाना चाहिए।

महोदय, सरकार की विशेष अनुमति याचिका न्यायालय में लम्बित है। यह असम सरकार के बार-बार के इस सुझाव की उपेक्षा करके किया जा रहा है कि न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाए और कम से कम वर्तमान, के लिए निवेशकों के विश्वास को वापस लौटाया जाए। यदि सरकार न्यायालय में अपना पक्ष रखती है तो सरकार औद्योगिक नीति के तहत दस वर्षों के लिए कर-अवकाश का लाभ देने के लिए नैतिक या कानूनी रूप से बाध्य नहीं है और सरकार को कभी भी इसे स्वीकार करने अथवा समाप्त कर देने का अधिकार है इस बात के बावजूद कि प्रधानमंत्री ने किस प्रकार की घोषणा की है और जिसे औद्योगिक नीति विभाग द्वारा बनाया गया था और वित्त मंत्रालय द्वारा कई अधिसूचनाएं जारी की गई, पूर्वोत्तर में औद्योगिक विकास के लिए किसी निवेश आवक को स्वीकार करना बहुत दूर की बात होगी।

पूर्वोत्तर की विकास की बात करते समय इस प्रकार के विधिक प्रयास की बात अवांछित है। यह जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश आदि जैसे राज्यों के लिए घोषित औद्योगिक नीतियां और प्रोत्साहन योजनाओं के लिए सही है।

महोदय, 18 अप्रैल, 2003 को डा० सी०पी० ठाकुर, पूर्वोत्तर विकास के प्रभारी मंत्री, ने वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर के उद्योगपतियों की चिंता के बारे में बताया है और पूर्वोत्तर के लोगों की भावनाओं को भी व्यक्त किया है। मैं उनके पत्र को उद्धृत करना चाहूंगा :

> ''कुछ यूनिटों द्वारा लाभों के दुरुपयोग और प्रशासनिक असफलता के कारण वास्तविक उद्योगपति, जिन्होंने उपद्रवी गतिविधियों के बावजूद वास्तव में अपनी गाढ़ी कमाई पूर्वोत्तर के क्षेत्र में लगाई है उन्हें सामान्य रूप से लोगों को वापस लेने के कारण नुकसान नहीं होना चाहिए। उद्योगपतियों द्वारा निवेश संबंधी निर्णय एक घोषित नीति पैकेज के पूरे साल में उपलब्ध लाभों के सभी कारकों पर विचार करते हुए किया जाता है। यदि पैकेज की अवधि पूर्ण होने से पहले ही लाभ वापस ले लिए जाते हैं तो उद्यमियों को उनका पूरा निवेश डूब जाने के बजाए कुछ नहीं मिलेगा। इससे यूनिट बंद हो जाएंगे और जिसका मतलब पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार सृजन और आयका बंद हो जाना है।''

[श्री के०ए० सांगतम]

महोदय, इसके पहले भी कई घोषणाएं हुई हैं यहां तक कि बोंगाईगांव, डिगबोई और नुमालीगढ़ की तेल शोधकारखानों के संबंध में भी। नुमालीगढ़ के मामले में भी सरकार ने यह घोषणा की है कि उत्पाद शुल्क में 100 प्रतिशत छूट होगी लेकिन बाद में इसे 50 प्रतिशत कर दिया गया और इसी तरह के और भी मामले हैं। फिर, पूर्वोत्तर क्षेत्र में संरचनात्मक विकास के लिए 10 प्रतिरात की निधि रखी गयी है। मंत्रालयों और विभागों के बनाए गए बजट खातों से आप 10 प्रतिशत राशि निकाल लेते हैं। इस समय यह सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। इसलिए पूर्वोत्तर के लोगों को आज जो संदेश जा रहा है वह अच्छा नहीं है।

महोदय, प्रधान मंत्री पूर्वोत्तर के बारे में अक्सर जो कहा करते थे उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इसे हिन्दी में कहता हूं; दिल्ली से नॉर्थ इस्ट बहुत दूर है, लेकिन हमारे दिल में हमेशा रहता है। लेकिन यह कभी सत्य नहीं हुआ है क्योंकि कई बार प्रधान मंत्री जी बहुत सारी बातें कहते हैं कि लेकिन उनकी सरकार के मंत्रालय और विभाग उनके वायदों को पूरा करने से मुकर जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के संदेश देना न केवल पूर्वोत्तर के लिए बल्कि पुरे देश के लिए और उनके लिए जो पूर्वोत्तर में निवेश करना चाहते हैं अच्छा नहीं है। मैं समझता हूं, देश में झूठे वायदा करना बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों जो इस देश से अलग होना चाहते हैं खासकर पूर्वोत्तर के लोगों के लिए यह बहुत अच्छी बात नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी बहुत सम्मानित व्यक्ति है। मुझे उनसे बात करने का दो या तीन बार मौका मिला है। जब कभी हमने किसी समस्या पर उनसे बात की उन्होंने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी। आज, मैं आश्वस्त हूं, कि आप मेरे निवेदन पर ध्यान देंगे। आपने लोगों को जो कुछ दिया है, जैसे, 10 वर्षों से कर अवकाश, उद्योगपत्तियों और उद्यमियों के लाभ के लिए उत्पाद-शुल्क के छूट, अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और लोगों की आय बढ़ेगी। मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि इससे देश की अखण्डता बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी। मैं आप जैसे व्यक्तित्व और वित्त मंत्री द्वारा उठाए जा रहे सभी मुद्दों से आश्वस्त हूं कि इससे पूर्वोत्तर के लोगों का काफी विकास होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2003-3004 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे वित्त मंत्री श्री जसवन्त सिंह जी का अभिनन्दन करना है क्योंकि उन्होंने वित्त मंत्रालय संभालने के तुरन्त बाद बहुत सारी योजनाएं अमल में लाने की कोशिश की है। मुझे इस सदन का भी अभिनन्दन करना है क्योंकि यहां अनुकूल और प्रतिकूल पक्षों और इतनी बड़ी संख्या में पार्टियों के होने के बावजूद, सारे सांसद, भाईचारे के नाते, मिलजुल कर काम कर रहे हैं और विधेयक पास कर रहे हैं। इसका भी मुझे बड़ा सन्तोष है।

महोदय, वर्ष 1999 में, जिस वक्त एन०डी०ए० सरकार ने सत्ता संभाली, उस समय भारत की क्या दशा थी, इसकी जानकारी मुझे सदन को देनी है। उस समय बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। सुशिक्षित बेरोजगार युवक धक्के खाते फिर रहे थे। पूरे भारत में सात करोड़ से ज्यादा सुशिक्षित बेकार लोग थे। अकेले महाराष्ट्र में 40-50 लाख सुशिक्षित बेरोजगार थे। महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि गरीबों की कमर टूट गई थी। विदेशी कर्जा इतना बढ़ गया था कि 6 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज उस वक्त भारत पर था जिसके 16 हजार करोड़ रुपये ब्याज के देने पड़ते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, सुशिक्षित बेरोजगारों के लिए एन०डी०ए० सरकार ने कम से कम 10,000 रुपए से 20 लाख रुपए तक की सुविधा दी है, जिससे वे रोजगार कर सकें। ऐसे ही जो लघु उद्योग करना चाहते हैं, उनके लिए 12 प्रतिशत की रियायत दी है और जो एक करोड़ की मर्यादा थी, वह पांच कोटि तक ले गए हैं। अगर पांच कोटि तक का लघु उद्योग करना है तो उन पर इनकम टैक्स नहीं लगता। सबसे बड़ी बात एन०डी०ए० सरकार ने यह की है कि किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना बनाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक जमाना वह था कि किसान जब साहूकार, पुराने पटेल और जमींदार से एक-दो या पांच हजार रुपए मांगने के लिए जाते थे तो उन्हें अपना मकान या खेती गिरवी रखनी पड़ती थी और कई बार वे लोग इसे हड़प भी लेते थे। किसानों की ऐसी हालत को देखते हुए वाजपेयी जी, एनडीए की सरकर ने सचमुच बहुत बड़ा किसानों पर एहसान किया है। आज अगर किसान बैंक से लोन लें तो उसके नाम से 50 प्रतिशत लोन सैंक्शन होता है। वह जितना लोन लेता है उसी पर उसे ब्याज भरना पड़ता है। यह उसके लिए बहुत बड़ा फायदा है। एनडीए सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए 12 योजनाएं बनाई हैं। महिलाओं के लिए नौ योजनाएं हैं सुशिक्षित बेरोजगारों के लिए पांच और पंथ प्रधान योजना में जो एक लाख रुपए की मर्यादा थी, उसे दो लाख किया है। उससे उन्हें बहुत बड़ा फायदा हुआ है और इससे बेकारी का निवारण हुआ है। किसानों के लिए नौ, मजदूरों के लिए पांच, ऐसी कुल मिला कर 22 योजनाएं हैं। मेरी जानकारी के अनुसार सौ से ऊपर योजनाएं एनडीए सरकार ने बनाई हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि जो बीपीएल की लिस्ट बनती है वह ग्रामसभा बनाती है और उनके द्वारा बनाने से वह स्थानीय

प्रकरण के कारण असली नहीं होती है तथा उसका फायदा किसानों, मजदूरों और छोटे आदमियों तक नहीं पहुंच पाता, यह बहुत बड़ी दिक्कत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे एक-दो सुझाव और हैं। राज्य सरकार जब शराब की दुकानें देती हैं, वे दुकानें वह सोसायटी को नहीं देती है। मेरा सुझाव है कि अगर केन्द्र सरकार राज्य सरकार को यह सूचना देती है कि अगर इसी तरह आपने दुकान दी और उसका कुछ हिस्सा केन्द्र दे तो राज्य सरकार और केन्द्र दोनों का फायदा हो सकता है। मेरा ख्याल है कि इससे अरबों रुपए का फायदा हो सकता है और इससे वित्त भी बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में एक रुपए की लीज पर ऐसी कई जगह सालों के लिए दी गई हैं। अगर एक रुपए में न देते हुए मार्केट के भाव से देंगे तो भी अरबों रुपए का फायदा हो सकता है। बड़े-बड़े कारखानोंकी तरफ जो कर्जा है, उसे वसूल किया। एनडीए सरकार ने यह वसूली का विधेयक बनाया और वे वसूली कर रहे हैं। उसी वसूली में से आज सुशिक्षित बेरोजगारों को, किसान और मजदूरों को रियायत दे रहे हैं। मेरा एक सुझाव यह भी है कि कर्मचारी और अधिकारी का काम देख कर उन्हें पगार देनी चाहिए, कम्प्यूटर के जरिए कौन कितना काम कर रहा है। कुछ अधिकारी और कर्मचारी सचमुच बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन मुआवजा उतने परिमाण में नहीं मिलता और जो लोग काम नहीं करते, उनको मिलता है, इसलिए जो काम करते हैं, उनको ज्यादा पैसा देना चाहिए। ऐसी व्यवस्था अगर आपने कम्प्यूटर के जरिये की तो बहुत बड़ा खर्च बच सकता है। ऐसे कई सरकारी कार्यालय हैं, जिन कार्यालयों में काम नहीं होता, जो बन्द पड़े हैं, लेकिन बजट में उनके भी कुछ प्रोवीजन किया जाता है। अगर ऐसे कार्यालय बन्द किये गये तो अरबों रुपये बच सकते हैं और महसूल बढ़ सकता है।

मेरा एक और सुझाव है। सरकरी नौकरियां एक कुटुम्ब में कुटुम्ब प्रमुख को, उसके बेटे, बेटी, पत्नी और बहू को मिलती है। और एक फैमिली में 10-10 नौकरियां हैं। अगर एक कुटुम्ब में एक नौकरी कर दें तो बहुत बड़ी तादाद में बेकारी की समस्या हल हो सकती है, इसलिए मेरा सुझाव है कि एक कुटुम्ब में एक नौकरी अगर कर दी जाए तो अच्छा रहेगा।

देश में काला पैसा बहुत पड़ा है। अगर काले पैसे को निकाल दिया जाये तो भी महसूल बढ़ सकता है। इसी तरह से हमारे देश में मंदिर और मस्जिद बहुत हैं। मंदिरों और मस्जिदों में गुप्तदान के नाम पर पैसा दिया जाता है। अगर उस गुप्त दान में कुछ पैसा कानून के अनुसार राष्ट्रीय कोष में जमा करें तो वह पैसा भी बढ़ सकता है। जैसे तिरुपति बालाजी में अरबों रुपया पड़ा है। ऐसे और भी कई मंदिर हैं। मेरा सुझाव है कि वह पैसा कानून के अनुसार निकालकर राष्ट्रीय कोष में जमा किया जाये। सारे के सारे पैसे की उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे राष्ट्रीय कोष में लगायें तो महसूल बढ़ सकता है।

इसी तरह से वेतन के बारे में मुझे सुझाव देना है। एक तरफ इंडियन एयरलाइंस के पायलट की तनख्वाह तीन लाख से छः लाख रुपये महीना है और भारतवर्ष में जो स्वास्थ्य रक्षक योजना है, उसे एक महीने में 50 रुपये दिये जाते हैं। कहां छः लाख रुपये महीना और कहां 50 रुपये महीना, यह कितने शर्म की बात है। इस विषय में बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बोलना पड़ता है, इसलिए इतनी बड़ा तनख्वाह को निकाल दिया जाये। मेरा सुझाव है कि भारत क जो किसान है, उसका एक बार पूरा नहीं तो कम से कम 50 हजार रुपये तक के कर्जे माफ करने चाहिए। पिछली बार मैंने बोला था तो वित्त मंत्री ने 50 हजार रुपये तक का अकाल की अवस्था में सिर्फ ब्याज माफ किया, लेकिन उसके भी निर्देश अभी तक जारी नहीं हुए। इसलिए छोटे, मझोले और बड़े का अन्तर न रहे, सारे किसानों का कम से कम 50 हजार रुपये के ब्याज सहित कर्जे माफ करने चाहिए। यह क्यों करना चाहिए, मैं आपके इसके लिए कुछ आंकड़े देता हूं, महाराष्ट्र में 773 कारखाने ऐसे हैं, जिनके ऊपर 10 से 20 करोड़ रुपये बाकी हैं, ऐसे 28 हजार करोड़ रुपये अकेले महाराष्ट्र में हैं। भारतीय लोगों के 43 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंक में पड़े हैं, जिनमें से कुछ भारतीय मर भी गये हैं। इसलिए जितना भी यह पैसा है, इसे राष्ट्रीय कोष में जमा करना चाहिए। अगर ऐसा कानून बनायें तो उससे भी महसूल बढ़ सकता है। 31 दिसम्बर, 1999 के अनुसार हर्षद महेता की तरफ 2423 करोड़ रुपये, हितेन दलाल की तरफ 1403 करोड़ रुपये और नौ व्यक्तियों की तरफ 9727 करोड़ रुपये बाकी थे। इतना रुपया डूबत खाते में है। इसी तरह फिल्म क्षेत्र के लोग भी हैं, जिनके ऊपर करोड़ों रुपये बाकी हैं। बैंकों का 60 हजार करोड़ रुपया डूबत खाते में है। यह राशि अगर लघु क्षेत्र, पी०एम०आर०वाई०, मध्यम और बड़े सभी क्षेत्रों को मिलाकर है।

उपाध्यक्ष महोदय, देश ने जो कर्ज ले रखा है, उसका ब्याज ही हर साल एक लाख एक हजार करोड़ रुपये अदा करना पड़ता है। स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की कंपनियां विभिन्न राज्यों में हैं। उन्हें सबसिडी दी जाती है लेकिन वे पूर्णतः घाटे में चल रही हैं। ऐसी 11 कंपनियां का इन्वेस्टमैंट एक लाख दस हजार करोड़ रुपये है जबकि घाटा 14,881 करोड़ रुपये है। 31 मार्च 2002 तक की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रों के 27 बैंकों और 4 विकास वित्तीय संस्था की सकल अनुपयोज्य आस्तियां 77,830 करोड़ रुपये की है। जब कंपनियों की तरफ, कारखानों की तरफ हम करोड़ों अरबों रुपया छोड़ सकते हैं, डूबित खाता में डाल सकते हैं तो किसानों की तरफ जो 50 हजार करोड़ रुपये का कर्जा है जो कि सिर्फ 6,501 करोड़ रुपये है, उसे अगरआप माफ करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि एन०डी०ए०

[श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे]

सरकार को क्या पूरे सदन को किसान लोग देवता मानेंगे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनका यह कर्ज माफ किया जाये।

मुझे बहुत अफसोस है कि ''मिड डे'' के दिल्ली वर्तमान पत्र के 31 मार्च, 2002 को अनुसार 110 हजार करोड़ रुपये लाक्ड अप किये गये, स्टॉप किये गये मैं कहना चाहता हूं कि यह क्या चल रहा है? गरीबी हटाओं के नाम पर पिछले 50 साल में क्या चल रहा है? हम गरीब क्यों हैं? यह न तो देवी देवताओं का श्राप है और न पूर्व जन्म का पाप है। यह तो गये 50 साल की गलत नीतियों का प्रताप है। आपको इसका जरा ख्याल करना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : आपकी चार साल की गलत नीतियों का परिणाम क्या है, उसका भी आप आकलन कीजिए। आपने कंपनियां बेच खाई हैं। कई कंपनियां कौडियों के दाम बेची गयीं। आप जरा उसका भी आकलन कीजिए। *(व्यवधान)*

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : मुझे और कुछ नहीं कहना। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कंपनियों का कारखानेदारों का [illegible] हटाओ के नाम पर माफ किया गया या डूबित खाते [illegible] अनुपयोज्य आस्तियां कहकर डिक्लेयर किया गया वैसे ही किसानों का 50 हजार करोड़ रुपया माफ करने में ऐसी कौन सी दिक्कत है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिये।

(व्यवधान)

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि अगर मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे तो पूरे भारत के किसान और मजदूर आपको बहुत दुआ देंगे।

श्री राज बब्बर (आगरा) : *(व्यवधान)* कम से कम दिल की बात तो करनी चाहिए। *(व्यवधान)* कभी अपने घरवालों से पूछिये कि उनके दिल को कितनी शांति मिली है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : राज बब्बर जी, आप इस तरफ देखकर बोलिये।

(व्यवधान)

श्री राज बब्बर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख हुआ और खुशी भी हुई कि कम से कम इस सदन के कुछ लोगों ने मुझे अभिनेता तो माना। आने वाले कल में वे मुझे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड भी दिलवा देंगे। *(व्यवधान)* दरअसल मैं इस फाइनेंस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बिल को इस देश की सामाजिक, भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बिल्कुल उल्टा मानता हूं। मेरा अभिप्राय आदरणीय जसवंत सिंह जी के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पण करने का नहीं है। लेकिन यह सच है कि यह इशारा चंद उन लोगों की तरफ है जो उनके चारों तरफ हैं और जो अपने डेजीगनेशन के तहत, यह इशारा उनके तहत है जो ड्यूटी बाउंड हैं। जिन्होंने केवल बैलैंस शीट की जिम्मेदारी को समझते हुए सामाजिक जिम्मेदारी को पीछे आंका है। आज इस बिल के लिए बहुत सारी प्राथमिकताएं आईं। ग्रामीण विकास, युवा, पेयजल, लघु उद्योग, कई शहरी विकास, रोजगार और गरीबी उन्मूलन, पता नहीं किन-किन चीजों के लिए इसमें पैसा मांग गया है, हमेशा मिलता रहा है और मिल भी जाएगा। मैं जानता हूं क्योंकि यहां नम्बर के साथ देश चलता है लेकिन कहीं-कहीं दिल भी चलना चाहिए। हमारे बहत सारे साथी उस तरफ बैठे हैं। *(व्यवधान)* चलेगा, चला कर देखें और अपने गिरेबान में देखें, वह दिल भी मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह देश उन चंद गोरों की तरफ देख रहा है जिनका नाम डालर, पाउंड्स और मल्टी नेशनल्स है। यह बिल उन लोगों की हिमायत करता है। आज हमारे देश का कोई भी सैक्टर उठा कर देख लीजिए, उस पर धीरे-धीरे मल्टी नेशनल्स का शिकंजा होता जा रहा है। आज इस देश के खेलों को देख लीजिए। हमें अपने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को देख कर बहुत खुशी होती है, हम तालियां बजाते हैं, हमारे खिलाड़ी हमें गौरव दिलाते हैं, फाइनल तक पहुंचाते हैं लेकिन क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि उन खिलाड़ियों पर नियंत्रण कौन लोग करने वाले हैं, कौन लोग कर रहे हैं और कौन लोग करेंगे – ये मल्टी नेशनल्स। हिन्दुस्तान की एक भी बड़ी कम्पनी का विज्ञापन, क्रिकेट जो दो महीने तक चलता रहा, सारा देश अपना काम-काज छोड़ कर, अपने नायकों को देखता रहा। लेकिन उन पर शिकंजा कौन कस रहा है – मल्टी नेशनल्स। आज हमारे देश के अंदर ऐग्रो इंडस्ट्रीज, हमारा देश ऐग्रीकल्चर प्रधान है लेकिन क्या एक भी हिन्दुस्तानी बड़ी कम्पनी है जो फूड इंडस्ट्री में हो। फूड इंडस्ट्री में हिन्दुस्तान की कोई भी बड़ी कम्पनी नहीं है। *(व्यवधान)* एक्शन ही तो है जो आप तक पहुंचेगा। मेरा ख्याल है मैं आप ही की बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं। मैं राजनीति में आपसे बहुत छोटा हूं लेकिन मैंने कम से कम आप लोगों की भाषा को समझना शुरू कर दिया है। *(व्यवधान)* मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम इस तरह की बातें बीच में आ रही हैं क्योंकि इनके दिल में कहीं न कहीं यह एहसास हो रहा है कि राज बब्बर की बात सुननी पड़ेगी। इस देश की ऐग्रो इंडस्ट्री, इस देश के खेल, इस देश की इलैक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, आज एक भी इंडस्ट्री अपने देश की, बड़ी विदेशी कम्पनियों का मुकाबला नहीं कर पा रही है। इस देश की अपनी कम्पनियां धीरे-धीरे बिकती जा रही

हैं। आज मल्टी नेशनल हम पर कावीज हो रहे हैं। और तो और, आज मेरे बहुत सारे साथी नाम लेते हुए शर्माते हैं। शामें चाहे जैसी हों। आज इस देश में शराब भी विदेशी ब्रांड से विक रही है। उसके ऊपर आदरणीय रघुवंश प्रसाद जी ने कल बोला कि विदेशी शराब, जो विदेशी ब्रांड से बिक रही है, उसे सस्ता किया जारहा है। तम्बाकू, मैं मानता हूं कि तम्बाकू, सिग्रेट, शराब गलत चीजें हैं, सेहत के लिए हानिकारक हैं लेकिन कहीं न कहीं हमें जरूर गौर करना चाहिए कि आज डब्ल्यू०एच०ओ० अपनी नाक के नीचे बंद करवा रहा है, मगर अमरीका की बड़ी-बड़ी कम्पनियां जिन्हें हमारा देश उन सिग्रेट बनाने वाली कम्पनियों को जगह दे रहा है, उनकी कम्पनियां खुल रही हैं, विदेश की बड़ी-बड़ी सिग्रेट हिन्दुस्तान में बननी शुरू हो गई हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप तम्बाकू को प्रोत्साहन दीजिए लेकिन कहीं न कहीं इस नीति में यह जरूर आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम बनाने वाले को रोक रहे हैं या खाने वाले को रोक रहे हैं। खाने वाले को रोकिए। चीन तम्बाकू की बहुत बड़ी मार्किट है। हमारे देश में एक बार चीन ने हमें आर्डर दिया भी लेकिन हम क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाए जिसकी वजह से वह आर्डर आज छिन गया और दूसरे मुल्कों के पास चला गया। क्यों नहीं हम ऐसा काम करते जिससे इस देश का भला हो? मैं यह नहीं कहता हूं कि आप किस पर रोक लगाएं और किस पर रोक नहीं लगाएं और तो और कपड़ा उद्योग देखिए। बदकिस्मती इस बात की होती है कि वैट एक अजीब तरह की चीज आई है। केतन साहब इस भाषा को समझते हैं। आप भी समझते होंगे। वह व्यापारियों की वाट लगा देगा। इस वैट ने जो हालात किए हैं और वहां पर आप जो हम पर तनखियां कस रहे थे। मैं तो नहीं कहूंगा कि आप कितना चंदा लेते थे। सारी जिंदगी इन लोगों ने चंदा दिया और इतना चंदा दिया कि जब आपके लिए दीवाने हो गए और आपने उन्हें दीवाना बना दिया। अब उन दीवानों को पत्थरों से आपने मारना शुरू कर दिया। आपने ऐसे पत्थरों से मारा है कि वे श्वास भी नहीं ले पा रहे हैं। आपके यहां से मदन लाल खुराना जी ने इन्हीं के मंच पर जाकर कहना शुरू कर दिया कि कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। आपने कोशिश की और आप प्रधान मंत्री जी के पास ले गये। अब इस बारे में क्या होगा, मैं नहीं कहता लेकिन वैट के बारे में जब सोचता हूं तो तकलीफ होती है। वैट के अंदर हर व्यापारी चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, उसे किन-किन जगहों पर जाना पड़ेगा और वैट की जगह पर जो माल बिकेगा, वहां पर टैक्स वसूल किया जाएगा और यह वैट जिन डिपार्टमेंटल स्टोरों की नकल पर लगाया जा रहा है, वहां के स्टोर्स एक लाख वर्ग स्केयर फिट के होते हैं और हमारे यहां के व्यापारी चार बाई चार के खोखे में अपना बिजनैस शुरू करते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मुम्बई की कालबा देवी देख लीजिए। चार बाई चार के खोखे हैं। कानपुर देख लीजिए, आगरा देख लीजिए, वहां की लुहार गली, हींग की मंडी, कचेरी घाट और रावतपाड़ा देख लीजिए। कितनी छोटी-छोटी दुकानों में ये लोग व्यापार करते हैं।

जो लोग हमेशा आप लोगों के लिए दीवार बनकर खड़े रहे। कम से कम उन दीवानों को पत्थर से मत मारिए। ऐसे कानून उन पर मत लादिए कि जब वे अपने परिवार वालों के साथ अपने को आपके साथ देखें तो वे उनको क्या मुंह दिखाएंगे कि इसलिए हमने सारी जिन्दगी इनकी सेवा की थी। ये बातें उन डिपार्टमेंटल स्टोरों की करते हैं जहां का मुनाफा 15 से 25 प्रतिशत होता है और हमारे देश का व्यापारी 5 से 10 प्रतिशत मुनाफा कमाता है। अगर इतना मुनाफा होता तो वर्तमान में लगभग सौ से अधिक वस्तुएं कर मुक्त हैं। वैट में अब केवल 36 वस्तुएं कर मुक्त होंगी। चीनी, कपड़ा, पानी, गुड़, बीड़ी, सिगरेट, रोटी जैसी कर मुक्त वस्तुओं पर टैक्स वसूल किया जाएगा। 1957 के अंदर इसी देश ने ऐसे ही सदन में कानून बनाया था कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो सामान्य उपभोक्ता, जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें हैं, उन पर कर न लगाया जाए। आप पचास साल की बात कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि पचास साल इधर हुआ, चार साल आपके हुए। गिनतियां मत करिए। यह देश गिनतियों से नहीं चलता। देश चलता है लोगों के दिल में आपके लिए जगह होने से। इसलिए मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सक्षम हैं, संशोधन कीजिए। आपने बातें कही हैं। आपने संशोधन के लिए आस भी दिलाई है। आपने कहा कि रेडीमेड गारमेंट्स के बारे में सोचेंगे। मैं आपको साधुवाद कहता हूं। जरूर कीजिए। उसके अंदर दर्जी है, छोटा व्यापारी है – धागा बेचने वाला, कतरन इकट्ठी करने वाला, उनके ऊपर आप कितना बड़ा जुल्म करेंगे। वह किस तरह से कैंची चलाकर एक कमीज सीता है, वह आज के इंटरनेशनल मार्केट में बाहर के जो ब्रांड आ गये हैं, उनसे किस तरह से वह मुकाबला करता है, आपको उनके बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आपने उनके बारे में कहा है कि आप सोचेंगे। मैं साधुवाद कहता हूं, जरूर सोचिए।

आपने पॉवर लूम्स पर कहा है कि शायद कुछ होगा। कल हमारे प्रोफेसर साहब यहां से बोल रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि पॉवर लूम्स किसी एक प्रदेश का नहीं है। शायद इसलिए सोचा होगा कि एक प्रदेश का होगा, आपने शायद यह सोचा होगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक हैं। उनके साथ आपका कोई मोह नहीं है, उनका अहित हो जाए। लेकिन मैं इस बारे में नहीं कहूंगा। अगर अल्पसंख्यकों के लिए किया था तो यह मत भूलिए कि मजदूर जो अल्पसंख्यक हैं। बहुत कम होगा कि अल्पसंख्यक जो मालिक होंगे, मालिक तो आप और हममें से लोग हैं।

[श्री राज बब्बर]

अपराह्न 3.00 बजे

इसलिए अल्पसंख्यकों के अहित या हित की बात करने के बजाय आप इस देश की जो प्रणाली है, उन्नति है, उसकी तरफ देखें। आपने कपड़े के ऊपर वैट लगा दिया है। चाहे हिन्दू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, सभी को कपड़े की जरूरत है। आदमी जब पैदा होता है, तब कपड़े की जरूरत होती है और जब आदमी मरता है, तब भी कफन के लिए कपड़े की जरूरत होती है। *(व्यवधान)* मेरे ख्याल से सार्स तो उधर है, आपके साथ थे। अगर आपको लग गया तो उस जगह बैठना मुश्किल हो जाएगा।

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : उनको नहीं लगेगा, आपको लगेगा।

श्री राज बब्बर : मुझे नहीं लगा है, तभी मैं कह रहा हूं कि आपके साथ थे बहुत दिनों तक इसलिए अगर लग गया तो हम इलाज कराएंगे। कपड़ा रख कर कराएंगे और जो मास्क बनेगा वह भी कपड़े का बनेगा। मेरी आपसे विनती है कि आप कपड़े से वैट हटा दें। कपड़ा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश के व्यापारी जो कपड़ा खासकर उत्तर प्रदेश के, वे सब बर्बाद हो जाएंगे। कपड़े की छोटी-छोटी मंडियां हैं, जैसे आगरा में है, कानपुर म हे। यहां पर कपड़े का व्यापारी दुकान पर बैठकर कपड़ा नहीं बेचता। रोजगार की बात की जाती है, इस देश में 40 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। उनको काम नहीं मिलता, तो उनमें से बहुत से लोग सुबह साइकिल पर सवार होकर अपने दोस्तों से या परिजनों से 200-300 रुपए मांगकर कपड़ा लेकर 20-30 किलोमीटर तक के गांवों में जाकर कपड़ा बेच कर वापस आते हैं। आपने उन पर भी वैट लगा दिया है। अगर कपड़े पर वैट लगा दिया तो ये छोटे व्यापारी कैसे अपना निर्वाह करेंगे। अगर आपको कपड़े पर वैट लगाना ही है तो जहां से कपड़ा निकलता है, वहां ड्यूटी लगाइए, बढ़ा कर लगाइए और अपनी वसूली बराबर करें, लेकिन कम से कम आम व्यापारी और आम आदमी के ऊपर इस तरह से तलवार न चलाएं।

मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं, उनके विवेक पर, ज्ञान पर, देश प्रेम पर किसी को कोई शक नहीं है, मैं विनती करता हूं कि यह कोई पार्टी का मामला नहीं है, यह हम सब लोगों का मामला है। जिन लोगों ने हमें चुनकर यहां भेजा है, उनके प्रति हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी तकलीफों को यहां रखें और उनका समाधान करें।

अभी सांगतम जी बोल रहे थे, मेरे पास भी कई रिप्रजेंटेशन आए हैं और मैं भी बहुत से लोगों से मिला हूं। नार्थ-ईस्ट के लिए इंडस्ट्रियल पालिसी की गोहाटी में मांग की गई है। मैं बताना चाहता हूं कि गोहाटी का अर्थ क्या है। गो का अर्थ है सुपाड़ी और हाट का अर्थ है बाजार।

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : हाट का मतलब है रोड।

श्री राज बब्बर : आपने रोड कहा है, तो मैं अपने को सुधार लेता हूं, क्योंकि मैं वहां पढ़ा नहीं हूं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : आप अपने भाषण में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को साथ लेकर आएं।

श्री राज बब्बर : आप मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन जाएं, तो मेरी बात आप लोगों तक पहुंच जाएगी।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, हालांकि उनके डायरेक्टर माननीय श्री मुलायम सिंह यादव यहां नहीं हैं और उनके प्रोड्यूसर श्री अमर सिंह जी भी यहां नहीं है फिर भी वह बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राज बब्बर : चूंकि अमर सिंह जी इस सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिए उनका नाम लेना उचित नहीं है। मुलायम सिंह जी इतने बड़े नेता हैं, मुझे लगता है कि आपके द्वारा उनके बारे में बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राज बब्बर, आपको अध्यक्षपीठ को संबोधित करना है। समय बिल्कुल नहीं है इसलिए ऐसी बातों में समय बरबाद करना ठीक नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री राज बब्बर : जहां तक सुपाड़ी की बात है, मैं बताना चाहता हूं इंडस्ट्रियल पालिसी 1996 में नार्थ-ईस्ट के लिए बनी। उस समय के प्रधान मंत्री जी वहां गए। वहां जाकर उन्होंने एक पैकेज की घोषणा की। 1997 में दूसरे प्रधान मंत्री जी वहां गए। उन्होंने इसको फार्मूलेट किया, योजना आयोग में डिसकस हुआ, फाइनेंस विभाग में भी विचार-विमर्श हुआ। उसके बाद फार्मूलेट करके वे इसको छोड़ कर चले गए। उसके बाद 8 जुलाई, 1998 को, तब शायद केयर टेकर गवर्नमेंट थी, प्रधान मंत्री जी वहां जाते हैं और नार्थ-ईस्ट के लिए पालिसी की घोषणा करते हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी भाषा, जिनके बारे में कहा जाता है कि सरस्वती उनके कंठ में है।

जब वे बोलते हैं, तो वचन पूरे के पूरे सिद्ध होते हैं। बचपन में मुझे याद है, जब सुनते थे कि वे चुनाव प्रचार में कहीं बोलने के लिए पधार रहे हैं, तो निक्कर पहनकर सुनने के लिए जाया करते थे। उनके वचन पर मुझे आज भी यकीन है। जहां तक इस पालिसी की बात है, 1999 में चुनाव के बाद दिसम्बर महीने में इस पालिसी को उठा लिया जाता है। फिर 17 जनवरी, 2000 को उसे दोबारा लागू कर दिया जाता है। उसके बाद एक मार्च को फिर मेघालय में लागू कर दिया जाता है। 21 जुलाई, 2000 को मिजोरम में लागू कर दिया जाता है। 28 अगस्त, 2000 को नागालैण्ड में लागू कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, 9 नवम्बर, 2000 को मणिपुर में लागू कर दिया जाता है। अचानक पता नहीं फिर क्या होता है, उस पालिसी को दोबारा उठा लिया जाता है। मैं कहता हूं, अगर किसी ने पालिसी का सही तरीके से उपयोग नहीं किया है, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसे सज़ा-ए-मौत दी जाए। इस देश के किसानों के लिए, इस देश के नौजवानों के अगर कोई पालिसी बनती है और कोई उसका दुरुपयोग करता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने पालिसी का दुरुपयोग नहीं किया है, वे कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट निर्णय लेता है कि इन्डस्ट्रियल पालिसी वापिस नहीं ली जा सकती है। लेकिन इस विधेयक में कहा जा रहा है कि इस पालिसी को रिट्रोस्पैक्टिवली वापिस ले रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप चाहते हैं कि इन्सरजेंसी को खत्म किया जाए, तो इस तरह के कदम नहीं उठाये जाने चाहिए। किसानों को सुपारी का मूल्य अगर सही मिल रहा है, मेघालय के अन्दर अगर चूने का सही मूल्य मिल रहा है, फिर यह सदन यानि यह सरकार उस सहूलियत को उठा लेती है, तो उसका सीधा मतलब होगा कि कल किसान बन्दूक उठाएगा। नौजवान जो पहले से ही बन्दूक उठाना चाहता था, उसको थोड़ी राहत मिली थी, ऐसा होने पर वह दोबारा वापिस अपने रोल में आ जाएगा। इसलिए मैं सदन के माध्यम से दरख्वास्त करूंगा कि सरकार द्वारा जो पालिसी बनाई गई है, प्राण जाय पर वचन न जाए, वह लागू होनी चाहिए। अभी हाल ही में काश्मीर में आप एक पालिसी देकर आए हैं, अगर इस तरह से पोलिसी वापिस ली जाएगी, तो उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। यह प्रधान मंत्री जी का सवाल नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा किए गए फैसलों का सवाल है और उन फैसलों का सम्मान होना चाहिए। जिन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है, उनको सजा न देकर कहा जा रहा है कि हम माफी चाहते हैं। गुनाह दाड़ी वाले ने किया है, लेकिन सजा मूंछ वाले को दी जा रही है। मेरे ख्याल से यह नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर दाढ़ी वाले ने गुनाह किया है, तो सजा दाढ़ी वाले को दी जानी चाहिए। मूंछ वाले ने किया है, तो मूंछ वाले को दी जानी चाहिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : आपके पास दोनों में से कोई नहीं है।

श्री राज बब्बर : मैंने गुनाह नहीं किया है, इसलिए मैंने नाम ही नहीं लिया।

उपाध्यक्ष महोदय : बगैर दाढ़ी-मूछ हो, तो?

श्री राज बब्बर : मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पीछे से कह रहे हैं, मेरे से बड़े हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

महोदय, मैं फिल्म उद्योग के बारे में बोलने से पहले एक बात किसानों के बारे में कहना चाहता हूं। फिल्म उद्योग के बारे में बोलना मेरा फर्ज बनता है, लेकिन मैं किसानों के बारे में बोलना चाहता हूं। किसान दिन-रात खेत में मेहनत करता हूं। इस बार आलू की बम्पर क्राप हुई है, लेकिन उसको उसका मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान दिन-रात मेहनत करके फसल पैदा कर सकता है और सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के अन्दर कोई निर्णय हो जाएगा। जब कोई निर्णय नहीं होता है, तो किसान आत्म-हत्या करने पर मजबूर हो जाता है। यह समस्या केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी से गन्ने के बारे में बात करने के लिए उत्तर प्रदेश से कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन गन्ना केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, बल्कि सारे महाराष्ट्र, बिहार और देश के अन्य राज्यों में भी गन्ने का उत्पादन होता है। गन्ने के समान आलू भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आलू उत्पादन से मल्टीनेशनल कमाई कर रहा है और हमारे देश का गरीब किसान आत्महत्या कर रहा है।

मैं आखिर में सिनेमा के बारे में बात कहना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि आपके द्वारा उठाए कदम से सिनेमा जगत को राहत मिली है क्योंकि आपकी सरकार ने उसे राहत पहुंचायी, उसके लिए साधुवाद। आपने से इंडस्ट्री डिक्लेयर किया, लेकिन कहीं कोई इंडस्ट्री डिक्लेयर करते हैं तो उसे अन्य सुविधाएं भी देते हैं। आपने इस बात को माना कि 40 साल तक इसे इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं किया। बैकवर्ड होने के कारण आप उसे इंडस्ट्री डिक्लेयर करते हैं। यदि वह इंडस्ट्री बैकवर्ड है तो उसके फलने-फूलने के लिए कुछ नॉम्स होने चाहिए। उसके लिए क्या-क्या चाहिए, क्या इनसैंटिव्स मिलने चाहिए, वे देने चाहिए। उनसे कहिए कि वे अच्छी कहानी लेकर आएं। यदि किसी अच्छी कहानी में कोई एक्टर काम करता है तो उससे टैक्स वसूल नहीं करिए।

(व्यवधान) फिल्म इंडस्ट्री को केवल इंडस्ट्री का दर्जा देने से वह इंडस्ट्री नहीं बन जाती है बल्कि बैकवर्ड इंडस्ट्री को ठीक तरीके से रिकॉग्नाइज्ड करके सहूलियत दीजिए क्योंकि आज जिस तरह से मल्टीनेशनल का कला के ऊपर असर पड़ रहा है, शिकंजा हो रहा है, उस शिकंजे को देश का सदन गम्भीरता से ले।

[श्री राज बब्बर]

मैं एक बार फिर कहूंगा कि आदरणीय वित्त मंत्री जी बहुत विवेकशील हैं। मैंने उनके बारे में एक चीज देखी है। मैंने जब भी आपसे बात की, आपने कभी ऐसा अहसास नहीं कराया कि मैं किसी विरोध पक्ष या विरोधी पार्टी का आदमी हूं। आपने मुझ से हमेशा छोटा होने के नाते आशीर्वाद देकर बात की। मैं इस वक्त बोल रहा हूं लेकिन यकीन मानिए कि यह आवाज आपके आगे-पीछे बहुत सारे लोगों की है। मैं जो कुछ बोल रहा हूं, शायद हो सकता है वह यहां न बोली जाए लेकिन हो सकता है पार्टी मीटिंग या दूसरी किसी जगह बोली होगी। इसलिए उन सब की और मेरी आवाज को सुन कर आप इनमें जरूर संशोधन करें, मेरी यही प्रार्थना है। अंत में मैं इस बिल का विरोध करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, अब तक जितने भी फिल्म अविनेताओं ने यहां भाषण दिया है उनमें से सबसे अच्छा भाषण इन्होंने ही दिया है। उपाध्यक्ष महोदय और हम सभी को इस बात की सराहना करनी चाहिये?

होदय : इसीलिये उनको बोलने के लिये कुछ अतिरिक्त समय मिला है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : श्री राज बब्बर के बाद मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिये कहा गया है। मैं न तो 'नेता' हूं और न ही 'अभिनेता'। इसीलिए मैं क्राप्ती नवरूल इस्लाम को उद्घृत करना चाहता हूं :

"जज, मजिस्ट्रेट ताराई सबे,
लाट बड़ लाट ताराई हबे,
आम्रा सुधु चासेर मालिक,
ग्रासेर मालिक नय,
ए देश ए देश बलचो करे
ए देश तो देर नय"

मैं उस श्रेणी का व्यक्ति हूं 'यानि चासेर' श्रेणी का व्यक्ति हूं, मैं न तो नेता हूं और 'अभिनेता'।

अपराह्न 3.13 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुये*]

सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के एक सहभागी के रूप में वित्त विधेयक का समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं।

मैं वित्त मंत्री के भाषण के माध्यम से प्रतिपादित भारत सरकार की वित्तीय नीति के एक पहलू तथा केन्द्रीय बिक्री कर और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त विधेयक में अन्तर्विष्ट पर चर्चा करूंगा। जैसा कि बजट भाषण के पैरा 130 के पृष्ठ 23 में हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा उल्लिखित है, यह पहलू पहला पहलू है। यह पहला पक्ष है। उनका कथन है कि इस वर्ष अर्थात् 2003-04 वर्ष एतिहासिक वर्ष होगा क्योंकि सभी राज्यों में मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली को लागू करेंगे। केन्द्र सरकार इस महत्वपूर्ण सुधार कार्य में संघीय व्यवस्था की उच्चतम मर्यादा का पालन करते हुए राज्यों की सहयोगी रही है।

महोदय, मैं केवल मूल्य वर्द्धित कर (वैट) के बारे में ही बोलना चाहता हूं। मैं, इस विषय के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय पर नहीं बोलूंगा। मुझे इसके बारे में कुछ सन्देह और आशंकायें हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री मेरे सन्देह और आशंकाओं को दूर करेंगे। मूल्यवर्धित कर प्रणाली के संबंध में मेरे कुछ प्रश्न हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वित्त मंत्री मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे।

वे कहते हैं कि वैट विश्व के 125 देशों में लागू किया गया है हालांकि वित्त मंत्री ने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है कि यह 120 देशों में लागू है। हमारे चार पड़ोसी देशों — बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्री लंका में भी इसे लागू मिलते गया है। इन देशों में मूल्य वर्धित कर प्रणाली 7 से 8 वर्ष पूर्व यह लागू हो गयी थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन 125 देशों में अथवा कम से कम चार पड़ोसी देशों में इस मूल्य वर्धित कर प्रणाली के कार्यान्वियन पर कोई अध्ययन किया गया है। क्या यह अध्ययन किया गया है कि इस मूल्य वर्धित कर प्रणाली के बारे में उनका क्या अनुभव है, किस सीमा तक यह सफल रहा है, और किस सीमा तक यह असफल हुआ आदि? यदि हां, तो कृपया सभा को इस अध्ययन के निष्कर्षों से अवगत कराया जाये। यदि इन देशों में यह विधान सफल हुआ है, तो कि सभा भी आश्वस्त होगी, और तब हम इसे अपने देश में भी कार्यान्वित कर पाएंगे।

दूसरे, क्या उत्पाद शुल्क — अर्थात् उत्पादक शुल्क इन चार सीमावर्ती देशों के साथ-2 इन 125 देशों में भी लागू है? तीसरे, पाकिस्तान को छोड़कर 125 देशों में से किन संघीय प्रणाली आधारित देशों ने अपने राज्यों में मूल्य वर्धित कर प्रणाली लागू की है? उनका क्या अनुभव रहा है? इसके क्या परिणाम रहे हैं? यह जानकारी भी सभा को दी जानी चाहिये। दो प्रमुख संघीय प्रणाली वाले देशों सयुक्त राज्य अमरीका और केनेडा — ने मूल्य वर्धित कर प्रणाली को अपने देशों में लागू नहीं किया। उन्होंने खुदरा बिक्रीकर (आर०एस०टी०) और व्यापार कारगर कर (बी०टी०टी०) लागू किया है। क्या ये मूल्य वर्धित कर प्रणाली से बेहतर नहीं हैं। मंत्री जी सभा में इसको भी स्पष्ट करें।

मेरा अगला मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री को सभा को आश्वस्त करना चाहिये कि क्या उन्हें आशा है कि राज्यों में अर्जित राजस्व की मात्रा में मूल्य वर्धित कर प्रणाली को लागू करने के पश्चात वृद्धि होगी। तत्संबंधी प्रक्रियाओं की जटिलता को देखते हुये इस तथ्य के बावजूद कि क्या यह पता नहीं चलता कि इससे अधिक परेशानी और भ्रष्टाचार का जन्म होगा और परिणामस्वरूप राजस्व की हानि होगी हालांकि वित्त मंत्रालय की राय में इसकी प्रक्रिया बहुत सरल होगी,

क्या मूल्य वर्धित कर प्रणाली से मूल्य निर्धारण में अत्यधिक वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि यह मल्टी प्वाइंट टैक्स है? आप जानते हैं कि भूतलिंगम समिति की सिफारिश पर 1970 के दशक में आन्ध्र प्रदेश में एक मल्टी प्वाइंट टैक्स लागू किया गया था। यह उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिये भारी नुकसान पहुंचाने वाला सिद्ध हुआ। इसीलिये चूकि मूल्य वर्धित कर प्रणाली एक मल्टी प्वाइंट टैक्स है अत: क्या इसके परिणामस्वरूप मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि नहीं होगी? वित्त मंत्री को सभा में इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए।

जब मूल्य वर्धित कर प्रणाली प्रचलन में आ जायेगी तो क्या उत्पादन कर प्रविष्टि कर, चुंगी कर, अधिभार आदि को समाप्त कर दिया जायेगा? यदि हां, तो राजस्व के संदर्भ में राज्यों की क्या सिथिति होगी। सभा में इसको भी स्पष्ट किया जानी चाहिये। यदि स्थिति बिगड़ जाती है, तो राज्यों की हालत और भी खराब हो जायेगी। आकाश से गिरे खजूर में अटके वाली स्थिति हो जायेगी। राज्यों के राजस्व पर तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभाव क्या होंगे?

वैट अनुमान पर आधारित कर है। इसकी सफलता कतिपय अनुमानों पर ही आधारित है।

पहले तो केवल कल्पना ही करनी पड़ेगी। केवल कल्पना के आधार पर कि उचित और पूर्ण सूचना प्रणाली उपलब्ध है अथवा कम समय में उपलब्ध करा दी जाएगी और इसीलिए वैट सफल हो पाएगा। परन्तु बिना समुचित और पूर्ण सूचना प्रणाली के वैट से मार्किट बदहाली में पहुंच जायेगां इस विषय में मेरा यही विचार है। अत: माननीय वित्त मंत्री को इस शंका का निवारण करना ही होगा।

महोदय, भारतीय परिस्थितियों में, जहां तक मूल्यवर्धित कर प्रणाली का संबंध है, हमारी कुछ कठिनाइयां हैं। सभा इससे अवगत है और जो कर के मामले सुलझाते हैं, वे भी जानते हैं कि मूल्य वर्धित कर पर अवधारणात्मक स्पष्टता का अभाव है। मुझे पूरा विश्वास है कि 99% लोगों को मूल्य वर्धित कर प्रणाली की अवधारण के बारे में कोई स्पष्टता नहीं स्पष्ट जानकारी नहीं है। अर्न्त-राज्यीय और केन्द्र-राज्य समन्वय का भी अभाव है। सभी तो नहीं किन्तु बहुत से राज्यों ने पर्याप्त तैयारी भी नहीं की है। उन्होंने अधिक मुश्किल उपायों का कार्यान्वित करने की योग्यता विकसित नहीं की है। अत: माननीय मंत्री को अपने उत्तर में इस शंका को दूर करना होगा। यदि वह जल्दी में इसके कार्यान्वयन के लिये आगे बढ़ेंगे तो इससे मूल्य वर्धित कर का निम्न स्तरीय स्वरूप का ही क्रार्यान्वयन होगा। माननीय वित्त मंत्री द्वारा इसकी भी व्याख्या की जानी होगी।

महोदय, भूमि को तैयार करने से पूर्व ही यदि कोई कुछ बीजना चाहता है या कलम लगाना चाहता है तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। इससे न तो फसल हाथ लगेगी और बीज तो मिलेगा ही नहीं जो उसने बोया था। अत: इस तरह श्वंरचना प्रचालन, कानून, प्रशासन और नयी प्रणाली को लागू किए जाने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये अधिकतर राज्यों द्वारा उपाय किया जाना आवश्यकता है? अन्यथा वे 'मूल्य वर्धित' कर प्रणाली को ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं कर पाएंगे।

सभापति महोदय : श्री त्रिलोचन कानूनगो, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, कृपया उन्हें कुछ और समय दीजिये। वह बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं और इस वाद-विवाद में पर बोलने वाले हमारी पार्टी के एकमात्र सदस्य हैं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : महोदय, कुछ समय में, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

इस बारे में राज्यों के वित्त मंत्रियों की कुछ बैठकें नई दिल्ली में हुयी थी। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। मेरा कहना यह है कि इससे पहले कि आप मूल्य वर्धित कर प्रणाली सभी राज्यों में लागू करें संबंधित अधिकारियों और निचले स्तर के अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। यह केवल मेरा दृष्टिकोण नहीं है यह विशेषज्ञों की राय है।

महोदय, एक विख्यात विशेषज्ञ और सार्वजनिक वित्त के प्रकांड पंडित प्रो० गोविन्द राव, जिनसे भारत सरकार हर समय परामर्श लेती रहती है ने बहुत सही कहा है :–

> ''महाराष्ट्र और कई अन्य स्थानों पर विगत अनुभव से पता चला है कि मूल्य वर्धित कर के नाम पर आधे अधूरे सुधारों से एक खुलें और प्रतिस्पर्धात्मक पर्यावरण की चुनौतियों को पूरा करने के लिये आवश्यक कर प्रणाली के सृजन में लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हुई है।''

यह तो राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान के महती विशेषज्ञ प्रो० गोविन्द राव का दृष्टिकोण है; जिनसे भारत सरकार हमेशा सलाह लेती है।

[श्री त्रिलोचन कानूनगो]

अतः महोदय जहां तक मूल्य वर्धित कर का संबंध है माननीय वित्त मंत्री से हमारा निवेदन है कि वह अप्रैल 2004 तक इंतजार करें सभा में पहले माननीय वित्त मंत्री द्वारा यह बताया गया था कि इसे 1 अप्रैल, 2003 से कार्यान्वित किया जायेगा, परन्तु ऐसा नहीं किया जा सका। अब 28 राज्यों में से उड़ीसा सहित 16 राज्यों में इसे 1 जून से कार्यान्वित करने पर सहमति व्यक्त की है। परन्तु मैं नहीं जानता कि वह क्या करेंगे। इसीलिये मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि वह कोई जल्दबाजो न करें। अप्रैल, 2004 तक इन्तजार करे। इस बीच राज्यों से कहें कि वह निचले स्तर तक दैनिक कार्य के लिए अभ्यास के लिए विस्तार से विचार करें और स्वयं को प्रक्रिया और परिणाम में सुधार के लिये तैयार करें। राज्यों के सभी वित्त मंत्री प्रो० असीम दासगुप्ता जैसे नहीं होते। एक प्रोफेसर के रूप में प्रो० दासगुप्ता के पास अवधारणात्मक स्पष्टता है यद्यपि इन सारे प्रश्नों के बारे में उनके पास कोई सूचना नहीं है।

मेरा कहना यह है कि कृपया जल्दबाजी न करें। आप एक राष्ट्रीय नेता है। आप राजनीतिज्ञ हैं। सभी को आपमें विश्वास है। कृपया हड़बड़ी [illegible] आप राज्यों से कहें कि जहां तक मूल्य वर्धित कर का [illegible] चले स्तर को तैयार करें। मैं यह मूल्य वर्धित कर [illegible] कह रहा हूं।

केन्द्रीय बिक्री कर मूल्य वर्धित प्रणाली कर से जुड़ा है। बाद में जब संविधान लागू किया गया तो केन्द्रीय बिक्री कर का सृजन किया गया। वर्ष 1956 में न केवल अनुच्छेद 269 अपितु 286 में भी सुधार किया गया ताकि केन्द्रीय बिक्री कर लागू किया जा सके। संघीय सूची की प्रविष्टि सं० 92 (क) केन्द्रीय बिक्री कर के लिए शामिल की गयी है और तद्नुरूप राज्य सूची की प्रविष्टि सं० 54 में संशोधन किया गया है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये। अभी भी 19 सदस्य और है, जो बोलना चाहते हैं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे तीन चार मिनट और प्रदान करें। मैं आपसे इससे ज्यादा नहीं मागूंगा।

महोदय, मैं केन्द्रीय बिक्री कर के बारे में बता रहा हूं क्योंकि वित्त मंत्रालय ने *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : बहुत से माननीय सदस्य पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसलिए समय का ध्यान रखते हुए आप संक्षेप में अपनी बात कनक्लूड कीजिए।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो : महोदय, यदि सभापित महोदय मेरा निवेदन स्वीकार नहीं करते तो देश को वित्त मंत्री का निवेदन भी स्वीकार नहीं होगा। यदि माननीय सभापति महोदय इन्कार कर देंगे तो वहां से उन्हें भी स्वीकृति नहीं मिलेगी।

महोदय, यह केन्द्रीय बिक्री कर क्या है? इसे 1957 में लागू किया गया था। संविधान में संशोधन करने के पश्चात् केन्द्रीय बिक्री कर संबंधी अधिनियम बनाया गया था। एक प्रतिशत टैक्स लगाकर इसे अंतरराज्यीय कारोबार के बारे में पता लगाने के लिए बनाया गया था परन्तु किन्हीं चरणों में इसे 4% तक बढ़ा दिया गया, और यह समृद्ध राज्यों के लिए राजस्व अर्जित करने वाला बन गया। अब मैं माननीय मंत्री को फिर से उद्धृत करता हूं। बिक्री कर के इस उद्ग्रहण से किस सीमा तक, आपको – सभापति महोदय और मुझे हानि हुई है? आप बिहार से हैं और मैं उड़ीसा का निवासी हूं। किस सीमा तक इससे हमें नुकसान पहुंचा? केन्द्रीय बिक्री कर के उद्ग्रहण से आन्तरिक व्यापार में अत्यधिक बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं, इनपुट और आउट पुट टैक्स का मूल्य पर प्रभाव पड़ता है, परिणामस्वरूप सम्बन्धित मूल्य व्यवस्था प्रभावित होती हैं और समृद्ध राज्यों शोध कार्यों के कारण असाधारण रूप लाभ प्राप्त होता है और इसी के कारण बिहार और उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों के उपभोक्ताओं से करों के रूप में बहुत अधिक राशि वसूल की जाती है। केन्द्रीय बिक्री कर के उद्ग्रहण से न केवल स्थिति बिगड़ती है बल्कि अन्तर क्षेत्रीय इक्यूरी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मूल्य निर्धारण व्यवस्था ऐसी है कि उससे गरीब राज्यों के उपभोक्ता अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों को करों का भुगतान करते हैं। इस बात को विस्तार से नहीं बनता रहा हूं कि केन्द्रीय बिक्री कर इस स्तर तक कैसे पहुंच गया है। क्या आप जानते हैं कि गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे 4 उच्च आय वाले राज्यों में जिनकी आबादी 25% है, का केन्द्रीय बिक्री कर कितना है। राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद 29% है और खपत 25%, और बिक्री कर 29 से 30% है और केन्द्रीय बिक्री कर 43% है।

पांच कम आय वाले राज्य हैं : बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा न केवल 'बीमारू', बल्कि बीमारू के साथ अर्थात् उड़ीसा भी है। उड़ीसा की जनसंख्या 46% है। और केन्द्रीय बिक्री कर 18% है। उच्च आय वाले राज्यों जिनकी जनसंख्या 23% है उनका केन्द्रीय बिक्री कर 43% है। केन्द्रीय बिक्री कर लागू करने के बाद हमारी यह नियति बन गई है। इसे समापत करना होगा। अतः मेरा यह अनुरोध है कि इसे 2% तक ही कम क्यों किया जा रहा है, इसे तत्काल ही क्यों नहीं हटाया जा रहा? इस देश के बहुत अधिक और निर्धन जनसंख्या के हित को देखते हुये सम्पूर्ण केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त कर किया जाना चाहिए।

जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है क्या आप जानते हैं कि उड़ीसा की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 4% है और केन्द्रीय बिक्री कर में इसका हिस्सा मात्र 0.56% है। निर्धन राज्यों का यही भाग्य है कृपया गरीब राज्यों की ओर ध्यान दें और फिर नीतियां और कानून बनायें। मेरा यही निवेदन है।

इसी तरह वित्त विधेयक में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का उल्लेख किया गया है। यह अच्छी बात है, क्योंकि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क राज्यों की अंतरित किया जायेगा। चीनी, कपड़ा और तम्बाकू पर बिक्री कर केन्द्र द्वारा लिया जाता रहा है। हां, राज्य चीनी तम्बाकू और कपड़ों पर फिर से कर लगा सकते हैं। परन्तु इसे किसी सीमा में मत बांधिये कि यह मात्र 4% होगा। कृपया राज्यों को स्वतन्त्रता प्रदान कीजिये। कृपया राज्यों को चीनी, तम्बाकू और कपड़ा पर कर लगाने की पूरी स्वतन्त्रता दीजिये। तभी हम गरीब राज्यों के साथ न्याय कर पायेंगे और तभी हम भारत की जनता के साथ न्याय कर पायेंगे।

मैं यह सब निजी हित में नहीं कह रहा हूं, मैं यह लोकहित में कह रहा हूं। मैं इसे वर्गहित में भी नहीं कह रहा अपितु मैं यह सार्वजनिक हित में कह रहा हूं। मैं राजनीतिक दृष्टि से भी यह सब नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं यह सब गरीब राज्यों के हित में कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती निवेदिता माने (इचलकरंजी) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन और देश का ध्यान पावरलूम उद्योग की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। वर्तमान में देश में 17 लाख पावरलूम हैं जिनमें 9 लाख, अर्थात् 50 प्रतिशत से अधिक महाराष्ट्र में हैं। इनमें से ज्यादातर मेरे संसदीय क्षेत्र इचलकरंजी में हैं। एक पावरलूम में कम से कम पांच लोगों को रोजगार मिलता है। कृषि के बाद पावरलूम उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, किन्तु सरकार की उदासीनता और मूल्य संवर्धित कर प्रणाली, वैट के लागू होने के कारण पावरलूम उद्योग संकट में आ गया है जिसका सीधा प्रभाव देश के 2 करोड़ 14 लाख कामगारों पर पड़ने वाला है। सैनवेट के माध्यम से 10 प्रतिशत और वैट के माध्यम से 4 प्रतिशत कर पावरलूम उद्योग पर लगेगा, अर्थात् पावरलूम उद्योग पर 14 प्रतिशत अतिरिक्त कर का भार पड़ेगा जो पावरलूम उद्योग को तबाही के कगार पर ले जाएगा तथा इन दोनों के लागू होने से इंस्पैक्टर राज हो जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री और सरकार से यह मांग करता हूं कि उपर्युक्त अतिरिक्त कर बढ़ाने पर पुनर्विचार किया जाए और महाराष्ट्र में पावरलूम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शीघ्रातिशीघ्र केन्द्रीय सहायता दी जाए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, फायनेंस बिल पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने जनरल बजट पर भी काफी चर्चा की थी। दो मिनिस्ट्री की दो-तीन डिमांड्स पर चर्चा की। मैं विभिन्न विरोधी पक्ष के नेताओं की बात सुन रहा था। यहां विषय आ रहा था कि इस बजट में यह त्रुटि है, वह त्रुटि है। सभी को कुछ न कुछ गलतियां नजर आ रही थीं।

सभापति महोदय, मुझे इस बारे में एक किस्सा याद आ रहा है – एक नौजवान किसी आंख के डाक्टर के पास गया और कहा कि मेरी आंख और सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आंख में से पानी आ रहा है। डाक्टर से उसे चैक किया और कहा कि मैं देखता हूं कि आपकी आंख का नम्बर ठीक है या नहीं। तुम्हारे चश्मे का नम्बर क्या है, मैं देखता हूं। वह फ्रेम लगा कर एक के बाद एक लैंस बदलने लगा और कहने लगा कि क्या आप पढ़ सकते हो कि इसमें क्या लिखा है। वह एक के बाद एक लैंस बदल रहा था, लेकिन वह नौजवान कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। डाक्टर को लगा कि इसका नम्बर और ज्यादा है, इसलिए वह लैस का नम्बर बढ़ाता गया। आखिर में डाक्टर थक गया।

[अनुवाद]

जब डॉक्टर, थक गया, तब नौजवान ने बताया, ''मुझे पढ़ना-लिखना नहीं आता।''

[हिन्दी]

जब डाक्टर थक गया तो उस नौजवान ने कहा कि डाक्टर साहब मुझे पढ़ना-लिखना नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट के बारे में माननीय विरोधी पक्ष के नेता और हमारे सभी सांसद, जिस प्रकार की टीका-टिप्पणी और त्रुटियां निकाल रहे हैं, इस बजट को किस दृष्टिकोण से पोजिटिव वे में देखना चाहिए, वैसा नहीं देख रहे हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इतनी टेंशन मत कीजिए, क्योंकि इन्हें देखना ही नहीं आता। *(व्यवधान)* देखने के लिए दृष्टि होनी चाहिए।

सभापति महोदय, जब 28 फरवरी को वित्त मंत्री जी बजट पढ़ रहे थे, उस समय उन्होंने कुछ नयी योजनाओं की घोषणा की।

[अनुवाद]

माननीय वित्त मंत्री ने कहा है। ''निर्धन का स्वास्थ्य''।

[हिन्दी]

मैं आम आदमी तक यह हैल्प पहुंचाना चाहता हूं। हैल्थ और एजुकेशन के संबंध में उन्होंने अनेक प्रकार की घोषणाएं कीं;

[श्रीमती निवेदिता माने]

[अनुवाद]

उन्होंने गरीबों और पिछड़े लोगों के लिए अलग किस्म का मेडिकल स्वास्थ्य कवरेज और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए एक बीमा योजना की घोषणा की हैं। यह सार्वभौगिक स्वास्थ्य बीमा योजना है।

[हिन्दी]

हमारे क्षेत्र मुंबई में उस योजना का प्रारम्भ किया था। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि रोज का एक रुपया दीजिए, आपको 30,000 रुपए का मेडीकल कवर देंगे। अगर एक्सीडेंट हुआ तो 25 हजार रुपए का एक्सीडेंट कवर मिलेगा। हमने वह योजना शुरू की और उसे काफी अच्छा रेस्पोंस मिला है। अगर कोई सदस्य उसे देखना चाहेगा तो मैं उसे बताऊंगा। पिछली 26 तारीख को माननीय आनंद अड़सूल जी और सुषमा स्वराज जी ने इस योजना का प्रारम्भ किया। मेरे मतदान क्षेत्र में अड़सूल जी के हाथ में हमने 10 हजार लोगों की इंश्योरेंस [illegible] के फार्म माननीय वित्त राज्य मंत्री जी के हाथ में, सुषमा [illegible] हाथ से दिए।

[अनुवाद]

यह बिल्कुल अलग किस्म की योजना है।

[हिन्दी]

इसलिए मैंने कहा कि देखने के लिए दृष्टि चाहिए। इतनी सुंदर योजना बनाई है — मां बाप डेढ़ रुपए प्रीमियम दो,

[अनुवाद]

पांच सदस्यों के पूरे परिवार को कवर किया जाएगा।

[हिन्दी]

"मां-बाप और बच्चों की रक्षा, डेढ़ रुपए में स्वास्थ्य सुरक्षा।" डेढ़ रुपए रोज का भरो, यदि परिवार का कोई भी व्यक्ति बीमार होगा,

[अनुवाद]

आपको मेडिकल कवर मिलेगा।

[हिन्दी]

वहां दोनों मंत्री आए थे। "भारत सरकार का अटल आधार, सुखी-स्वस्थ अपना परिवार।" हमने मुंबई में संकल्प किया कि हम एक लाख लोगों तक इसमें कवर करेंगे। मैं कहना चाहता था कि जैसे वह नौजवान डाक्टर के पास गया, उसके पास दृष्टि ही नहीं थी, उसे पढ़ना ही नहीं आता था, अगर हम पढ़ना चाहें तो इस बजट में अनेक अच्छी चीजें लिखी हैं। मैं फाइनेंस बिल के ऊपर तुरन्त आने जा रहा हूं, लेकिन मैं सीनियर सिटीजंस के बारे में बताना चाहूंगा कि आज माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय भी कहा था कि हमारे देश में 7.75 करोड़ सीनियर सिटीजन हैं। आने वाले सात साल में 12 करोड़ हो जाएंगे।

[अनुवाद]

महाभारत में भी यह लिखा है कि वह सभा, सभा नहीं है, जिसमें वरिष्ठ जन उपस्थित नहीं हो।

[हिन्दी]

हमने उनका सम्मान करने का प्रयत्न किया है। इस बार का जो बजट है, अभी एक अप्रैल से जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है,

[अनुवाद]

1,65,000 रुपये वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को एक पैसा कर नहीं देना पड़ेगा।

[हिन्दी]

सालों से टी०डी०एस० में सिस्टम चला आ रहा है, सीनियर सिटीजंस बेचारे टैक्स भरते हैं, टी०डी०एस० सर्टिफिकेट लेते हैं और रिफण्ड लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। इस बार घोषणा की गई,

[अनुवाद]

आपको सिर्फ स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होना।

[हिन्दी]

क्योंकि हम सीनियर सिटीजन को रैस्पैक्ट देना चाहते हैं। एक बहुत ही सुन्दर योजना वरिष्ठ पेंशन योजना और घोषित की। हमने यह कहा कि सीनियर सिटीजंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। इसलिए सोशल सिक्योरिटी के नाम पर वरिष्ठ पेंशन योजना भी प्रारम्भ होने जा रही हैं। मैं फाइनेंस बिल के एमेंडमेंट्स पर आऊं, उसके पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी की इस योजना के बारे में दो सुझाव देना चाहूंगा। यह जो वरिष्ठ पेंशन योजना है, जो एल०आई०सी० के द्वारा लागू हो रही है, अनेक प्राइवेट सैक्टर की इन्श्योरेंस कम्पनीज इसमें इण्टरैस्ट ले रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम भारत सरकार का निगम है।

[हिन्दी]

लोगों की सरकार के ऊपर श्रद्धा है और इसलिए वरिष्ठ पेंशन योजना का आपने जो निर्णय लिया है, वह एल०आई०सी० के द्वारा ही इम्प्लीमेंट हो चाहिए। साथ ही मेरी आपसे विनती है कि एल०आई०सी० के पास आज आठ लाख इन्श्योरेंस एजेण्ट्स हैं, इस योजना को एजेण्ट अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसमें उनको सहभागी होने देने का प्रयत्न होने देना चाहिए। आज एल०आई०सी० और

[अनुवाद]

भारत सरकार का बीमा प्रभाग अब व्यय कम करने के नाम पर,

[हिन्दी]

ऐसा प्रयत्न चला है कि यह योजना एजेण्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट न हो, यह कारपोरेट एजेण्ट और बैंक के द्वारा इम्प्लीमेंट हो। मेरा आपसे निवेदन है कि आठ लाख एजेण्ट हैं, आठ लाख परिवार हैं, यह वरिष्ठ पेंशन योजना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के नाम से आपसे लागू की है तो इस योजना में छोटे-छोटे एजेण्ट्स को सहभागी होने देना चाहिए। उनके द्वारा यह योजना इम्प्लीमेंट होने देनी चाहिए।

दूसरी मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि मैंने जो जन सुरक्षा पॉलिसी का नाम लिया, उसके बारे में हमने मुम्बई में हमने योजना प्रारम्भ कर दी और नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी के चेयरमैन ने भी आकर वह पॉलिसी पहली दस महिलाओं को प्रदान कर दी। मेरी प्रार्थना यह है कि इस प्रकार की योजनाएं आप और हम यहां पर घोषित करेंगे, लेकिन इन्श्योरेंस कम्पनी को आम आदमी तक पहुंचाना है, शहरों में और गांवों में ले जाना पड़ेगा। उन्हें इसका कैम्पेन करना पड़ेगा। अगर इन्श्योरेंस कम्पनी यह विचार करेगी कि इसमें मुझे ज्यादा प्रोफिट नहीं मिलेगा, छोटा एमाउण्ट है, 340 रुपये प्रीमियम है, मैं किसलिए यह प्रयत्न करूं तो इस प्रकार की स्कीम ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपको इन्श्योरेंस कम्पनी से

[अनुवाद]

आप स्वयं अथवा श्री अदसुल

[हिन्दी]

को एकाउण्ट लेना चाहिए कि गये महीनों में कितना काम किया, आप कहां गये थे, कौन से गांव में गये थे, कौन से शहर में गये थे, किस प्रकार से स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है, उसकी सैण्ट्रल मोनेटरिंग आपको करनी चाहिए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है।

[अनुवाद]

अब जहां तक वित्त विधेयक का संबंध है, मैंने अपने पिछले बजट भाषण में भी यह अनुरोध किया था कि

[हिन्दी]

गुजरात के कच्छ में जो भूकम्प पुनर्वसन में सामाजिक संस्थाओं ने, एन०जी०ओज० ने जो रोल प्ले किया है, उसकी भारत भर में प्रशंसा हुई है। इन सामाजिक संस्थाओं और दूसरी अनेक संस्थाओं ने मिलकर अनेक गांवों का पुनर्वसन किया है। अभी कुछ गांवों का पुनर्वसन रह गया है और खासकर कच्छ के जो चार बड़े शहर हैं, उनकी टाउन प्लानिंग की स्कीम गुजरात सरकार और बाकी विभागें ने छः महीने पहले मंजूर की है। उनका पुनर्वास होना बाकी है, प्लान सैंक्शन हो चुका है, लेकिन 31 मार्च, 2003 तक अगर वह काम पूरा नहीं हो पाता तो सारे पैसे उन संस्थाओं से निकाल दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

मेरा अनुरोध है कि धारा 80(छ) (पांच) के अन्तर्गत

[हिन्दी]

अर्थक्वेक रिलीफ में एन०जी०ओ० के पार्टीसिपेशन वाली जो स्कीम है, उसे दो साल का एक्सटेंशन देना चाहिए।

मैं आपका यह भी आभार मानना चाहूंगा कि बीमा निवेश के बारे में जो थोड़ी गलतफहमी पैदा हुई थी, वह आपने दूर कर दी है। मुझे विश्वास है कि आप जब इस चर्चा का समापन करेंगे तो उस समय बीमा निवेश के बारे में और स्पष्टता करेंगे। वास्तव में उसका सर्कुलर निकल चुका है। मैं वित्त मंत्रालय के एक और प्रैस नोट की प्रशंसा करना चाहूंगा क्योंकि पावरलूम और टैक्सटाइल के बारे में बड़ी चर्चा हुई है। जो प्रैस नोट सैंट्रल एक्साइज मिनिस्ट्री ने निकाला कि हम यह सर्कल या साइकिल पूरा करना चाहते हैं, अनेक सदस्यों ने इस बारे में चिंता प्रकट की है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि

[अनुवाद]

हम इस वर्ष विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव का सामना करना होगा जब अर्थव्यवस्था की शुरूआत होगी। हमें उस स्थिति के लिए स्वयं को तैयार करना होगा।

[हिन्दी]

हमें अपने क्षेत्र के लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा, मोटीवेट करना पड़ेगा कि आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। टैक्स के प्रोटेक्शन

[श्रीमती निवेदिता माने]

का जो सिस्टम है, उसके कारण टैक्सेस ज्यादा आने वाला नहीं है लेकिन

[अनुवाद]

हम सब इस पूरे दायरे में आ जायेंगे। इससे अर्थव्यवस्था को कोई मदद नहीं मिलेगी।

[हिन्दी]

इसके साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा, जैसा आपने प्रारम्भ में कहा है कि आप छोटे व्यावसाइयों को इसमें छूट देना चाहते हैं। अब आपको छोटे की व्याख्या करनी पड़ेगी। छोटे में दो प्रकार की व्याख्या आती है। लूम अनेक प्रकार के हैं। एक प्रकार के लूम ऐसे होते हैं जिसमें पर एनम प्रोडेक्शन 50 हजार होगा। दूसरा अच्छा माडर्न लूम होगा जिसमें पर एनम प्रोडेक्शन

[अनुवाद]

हो सकता है दो या तीन लाख से ज्यादा हो। हमें सिर्फ टर्नओवर पर ही ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।

अगर किसी एक पावरलूम वाले ने 8, 10 या 12 लूम लगा दिये और साल में उसका एक लाख रुपये का प्रोडक्शन हो गया तो

[अनुवाद]

टर्न ओवर 12 लाख या 20 लाख होगा। लेकिन यह लाभ नहीं होगा।

[हिन्दी]

छोटे का अर्थ टर्नओवर से न जोड़कर प्रॉफिट से जोड़ना चाहिए।

[अनुवाद]

वे स्व-रोजगाररत लोग हैं।

[हिन्दी]

वह चार लोगों को रोजगार दे रहा है। उसके खुद के पास 25 हजार रुपये महीना आयेगा तो वह अच्छी तरह से काम कर पायेगा।

[अनुवाद]

छोटी 'लघु' की परिभाषा में 10 से 12 लाख अथवा 20 से 25 लाख रुपये की उत्पादन टर्न ओवर होना चाहिए। जैसाकि मैंने शुरूआत में कहा था।

[हिन्दी]

रेडीमेड गारमैंट्स की जो मीनिमम लिमिट होगी, स्मॉल की व्याख्या है,

[अनुवाद]

यह पावरलूम सेक्टर से थोड़ा बड़ा होना चाहिए।

[हिन्दी]

मेरी आपसे प्रार्थना है कि रेडीमेड गारमैंट्स सैक्टर का आप जो भी एग्जम्पशन करो, यदि उसमें 20 लाख रुपये की अगर वैल्यू एडेड होती है तो उसमें यदि आप 10 परसेंट प्रॉफिट पकड़ेगे तो साल का दो लाख रुपये आयेगा।

[अनुवाद]

यह 30 लाख से 50 लाख के बीच कुछ भी होना चाहिए।

[हिन्दी]

मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री हमारी सबकी इंकम, हमें टैक्स नेट में लाना चाहते हैं लेकिन इकॉनोमिक रिफार्म, सोशल रिफार्म एक झटके में नहीं आते हैं।

[अनुवाद]

यह चरणों में किया जाए।

[हिन्दी]

आप छोटे को पहले थोड़ी सुविधा देंगे फिर नेट टैक्स में उनको भी हम प्रेरित करेंगे।

इसके साथ-साथ मैं एक और प्रार्थना करना चाहूंगा कि

[अनुवाद]

कृपया लोगों को मौका दें। सूरत, भिवंडी और उत्तर और दक्षिण भारत, दोनों से ही कई लोग हमसे आकर मिले हैं।

[हिन्दी]

हमे पता है क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है इनमें से अनेक लोगों ने अपने लूम, अपने कैपिटल इन्वेस्टमैंट को डिस्क्लोज नहीं किया है। इन लोगों को दो प्रकार की चिंता है। एक्साइज का चिंता तो है ही लेकिन वे कहते हैं कि अगर बुक्स में मैं एक्साइज दिखाने जाऊंगा तो

[अनुवाद]

आयकर अधिकारी आकर हमसे पूछेंगे

[हिन्दी]

कि इन्वेस्टमैंट किसका है। अभी तक आपने बेनामी रखा है।

[अनुवाद]

हम उसे स्वीकार करना होगा।

[हिन्दी]

एक दिन में सभी स्वीकार नहीं होते हैं।

[अनुवाद]

इसलिए वित्त मंत्री को इस डिबेट का उत्तर देते समय पावरलूम और रेडीमेड गारमेंट्स सेक्टर के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

वह आज आना चाहता है। टैक्स नेट में आप आना चाहते हैं। आप क्लेरिटी नहीं करेंगे तो सी०बी०टी०डी० और इनकम टैक्स आफिसर उनके पास जायेंगे और उन्हें सतायेंगे। उसके बदले आप आज इसे स्पष्ट कर दें।

[अनुवाद]

अन्यथा यह एकाउंट्स में नहीं होगा। यह समानांतर अर्थव्यवस्था में रहेगा। एकबार उन्हें हमेशा के लिए आ जाने दीजिए।

[हिन्दी]

जैसे आपने वी०आर०एस० निकाली है। इस सैक्टर के लिए स्पेशल पैकेज है कि आपके जितने भी लूम हैं, आपका इन्वेस्टमैंट है, कैपिटल इन्वेस्टमैंट है, एक बार बुक में दिखा दें तो

[अनुवाद]

कोई जांच नहीं होगी।

[हिन्दी]

इसके बाद आपको इनकम टैक्स उसके ऊपर मिलेगा, एक्साइज मिलेगा। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी टैक्सटाइल सैक्टर की जो दो तकलीफें हैं, उन पर ध्यान देंगे।

मेरे दो-तीन छोटे-छोटे बिंदु हैं। वी०आर०एस० के ऊपर टैक्स बेनीफिट है।

[अनुवाद]

मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ विशेषज्ञों ने उस पर चिंता प्रकट की है कि

[हिन्दी]

आपने कहा कि इन्सटालमैंट में पैसा लेते हैं। अगर वह एक साल में लेते हैं तो पांच लाख रुपये और यदि उसका दो फाइनेंशियल ईयर में डिवीजन होता है तो 31 मार्च 2003 तक 4 लाख 80 हजार रुपये वी०आर०एस० मिलेगा फिर एक अप्रैल के बाद 4 चार लाख रुपये और है – इस तरह 9 लाख रुपये का एग्जम्पशन होगा या पांच लाख का होगा,

[अनुवाद]

यहां आपको शुद्ध करना होगा। इसके साथ-साथ, स्वीकृत ईक्विटी की बिक्री पर पूंजी लाभ कर के संबंध में मैंने आपके विभाग का ध्यान आकर्षित किया था।

[हिन्दी]

कि इसमें आपने कहा, एक साल में नई परचेज करेंगे, उसी के ऊपर होगी। अगर यही आपकी इच्छा है तो कोई उसे गिफ्ट देकर इसका वॉयलेशन न करे, बीच का कोई रास्ता निकालें, यह भी प्रयत्न करेंगे।

[अनुवाद]

यदि शेयरों के संबंध लाभ देने का इरादा नहीं है, तो प्रस्तावित खंड में उचित संशोधन किया जाए जिसमें यह कहा गया है कि एक वर्ष की अवधि के दौरान उपहार आदि के रूप में कर निर्धारिती द्वारा प्राप्त शेयर पर लाभ नहीं मिलेगा यदि पिछले स्वामी ने एक वर्ष की अवधि के दौरान प्राप्त नहीं किए हैं।

[हिन्दी]

इस प्रकार से ऐडीबल आयल है, रिफाइन्ड आयल है। गोदरेज नाम की कम्पनी बहुत अच्छा तेल बनाती है, रिफाइन्ड तेल बनाती है। रिफाइन्ड आयल जो हायर मिडिल क्लास ऐफोर्ड कर सकते हैं, अगर उसमें एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि जिस दिन से एक्साइज ड्यूटी लगी, ब्रान्डेड आयल कम्पनियों ने अपने ब्रांड का नाम बदल दिया यानी पहले अगर सन फ्लावर होगा, वेस्पा होगा तो उसकी जगह बड़े अक्षर में अनब्रान्डेड लिख दिया, और नीचे बड़े अक्षरों में लिख दिया।

[श्रीमती निवेदिता माने]

[अनुवाद]

गोदरेज द्वारा पैक किया गया। वे उत्पाद शुल्क अदा नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

फिर उसके पश्चात् हम होलसेल या बड़ी रिटेलर कम्पनियों को फेस में लाने का प्रयत्न करेंगे। नहीं तो बड़े लोग निकल जाएंगे और छोटे व्यापारी या मिडिल क्लास के लोग, जो सिर्फ पैकिंग का काम करते हैं, फंस जाएंगे। इसलिए इसके ऊपर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

मेरा एक कनसर्न हाउसिंग इंडस्ट्री के बारे में है। जो भी सरकार आती है, जाती है, लेकिन लौबिंग का इस प्रकार से मैनीपुलेशन होता है। आपने हाउसिंग सैक्टर को इन्सैंटिव देने के लिए दो साल का एक्सटैंशन दिया। मैं फाइनैंस मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि बड़े-बड़े बिल्डर्स मैनीपुलेट कर रहे हैं। एक एकड़ का प्लाट, मैं [illegible] चाहूंगा कि अभी दो साल का एक्सटैंशन है।

विकास अधिकार टी०डी०आर० का अंतरण केवल मुम्बई में है।

[हिन्दी]

पुरानी बिल्डिंग में दो माले बढ़ा दें, टी०डी०आर० को इसमें लाने का प्रयत्न किया. रिप्रैजैंटेशन किया और सी०बी०डी०टी० उसमें क्लैरीफिकेशन करेगा। साथ में उन्होंने एक रिप्रैजैंटेशन भेज दिया है।

[अनुवाद]

आवासीय परियोजना की क्या परिभाषा है? हमें विशुद्ध रूप से शत-प्रतिशत आवासीय परिसर पर ही प्रोतसाहन देना है।

[हिन्दी]

पहले तीन साल का जो लीगल बिडर होगा, होगा लेकिन कम से कम एक्सटैंशन में

[अनुवाद]

आप स्पष्ट कर सकते हैं कि यह केवल आवासीय परियोजना पर ही लागू होगा।

[हिन्दी]

हम नई टाउनशिप बनाते हैं। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार का टैक्स इंसैंटिव बड़े-बड़े बिल्डर्स के लिए नहीं होना चाहिए। नार्थ ईस्ट के एम०पीज की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं। अगर नार्थ ईस्ट में इंडस्ट्रियल एक्सटैंशन होता है कि हमें और इंसैंटिव देना चाहिए तो मैं माइन्ड नहीं करता लेकिन अगर कोई भी बैकवर्ड कंट्री या बैकवर्ड स्टेट के नाम से, सिग्रेट या पान की कम्पनी के लोग अगर दो-तीन हजार करोड़ रुपये सरकार की तिजोरी से निकालते हैं तो

[अनुवाद]

मैं इस तरह के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता; इसे रोकना होगा।

[हिन्दी]

अगर नार्थ ईस्ट को और ज्यादा इंसैंटिव और पैसा चाहिए तो सरकार उसे और पैकेज दे लेकिन वे हैदराबाद या अहमदाबाद में फैक्ट्री लगाएंगे और वहां प्रोडक्शन दिखाएंगे उसकी एक्साइज में कनसेशन करेंगे।

[अनुवाद]

मैं वित्त मंत्रालय के कदम का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

वे इसमें जो प्रोवीजन लाए हैं, वह वैसे का वैसे रहना चाहिए।

मैं एक और बात के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे अड्सुल साहब कोआपरेटिव बैंक में काफी एक्टिव हैं।

[अनुवाद]

पिछले दो वर्षों में, जबसे श्री केतन पारिख सामने आए,

[हिन्दी]

कोआपरेटिव बैंक छः महीने, चौदह महीने से बंद पड़े हैं।

[अनुवाद]

मुझे अपने छोटे जमाकर्ताओं की फिक्र है।

[हिन्दी]

बैंक का क्या होता है। उस स्टेट गवर्नमैंट के कोआपरेटिव डिपार्टमैंट की क्या भूमिका है, आर०बी०आई० की क्या भूमिका या भाग है। वे डिपाज़िटर्स

[अनुवाद]

जिनकी जमा एक लाख रु० तक बीमित है।

[हिन्दी]

उसे इंश्योरैंस नहीं मिल रहा है। जब तक लिक्विडेट नहीं होगा, स्माल डिपाज़िटर, किसी विधवा, किसी महिला, किसी दादी मां का पैसा जाम हो गया है। सालभर से बैंक की ब्रांच नहीं खुल रही है, उनको विदड्रॉल ऐलाउड नहीं है।

[अनुवाद]

मैं वित्त मंत्री से एक समयावधि घोषित करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

आर०बी०आई० को टाइम पीरियड डिक्लेयर करना चाहिए कि एक महीने में पैकेज करना है, नीतियों की रिस्ट्रक्चरिंग करें।

[अनुवाद]

अन्यथा मेरे जमाकर्ताओं को आहरित करने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

उनको एक लाख रुपये का इंश्योरैंस कवर मिलना चाहिए। आज आपकी इंश्योरैंस कार्पोरेशन के पास आर०बी०आई० का 4,500 करोड़ रुपया है। पैसे की कमी नहीं है लेकिन 500 करोड़ रुपया स्मॉल डिपॉजीटर्स जो हैं, इसमें टोटल बैंक हैं, जमा होगा। इसलिए 200 करोड़ मेरे स्मॉल डिपॉजीटर्स का है। उनका 50,000, 85,000, 14,000, एक लाख रुपया उनके लिए बहुत महत्व का है।

[अनुवाद]

मैं आपका ध्यान एक और प्रावधान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

हमने शिक्षा और एजुकेशन के लिए प्रोवीजन किया है। 12,000 रुपया प्रति चाइल्ड एजुकेशन के लिए एक्सपेंडिचर किया।

[अनुवाद]

मुझे लगता है हमें एक और प्रावधान जोड़ना पड़ेगा जो 'शिक्षा पर व्यय' के अर्थ को स्पष्ट अथवा परिभाषित करे।

[हिन्दी]

अगर हमने एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए किया तो मेरा समर्थन हे लेकिन कोचिंग क्लास में अगर कोई जाता है, प्राइवेट कोचिंग क्लास में या प्राइवेट ट्यूशन कोई रखता है और उसको अगर हजार रुपया देता है तो उसको इंकम टैक्स का बैनेफिट नहीं मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

इस तरह का स्पष्टीकरण होना चाहिए। अन्यथा

[हिन्दी]

इसमें काफी हमारा नुकसान होगा।

मैं एक विशेष मुद्दे के प्रति माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

अमरीका और इंग्लैण्ड में बह्यस्रोत व्यापार

[हिन्दी]

लेकिन आपके सभी आंकड़े और आकलन गलत साबित हो गये। मेरे पास पूरे नोर्स हैं। मैंने दो-तीन बार सदन में भी इस मुद्दे को उठाने का प्रयत्न किया था कि यू०एस०ए० और यू०के० में आज इस प्रकार का एक मूवमेंट प्रारम्भ हो गया है कि इंडियन आई०टी० इनेबलिंग सैक्टर की क्या ग्रोथ है, उसको कैसे रोकना है।

[अनुवाद]

यद्यपि यह वित्त विधेयक से सीधे संबंधित नहीं है। बेरोजगारी के नाम पर

[हिन्दी]

यू०एस०ए० के चार स्टेट्स हैं। पहले एक न्यूजर्सी था।

[अनुवाद]

अब, चार अलग-अलग राज्यों में वह विधेयक पुर:स्थापित किया गया है।

[हिन्दी]

डिसकशन हो रहा है और बिल अगर मंजूर हो गया, पास हो गया तो हिन्दुस्तान में वहां का जो बिजनैस मिलता है, वह टॉप हो जाएगा। हमने जो अंदाज किया है कि हमें कितनी इंकम होगी।

[श्रीमती निवेदिता माने]

[अनुवाद]

मुझे लगता है, वर्ष 2010 में, आउट सोर्सिंग अथवा आई०टी० समक्ष क्षेत्र।

[हिन्दी]

इसके कारण हमने 50,000 करोड़ से ज्यादा एक्सपेक्ट किया है। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि विषय को गंभीरता से लेना पड़ेगा नहीं तो बहुत देर हो जाएगी।

मैं आपका ध्यान एक और विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

जो पूर्णत: वित्त विधेयक के उपबंधों से संबंधित है। यह सेवा कर से संबंधित है।

[हिन्दी]

मैंने पिछली बार भी कहा था कि सर्विस टैक्स 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत [illegible] ही। सर्विस टैक्स सिस्टम को हमें मजबूत करना [illegible] इंकटम टैक्स होता है। जो इंकम टैक्स रिटर्न [illegible] कोई व्यक्ति पैसा कम भरता है तो खुद की इंकम बचाता है लेकिन दूसरा सर्विस टैक्स होता है। वह सर्विस टैक्स है।

[अनुवाद]

व्यक्ति आम आदमी से पैसा इकट्ठा कर रहा है।

[हिन्दी]

केवल ऑपरेटर हैं या जो ट्यूशन क्लास वाले हो गये। वे सर्विस टैक्स कॉमन आदमी से 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत कलैक्ट करते हैं लेकिन सरकारी तिजोरी में जमा नहीं करते हैं। यह सब इतना जबर्दस्त है कि मैंने केबल का पिछली बार भी बताया था कि बीस लाख केबलों में हरेक के पास से 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत कलैक्शन किया जाता है और सर्विस टैक्स विभाग

[अनुवाद]

एक लाख से कम कनेक्शन

[हिन्दी]

एक लाख से भी कम कनैक्शन है, इसलिए मैं आपका ध्यान इन सब बातों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा।

अंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि वित्त मंत्री जी काफी अच्छे अलग-अलग प्रकार के जो सुझाव लाए हैं, एक इंश्योरेंस के बारे में, एल०आई०सी० के बारे चिंता व्यक्त करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि पिछली बार मैंने सदन में इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट दिखाया था कि सौ रुपया भरिए, पचास लाख का जनरल इंश्योरेंस पाइए। यह प्राइवेट कंपनी की एडवर्टाइजमेंट है और इसमें फिर नीचे लिखा है कि

[अनुवाद]

आप 50 लाख रु० प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कंपनी अगले बीस वर्षों में इतना कमा लेती है।

[हिन्दी]

ऐसे कहना क्या कोई मजाक है?

[अनुवाद]

आई०आर०डी०ए० क्या कर रहा है?

[हिन्दी]

इसके पहले इसी कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दी थी।

[अनुवाद]

केवल 99 रु० दीजिए और 1 करोड़ रुपये की सुरक्षा पाइये।

[हिन्दी]

और उसमें नीचे लिखा था कि अगर 15 अगस्त को मृत्यु हुई तो एक करोड़ रुपया मिलेगा अन्यथा पांच लाख मिलेगा। इस प्रकार की कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है तो आई०आर०डी०ए० करता क्या है?

[अनुवाद]

क्या रेगूलेटर्स किसी के प्रति जवाब देह नहीं है? उन्हें सिर्फ अधिकार चाहिए?

[हिन्दी]

अंत में, वैट के बारे में कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा।

अपराह्न 4.00 बजे

मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने वैट को गति दी है। हो सकता है सभी राज्यों को इसके लिए प्रिपेयर होने में थोड़ा समय और लगे।

[अनुवाद]

मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अपनी बात पर वापस आते हुए मैं यह कहूंगा कि कोई समस्या नहीं है। हम इतना समय दे सकते हैं।

[हिन्दी]

आपने जो इनीशिएटिव लिया था, वह खत्म नहीं होने देना चाहिए। यह राज्यों की जिम्मेदारी है, उनका अधिकार है। लेकिन 28 राज्य, कहां तक कैसे इकट्ठा आएंगे, यह देखना चाहिए। आपने गए साल काफी मेहनत की। उसके परिणामस्वरूप आधे राज्य मानसिक रूप से तैयार हो गए, टेक्नीकली भी काफी सिस्टम बना लिए गए। लगता है दो-चार महीने और लगेंगे।

[अनुवाद]

वे इसके लिए उपयुक्त होंगे।

[हिन्दी]

बाकी के राज्यों ने भी कहा है कि हम तैयार हैं, लेकिन हमारे यहां छोटी-मोटी कठिनाइयां है।

[अनुवाद]

हम वर्ष 2004 की शुरूआत में इसके लिए तैयार होंगे। लेकिन आपको उन्हें विश्वास में लेना होगा।

[हिन्दी]

काफी राज्य एक जून से प्रारम्भ करना चाहते हैं। आप उनको सपोर्ट करें। अगर वे चाहते हैं कि चार-छः महीने की मोहलत और मिले और आगामी एक अप्रैल से फुल-फलेश प्रारम्भ करें,

[अनुवाद]

आप समयावधि दे सकते हैं।

[हिन्दी]

चार-छः महीने पब्लिक को विश्वास में लेंगे, सामान्य आदमी को विश्वास में लेंगे, इसमें सभी को फायदा होगा। मेरे पास अलग-अलग क्षेत्रों के छः संस्थाओं के रिप्रजेंटेशन आए थे, जिनमें इंस्टीट्यट्स भी हैं, उद्योग भी हैं और ट्रेडर्स एसोसिएशंस भी हैं।

[अनुवाद]

हम उनसे बात करके इसका समाधान ढूंढ सकते हैं।

[हिन्दी]

इसलिए मुझे लगता है ग्राहक भी, व्यापारी भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी सब समाज के जिम्मेदार अंग हैं। इन सभी को साथ लेकर विश्वास की भावना पैदा करना जरूरी हैं। कि वैट के कारण सभी की प्रगति होगी। ऐसा होगा तो मुझे विश्वास है कि इस एक जून से नहीं तो अगले साल से सभी राज्य आपको सहयोग देंगे। आपने जिस उत्साह के साथ इसको प्रारम्भ किया है, जो आपने होम वर्क किया है, उसको जारी रखकर इस सिस्टम को हिन्दुस्तान में इम्प्लीमेंट करके औद्योगिक ग्रोथ को ज्यादा गति दे पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

[अनुवाद]

श्री के०पी० सिंह देव (ढेंकनाल) : सभापति महोदय, मुझे और मेरी पार्टी को वित्त विधेयक में भाग लेने के लिए इतना समय देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री जसवंत सिंह के लिए एक व्यक्ति, सशस्त्र सेनाओं में मेरे वरिष्ठ अधिकारी, एक सांसद और एक वक्ता के रूप में आदर और सम्मान के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं वित्त मंत्री के रूप में, उनके जज्बात, उनकी भावनाओं को आहत किए बिना कुछ भी कहने में असमर्थ हूं।

बजट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में एक हथियार या एक मशीनरी है। वित्त विधेयक में, कर लगाने संबंधी विभिन्न प्रस्ताव हैं जो बजट प्रस्तावों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। बजट को काफी उत्तेजनापूर्ण – टिप्पणियों, प्रशंसा और तरीकें हासिल हुई भी हैं। यह सब किससे मिला? ये उद्योग के सिरमौर, चेम्बर्स ऑव कॉमर्स, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और विश्व व्यापार के नेता है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं कुछ विशेषज्ञों के, मुझे उम्मीद हैं उन्हें विशेषज्ञ माना जाएगा, कुछ अलग नोट्स बताना चाहूंगा। सबसे पहले सज्जन हैं, श्री जय दुबाशी। सभी जानते हैं कि पिछले 20 या 30 सालों से वह वित्त संबंधी लेख लिख रहे हैं। मुझे लगता है एक समय में, वह भाजपा के विचार जागर के हिस्सा थे। वे फ्री जर्नल में क्या कहते हैं? मैं उद्धृत करता हूं :

> ''सिंह का बजट दिशाहीन है। यह अमीरों का बजट है और गरीबों के विरुद्ध है। इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ नहीं है। वास्तव में, उन्हीं को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। ब्याज दरों में कटौती कर दी गई है और उनमें अभी और कटौती होगी क्योंकि यह विदेशी निवेशकों की मांग है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि वर्ष के अंत तक यह चार प्रतिशत तक पहुंच जाए क्योंकि विदेशी निवेशक ऐसा चाहते हैं। वे जो पूरी तरह फिक्सड डिपोजिट की ब्याज पर निर्भर हैं, जैसाकि वरिष्ठ नागरिक करते हैं, उनके लिए तो अपना गुजारा करना भी मुश्किल हो जाएगा।''

[श्री के०पी० सिंह देव]

एक और सज्जन है श्री एस०एल० राव। वह नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च के महानिदेशक थे। मुझे उम्मीद है कि श्री किरीट सोमैया इस बात को स्वीकार करेंगे कि वह इतने अनप्रोफेशनल और ज्ञानहीन नहीं है, जितने कि विपक्ष के नेता क्योंकि वह नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च के महानिदेशक हैं। वह कहते हैं : ''वह इसमें लफ्फाजी ज्यादा है और संसाधन कम।'' इस बजट में सम्पूर्णता से समस्याओं से निपटने के लिए स्पष्ट संकल्पनात्मक फ्रेमवर्क का अभाव है। हमारे एक पूर्व वित्त मंत्री श्री पी० चिदम्बरम ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने 'स्वप्निल बजट' दिया। माननीय वित्त मंत्री के पूर्ववर्ती मंत्री ने 'सुखद अहसास वाला बजट दिया था और अब हमारे पास 'देते जाओ' बजट है। अब, श्री चिदम्बरम का कहना है ''जसवंत खेतों को भूल गए हैं — कृषि क्षेत्र के निर्धारित धनराशि को व्यय करने में बारम्बार विफलता सरकार के कृषि विरोधी पूर्वाग्रह को स्पष्ट दर्शाती है।'' वर्ष 2002-2003 में, यह परिव्यय 3,733 करोड़ रुपये था और मार्च, 2003 के अंत तक, केवल 3,219 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। वर्ष 2002-2003 किसानों के लिए खराब साल रहा। कृषि क्षेत्र ने 3.1 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। माननीय [illegible] अनुसार, देश में 15 सालों में ऐसा सूखा नहीं पड़ा [illegible] कदम उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि है। अतः मैं इस [illegible] से आश्चर्यचकित नहीं हूं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं और मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। ऐसी ही भ्रष्ट हालत रक्षा की है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की है। वह सशस्त्र सेना के सदस्य रहे हैं। मैं भी सशस्त्र सेना का सदस्य रहा हूं। हम दोनों ने युद्ध लड़े हैं। मैं फ्रांसीसी रक्षा मंत्री की टिप्पणी से विस्मित हूं, जो आजकल भारत-यात्रा पर हैं। कल माननीय महिला, फ्रांस की रक्षा मंत्री, जिनके बयान की तस्वीरें आज के अखबार में छाई हुई है, ने कहा, ''कोई भी आपसे गंभीरतापूर्वक बात नहीं करेगा और नहीं आपको कोई गंभीरतापूर्वक लेगा, यदि आपके पास विश्वसनीय सुरक्षा नहीं है, प्रभावशाली रक्षा नहीं है।'' विश्वसनीय रक्षा क्या है? हम पिछले 10 सालों से संसद में इसपर चर्चा नहीं कर रहे। पिछले वर्ष — हमने 9,300 करोड़ रुपये रखे, तथापि वह मिलिट्री मैन हैं और इसलिए वह 65,000 करोड़ रुपये फिर दे रहे हैं। इस पर नी-जर्क प्रतिक्रिया हो रही है और शिवर्स भी है। कोई भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते। बोफोर्स का भूत हावी है; तहलका का भूत मौजूद है; कई सारे कांडों के भूत मंडरा रहे हैं। कोई भी उस पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता। अतः वे सभी फास्ट ट्रैक प्रक्रियाएं, वे सभी विशिष्ट खरीदारियां और वे सभी उच्चतर रक्षा प्रबंधन प्रवात्तियों में गतिरोध आ गया है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल का सामना करने के लिए हमारी परमाणु क्षमता कितनी है। इसके बारे में मैं नहीं जानता यह उस सभा में कोई भी सदस्य नहीं जानता।

क्या हमारे पास परमाणुरोधक क्षमता है। हम इसके बारे में यहां चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि यह सीमापार बैठे जनरल को झकझोर सकता है और परिणामस्वरूप शायद वह परमाणु बम का बटन दबा सकता है। हम रक्षा संबंधी स्थायी समिति है कि बैठक में इस पर चर्चा नहीं कर सकते। हमने इसे इससे एक दिन पहले प्रस्तुत किया था फिर हमने इसे वापिस ले लिया। इसलिए मेरी राय यह है कि यदि हमें एक देश के रूप में विकास करना है तो हमें राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय रक्षा, एक विश्वस्नीय राष्ट्रीय रक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। स्कूल में हमने पढ़ा था कि यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। हमने क्या तैयारी की है? गत तीन वर्षों में 24,000 करोड़ रु० बिना खर्च किए पड़े हैं। ऐसे ही स्थिति मेरे गृह राज्य में भी है। वर्ष 1999 में महा विनाशकारी चक्रवात आया। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो उस समय में मेरे एक अच्छे दोस्त और मेरे कॉलेज के अध्यक्ष श्री त्रिलोचन कानूनगो ने सभा में चिजंक-महायोग परीक्षक के प्रतिवहन को लहराते हुए आरोप लगाया कि 645 करोड़ रु० में से 137 करोड़ रु० खर्च किए गए और 509 करोड़ रु० खर्च नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेसियों को पास के लैम्पपोस्ट से लटका देना चाहिए किन्तु पता यह चला कि जब अप्रैल 2001 में धनराशि दी गई थी जब वहां कांग्रेस की सरकार नहीं थी। कांगेस की सरकार ने 5 मार्च को त्यागपत्र दे दिया था और उनकी पार्टी सत्ता में आ गई थी किन्तु अभी तक किसी को भी टॉम डूले की तरह वांज वृक्ष से अथवा लैम्पपोस्ट से लटकाया नहीं गया। मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस अखबार है जिसमें कहा गया है कि चक्रवात राहत के लिए दी गयी धनराशि में से दिसम्बर तक केवल 34 प्रतिशत ही खर्च किया गया था।

इस समय युद्ध अथवा प्राकृतिक आपदाओं जैसे गुजरात में भूकम्प अथवा उड़ीसा में महाचक्रवात या असम, पश्चिम बंगाल या आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ आदि जैसी आकस्मिक आपात् स्थिति से निपटने के लिए प्रधान मंत्री राहत कोष का प्रयोग किया जाता है। जब भी ऐसी कोई आपदा आती हैं हमारे देशवासी उदारतापूर्वक प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देते हैं। उड़ीसा को 250 करोड़ रु० से भी अधिक दिए गए हैं किन्तु कोई नहीं जानता कि उसमें से कितना खर्च किया गया है क्योंकि इस संबंध में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा कोई लेखा परीक्षा नहीं की जाती। सरकार जो खर्च करती है नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा उसकी ही लेखा परीक्षा की जाती है। नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले वर्ष में केवल 23 प्रतिशत धनराशि खर्च की गई थी। महाचक्रवात के आने के पश्चात् अब यह चौथा वर्ष है और अब तक केवल 24 प्रतिशत धनराशि ही खर्च की गई है। परन्तु जहां तक प्रधान मंत्री राहत कोष का संबंध है उसकी कोई लेखापरीक्षा नहीं की जाती। अतः मैं नहीं जानता कि उसमें से कितने रुपये खर्च किए गए हैं, इनका क्या हुआ अथवा छत्तरपुर में

कोई फार्म हाऊस बनाया गया है या नहीं। चक्रवात के बाद बनाई गई इमारतें अभी तक खाली पड़ी हैं और उनमें से आधे का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में वित्तीय प्रबंधन के बारे में बात की थी। इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि प्रबंधन शब्द की आजकल काफी चर्चा है यदि वह वित्त प्रबंधन हो, रक्षा प्रबंधन हो, सरकार का प्रबंधन हो या पूरे देश का प्रबंधन हो। गुजरात में आए भूकम्प के पश्चात् हमने काफी जोर शोर से एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया था और माननीय प्रधानमंत्री इस समिति के सभापति हैं। यह एक उच्च स्तरीय समिति है और मेरे विचार में श्री शरद पवार इस समिति के सभापति हैं। अब तक इस उच्च अधिकार प्राप्त समिति सहित तीन समितियां है परन्तु आपदा प्रबंधन के संबंध में कोई योजना नहीं बनाई गई है।

परमाणु हथियार प्रबंधन के संबंध में एक सिद्धान्त है किन्तु कोई नहीं जानता कि यह सिद्धान्त क्या है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा पवित्र कार्य के सामान है जिससे संसद को भी वंचित रखा गया है। हमें प्रत्येक वर्ष रक्षा बजट पारित करना होता है और स्थायी समिति जो प्रत्येक चीज की गहराई में जाती है वह भी इस की जांच नहीं कर सकती। अत: माननीय वित्त मंत्री हमें विश्वास में लेकर यह बताएं कि वह प्रबंधन में सुधार कैसे करेंगे।

महोदय, मैंने एक और समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट देखी थी कि अब वित्त मंत्रालय सभी रक्षा परियोजनाओं की निगरानी करेंगे – हो सकता है मैं गलत हूं। यदि ऐसा है, तो मैं भूल सुधार के लिए तैयार हूं। माननीय वित्त मंत्री रक्षा मंत्री यह चुके हैं और उनका वहां क्या अनुभव रहा उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम लेकिन मैंने यह समाचार केवल सात दिन पहले ही पढ़ा था। जब श्री शिवराज पाटील और मैं रक्षा मंत्रालय में थे तो हमने देखा था कि संसद द्वारा धनराशि मंजूर किए जाने के बावजूद प्रत्येक माह एफ०ए०डी०एस० जो एक संघटित वित्त विभाग है, वह इसमें हस्तक्षेप करता है और इसीलिए धनराशि खर्च नहीं की जाती।

अपराह्न 4.13 बजे

[**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए*]

गत वर्ष के दौरान स्थायी समिति के प्रतिवेदन में बताये गये रूप में 9,300 करोड़ रु० खर्च नहीं किए गए रक्षा मंत्रालय को 31 दिसम्बर तक इसे खर्च करने की अनुमति नहीं दी गई थी। रक्षा मंत्रालय को 1 मार्च को 9,300 करोड़ रु० खर्च करने के लिए कहा गया था। वास्तव में यह असंभव है। प्रत्येक वर्ष लगभग 9000 करोड़ रु० अथवा 8,000 करोड़ रु० खर्च बिना खर्च किए वापिस कर दिए जाते हैं अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस पर विचार करें। वह एक सैन्य कर्मी हैं और अब वे एक वित्त कर्मी हैं और देश के सर्वोत्तम वादविवाद कर्ता हैं। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तब उन्हें अखिल भारतीय वादविवाद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिला था।

महोदय, सुन्दरता देखने वाले की निगाहों में होती है। माननीय सदस्य श्री त्रिलोचन कानूनगो ठीक ही कह रहे थे कि उड़ीसा राज्य में 48 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं और गत 40 वर्षों से यह मौसम संबंधी समस्याओं जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात आदि के कारण संकट ग्रस्त है। इस राज्य की 42 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की है जिनसे नाममात्र का ही कर वसूल किया जा सकता है। अत: यदि हम पंजाब; आन्ध्र प्रदेश अथवा कर्नाटक या महाराष्ट्र के स्तर में भी छैड़ दें तब भी उड़ीसा अखिल भारतीय स्तर तक कैसे आ सकता है। एक सैनिक अधिकारी के रूप में मुझे इन्फैन्ट्री स्कूल भाऊ में बताया गया था कि जब हम किसी कक्षा में पढ़ाते हैं और यदि उस कक्षा में कमजोर विद्यार्थी हों, तो हमें कक्षा को उन कमजोर विद्यार्थियों के स्तर तक नहीं लाना चाहिए। बल्कि कमजोर विद्यार्थियों को अधिक समय देना चाहिए, उन पर अधिक ध्यान देना चाहिए और उन पर केन्द्रीकरण करना चाहिए ताकि वे कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के स्तर तक आ सकें। मैं उनसे यह नहीं कह रहा कि वे पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र अथवा कर्नाटक का स्तर नीचे जाएं बल्कि उन्हें उड़ीसा के स्तर को ऊपर लाने की कोशिश करनी चहिए। हम अर्थव्यवस्था की सबसे निचली सीढ़ी पर हैं। प्रत्येक चुनाव के दौरान चाहे मेरी पार्टी हो, बी०जे०पी० हो सकता बी०जे०डी० हो, अपने चुनाती योजनापत्र में यह घोषणा भी शामिल करते हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल और असम सहित सात राज्यों जैसे पहाड़ी राज्यों के समान उड़ीसा राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जायेगा। परसों मुझे श्री सत्यव्रत मुखर्जी से उत्तर मिला कि उड़ीसा में एक विशेष राज्य का दर्जा देना असंभव है क्योंकि इसके सा थ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। अत:, हमें बंगाल अथवा आन्ध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़ को एक प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। तभी हम एक विशेष राज्य के दर्जे योग्य होंगे। महोदय, ऐसा नहीं होने वाला है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसे वे के०बी० के जिलों (कालाहान्डी), बोलनगीर, कोटापट्ट जिलों, पर विशेष ध्यान देते हैं वैसे ही वे उड़ीसा और अन्य राज्यों के बारे में भी कुछ सोंचे जो निरन्तर और चिरकाल से मौसम संबंधी समस्याओं से घिरे हुए हैं और अर्थव्यवस्था के संबंध में सबसे नीचे हैं चाहे वह बुनियादी सुविधाओं का मामला हो या सड़कों का? मैं आपको इसके कई उदाहरण दे सकता हूं। मेरे पास अपने सभी प्रश्न और उत्तर हैं। जनरल खण्डूड़ी ने मुझे यह उत्तर दिया था कि "हां, हम इसकी सराहना करते हैं परन्तु 10वीं योजना में इस पर

[श्री के०पी० सिंह देव]

प्रतिबंध लगाया गया है, हम सड़कों को नहीं ले सकते। हमारे पास अंगुल-तिकारवाड़ा सड़क और केन्दुझर से धेनकनाल टंकानाल सड़क है जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। श्री अनन्त और मैं दोनों चाहते हैं कि मैं राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित दो जिला मुख्यालयों को जोड़ दिया जाए। हम राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों नहीं बना सकते। यदि आप सांस्कृतिक पर्यटन को लें तो उसके लिए भी कोई राशि नहीं है उस पर रोक लगाई गई है। अगर आप रेल को लें तो उसमें भी उड़ीसा हमेशा सबसे नीचे रहता है। हम प्रति हजार आबादी और प्रति हजार किलोमीटर मार्ग लाइन के मामले में बहुत कम है। इस वर्ष केवल 390 करोड़ रु० दिए गए थे। इसके लिए मैं वित्त मंत्री और रेल मंत्री की प्रशंसा करता हूं। परंतु जो तन्त्र कार्यप्रणाली लागू की जाएगी वह स्तर से कम है — उसके लिए हमारा उद्देश्य तो ऊंचा हो सकता है परन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति संतुलित से कम है। आई०सी०एस० से हमें जो व्यवस्था मिली है हम उसी के अनुसार नियंत्रण कर रहे हैं, हम अभी भी नियमित कर रहे हैं परन्तु प्रशासनिक तन्त्र विकसित नहीं हो रहा है यह विकास के वाहन के रूप में कार्य न करके अभी भी नियंत्रण के वाहन के रूप में कार्य कर रहा है।

[illegible]हरण के लिए सिंचाई को लेते हैं। उड़ीसा सरकार [illegible] को शुरू करना चाहती है। उन्होंने इस संबंध में एक ज्ञापन भेजा है। वे हर छः महीने में ज्ञापन भेज रहे हैं। माननीय सिंचाई मंत्री श्री मंगल कृष्ण अभी तीन चार दिन पहले ही आए थे। वे श्री टी०आर० बालू से मिलने गए थे। रेंगाली जैसे हर चीज पर्यावरण और वन मंत्रालय में रोक ली जाती है। इसे 1973 में 273 करोड़ रु० लागत से शुरू किया गया था। यह मेरे सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में है। महोदय, 800 करोड़ रु० खर्च किए जा चुके हैं। अब तक तीन रेलवे लाइन भी नहीं बनाई गई हैं। इसलिए बांध एक तरफ है। मुख्य कार्य एक तरफ है। खेत एक तरफ है। इसने अभी रेलवे लाईन को भी पार नहीं किया है। अतः वहां पानी नहीं है। सदी के सबसे बुरे सूखे में भी हमें एक बूंद पानी तक नहीं मिला। पर्यावरण और वन मंत्रालय अभी भी इस पर शांत बैठा है। हमारे मुख्य मंत्री आए थे और उनसे मिले थे। सिंचाई मंत्री सबसे मिले थे। ये 15 परियोजनाओं कहां की है। ये कालाहाण्डी, बलांगीर, कोरापुट जिलों, कानपुट, तेलनगिरि, चेलीगढ़, अवट लांथ, धोराधोट की हैं जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। अपर इन्द्रावती जो श्री बिक्रम केशरी देव के निर्वाचन क्षेत्र में है, अवर कौलाब, सहकी, सासन, आनन्दपुर, महेन्द्रतन्या, सालन्दी संस्कार, जो जल संसाधन मंत्री का गृह निर्वाचन क्षेत्र है ओंग बांध, रेत और हौडा। इस प्रकार ये सभी यहां लंबित पड़ी हैं। उन्हें तकनीकी रूप से स्वीकृति दे दी गई है। परन्तु इनका कार्यान्वयन नहीं किया गया है।

यही हाल पुलों का भी है। 1990 में, स्वर्गीय श्री बीजू पटनायक ने देश के सबसे युवा स्वतन्त्रता सेनानी श्री बाजी रावत के नाम पर ब्राह्मणी नदी पर एक पुल की आधार शिला रखी थी। अब 2003 चल रहा है। अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसको प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, इसके लिए बजट में आबंटन किया गया था। अब 22 करोड़ रु० से इसका बजट अब 36 करोड़ रु० हो गया है। यह कब तक बनेगा। क्या यह श्री बीजू पटनायक द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार सभी छः इस्पात संयंत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ेगा। यह कोलकता से मध्य उड़ीसा का पूरा रास्ता खोल देगा।

यही हाल टेलीफोन और दूरसंचार का है। हम दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति लाए हैं। हमें सूचना प्रौद्योगिकी का नेता माना जाता है। उड़ीसा को कोई केबल नहीं दिया गया है। अतः पिछड़े हुए अधिकतर क्षेत्रों को केवल के माध्यम से टेलीफोन कनैक्शन नहीं दिये गये हैं। वहां डब्ल्यू०एल०एल० और वी०वी०टी० है। वहां का कार्यकरण नियम से ज्यादा अपवाद पर चल रहा है। लोग बिना किसी संचार व्यवस्था के रह रहे हैं।

अब मैं सूखे की बात करूंगा। के०बी०के० की सम्पूर्ण अवधारणा कालाहान्डी, बलांगीर और कोरापुट में भुखमरी से हुई मृत्यु के कारण हैं। सरकार ने राज्य सभा की याचिका समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। अब काफी धनराशि दी जा रही है परन्तु अब की बार जो सूखा पड़ा है वह भयंकर सूखों में से एक है। इस साल जो सूखा पड़ा है वह पिछले साल के सूखे से भी भयंकर है। कुएं सूख गए हैं। पेयजल संसाधनों का स्तर नीचे पहुंच गया है। मवेशी मर रहे हैं और लोग मरने वाले हैं। बाड़मेर और जैसलमेर मरूस्थलों की तरह हमारे यहां सम्भलपुर, कालाहण्डी और अनुगुल में भी 50 डिग्री सेलशियस तक गर्मी होती है। अतः हम इस क्षेत्र को सूखा रहित नहीं बना पाए हैं। मुझे नहीं पता कि यह संसाधनों की कमी के कारण है अथवा प्रशासनिक कमियों के कारण है अथवा इच्छा शक्ति की कमी के कारण। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर विचार करें और यह देखें कि क्या वह इसमें हमारी मदद कर सकते हैं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री के०पी० सिंह देव : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं केवल एक या दो मुद्दों पर बात करूंगा। पहली बात जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है वह भारतीय जन संचार संस्थान के बारे में है। मैंने इसे आज नियम 377 के अंतर्गत उठाया था। यह आई०आई०एम० और आई०आई०टी० जैसे राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। गत 10 वर्षों से धेनकनाल की शाखा ने सभी टॉपर दिए हैं। कई लोग राष्ट्रीय समाचारपत्रों में कार्य कर रहे हैं।

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : मैं माननीय मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि वे आई०आई०एम०सी० के बारे में मेरे पास आये थे और इस पर पहले भी बोल चुके हैं। इसके संबंध में पहले निर्णय ले लिया गया था। मैंने संबंधित अधिकारियों को सलाह दी थी कि जब तक हम कोई उचित निर्णय नहीं लेते तब तक वे आई०आई०एम०सी० को उसके मौजूदा स्थान पर ही रखें।

श्री के०पी० सिंह देव : मैं आपका एहसानमन्द रहूंगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद *(व्यवधान)* एक कोट्टायम में है, एक झाबुआ में और एक दीमापुर में है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : एक मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। यह सबसे ज्यादा उपेक्षित है।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : मेरे विचार में और अधिक आई०आई०एम० सीज बनाए जायेंगे।

श्री के०पी० सिंह देव : मैं आपका अति आभारी हूं गत 10 वर्षों से ढेंकानाल स्थित इस संस्थान ने अखिल भारतीय टॉपर दिए है। इस बार जब माननीय अध्यक्ष श्री कीर्ति झा आजाद, मुझे और श्री दिनेश त्रिवेदी, हम तीन सदस्यों को जोहांसबर्ग ले गए थे तो वहां हमारी मुलाकात चार लड़कों से हुई जो आई०आई०एम०सी०, ढेंकानाल से पढ़े हैं और जो जोहांसबर्ग के विभिन्न समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं उनका बेहद आभारी हूं। सारा पूर्वोत्तर भारत आपका कृतज्ञ होगा।

मेरा आखिरी प्रश्न है, इस वर्ष भी हम, खेल और युवा कार्य मंत्रालय पर चर्चा नहीं कर सके। यह ओलिम्पक वर्ष है। माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष हमें आश्वासन दिया था कि ओलिम्पक में भाग लेने वाले हमारे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु इस वर्ष के बजट में 500 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। ओलिम्पक के लिए एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, बेटलिफ्टिंग, कुश्ती, निशानेबाजी और नौकायन इन आठ प्रतिस्पर्धाओं को चुना गया है। लेकिन यह 385 करोड़ रुपये जो दिए गए हैं वह केवल बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने मात्र के लिए हैं। प्रशिक्षण के लिए कुछ नहीं दिया गया है। सामान्य प्रशिक्षण पद्धति और तकनीक के विशेज्ञषों सहित इस कोच को 31 अक्तूबर, 2002 से वापस भेज दिया गया है। अभी तक यानि 1 मई तक, मुझे नहीं लग रहा कि कोई विदेशी कोच आ पाएगा। ओलिम्पिक में भाग लेने और उसके लिए प्रशिक्षण हेतु अब तो चन्द महीने ही बचे हैं। आजकल, ओलिम्पिक खेल अत्यंत विशेषज्ञता पूर्ण हो गये हैं और इनका स्टैण्डर्ड भी बहुत ऊंचा हो गया है। अगर हमें वहां तक पहुंचना है, हमें खेल विज्ञान का सहारा लेना होगा, हमें प्रशिक्षण की वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाना होगा और इसमें खिलाड़ियों के मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। जब तक हम अपने खिलाड़ियों के लिए उचित प्रबंधन नहीं करेंगे। यदि हम अपने खिलाड़ियों को खुद अभ्यास करने देंगे, और हम उनका एक बड़ा दल भेजेंगे तो वे शायद अंतिम स्थान पर या इसके आस-पस ही कहीं आयेंगे। इतने वर्षों में, भारत का स्थान चौथा या पांचवां ही रहा है। हम चाहें तो 2000 सिडनी ओलिम्पिक की भांति एक से अधिक कास्य पदक जीत सकते हैं। यह हमने वेटलिफ्टिंग में भी जीता था। चार या पांच ऐसी प्रतिस्पर्धाएं हैं, जिनमें हम जीत सकते हैं। शूटिंग में हम जीत सकते हैं। टेनिस में हम जीत सकते हैं। इसलिए, कृपया अपने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और कोचिंग के लिए कुछ संसाधन सुलभ कराइयें। धन्यवाद।

श्री आदिशंकर (कुड्डालोर) : धन्यवाद, सभापति महोदय,

मैं चालू वित्त वर्ष के वित्त विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इससे पहले कि मैं वित्त विधेयक और बजट की बात करूं, क्योंकि दोनों परस्पर सम्बद्ध हैं, मैं माननीय वित्त मंत्री को कई करणों से बधाई देता हूं। पहला कारण है कि वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का पहले की अपेक्ष 17.9 प्रतिशत अधिक संग्रहण करने में सफल हुए हैं। वह यह सुनिश्चित करने में समर्थ हुए हैं कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण पिछले वर्ष की 2,153,19 करोड़ रु० की बकाया वसूलियां कर पाए। निर्यात आयात नीति, जिसका उद्देश्य 1 प्रतिशत विश्व व्यापार था, बेहद सफल रही है और यह एक शानदार उपलब्धि रही है।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामला वित्त समेकन से संबंधित है। मैं इसके लिए वित्त मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन का हवाला देना चाहता हूं। जब हम वित्त समेकन की बात करते हैं तो मैं माननीय सदस्यों का ध्यान सार्वजनिक ऋण प्रणाली की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जिसके अंतर्गत बाजार से उधार लेने का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। केन्द्र सरकार ने कोई 95,859 करोड़ रुपये का ऋण लिया। राज्य सरकारों ने 17,276 करोड़ रुपये उधार लिए हैं और केन्द्रीय वित्त संस्थाएं और राज्य वित्त संस्थाएं भी काफी भारी रकम उधार के रूप में ले रही हैं।

इस वर्ष, माननीय वित्त मंत्री से आम आदमी का भार कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने लघु उद्योग क्षेत्र को कुछ रियायतें दी हैं। साथ ही साथ, लघु उद्योग क्षेत्र की कुछ मदों का आरक्षण समाप्त कर दिया है, जिसके कारण बड़े उद्योगों से काफी कड़ी प्रतिस्पर्धा होने की आशंका है। मैं माननीय वित्त मंत्री को बताना चाहता हैं कि लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा उन मदों का विनिर्माण कुशलता पूर्वक किया जा रहा है जिनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया और यह कि लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों में रोजगार के अपेक्षाकृत ज्यादा अवसर होते हैं। निष्कर्ष यह है कि हमारे देश

[श्री आदिशंकर]

के लघु उद्योग क्षेत्र में ही रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर होते हैं। माननीय वित्त मंत्री इस पर विचार करें और इस क्षेत्र के लिए उत्पाद शुल्क रियायतें एक करोड़ की सीमा रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये तक के लिए लागू की जाए। इससे लघु उद्योग क्षेत्र अपने आपको बनाए रख पाएगा और बड़े उद्योग धंधों से प्रतिस्पर्धा करने में भी यह क्षेत्र समर्थ हो पाएगा।

आज, हमें वृद्धि दर की फ्रिक है। सूखे ने वृद्धि दर पर बुरा असर डाला है, इसीलिए कृषि क्षेत्र में उत्पादन स्तर नीचे आ गया है। पिछले चार या पांच वर्षों की तुलना में इस वर्ष उत्पादन न्यूनतम है। हमने कृषि समुदाय पर इस तरह का असर पहले नहीं देखा। कृषि समुदाय, जो मुख्य उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है आप वास्तव में परेशानियों में है।

आज, कृषि समुदाय को कोई ऋण नहीं मिल रहा है। जब माननीय प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि ऋण पर लगने वाले ब्याज को वसूल नहीं किया जाएगा, तो मेरे साथ-साथ सभी ने यह सोचा था कि विभिन्न बैंकों से लिए गए ऋण पर से ब्याज को माफ कर [illegible] [illegible]लांकि, उन्होंने 20 प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया जाएगा। [illegible] [illegible]ल ब्याज के 20 प्रतिशत को ही माफ किया है। [illegible] केवल एक वर्ष का ब्याज माफ कर दिया गया है और शेष ब्याज को आस्थगित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, कृषि समुदाय एक बार फिर ऋण-जाल में फंस जाएगा। उनके लिए पुन: ऋण प्राप्त करना बेहद कठिन है, जबकि आने वाले मौसम में उन्हें उसकी वाकई बहुत जरूरत है। यह बहुत गंभीर समस्या है। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री माननीय सांसदों की भावनाओं के साथ-साथ आम जनता की और बाकी सबकी भावनाओं की कद्र करें क्योंकि सभी ने सोचा था कि सम्पूर्ण ब्याज माफ कर दिया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करना चाहूंगा।

आप, कृषि समुदाय को बीमे की आवश्यकता है। यह चुनिंदा फसलों के लिए ही है और चयन भी बेतरतीब ढंग से किया गया है। माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि एक पृथक बीमा निकाय बनाया जाएगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से फसल बीमा कार्यकलाप के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बीमा संगठन की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करना चाहूंगा।

अब मैं हथकरघा और वस्त्र की बात करता हूं। कुछ छोटे पावरलूम हैं जो कुछ ब्राण्ड मदों का विनिर्माण करते हैं, लेकिन वे इसे व्यापक स्तर पर नहीं बनाते और अब उन पर उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है। मैं सरकार से ऐसी इकाइयों को उत्पाद शुल्क छूट देने का आग्रह करता हूं। यदि वर्तमान स्तर पर उत्पाद शुल्क लगाया जाना जारी रहा, तो ये इकाइयां बाजार में मौजूद बड़ी कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी। इससे इस क्षेत्र में रोजगार की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विपणन सुविधाओं के अभाव के कारण यह क्षेत्र पहले से ही संकट में है और अब उत्पाद शुल्क का लगाया जाना इस क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित करेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से इसकी जांच करने के लिए अनुरोध करना चाहूंगा।

वित्त मंत्री द्वारा किए गए उपायों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं कम्पनी स्तर पर लाभांश कर को हटाए जाने के लिए भी अनुरोध करना चाहूंगा। लेकिन कुछ कम्पनियां लाभांश कर दे सकती है। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने निवेशक स्तर पर लाभांश कर को हटा दिया है। इससे निवेशकों को बढ़ावा मिलेगा। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री आदिशंकर जी। कृपया आप पूरा भाषण मत पढ़िए। आप चाहे तो इसके कुछ अंशों का उल्लेख कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

श्री आदिशंकर : महोदय, मैं दो या तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। *(व्यवधान)* जहां तक युवा समुदाय का सम्बंध है, इस सदन के इतिहास में, यह पहला मौका है जब युवा मामलों को सदन की चर्चा सूची में शामिल किया गया है। दुर्भाग्यवश।

आज देश में युवा वर्ग की क्या स्थिति है? बेरोजगारी की समस्या दिनो-दिन विकट होती जा रही है। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधान मंत्री जी भी इस स्थिति से अवगत हैं। वे जवाहर रोजगार योजना की बात करते हैं। इससे सम्बन्धित बहुत से प्रस्ताव आए हैं लेकिन उनके तहत कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि सरकारी सेवाओं में भर्ती कमो-बेश बंद हो गई है क्योंकि सरकार का मत है कि अब आगे और भर्ती की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकारें उन पदों को भी नहीं भर रही है जो सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुए हैं। केन्द्र सरकार भी युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में कटौती करने पर विचार कर रही है। यही स्थिति है।

विनिवेश की प्रक्रिया के द्वारा लगभग सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है। युवाओं को नौकरी से निकाला जा रहा है। यदि मैं गलत नहीं तो देश में लगभग 40 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। बहुत ही गंभीर स्थिति है। आए दिन हम अपराधों के बढ़ने की और कानून का उल्लंघन किए जाने के समाचार सुनते हैं। यह सब युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में हमारी विफलता के कारण हो रहा है। यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। बजट में इस गंभीर समस्या के समाधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस समस्या का समाधान किए बिना हम प्रगति नहीं कर सकते और अपने राष्ट्र के प्रगतिशील होने का

दावा भी नहीं कर सकते। देश के युवाओं में असंतोष हैं। देश के युवा वर्ग के आत्महत्या की प्रवृति बढ़ रही है। जनता हिंसक होती जा रही है क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है।

वित्त विधेयक के माध्यम से राजस्व और पूंजीगत व्यय, दोनों के लिए, धन जुटाने का परम उद्देश्य गरीबी को दूर करने, सबसे कमजोर वर्ग को संरक्षण देने तथा देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने और उन्हें और उपर उठाने का होना चाहिए लेकिन मेरे विचार से यह सरकार इसमें पूरी तरह असफल रही है।

मूल्य संवर्धित कर कार्यदल की सिफारिश है ऐसा समझा जाता है कि इसने कर वसूली के तरीके को सरल बना दिया है, यदि ऐसा ही है, तो व्यापारी वर्ग इससे क्यों उत्तेजित है? केन्द्र और राज्य, दोनों ही सरकारों के कराधान विभाग व्यापारिक समुदाय को उपलब्ध बुनियादी, सुविधाओं में विद्यमान कमियों को समझने में असफल रहे हैं। मैं मूल्य वर्द्धित कर 'वैट' की अवधारणा का विरोधी नहीं हूं। लेकिन हमारे दल का जो विरोध है वह यह है कि पूरी व्यवस्था को युक्ति संगत बनाना होगा।

अच्छा शासन आपका मूल नारा है। यदि भारत की 100 परियोजनाओं में से एक परियोजना में, एक क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की है तो आप संसद को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि शासन राजग के घोषित एजेंडे के अनुसार चल रहा है। यदि एक छोटा व्यापारी समय पर मूल्य वर्द्धित कर ('वैट') नहीं देता तो पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा उससे जवाब तलब किया जाएगा लेकिन आई०टी०सी०, इंडियन टो बैकों जैसी कम्पनी ने देश को उत्पाद शुल्क के 20,000 करोड़ रुपये अदा नहीं किए हैं, उसका क्या?

जहां तक मेट्रो पर सीमा-शुल्क और सभी प्रकार के शुल्कों पर छूट का सम्बन्ध है। इसके लाभार्थी कौन हैं? इसके लाभार्थी ठेकेदार हैं।

वाद-विवाद का उत्तर देते समय सरकार इसे अवश्य स्पष्ट करे।

सिले-सिलाये वस्त्रों पर उत्पाद शुल्क में छूट के सम्बंध में मैं यह जानना चाहूंगा कि आप किस प्रकार के तंत्र पर विचार कर रहे हैं? आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि छेटे पैमाने पर काम करने वाले दर्जी और छेटे समूह जो कपड़ा खरीद कर, सिलाई करते हैं, उनको कर से पूरी छूट दी जाए।

सरकार से मेरी अपील है कि यह कर विभाग से इस सम्बन्ध में 30 तारीख तक आंकड़े पेश करने का निदेश दें कि पूरे देश में निर्मित सिले-सिलाये वस्त्रों का कितना प्रतिशत ब्रांड-नाम या ट्रेडमार्क वाला है और उनका कितना प्रतिशत छेटे पैमाने पर आम आदमी द्वारा तैयार किया जाता है।

अंत में मैं तमिलनाडू के सेतु समुद्रम परियोजना के सम्बंध में कुछ कहना चाहूंगा यह योजना बहुत लम्बे समय से लम्बित है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से सेतु समुद्रम परियोजना के लिए कुछ और राशि आवंटित करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि न केवल तमिलनाडु में बल्कि, मेरे विचार से सभी राज्यों में यह समुचित रूप में क्रियान्वित नहीं की गयी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, एस०जी०आर०वाई०, परती भूमि विकास कार्यक्रम, वाटर शेड कार्यक्रम आदि योजनाएं भी समुचित रूप में क्रियान्वित नहीं की गयी हैं। सूखा राहत कार्यों की भी निगरानी और देख-रेख सही रूप से नहीं की जाती है।

माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि कृपया इन सभी पहलुओं पर विचार करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : महोदय, आपने मुझे जो अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं, इस वित्त विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारी सामान्य बजट पर चर्चा हुई थी। अब हमारी वित्त विधेयक पर चर्चा होने जा रही है। सामान्य बजट पर चर्चा के दौरान, मैंने कतिपय मुद्दों पर आपत्ति की थी और टिप्पणी की थी कि यह बजट गरीब विरोधी, जनता विरोधी और किसान-विरोधी भी है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने आर्थिक सुधारों के संबंध में अपनी नीतियों की ओर अपनी सम्पूर्ण और अडिग वचनबद्धता को दुहराया है। इसने भारतीय एकाधिकार पूंजी और विदेशी वित्तीय पूंजी पर बड़े पैमाने पर भरोसा करने और अनियंत्रित बाजार तंत्रप्रणाली के आधार पर कार्यप्रचालन से अपेक्षित उपलब्धियों के संबंध में जोर-शोर से घोषणा की है। इसी विचार से आपत्ति है। यह बजट का सार है। यह वित्त विधेयक केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसीलिये मैं इस बजट का विरोध करता हूं। यह स्पष्ट है कि नीतिगत लक्ष्यों और हमारे देश के सामाजिक ढांचे के अनुरूप साधन मूलक और संस्थागत नीति के विभिन्न स्वरूपों के प्रति एक प्रकार की पूर्ण प्रतिबद्धता है।

हमारे लोकतांत्रिक समाज के समान व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक ढांचे को प्रति दायित्व और सामाजिक, उत्थान के प्रति जो हमारे नीतिगत लक्ष्य है उसका खुल्लम खुल्ला त्याग करना बहुत कठिन है, उसके बारे में सरकार द्वारा बार-बार बताया तो जा रहा है किन्तु हमारे देश के जिन सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को त्याग नहीं किया गया और प्रचालित भी नहीं किया गया। उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है,

[श्री प्रबोध पण्डा]

उनके लिये विश्वसनीय और ठोस प्रयास भी नहीं किये जा रहे हैं और न ही हमारे देश की सामाजिक आर्थिक लक्ष्य के लिये साधन रूप में जोर-शोर से ठोस परिणाम पाने के लिये समुचित व्यापार नीति को अपनाया जा रहा है।

वित्त विधेयक को पुर:स्थापित करते समय, माननीय वित्त मंत्री ने मूल्यवर्धित कर (वैट), यू०एस०-64 के संबंध में कुछ बातें कहीं और उन्होंने कपड़ा उद्योग के संबंध में भी कुछ बातें कही। वैट के संबंध में, सरकार ने राज्यों के लिये घाटे की क्षतिपूर्ति करने का संकेत दिया है। परन्तु बजट अथवा वित्त विधेयक में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 'वैट' के संदर्भ में राज्यों की क्षतिपूर्ति करने के संबंध में सरकार का क्या उत्तर है? बीज और कृषि संबंधी वस्तुयें वैट के दायरे में लाई गईं हैं। उन्हें छूट दी जानी चाहिये। जीवन रक्षक दवाओं को भी 'वैट' से छूट दी जानी चाहिये।

कपड़ा और परिधान निर्माण क्षेत्र में, सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्माण के लघु उद्योग धंधों को केन्द्रीय बजट में उत्पाद शुल्क से [illegible] जाने के कारण पूरे देश में छोटी परिधान निर्माण इकाइयां [illegible]इयों का सामना कर रही हैं।

इसलिये, सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि एक करोड़ रुपये तक के लघु उद्योग धंधों को सिले-सिलाये वस्त्रों पर उत्पाद शुल्क से पुन: छूट दी जाये।

महोदय, हम बैंकों के बारे में चर्चा कर रहे है। यहां पर लगभग 120 लाख करोड़ रुपये की अनुपयोज्य आस्तियां हैं। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने चूककर्ताओं के नामों को उजागर करने की कृपा की है। अब, हमारी सरकार बैंकों का निजीकरण करने जा रही है और अनुपयोज्य आस्तियों के लिए जिम्मेदार चूककर्ताओं में ही उन्हें बांटने की पेशकश कर रही है। मैं नहीं जानता कि इन दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु इस सरकार की क्या योजना है।

महोदय, काले धन के बारे में बताये? इस संबंध में बजट अथवा वित्त विधेयक में कुछ भी नहीं कहा गया है। आजकल, हमारे देश में काले धन की एक समानान्तर अर्थव्यवस्था बन गई है। बिना लेखे-जोखे के इस धन में वृद्धि हमारे देश के लिये खतरा है, फिर भी काले धन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। सरकार इस देश में काले धन की वसूली करने के लिये कौन से उपाय करने जा रही है? आजकल, इस मुद्दे को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिये।

सीमा शुल्क ओर उत्पाद शुल्क के बारे में, यह सुस्पष्ट है और यह बताया भी गया है कि हमारी सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के प्रति कतिपय क्षेत्रों में प्रतिबद्धता दर्शाई है, और इसीलिये, इन्होंने विश्व व्यापार संगठन सीमा शुल्क को कम कर दिया है। यहां पर कई अन्य देश है जो विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुये हैं परन्तु वे अपनी स्वदेशी लघु उद्योग धंधों को संरक्षण दे रहे हैं परन्तु हमारी सरकार ऐसा नहीं करेगी। हमारी सरकार विश्व व्यापार संगठन के प्रति इतनी वफादार है कि पहले से ही उनकी शर्तों को कार्यान्वित करने जा रही है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन को विदेशी शराब के बारे में वचन दिया था, इसलिये, उन्होंने विदेशी शराब पर सीमा शुल्क 182% से 166% तक कम किया है। इसके विपरीत, उन्होंनें टायरों, सॉफ्ट ड्रिंक, वातानुकूलितों, मोटर कारों आदि पर उत्पाद शुल्क कम किया है और खाद्य तेल, वनस्पति, ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन, कागज पर शुल्क लगाया है और भविष्य निधि और छोटी बचतों पर ब्याज की दर कम की।

मैंने समाचार पत्र में यह पढ़ा है कि गन्ना उत्पादकों को संरक्षण देने के लिये एक कार्य-दल की स्थापना की गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से धान उत्पादकों, आलू उत्पादकों और पटसन उत्पादकों को लाभ कर कीमत दिलाने के लिये अनुरोध करना चाहूंगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जानी चाहिये।

अब मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी समस्या का उल्लेख करना चाहूंगा। इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। इस प्रणाली को समाज के एक खास वर्ग के लिये नहीं वरन् सभी वर्गों के लिये होना चाहिये। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिये अनाज आदि कम कीमत पर अवश्य उपलब्ध कराया जाये किन्तु जो गरीबी की रेखा से नीचे नहीं है उन्हें कम से कम सरकारी दुकानों से अनाज खरीदने का अवसर दिया जाये। इसीलिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनी रहनी चाहिये और इसके अन्तर्गत स्थित समुचित मूल्य की दुकानों से गरीबी की रेखा से नीचे या ऊपर दोनों वर्ग की जनता को वस्तुयें खरीदने का अवसर दिया जाना चाहिये। आर्थिक रूप से इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये।

अन्तत: मैं यह कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह स्वीकार किया गया था कि :

> ''हमें सामाजिक ही नहीं वरन आर्थिक असमानताओं को कम करने की आवश्यकता का महत्व समझना चाहिये''

किन्तु, महोदय सामाजिक या आर्थिक समानता लाने के लिए किन्हीं उपायों का यदि पता लगाना ही तो यह भूसे की ढेरी में सुई ढूंढ़ने के समान होगा। प्रस्तावित बजट यानि यह वित्त विधेयक और इसके साथ ही अधिकांश महत्वपूर्ण और सुविस्तृत प्रस्तावों का समग्र प्रभाव समानता लाना नहीं वरन उसके प्रतिकूल अनेक सुविधा सम्पन्न अमीरों और हाशिये पर जी रहे गरीबों के बीच के अन्तर को और अधिक

बढ़ाना है। यही कारण है कि मैं इस वित्त विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : सभापति महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किए गए फाइनैंस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा मानना है कि इस फाइनैंस बिल के अंदर, जो एन०डी०ए० सरकार की

[अनुवाद]

गरीबी उन्मूलन करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने, कृषि क्षेत्र, लघु उद्योग क्षेत्र, और सामाजिक क्षेत्र में सुधार करने के प्रति वचनबद्धता है।

[हिन्दी]

जो भी टारगैट रखे गए हैं, उन सबमें हम क्रान्तिकारी परिवर्तन करने में कामयाब होंगे। फाइनैंस बिल में अन्त्योदय योजना का जिक्र किया गया है जिसके अंतर्गत इस बार 507 करोड़ रुपये पिछली बार से ज्यादा रखे गए हैं। यह सरकार की इस कमिटमैंट को जाहिर करता है कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ा पी०डी०एस० सिस्टम चला रहे हैं। इसी तरह जो लोग बी०पी०एल० रेखा से नीचे रहते हैं, उनको दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल प्रदान करने के लिए इस स्कीम को चलाया जा रहा है जिससे देश के करोड़ों परिवारों को बी०पी०एल० रेखा से ऊपर उठाने का मौका मिलेगा। इसी तरह फाइनैंस बिल के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस – इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज़ ड्यूटी आदि जो दूसरे सैंट्रल टैक्सेज हैं, उनमें रिडक्शन लाई गई है। इससे हमारे देश के औद्योगिक जगत को बहुत उन्नति के अवसर मिलेंगे। आज देखने में आ रहा है कि भारत ने आजादी के बाद पहली बार 51 अरब रुपये अमरीकन डालर का एक्सपोर्ट किया है। यह एक्सपोर्ट इसलिए संभव हो सका है कि हमारे देश के मुख्य रूप से जो कारपेट इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री है, जो प्राचीन उद्योग हैं, छोटी साइंटीफिक इंडस्ट्रीज, और भी इंडस्ट्रीज जो लेबर इंटैंसिव हैं, उन सबमें मजदूरों की मेहनत से यह संभव हो पाया है।

इस महान् सदन के अंदर मेरे से पूर्व बहुत से वक्ताओं ने स्माल स्केल इंडस्ट्री के बारे में बातें कहीं हैं। मैं भी आदरणीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस प्रकार मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पानीपत की हैंडलूम इंडस्ट्री है। इसी प्रकार से लोक सभा के अंदर जगादरी के अंदर बर्तन का उद्योग है और लोक सभा के अंदर अम्बाला के अदंर साइंटिफिक इंडस्ट्री जो सारी दुनिया के अंदर जानी-मानी इंडस्ट्री है, इनको राहत प्रदान की जानी चाहिए। जो भी प्रस्ताव इनके ऊपर जो टैक्स लगाने का आया है, मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन सब को वापस लिया जाए। हमारी लोक सभा के अंदर जगादरी में बर्तन उद्योग है और बहुत पुराना उद्योग है लेकिन हो रहा शीट है, इसके ऊपर एक रुपये से ही टैक्स लगना शुरू हो जाता है। मैं चाहूंगा कि उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर लेकर जो राहत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मिलती है, वही राहत उसको भी दी जाए। जो कार्ड बोर्ड इंडस्ट्री हमारे यमुना नगर के अंदर फ्लरिश हो रही है, वह उस एरिया में सबसे बड्डी कार्ड बोर्ड इंडस्ट्री बनी है, आज उसको भी राहत दी जानी चाहिए। बहुत सी चीजों पर छूट दी गई है। परन्तु मैं उनका ध्यान एक छोटी सी बात की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। जो साइकिल के कम्पोनेंट्स हैं, उसके ऊपर छूट दे दी है लेकिन साइकिल इंडस्ट्री का प्रतिनिधि मंडल मुझे से मिला था उन्होंने एक छोटी सी बात कही लेकिन उसका असर आम आदमी पर पड़ेगा और जैसे हमारे जो विरोधी कांग्रेसी है या जो अन्य विपक्षी लोग बैठे हैं, उनके पास प्रोपेगेंडा करने के लिए बात हो जाएगी और वे मिसयूज कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि साइकिल के कम्पोनेंट्स को आपने फ्री कर दिया लेकिन साइकिल के टायर के ऊपर ट्यूब पर छोटा सा पंक्चर लगता है, उसी पंक्चर में कोई लोशन इस्तेमाल होता होगा, उसके ऊपर कहते हैं कि 16 प्रतिशत टैक्स लगा दिया गया है। फिर विरोधी इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि बड़ी-बड़ी कारों की ट्यूबों पर टैक्स नहीं लगाया और साइकिल के पंक्चर पर जो लोशन इस्तेमाल होता है, उस पर सरकार ने 16 प्रतिशत टैक्स लगाया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के प्रोपेगेंडा पर लगाम लगाने के लिए उस पंक्चर पर जो लोशन लगता है, उसा पर से टैक्स हटाया जाए। उसका हौवा खड़ा किया जा रहा है।

इसी तरह से मैं यह कहना चाहूंगा कि जो बैंकिंग सैक्टर है, भारत सरकार ने बैंकों को बहुत ही सस्ती दरों पर आर०बी०आई० की तरफ से क्रैडिट उपलब्ध कराया है लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, वह सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है जिससे लास्ट बैनेफिशयरी जो होता है और जिसकी पॉकेट में वह लोन जाएगा, उसे यह महंगा पड़ता है। इससे हमारे देश के अंदर जो सैल्फ हैल्प (एस०एम०जी०) ग्रुप काम कर रहे हैं, उनके सामने कठिनाई आ रही हैं।

एग्रीकल्चर सैक्टर के अंदर कठिनाई आ रही है। आर०बी०आई० से 7 प्रतिशत पर कोआपरेटिव बैंक को लोन मिलता है लेकिन कोई किसान या दलित की जेब में जाता है तो वहां जाते-जाते ब्याज दर 14 प्रतिशत से 16 प्रतिशत के बीच में चली जाती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसका सरलीकरण किया जाए। आज इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा कि या तो शेरशाह सूरी जी ने 500 साल पहले कलकत्ता से पेशावर तक जी०टी० रोड

[श्री रतन लाल कटारिया]

बनाकर ऐतिहासिक कार्य किया था। या आज प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद यह पहला अवसर है कि नेशनल हाईवेज को आपग्रेड करने के लिए जसंवत सिंह जी ने 1,64,345 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। वित्त मंत्री जी ने विश्व का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया है, जो आरदणीय प्रधान मंत्री की देखरेख में चल रहा है। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारी एन०डी०ए० की सरकार का विजन कितना क्रिस्टल क्लियर है कि हम भारत के शहरों और गांवों को बड़ी-बड़ी सड़कों के साथ जोड़ कर इस क्षेत्र में एक क्रांति लाना चाहते हैं।

जो कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, उससे भी हमारे देश के व्यापार को बढ़ोत्तरी मिलेगी। हैल्थ सेक्टर के अंदर जो जीवन रक्षक दवाएं हैं या जीवन रक्षक इक्वीप्मेंट्स हैं, जो बड़े-बड़े अस्पतालों में काम आते हैं, उन पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। हमारे देश के अंदर पावर सेक्टर में भी काफी रिफार्म्स हो रहे हैं। मैगापावर प्रोजेक्टस पर कस्टम ड्यूटी में छूट का मैं स्वागत

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री रतन लाल कटारिया : अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

सभापति महोदय : आप 12 मिनट बोल चुके हैं।

श्री रतन लाल कटारिया : केवल दस मिनट और दे दें।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री रतन लाल कटारिया : मेरा तो मोशन ही टूट गया।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : आपकी साइकिल पंक्चर हो गई।

श्री रतन लाल कटारिया : सही कह रहे हैं। मैं कह रहा था कि जो इस बजट में स्टेंडर्ड डिडक्शन को वैसा ही रखा गया है, फिर भी मंत्री जी ने छूट दी है कि या तो जिसकी बेसिक सैलरी है, उसका 40 प्रतिशत वह बेनिफिट ले सकता है या 30,000 रुपए तक का बेनिफिट वह ले सकता है। इसी तरह से सीनियर सिटीजंस को मिलने वाली राहत को 15,000 रुपए से बढ़ा कर 20,000 रुपए कर दिया गया है। इस क्षेत्र के अंदर चाहे कोई हैंडीकैप हो या महिलाएं हों, उनको भी राहत दी गई है।

2001 की जनगणना के मुताबिक देश की आबादी का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति और जनजाति का है। देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो विभिन्न फोरम काम करते हैं, यहां तक कि संसदीय फोरम जो है, उसमें भी यह मांग बार-बार उठती है कि हमें जो राहत प्रदान की जा रही है, वह हमारी जनसंख्या के हिसाब से वित्त विधेयक में रखी जाए। विभिन्न विभागों के अंदर जो राशि दी जाती है, उसमें इस बात को मद्देनजर रखा जाए कि जो इस वर्ग के लोग हैं, उनके लाभ के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उनको पूरा-पूरा लाभ मिल सके। इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन का युग शुरू हुआ, रिफार्म्स का युग शुरू हुआ। यद्यपि बहुत सेक्टर्स में तरक्की हो रही है, देश ने टेलीकम्युनिकेशन में काफी तरक्की की है। लेकिन जो रोजगार के साधन हैं, उसमें कई क्षेत्र ऐसे हैं जो एस०सी०, एस०टी० के लोग थे, उनको सरकारी नौकरियों के अंदर नियोजित किया जाता था। लेकिन जब से प्राइवेट सेक्टर बढ़ता जा रहा है, इन लोगों के सामने रोजगार के साधन सीमित होते जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें जो एक करोड़ रुपए से ऊपर का लोन देकर अपना धंधा स्थापित करता है, भारत सरकार से पैसा लेता है, उसके लिए मेंडेट्री किया जाए कि वह उस वर्ग के शिक्षित व्यक्तियों को अपने यहां रोजगार दे।

अपराह्न 5.00 बजे

इस बारे में मैं यह कहना नहीं चाहूंगा कि कोई क्वालिफिकेशन या आयु में छूट दी जाए, लेकिन मैनडेटरी इन संस्थाओं के लिए बनाया जाए कि वे इस वर्ग के जो शिक्षित लोग हैं, उनको रखा जाएगा। आज मैं बड़े विश्वास और संकल्प के साथ कहना चाहूंगा कि भारत के दलित समाज को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना काबिल बना दिया है कि इस वर्ग के बच्चे 94 प्रतिशत, 96 प्रतिशत नम्बर लेकर आते हैं। जिनके माता-पिता ने उनको मोची का, सफाई कर्मचारी का काम करके पढ़ाया है, अगर उन बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तो इस समाज में एक बहुत बुरा संदेश जाता है। हमने माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलकर इस बारे में अनुरोध भी किया है और कई बार अपनी मीटिंगों में भी बुलाया है। मैं माननीय जटिया साहब जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने अपने मंत्रित्व काल में फाइनेंस मिनिस्टर साहब और प्रधान मंत्री जी को बुलाकर जो भी हमारे समाज के सामने आर्थिक कठिनाइयां आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए एक के बाद एक कदम उन्होंने उठाए हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनका लाभ हमारे समाज के लोगों को मिल सकें।

इसी तरह से हमारा जो स्मॉल-स्कैल इंडस्ट्री का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, उसमें भारत की जनसंख्या का 72 प्रतिशत भाग जो है वह गांव में रहता है। गांव में, कृषि और उद्योग क्षेत्र में छोटी-छोटी इकाइयां लगी हुई हैं। अगर हमें महात्मा गांधी जी के और माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को पूरा करना

है तो हमें अपने गांवों की स्थिति को सुधारना होगा। मैं आदरणीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने हैल्थ सैक्टर, एजूकेशन, पीने के पानी, ट्राइबल्स वैलफेयर, शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए धनराशि बढ़ाई है और वीमैन और चाइल्ड वैल्फेयर के अंदर 13 प्रतिशत राशि बढ़ाई है। जन सुरक्षा पारिवारिक आरोग्य बीमा योजना के अंतर्गत देश के गरीबों को एक रुपया प्रति व्यक्ति प्रीमियम देने की बात जो की है, उससे 30 हजार रुपये का लाभ इनको मिलेगा। एक बार फिर मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के सामने इतना बढ़िया फाइनेंस बिल रखा है जिससे देश की उन्नति होगी। माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं जिनके स्पष्ट नजरिये से आज भारत दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभरकर आ रहा है। इस सरकार से पहले जब हमारा कोई नेता विदेश जाता था तो उसके अखबारों में कार्टून छपते थे कि "दे दे, अल्ला के नाम पर दे दे, इंटरनेशनल फकीर आये हैं"। वे सोचते थे कि और कुछ नहीं तो अनाज मांगने आया होगा। पैसे मांगने आये होंगे लेकिन आज हमारे देश के अंदर अन्न के भंडार भरे पड़े हैं और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 86 बिलियन से ऊपर चला गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और वित्त विधेयक, 2003 का समर्थन करता हूं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : सभापति महोदय मैं वित्त विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं पूर्वोत्तर के एक क्षेत्र से आता हूं जिस क्षेत्र के बारे में वित्त मंत्री अच्छी तरह वाकिफ है क्योंकि असम में 'आसू' की के उपद्रवों के दिनों में वे वहां बहुत व्यस्त रहे थे।

उन्होंने राजनैतिक कारणों से दौरा किया था और उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भी बहुत योगदान किया था। दुर्भाग्यवश, महोदय, मैं समझता हूं, कि आज बिना आपकी जानकारी के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के सच्चे इरादे और आपकी अच्छी नियत के बावजूद इससे कोई अच्छा संदेश नहीं जाता। मैं पहले उनमें से कुछ विषयों पर चर्चा करना चाहूंगा। मुझे खुशी है कि आप यहां है। मुझे विश्वास है कि आप इन सभी बातों पर उचित विचार करेंगे। जब आप इस तरफ बैठे थे तो आपके भाषण मैंने स्वयं सुना है, एक मंत्री के रूप में जब मैं यहां बैठा था, आप पूर्वोत्तर पर हमेशा बोला करते थे इसलिए मैं इस अवसर पर वित्त मंत्री से पूर्वोत्तर क्षेत्र पर बोलना चाहता हूं क्योंकि पूर्वोत्तर का क्षेत्र उनके लिए बहुत प्यारा रहा है। अब मैं आपका ध्यान ग्रासक्रैकर तंत्र की ओर दिलाना चाहूंगा जो 1985 में आसू और स्व० राजीव गांधी के बीच हुए असम समझौते का अभिन्न अंग था। तब से लेकर आज तक 18 वर्ष हो गए लेकिन यह अभी तक नहीं बना है। इसके क्या कारण हैं। पहली समस्या यह थी कि प्राकृतिक गैस इच्छित मात्रा में उपलब्ध नहीं थी। कई कम्पनियों के साथ बात-चित हुई और बहुत लम्बे समय के बाद इसका समाधान हो पाया। इण्डियन आयल कारपोरेशन एल०पी०जी० की आपूर्ति करने पर राजी हो गया। जब वह समस्या हल हो गई तो परियोजना की व्यवहार्यता का प्रश्न आया। इसका कारण था कि एस०पी०जी० और प्राकृतिक गैस के कीमतों में अंतर था। स्वभाविक रूप से योजना की व्यावहारिकता का प्रश्न आ खड़ा हुआ। अब यह बड़ी समस्या है जो सामने खडी है। इस योजना को कैसे और अधिक व्यावहारिक बनाए जाए? इस अंतर, प्राकृतिक गैस और एल०पी०जी० के कीमत के अंतर को कौन भरेगा? मुझे नहीं पता इस अंतर को कौन भरेगा। लेकिन चूंकि यह असम समझौता से संबंधित है इस पर भारत सरकार द्वारा खासकर वित्त मंत्रालय द्वारा विचार किये जाने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से जो कि आप यहां हैं। मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कुछ सोचा जाना चाहिए क्योंकि कभी इसकी घोषणा असम गण परिषद् के एक यूनिट और भा०ज०पा० द्वारा की गई थी और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा कुछ घोषणा होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है। कुछ मूलभूत समस्या हो सकती है। फिर भी मैं समझता हूं कि अब और आगे विलम्ब नहीं होगा। इस क्षेत्र के युवाओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ किया जाएगा। इसका कारण है कि इससे पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार सृजन की आवश्यकता की पूर्ति होगी। सैकड़ों इंजीनियर्स और तकनीकी जानकार बेकार बैठे हैं। उन्हें रोजगार की जरूरत है। यही एक परियोजना है जिससे रोजगार मिलेगा। इस परियोजना की व्यवहार्यता और अव्यवहार्यता के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए आवश्यक राजसहायता का प्रावधान इस बजट में किया जाना चाहिए। यह मेरा नम्र निवेदन है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। यह इसलिए है क्योंकि आप बहुत ही प्रगतिशील वित्त मंत्री हैं आप इस क्षेत्र की वास्तविक समस्या पर ध्यान देते हैं।

दूसरी बात पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्योगों को कर में दिया जाने वाला प्रोत्साहन को वापस लेना है। आपको पता है कि 10 वर्ष के लिए विशेष औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। हम खुश हैं कि कुछ बाहरी एजेंसियां अपना उद्योग शुरू कर रही है। यदि मैं अच्छी तरह समझता हूं और जानता हूं, तो कुछ सिगरेट कम्पनियों ने उस लाभ का दुरूपयोग किया है जैसे को में छूट और उत्पाद छूट जिन्हें इन उद्योगों को शुरू करने वालों को दी जाती हैं। जब वित्त ने कहा कि वे नहीं चल रही है तो मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। आप उस विशेष उद्योग को दंडित करे। लेकिन सभी को सजा क्यों। मंत्रालय ने इस छूट को भूतलक्षी प्रभाव से वापस ले लिया है। हमारे लिए और दु:खद समाचार है। पूरे असम में पानी की खेती होती है। मंत्री जी असम में गए थे। उन्हें ताम्बूल और पान दिया गया था। सुपारी उगायी जाती है और आपको यह जानकर दु:ख होगा कि हम कांग्रेसी भी दोषी है, – अधिकांश सुपारी तस्करी के माध्यम से बंगलादेश को चली जाती है। भारत सरकार की नीति के बाद कुछ लोग वहां गए और पान मसाला का कारोबार शुरू किया और यह बहुत चला।

[श्री संतोष मोहन देव]

लगभग 1700 बच्चे इसमें काम करते हैं। यह त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी शुरू हुआ है। अब अचानक इस छूट को वापस ले लेना, इससे ज्यादा भूतलक्षी प्रभाव से, हमारे लिए यह निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी बाधा होगी मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप कुछ करें।

मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी नाराज हैं क्योंकि वे लोग गुवाहाटी उच्च न्यायालय में गए है और वहां से स्थगन आदेश लाए है। उनका मंत्रालय अपील करने के लिए उच्चतम न्यायालय में गया था। इस वित्त विधेयक में एक खास खंड जोड़ा गया है ताकि यह इसे नियमित कर सके। मेरा अनुरोध है कि आप इस पर विचार करें। रोजगार की संभावना का खयाल रखते हुए इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। क्योंकि पूर्वोत्तर के पिछड़ापन, आतंकवाद की स्थिति, क्षेत्र की विकास की आवश्यकता और हमारी भावी नस्लों के लिए रोजगार की संभावना पर विचार करना चाहिए।

किसी भी प्रकार के विकास के लिए उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। ...कर मौजूदा प्रधानमंत्री द्वारा जिस उद्देश्य से इसे ... बहुत स्वागत योग्य है। इसे बनाए रखा जाना चाहिए और इसे वापस नहीं लिया जाना चाहिए। यदि बार-बार आने वाले प्रधानमंत्रियों द्वारा वायदा वापस लिए जाते रहे तो आप पर लोग संदेह करेंगे। वे तत्व जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र को अस्थिर करना चाहते हैं वे तब कहेंगे कि यह एक उदाहरण है, प्रधानमंत्री आते हैं और जाते हैं, वे बहुत सारी बाते करते हैं, लेकिन आने वाली सरकारों द्वारा उनका समर्थन नहीं किया जाता। इसलिए मेरा कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेश के साथ आपको इस पर विचार करने की कोशिश करनी चाहिए।

पुनः, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं तेल शोधक कारखानों से उत्पाद शुल्क में छूट वापस लिए जाने की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दस वर्षों से यह दिया गया था, आपने पहले ही 50 प्रतिशत की अनुमति दे दी है। नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना भी असम आंदोलन की देन है। हम खुद इसके खिलाफ थे लेकिन जब राजीव गांधी ने उन लड़कों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए तो हमें खुशी हुई; उन्होंने न केवल राजनैतिक व्यक्ति की मांग की थी बल्कि वे भारत सरकार तत्कालीन कांग्रेस सरकार से कुछ आर्थिक पैकेज भी चाह रहे थे; एक तकनीकी संस्थान की मंजूरी दी गई और इसने कार्य करना शुरू कर दिया। वे लड़के अब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

अब तेल शोधक कारखानों को इस उत्पाद शुल्क की छूट से वंचित किया गया है। मैं नहीं जानता कि यह क्यों किया गया है। कृपया आप इस पर पुनः विचार करें और इसे जारी रखें। अन्यथा, यह प्रस्ताव हमारे राज्य के लिये घातक सिद्ध होगा।

मैं अगले मुद्दे पर आऊंगा। मैं इस सब को संक्षिप्त कर रहा हूं क्योंकि मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि माननीय वित्त मंत्री सभी मुद्दों को भली-भांति जानते हैं। वहां चाय उद्योग की समस्या है। मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। क्योंकि उन्होंने दर को एक रुपया कर दिया है। उन्होंने न केवल वह कार्य किया अपितु, उन्होंने एक कोष भी बनाया है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह कंजूस न बने और दूसरी चीज को भी साथ ले। इसे विगत समय में किया गया था श्री मनमोहन सिंह ने इसे किया था जब यह मुश्किल में था। चाय उद्योग के लिये एक समय आयेगा जब यह 5 रुपये का भुगतान करेगा और आपको कीमती विदेशी मुद्रा भी देगा। अब हमारे केरल राज्य में और पश्चिम बंगाल में भी, चाय उद्योग बहुत बुरी स्थिति में है। इसलिये, उन्हें उत्पाद शुल्कों पर पुनः विचार करना है।

दूसरे, इस मुद्दे पर मैं भी उनसे अपील करूंगा। गोदाम, चावल और गेहूं से भरे पड़े हैं। प्रबंधन से सस्ती दरों पर चावल और गेहूं देना अपेक्षित है। वे इसे दे नहीं सकते हैं; वे भविष्य निधि का भुगतान नहीं कर सकते; वे विद्युत बिलों का भुगतान नहीं कर सकते; वे अस्पतालों का रख-रखाव नहीं कर सकते। इसलिये उन्हें यह देखना है कि श्रमिकों को कम से कम न्यूनतम राशन की आपूर्ति के साथ उसे जारी रहना चाहिये क्योंकि यह एक श्रमिक-उन्मुखी उद्योग है।

अपराह्न 5.15 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

हमने माननीय प्रधान मंत्री और तत्कालीन वाणिज्य मंत्री श्री अरूण शौरी से चाय उद्योग को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दरें देने हेतु अपील की है ताकि ये इससे खरीद सके और भारतीय खाद्य निगम से ऊंची कीमत पर खरीदने और कठिनाइयों का सामना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगभग 30 लाख लोग चाय उद्योग में लगे हुये है और वे मूलतः उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के रहने वाले हैं परन्तु कई दशकों से वे असम में रह रहे हैं। इसलिये, वे असम के लोग ही हैं परन्तु वे बहुत कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। मैं इस पर विचार करने के लिये अनुरोध करूंगा।

मैं दसवें वित्त आयोग पुरस्कार के बारे में कुछ कहने का प्रयास करूंगा। असम के साथ अन्याय किया गया। अब यह माना गया है कि वह एक गल्ती थी। छोटे राज्यों जैसे नगालैंड, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को गैर-योजना राजस्व अनुदान के रूप में क्रमशः

3536 करोड़ रुपये, 11,211 करोड़ रुपये और 4,549 करोड़ रुपये प्राप्त हुए परन्तु असम को केवल 110 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। हमें कल हमारे माननीय मुख्य मंत्री की बात सुनकर खुशी हुई है कि असम को किये गये इस वर्ष के योजना और गैर-योजना आबंटन अच्छे तरीके से किये गये हैं और योजना आयोग ने भी हमारी सरकार के वित्तीय प्रबंधन की प्रशंसा की है। योजना आयोग ने नये विद्युत विधेयक पर भी विचार किया है जिसे असम में लाया गया है जहां पर उन्होंने बकाये राशि का प्रतिभूतिकरण किया और वे विद्युत विधेयक भी लाये; मैं अनुरोध करूंगा कि 1000 करोड़ रुपये जो कि असम को नहीं दिये गये वापिस दिये जाने चाहिये ताकि हम पूरे वित्तीय संकट, जिसका हम सामना कर रहे है, से निपट सकें। हमारी राज्य सरकार मासिक वेतन का भुगतान कर रही है और लोगों को मूलभूत सुविधायें दे रही है। हम केन्द्र सरकार की मदद के अलावा डी०आर०डी०ए० में चल रहे विकास कार्य पर धनराशि का उपयोग कर रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री सहृदय है जो उन्होंने माननीय वित्त मंत्री के साथ चर्चा की और हमें जब कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है 10 से 15% भुगतान करने के पश्चात् धनराशि को प्राप्त करने की अनुमति दी है, जोकि अन्यथा हम 25% का भुगतान करने के पश्चात् इसे प्राप्त करने के पात्र हैं। यह एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसलिये, मैं आपसे इस बकाये राशि पर जिसे हमें नहीं दिया गया है पर विचार करने का अनुरोध करूंगा।

अब मैं वृहत रेलवे परियोजनाओं जिन्हें कश्मीर और अन्य राज्यों को दिया गया होगा पर बात करता हूं। हमने मांग की थी कि लैमडिंग से सिलचर तक के बैरक घाटी बड़ी लाइन परिवर्तन किया जाना चाहिये। मैंने हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की और एक ज्ञापन भी दिया। हम खुश हैं कि ब्रह्मपुत्र पुल का विकास किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री वहां पर गये और इस कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि निधि की कोई कमी नहीं है। असम में विद्युत लाइन एक किलोमीटर भी नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री को यह सुझाव देता हूं, चूंकि वे उत्तर पूर्व के लिये सहृदय है, इसलिये वे गुवाहाटी से डिबरूगढ़ तक एक विद्युत रेलगाड़ी के लिये अनुमोदन दें। हम उसका नाम जसवंत सिंह ट्रेन रखेंगे। हम इसका स्वागत करेंगे। हमें वह रेलगाड़ी मिलनी चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय रेलवे मंत्री ने यह कहा है कि यह बिल्कुल भी महंगी नहीं है क्योंकि वहां पर आधारभूत ढांचा है और केवल बिजली लाइन को ही बिछाना है। मैं आपसे इस पर विचार करने हेतु अनुरोध करता हूं।

अब मैं जल विद्युत परियोजनाओं पर आता हूं। माननीय प्रधानमंत्री इस पर अत्यधिक गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। हाल ही में जब उन्होंने सिक्किम में एक संयंत्र का उद्घाटन किया तब उन्होंनें यह कहा कि हम जल विद्युत की उपेक्षा कर रहे हैं। संसार में जल विद्युत ताप विद्युत का अनुपात 60:40 है जबकि हमारे देश में यह बिल्कुल उल्टा है। हम जल विद्युत की अपेक्षा ताप विद्युत अधिक उत्पन्न कर रहे हैं। यद्यपि हमारे देश में जल विद्युत के लिये अधिकतम क्षमता है। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर इसमें काफी योगदान दे सकते हैं और उत्तरपूर्व क्षेत्र द्वारा अधिकतम योगदान किया जा सकता है।

मणिपुर में तिपायमुख बांध परियोजना अंतिम चरण में है। एक कैबिनेट नोट जल्दी ही प्रस्तुत होने वाला है। यह परियोजना जिन समस्याओं का सामना कर रही है वह है : सुरक्षा लागत, बाढ़ लागत और राष्ट्रीय राजमार्गों के विपथन की लागत। यदि इन तीन लागतों को परियोजना की लागत में जोड़ दिया जाये, तो यह परियोजना अव्यवहार्य बन जाती है। अब, विद्युत मंत्रालय इस व्यय को वहन करने के अनुरोध के साथ संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के पास जा रहा है। मैं गृह मंत्री के साथ हुई चर्चा से यह समझता हूं कि वे 50% तक सुरक्षा लागत वहन करने पर विचार कर रहे हैं।

बाढ़ प्रबंधन लागत भी दी जानी चाहिये। असम बारहमास बाढ़-प्रभावित रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी अभी भी दुखदायी नदी है। विगत पांच वर्षों के दौरान, असम को बाढ़ प्रबंधन के लिये बहुत ही हम धनराशि दी गई है। इसलिये, इससे भी समस्यायें उत्पन्न हो रही है। इसलिये, आप कृपया इस पर विचार करें। मैं यह अनुरोध करूंगा कि जब तिपायमुख बांध परियोजना से संबंधित मामला आपके सामने आता है तो इसे सभी संभव सहायता प्रदान की जानी चाहिये।

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सभापति के रूप में, मैंने आपको 24 दिसम्बर, 2002 को एक पत्र लिखा था और वित्त विधेयक में लिये जाने हेतु कुछ उपायों का सुझाव दिया था। मैं वास्तव में बहुत आभारी हूं कि वर्ष 2003-2004 के लिये आपके बजट में, आपने उत्पादन और पारेषण दोनों के लिये वृहत विद्युत परियोजनाओं को छूट दी है। आपने उत्पाद शुल्क में 100% भी छूट की घोषणा की है। मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की ओर से आपको बधाई देता हूं। जब मैंने स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में पूरे देश में भ्रमण किया, तो मुझे वह सुझाव मिले जो मैंने आपको दिये थे। आपको अवश्य ही बधाई पत्र प्राप्त हुए हैं मिली है। मुझे भी आपके सामने उनकी बात को विचार-विमर्श के लिये प्रस्तुत करने के लिये बधाई पत्र मिले। यह करने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं आपकी एक नोट दूंगा।

मैंने आपको आयकर अधिनियम की धारा 80-1क की समीक्षा के संबंध में भी लिखा था। इसमें मामूली संशोधन की आवश्यकता है। मैंने आपको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जे०बी० के बारे में भी लिखा था जिसे ठीक किये जाने की आवश्यकता है। यह छोटे से संशोधन है जिनके द्वारा राज्य विद्युत बोर्ड अपने संयंत्रों

[श्री संतोष मोहन देव]

का आधुनिकीकरण करने हेतु सक्षम हो जायेंगे। यदि यह किया जाता है, तो वे बाहर से भी वस्तुओं को लाने की स्थिति में होंगे। उदाहरण के लिये, यदि निजी क्षेत्र की कंपनियां, जो दिल्ली में आ रही है, बाहर से मशीन जैसी किसी वस्तु को लाती है, तो उन्हें उस पर कर में कुछ छूट मिलेगी। मैं आपको इसकी एक प्रति दूंगा ताकि आप इस पर एक नजर डाल सकें।

महोदय, विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये, 100% मूल्यह्रास की अनुमति दी जानी चाहिये। अनेक कारणों में से एक कारण कि मैं क्यों इसका सुझाव दे रहा हूं क्योंकि इसे मैक्सिको में किया गया था और वे बहुत सफल हुए। इससे लोगों को निवेश करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा और बैंक भी वित्तपोषण करने के लिये प्रोत्साहित होंगे। यह इसलिये है क्योंकि कई बार इसके कारण कि आयकर अधिनियम द्वारा मूल्यहृास की अनुमति नहीं दी गई है, इसलिये यह अव्यवहार्य बन जाता है।

अपने पत्र में, मैंने लागत और निवेश भत्ते को पुन: आरम्भ करने [illegible] विस्तृत विवरण दिया। जब आप वापिस जाते हैं और [illegible]ारियों के साथ बातचीत करते हैं तो कृपया अपने अधिकारियों से मेरे 24 दिसम्बर, 2002 के पत्र को आपके समक्ष रखन को कहे। आपने वचन दिया था कि इन सुझावों पर भी विचार किया जायेगा। यह केवल मेरा सुझाव नहीं है। यह सुझाव महाराष्ट्र, कर्नाटक और पूरे देश से है। महोदय, आपने मुझे दौरे करने की अनुमति दी थी और मैंने 28 राज्यों का दौरा किया। विद्युत विधेयक को स्वीकृत कर दिया गया है और यदि इसे भी किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र में सुधार होगा और इसे आने वाले कई वर्षों तक याद किया जायेगा। यह इसलिये है क्योंकि विद्युत देश के वास्तविक विकास का उपादान है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। मैं आशा करता हूं कि आपके ध्यान में उत्तर पूर्व क्षेत्र हमेशा रहेगा और आप हमारे साथ कुछ न्याय करेंगे।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में, मैं माननीय वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि वित्त विधेयक को पुर:स्थापित करते समय, उन्होंने बिजलीकरघा उद्योग और तैयार वस्त्र उद्योग की दयनीय दशा पर अपनी चिंता व्यक्त की।

महोदय, इन उद्योगों पर उत्पाद शुल्क लगाते हुये बजटीय प्रस्ताव वज्रपात के रूप में आया। यह एक घातक उत्पाद शुल्क था और है जिससे इन उद्योगों की कमर को तोड़ा। इसने बंद होने के लिये विभिन्न इकाईयों पर दबाव डाला और कर्मचारियों को भुखमरी के कगार तक पहुंचा दिया। उस समय मैंने इन उद्योगों में उनकी दशा की ओर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुये उन्हें लिखा था।

महोदय, इन उद्योगों में आज स्थिति को देखे। हमारे देश में 17 लाख विद्युतकरघा उद्योग हैं। कमजोर वर्गों विशेषकर अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों से 4 करोड़ से भी अधिक लोग इन विद्युतकरघा उद्योगों पर अपने जीविका निर्वाह के लिये निर्भर है। विद्युतकरघा में प्रतिदिन उत्पादन 350 करोड़ रुपये तक है। विद्युतकरघा उद्योग असंगठित और विकेंद्रित क्षेत्र है। इस उद्योग में वे लोग, जैसा कि मैंने कहा, कमजोर वर्गों विशेषकर अल्पसंख्यक वर्गों, पिछड़े वर्गों इत्यादि से है। ये इकाईयां रिहायिशी मकानों पर स्थित है। एक व्यक्ति जो कि विद्युतकरघा का मालिक है वास्तव में अपने विद्युतकरघे पर कार्य करता है और उसे अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा मदद मिलती है। इस उद्योग में जो लोग है उनमें लगभग 90% लोग इतने पढ़े-लिखे नहीं है कि जटिल रिकार्डों का रख-रखाव करने में सक्षम हो। इस प्रकार की स्थिति के अन्तर्गत, यह उत्पाद शुल्क स्वतंत्रता के समय से पहली बार हमारे समाज के इतने असुरक्षित वर्ग पर लगाया गया है।

महोदय, सिलेसिलाये वस्त्र उद्योग के मामले में भी हम यह देखते हैं कि तीन करोड़ लोगों से अधिक, जैसा कि मैंने कहा, कमजोर वर्गों के लोग, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग के लोग अपने जीविका-निर्वाह के लिये इस उद्योग पर निर्भर करते हैं। इस सिलेसिलाये वस्त्र उद्योग का लगभग 90% असंगठित और विकेंन्द्रित क्षेत्र में है। हम ब्रांड नामों के बारे में बात करते हैं परन्तु इस बात को याद रखा जाना चाहिये सिलेसिलाये वस्त्रों का 2% ही उत्पादक भी नहीं ये ब्रांड वस्तुएं लाते हैं।

विद्युत करघा उद्योग अथवा सिलेसिलाये वस्त्र उद्योग लोगों के घरों में स्थित है और वे उन पर कार्य करते हैं। अनपढ़ और आधा शिक्षित लोग जो उन जटिल रिकार्डों के रखरखाव करने के लिये सक्षम नहीं है इन उद्योगों को चलाते हैं। मैं यह कहता हूं कि विद्युतकरघा उद्योग अथवा सिलेसिलाये वस्त्र उद्योग पहले ही भारी उत्पाद शुल्क के अधीन है। सूत के निर्माण पर उत्पाद शुल्क एकत्रित किया जाता है। प्रोसेसिंग स्तर पर, डाइ, प्रिंटिंग, ब्लीचिंग आदि पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाता है। विद्युतकरघा संबंधी कपड़ा अथवा सिलेसिलाये वस्त्रों पर यह उत्पाद शुल्क बहुत ही निर्दश, घातक और विनाशक है।

वित्त विधेयक को पुर:स्थापित करते समय, माननीय वित्त मंत्री ने इस स्थिति पर अपनी चिन्ता व्यक्त की और सभा को आश्वस्त किया कि आवश्यक उपाय किये जायेंगे। एक बार फिर, मैं इस लगाये

गये विशेष उत्पाद शुल्क को वापिस लेने हेतु अपनी अपील को दोहराता हूं और विद्युतकरघा और सिलेसिलाये वस्त्रों को बनाने वाले लोगों की दयनीय दशा को विचार में लेने का अनुरोध करता हूं। मैं आशा करता हूं कि विधेयक के स्वीकृत होने के समय माननीय वित्त मंत्री का उत्तर आवश्यक संशोधन करने के रूप में पर्याप्त होगा। मैं आशा करता हूं कि वह पूरी तरह मांगों को स्वीकार करेंगे जो कि बहुत ही जायज है और जो इन उद्योगों द्वारा की गई। यह उनकी जीविका का प्रश्न है और इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिये।

मुझें कुछ अन्य मामलों पर जाने दीजिये। एक अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम है। इसे कुछ वर्षों पहले स्थापित किया गया था। इसके बनाने के समय, राष्ट्र को आश्वासन दिया गया था कि इसकी 500 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी होगी। कई वर्ष बीत गये हैं परन्तु पूंजी मात्र 200 करोड़ रुपये तक ही है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह देखने के लिये जोरदार अपील करता हूं कि यह अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम हमारे समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होने के मद्देनजर अपनी पूरी इक्विटी पूंजी प्राप्त करे। योजना आयोग की अपनी ही एक समिति थी और इस समिति ने अल्पसख्यकों के आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिये कुछ प्रस्ताव तैयार किये थे। बड़े अफसोस की बात है कि अल्पसंख्यकों हेतु योजना आयोग की अपनी समिति के प्रस्तावों को 10वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया गया। इसे इस तरह छोड़ कर अपना बोझ हल्का करा लिया गया। इस प्रस्ताव के प्रति यहीं दृष्टिकोण अपनाया गया है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और सुधार के लिये आवश्यक कदम उठायेंगे।

मैं केरल राज्य की कुछ समस्याओं की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केरल राज्य में सभी मसाला उत्पाद जैसे नारियल, चाय, काफी, रबड़, काली मिर्च, अदरक आदि गंभीर संकट में हैं मैं कह सकता हूं कि नारियल का केरल की अर्थव्यवस्था में प्रभावी स्थान है।

कृषि योग्य भूमि के 40% भाग में नारियल की खेती की जाती है और सीमान्त और बहुत छोटे किसानों के 3.5 मिलियन परिवार अपनी आजीविका के लिये इस पर निर्भर हैं। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि नारियल उद्योग की समस्याओं को समझा जाये। यहां पर नारियल के मूल्यों में भी भारी गिरावट आना ही समस्या मात्र नहीं है अपितु तत्संबंधी समस्या के कुछ और पहलू भी हैं। केरल में लगभग 80 लाख ताड़ वृक्षों की जड़े मुरझा गयी हैं इस तरह इसमें से 2% अर्थात 40 लाख ताड़ के पेड़ दुर्बल और पुराने हैं। केरल में नारियल का उत्पादन देश के मुख्य नारियल उत्पादक राज्यों की तुलना में बहुत कम है। इसीलिये हमें सुधार में प्रयोजन से आवश्यक और पर्याप्त राहत उपायों की व्यवस्था करनी चाहिये।

केरल सरकार ने अपने राज्य में नारियल अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार के लिये केन्द्र सरकार के प्रौद्योगिकी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 357.14 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इसकी शीघ्र अति शीघ्र स्वीकृति सुनिश्चित करे।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि बजट में अनेक तरह के सपने दिखाये गये हैं। इसमें द्वितीय हरित क्रान्ति की चर्चा है परन्तु इस संबंध में किसी योजना का उल्लेख नहीं है। बागवानी के लिये मात्र 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। चाय पर एक रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उत्पाद शुल्क लगता है। अब इसे उपकर में परिवर्तन कर दिया गया है जिससे सरकार को मात्र 80 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। चाय बागान के विकास के लिये यह अपर्याप्त है। केरल और बंगाल में चाय बागान की खेती की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

समाज-कल्याण के क्षेत्र हेतु प्रदान की गयी अनुदान राशि भी समुचित रूप से उपयोग में नहीं लायी जाती। इसीलिये मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि बजट में कई सुनहरे सपने दिखलाये गये हैं बहुचर्चित द्वितीय हरित क्रान्ति और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने के बारे में किए गए वायदों के प्रति मुझे अनेक आशंकाये है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औद्योगीकरण हेतु मात्र 0.90 करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं। क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसी तरह से मजबूत बनाया जायेगा। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट पूरे देश को सपने दिखाने के बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनायें, तो बेहतर होगा।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं फाइनेंस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। किसी भी देश का बजट उस देश के दिशा-निर्देश को इंगित करता है। हमारे बुद्धिमान फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट बनाते समय, बजट प्रस्तुत करते समय इस देश के लोगों को बताया कि इस वार के बजट का पहला लक्ष्य, पहला दावा सबसे कमजोर वर्ग का है। जो देश का सबसे कमजोर वर्ग है, उस ओर माननीय वित्त मंत्री जी ने ध्यान दिया है। इसके बाद गृहिणी अपना खर्च नियंत्रित करके बचत कैसे करे, उस पर मंत्री जी ने ध्यान दिया है। मैं वित्त मंत्री का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस देश के गरीबों की ओर, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की ओर पूरा-पूरा ध्यान दिया। पहली अप्रैल से अन्त्योदय योजना का विस्तार करने की घोषणा हुई ताकि इसके तहत पचास लाख परिवारों को लाया जा सके। इस योजना से गरीबी रेखा से नीचे के

[श्री शंकर प्रसाद जायसवाल]

कुल परिवारों में से एक चौथाई से भी अधिक परिवारों को लाभान्वित किया जा सका। इसके लिए 507 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इससे गरीबों के पेट में दाना पहुंचाने का पूरा पक्का इरादा इस सरकार ने साबित किया है और वित्त मंत्री जी के इस ओर ध्यान देने से साबित होता है कि इस देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में उनकी क्या धारणा है। वित्त मंत्री जी ने अच्छी धारणा लेकर बजट प्रस्तुत किया है।

गृहिणियों के बटुए में, जिसे वे टुकिया कहती हैं, बचत हो, इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे प्रावधान बजट में किए हैं। यह आप सबको पता है कि आम जनता के उपयोग में लाई जाने वाली अनेक वस्तुओं के उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटा कर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव उन्होंने किया है जिसमें बहुत सी वस्तुओं को कर मुक्त भी किया गया है।

मैंने पिछले बजट में भी अनुरोध किया था कि गरीब आदमी की सवारी साइकिल है। साइकिल और उसके पुर्जों पर से उत्पाद शुल्क माफ कर दिया जाए। वित्त मंत्री जी ने उसे भी खत्म कर दिया। खिलौनों पर से टैक्स समाप्त कर दिया। रसोई के बर्तन, रसोई के ...गाने वाले चम्मच, चालू इत्यादि तमाम चीजों के ऊपर से ...करके या समाप्त करके वे हर गृहिणी को बचत योजना में लाए और उनको प्रोत्साहित किया। इतना ही नहीं, हम पिछले बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों के बारे में चिंतित थे। इसके लिए भी वित्त मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत दी। बजट में 5 लाख रुपये तक की आय पर मानक कटौती को वर्तमान में 20,000 रुपये से बढ़ा कर 30,000 रुपये या 40 प्रतिशत, जो भी कम हो, किया गया है।

मैं वित्त मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि नए वित्त वर्ष में दो बच्चों की शिक्षा पर ख़र्च की जाने वाली 24,000 रुपये की राशि आयकर में छूट दी गई है। किसी भी देश के बजट में इतनी सारी छूट एक साथ देकर बजट को संतुलित करने का काम जब वित्त मंत्री को करना पड़ता है तो साथ में कुछ कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन इन कठोर कदमों का आम जनता पर क्या असर होता है, इस बारे में विचार करने का काम भी सत्ता का है।

मैं वित्त मंत्री जी को दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। उनको पहले एक और बधाई दे दूं। पिछली बार बजट के समय हमने वित्त मंत्री जी से कहा था कि सीनियर सिटीजन्स की पैंशन की कोई व्यवस्था या उनकी जमा राशि पर ब्याज रेट बढ़ा दें जिससे वे अपने शेष जीवन को संतुलित कर सकें, लेकिन वे नाराज हो गए थे। मैं काशी से आता हूं। पूरे देश के लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए वृद्धावस्था में काशी जाते हैं। अपनी थोड़ी सी पूंजी बैंक में रख कर ब्याज द्वारा अपने शेष जीवन का वे निर्वाह करते हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए काशी में मरने के लिए जाते हैं। इस बात को उद्धृत करते हुए हमने वित्त मंत्री जी से कहा था कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज रेट बढ़ा दीजिए। उन्होंने इस बार के बजट में ब्याज रेट बढ़ाने की जगह एक बीमा योजना लागू की है जिससे सीनियर सिटीजन्स को बहुत बड़ी राहत मिली है। इसके लिए भी मैं वित्त मंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूं। कभी-कभी हमें भी बातें कहनी पड़ती हैं, समाज के अंदर बहुत सी बातें चलती रहती हैं और यह आवश्यक भी है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसी कर प्रणाली के ऊपर विचार करना चाहिए। हमारे वित्त मंत्री नई-नई सोच रखते हैं, बहुत सारी नई चीजें निकालते रहते हैं। हमने ब्याज ज्यादा मांगा तो उन्होंने बीमा योजना दे दी। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी कर प्रणाली लागू होनी चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार, इंस्पैक्टर राज और कर चोरी का कोई स्थान न हो। राज्यों को अधिक राजस्व मिले, उपभोक्ताओं पर प्रत्यक्ष कर का भार कम पड़े और व्यापारी सरल प्रक्रिया के द्वारा कर की अदायगी कर सकें, इसके लिए कमेटी बनानी चाहिए जिसे कमेटी के अंदर उत्पादक, व्यापारी, अर्थ-शास्त्री, राज्यों के वित्त मंत्री, कर विशेषज्ञ और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हों जो मिलकर एक नयी कर प्रणाली को जन्म दें और इस प्रकार की स्थिति पैदा हो कि कर ज्यादा मिले और बोझ भी ज्यादा न पड़े तथा इंस्पेक्टर राज भी न हो पाए।

सिले-सिलाए कपड़े के ऊपर कुछ आफत आ गई है। पहले सूत के ऊपर टैक्स लगता था। अब प्रथम कपड़े की बुनाई पर टैक्स हो गया, दूसरे कपड़ा धुलाई पर टैक्स हो गया और तीसरे कटाई और सिलाई पर टैक्स हो गया। ये तीनों मिलकर इतना टैक्स हो गया कि इतनी लिखा-पढ़ी के अंतर व्यापारी और कर्मचारियों को डाल दिया कि आफत सी आ गई है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर उनको जरूर विचार करना चाहिए और इस प्रकार का व्यापार करने वालों को इन करों से छूट दी जाए तो अधिक अच्छा होगा।

आज पॉवरलूम बड़ा विवाद का विषय बन गया है। पॉवरलूम के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है। वह इस पर पुनर्विचार करने वाले हैं। संभवत: रेट कम करने की उनकी इच्छा है क्योंकि चारों तरफ से ये बातें आई हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हथकरघा उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है। हथकरघा उद्योग को किस तरह मे कितनी ज्यादा राहत दी जा सकती है, इसका विचार सरकारें हमेशा करती रही हैं और हम तो दीन दयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा था कि समाज के अंतिम व्यक्ति को देखना चाहिए और आपने समाज के गरीब व्यक्तियों को देखते यह बजट बनाया है। इसमें पहला दावा

सबसे कमजोर वर्ग का अन्त्योदय योजना के अंतर्गत लिया है। इसी तरह से कपड़े के मामले में हथकरघा उद्योग को कैसे प्रोत्साहित कर सकें, इसका विचार करते हुए पॉवर लूम की छूट के बारे में आपने कुछ संकेत दिया है कि आप इसके बारे में कुछ पुनर्विचार करेंगे। आपने कहा करेंगे, यह आप जानते होंगे। लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि पॉवर लूम के अंतर्गत जो बहुत दिनों से हड़तालें चल रही हैं, मेरा यह कहना है कि बातें साफ-साफ होनी चाहिए। उनसे वार्ताएं होनी चाहिए और रास्ता निकलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : मुझे खेद है कि पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में व्यस्त रहने के कारण मैं सभा में उपस्थित नहीं हो सका।

अध्यक्ष महोदय : संसद को ही सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये न कि पंचायत चुनावों को।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : न तो यह कल उपस्थित थे और न ही आज सुबह से उपस्थित थे।

श्री तरित बरण तोपदार : सर्वप्रथम, मैं चांदीपुर में नये प्रक्षेपास्त्र के सफल परीक्षण पर अपना संतोष व्यक्त करना चाहता हूं। रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा अभी-अभी जो गरीब कर्मचारियों की बचत पर ब्याज की दर 6.5% से घटा कर 6% करने की घोषणा की गयी है उससे मैं बहुत चिंतित हूं। यद्यपि इसके साथ-साथ यह भी घोषित किया गया है कि इस वर्ष अक्तूबर तक इस ब्याज को और अधिक कम नहीं किया जायेगा। इस ब्याज दर को इस वर्ष अक्तूबर माह तक नहीं वरन् अक्तूबर माह के पश्चात् कम किया जा सकता है। महोदय, विशेषज्ञों का कहना है कि मुद्रा स्फीति में कमी विश्व स्तर पर पूंजी के बड़े पैमाने पर केन्द्रीयकरण का तन्त्र है और इसीलिये अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी के विभिन्न वर्ग इसके पक्ष में रहते हैं। चूंकि अंन्तर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी तीसरी दुनिया पर लगायी गयी नयी उदारीकृत आर्थिक नीति के पीछे मूल शक्ति है अत: इस प्रकार की नीति के स्वरूप निर्धारण के लिये मुद्रा स्फीति में कमी अपरिहार्य अंश है। अत: इस बात से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है कि निजीकरण के लिये दबाव बनाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जानबूझ कर घाटे में दिखाकर सरकार ने घाटे का बजट तैयार किया है। मुझे यह भी आश्चर्यजनक नहीं लगा जब सरकार ने समय की मांग और विश्व में पूंजीवादी साम्राज्य के प्रसार को देखते हुये सरकारी तन्त्र की दक्षता तथा सरकारी उपक्रमों की कार्यकुशलता को बढ़ाने की बजाय कम होने दिया। पूंजीपति और बड़े जमींदार जब किसानों के वेश में है और यह शब्द संसद में बार-बार बोला जाता है जबकि यहां केवल फार्म मालिक है ग्रामीण किसान नहीं है। को पूंजी और बुनियादी सुविधाओं के विकास की बहुत अधिक आवश्यकता थी जिसे भारत सरकार ने पिछले 50 वर्षों के दौरान सृजित किया है, इसलिये यह उनको दे दी जानी चाहिये। यह उनकी ही आशा पर है इनकी स्थापना हुयी और उनके ही कहने से यह उनको दिया जा रहा है। यह पूंजीवादी विकास को कानून है। एक मार्क्सवादी होने के नाते इस कानून की मुझे बहुत अच्छी जानकारी है और इसीलिये मैं हैरान नहीं होता जब पूंजीवादी, जो कहते हैं यह सरकार उनका अनुपालन करती है। परन्तु मुझे तब दु:ख होता है जब मैं इन पूंजिपतियों में बहुत अधिक बेइमानी देखता हूं। अमीर लोग न केवल कर भुगतान करने से बचते हैं और सरकारी निधियों का भी दुर्विनियोग करते हैं अपितु ऐसी कार्यशैली भी बनाते हैं जिसका वह स्वयं कभी पालन नहीं करते। वह सब काम पूंजीपति के रूप में अपनी अकुशलता और अक्षमता को छिपाने के लिये करते हैं। इस बारे में मैं वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस कर अपवंचना का ब्यौरा दें। मेरा उनसे अनुरोध है कि वह कर अपवंचना को उजागर करें। उन्हें उन लोगों के बारे में कृपया बतायें जो उन आस्तियों को गैर निष्पादित बनाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।

महोदय, मुद्रास्फीति कम करने वाला बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने उस समय किसान वर्ग का अहित करने का रास्ता चुना है जबकि वह पहले से ही संकटग्रस्त हैं। उर्वरक का मूल्य बढ़ गया है। पम्पसैट को चलाने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले लाइट डीजल पर 1.50 रुपये प्रति लिटर का अतिरिक्त शुल्क लगेगा और यह पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुयी कीमतों से अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त 50 पैसे प्रति लिटर के हिसाब से डीजल पर उपकर भी लगाया जायेगा तथा स्वदेशी और आयातित कच्चे तेल पर 50 पैसा प्रति लिटर की दर से उपकर का भी उद्ग्रहण किया जायेगा और कुछ अन्य निधियों पर भी अन्य उपकर लगाये गये हैं।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि गठित की गयी है व्यवहारिक रूप से यह सरकार के हाथों में दी गयी, राजनीतिक निधि है क्योंकि एक ही प्रकार की आपदा यदि गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, असम अथवा पश्चिम बंगाल में होती है तो भिन्न-भिन्न राज्यों के लिये मानदण्ड अलग-अलग है/हो जाते हैं। कुछ राज्यों के साथ भेदभाव किया जाता है। मैं इस समय इसके बारे में विस्तार से नहीं बताना चाहता।

हालांकि किसान वर्ग सबसे अधिक संकटग्रस्त है फिर भी कृषि ऋण की वर्तमान ऋण दर में दो प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों किया गया है। अब मैं पावरलूम क्षेत्र के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। इस सभा में मेरे मित्रों द्वारा इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं तो मात्र इसमें इतना ही जोड़ना

[श्री तरित बरण तोपदार]

चाहता हूं कि पारवलूम क्षेत्र के पक्ष में जो कुछ भी कहा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र को कर मुक्त रखा जाना चाहिये।

मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि कच्चे तेल, पैट्रोल डीजल इत्यादि के वास्तविक मूल्य और इस पर लगे कर को सभा में बताया जाये। ऐसा लगता है कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से जो कर की राशि एकत्र की जाती है, इसका लगभग तीसरा भाग पेट्रो-उत्पादों से ही वसूल किया जाता है।

कर सुधारों के बारे में यह कहा गया है कि :

"चूंकि इसका संबंध पूरी परिपक्ता अवधि के कारण राज्यों द्वारा की गयी कुल बचतों से है इसलिये दोनों ब्याज भुगतान "

पुर्न-संरचना और राजकोषीय समेकलन के विषय में कहा गया है :–

"कि यह घाटा बिक्री कर से वैट की तरफ अंतरण करते समय ...न से पूरा किया जायेगा।"

इसके लिये मैं निष्कर्ष स्वरूप यह कहते हुये अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि वैट अपरिहार्य है। यह कराधान प्रणाली में अनिवार्यत: शामिल होगा। राज्यों और केन्द्र को मूल्यवर्धित कर प्रणाली की कार्य प्रणाली के बारे में और अधिक ब्यौरे थोपे होंगे। मैं सरकार से केन्द्रीय बिक्री कर को हटाने के लिये आग्रह करते हुये यह कहना चाहूंगा कि मूल्यवर्धित कर प्रणाली में संशोधन करना होगा तथा भारत सरकार और राज्य सरकारों को परस्पर एक समझौता करना होगा और इसे सभी राज्यों में लागू करने के लिये एक कार्य प्रणाली कार्यान्वित करनी होगी। यदि जल्दबाजी में, इसे देश के कुछ ही भागों में लागू किया जायेगा तो इसके निश्चित रूप से भयावह परिणाम सामने आयेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक 2003 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बजट ऐसा दस्तावेज है जो आम आदमी की समझ में आसानी से आना चाहिये। कहने को तो साक्षरता की दर हमारे देश में 60-65 प्रतिशत हो गयी है,

सायं 6.0 बजे

लेकिन सही अर्थों में बात यह है कि बजट की जो भाषा है, उसको कम लोग ही समझ पाते हैं इसलिए बजट की भाषा को सरल और सुगम बनाए जाने की आवश्यकता है। बजट का लेखा-जोखा पारदर्शी होना चाहिए। उससे जनता का विश्वास प्रशासन में बढ़ेगा और करों की वसूली में सुगमता होगी। करों की वसूली में वृद्धि होगी और विकास को भी गति मिलेगी। भ्रमित भाषा का जो प्रयोग किया जाता है, वह आम जनता की पहुंच के बाहर होता है। मेरा अपना मानना है कि 2.5 प्रतिशत लोग ही बजटीय भाषा को समझ पाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी बजट पेश हो, उसकी भाषा सुगम और सरल होनी चाहिए और हिन्दुस्तान की आम जनता की पकड़ में होनी चाहिए। वर्ष 2003-2004 का बजट 4,38,795 करोड़ रुपए का है, जिसमें गैर-योजना व्यय 3,17,821 करोड़ रुपये और योजना व्यय 1,30,974 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा की सहमति से सभा का समय आज सायं 7.00 बजे तक बढ़ाता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, उपरोक्त राशि को हम करों के माध्यम से एकत्रित करते हैं। यह कैसी विडम्बना है कि चार लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने के बावजूद भी देश की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी बाधा हमारा बजटीय घाटा है और यह घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। सन् 2001-2002 में बजटीय घाटा 1,40,000 करोड़ रुपए था। सन् 2002-2003 में यह घाटा बढ़ कर 1,45,000 करोड़ रुपए हो गया और वर्ष 2003-2004 में यह घाटा बढ़ कर 1,53,000 करोड़ रुपए है। घाटा बढ़ने का कारण गैर विकासीय खर्च का लगातार बढ़ते जाना है यानि गैर योजना व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2002-2003 में यह खर्च 2,89,000 करोड़ रुपए था और वर्ष 2003-2004 में गैर विकासीय खर्च 3,17,821 करोड़ रुपए है। जब गैर विकासीय खर्च बढ़ता है, तो हम कर लगाते हैं या कर्जा लेते हैं। वास्तव में देखा जाए, तो हम कर लगाने की सीमा लांघ चुके हैं। अलोकप्रिय सरकार बनने के भय के कारण सरकार कर्जा लेती है और हमारे देश में कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। मार्च, 1998 में जब यह सरकार बनी थी, उस समय सरकार पर घरेलू बाजार का कर्ज 3,89,000 करोड़ रुपए था, जो दिसम्बर 2002 में बढ़ कर 10,37,000 करोड़ रुपए हो गया। जैसे-जैसे कर्ज बढ़ेगा, वैसे-वैसे ब्याज बढ़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि देश में कुल मिलाकर सरकार आम आदमी पर बोझ डालने का काम कर रही है और उसकी रोजी-रोटी छीनने का काम किया जा रहा है। पैट्रोलियम मंत्री जी ने खुद सदन में स्वीकार किया है कि पैट्रोल पर 146 प्रतिशत कर है और डीजल पर 62 प्रतिशत कर है। कौटिल्य जैसे राजनीतिज्ञ ने कहा था – राजा को चाहिए

कि वह प्रजा का ध्यान रखकर ही कर लगाये। जिस प्रकार भौरा फूल के मधु लेता है और भौरे के मधु लेने से फूल मुर्झाता नहीं है तथा नष्ट नहीं होता है, लेकिन हमारे देश में निरन्तर करों में बढ़ोतरी हो रही है और आम आदमी पर अत्यधिक भार बढ़ रहा है। यह कर अमीर आदमी से नहीं बल्कि गरीब आदमी से वसूल किया जा रहा है। पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के कारण यह होता है कि जो दूध गांव में सात-आठ रुपए प्रति लिटर बिकता है, वह भाड़े के कारण छोटे और गरीब उपभोक्ताओं को 18 रुपये प्रति लिटर मिलता है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में जो सेब तीन से पांच रुपए प्रतिकिलो बिकता है, वह भाड़े के कारण मुम्बई और कलकत्ता जैसे शहर में 20 से 25 रुपए प्रति किलो बिकता है। बीमारी की हालत में कुछ परिवारों के लिए यह संभव नहीं होता है कि बीमार आदमी को वह सेब खिला सके। आम आदमी से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, वे ऊंचे दरों पर मिल रही हैं और हमारे यहां पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

जहां तक कपड़ा उद्योग का सवाल है, कपड़े बनाने पर विभिन्न स्तरों पर कर लगाए जाते हैं। सबसे पहले कताई पर, फिर बुनाई शुरू होने से पहले सूत को तैयार करने की प्रक्रिया पर, फिर बनाई पर, उसके बाद निटिंग पर, फिर प्रसंस्करण पर और उसके बाद परिधान तैयार करने पर टैक्स लगता है। इस प्रकार छः स्थानों पर कपड़े पर टैक्स लगाया जाता है। यह कहां तक न्यायसंगत है। मुझे जो जानकारी है, उसके मुताबिक कताई पर 9.2 प्रतिशत, कपड़ा बुनाई पर 12 प्रतिशत और परिधान तैयार करने पर 12 प्रतिशत यानी लगभग 34 प्रतिशत कर कपड़े पर लगाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, बजट में गैर सरकारी व्यय का कारण सब्सिडी बताया जाता है। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एल०पी०जी० पर सब्सिडी का शोर मचाती है। एल०पी०जी० के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि पैट्रोल की उत्पादन लागत 13 रुपये प्रति लीटर है। जैसा मैंने पहले कहा कि हम पैट्रोल पर 146 प्रतिशत कर लगाते हैं। सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि एल०पी०जी० का ट्रांसपोर्ट व्यय 1.33 रुपये किलोमीटर प्रति मीट्रिक टन है। इस प्रकार एक हजार किलोमीटर एल०पी०जी० ले जाने में एक किलो एल०पी०जी० का भाड़ा 1.33 रुपये ही आता है। देश में एल०पी०जी० के उत्पादन और मांग में बहुत कम अंतर रहता है। सरकार मानती है कि उसने एल०पी०जी० ले आयात नहीं किया है, परन्तु सब्सिडी देने के लिए वह आयातित मूल्य को ही आधार मानती है, क्योंकि देश में एल०पी०जी० के वास्तविक उत्पादन मूल्य को छिपाकर तेल कंपनियों तथा वित्त मंत्रालय को लाभान्वित किया जाता है जब देश के उत्पादन से एल०पी०जी० की मांग की आपूर्ति हो रही है तो फिर आयातित मूल्य को आधार क्यों बनाया जा रहा है।

अभी श्री बनातवाला जी फरमा रहे थे, जो सवाल मैं सुबह उठना चाहता था, अध्यक्ष महोदय जिसका आपसे भी संबंध है, इसलिए हम आपका भी संरक्षण चाहेंगे। चूंकि मुम्बई में भी रेडीमेड गारमेंट्स का काफी उत्पादन होता है और यह बहुत गंभीर सवाल है। सन के तमाम सदस्यों ने इस सवाल को उठाया है। दस लाख छोटी इकाईयां 31 मार्च से बंद पड़ी हैं और लगभग दो करोड़ लोगों को यह क्षेत्र रोजगार देता है। अभी प्रधान मंत्री जी ने 25 अप्रैल को कहा है कि नई कार्य संस्कृति विकसित करने का हमने प्रयास किया है। यह तभी सफल हो सकता है, जब हम सेवा की पुरानी अवधारणा का अनुसरण करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करें। महोदय, जो हैंडलूम और सिले-सिलाये कपड़ों का सवाल है, इसे संरक्षण देने की आवश्यकता है। क्योंकि इसमें बच्चे और महिलाएं काम करती है। करोड़ों लोगों का भविष्य इस सेवा के साथ जुड़ा हुआ है। हम पीठ का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आपका संसदीय क्षेत्र भी इससे प्रभावित है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप स्वयं वित्त मंत्री जी से बात करें कि रेडीमेड गारमेन्ट्स पर जो उत्पादन शुल्क लगाया गया है, यह उत्पादन शुल्क किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। इससे भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ेगी, आम आदमी से हाथ से काम चला जायेगा और पूरे देश में तबाही का एक वातावरण पैदा होगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री चंद्रकांत खैरे। खैरे जी, आपके पास पांच मिनट हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : सर, पांच मिनट में कुछ नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको दो मिनट और बढ़ाकर सात मिनट दूंगा।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी बात का पालन किया है।

अध्यक्ष महोदय : आज आपने कितना कोऑपरेट किया, आज नियम का अपवाद है।

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं एन०डी०ए० सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उसने बहुत अच्छा बजट सदन में रखा है। यह लोगों के लिए फायदेमंद बजट है। इसमें दो-चार बातें थीं, किसानों के फर्टिलाइजर के जो दाम बढ़ने वाले थे, उसके लिए हम शिवसेना के तथा बाकी सब लोग प्रधान मंत्री जी से मिले, इसलिए उन्होंने रोल बैक किया, उसके लिए सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं।

[श्री चन्द्रकांत खैरे]

दूसरा टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज, गारमैन्ट्स इंडस्ट्रीज तथा छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज पर जो टैक्स लगाया गया था, उसके लिए आदरणीय मंत्री महोदय ने एक स्टेटमैंट दिया है। उस स्टेटमैन्ट के संदर्भ में हम यह कहेंगे कि कल जब मंत्री जी उत्तर दें तो उसे पक्का कर दें। उससे छोटे-छोटे व्यवसायी बहुत खुश होंगे।

अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा सूखा चल रहा है, जिसके कारण वहां कि किसानों की हालत बहुत खराब है। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय अर्थ मंत्री जी से मांग करते हैं कि किसानों के लिए जो भी आप कर सकते हैं, यदि आपने अभी नहीं किया तो सारे किसान मारे जायेंगे। महाराष्ट्र में कई चीनी मिलें हैं। बाहर से इंपोर्ट होने वाली चीनी का भाव कम है और यहां की उत्पादन लागत ज्यादा होने से जहां की चीनी का भाव ज्यादा होता है। गन्ने का भाव भी हमने कम किया जिसके कारण किसान बहुत तकलीफ में हैं। चीनी के भाव में जो अंतर होता है वह भी केन्द्र सरकार को देना चाहिए और चीनी के इंपोर्ट पर बैन लगना चाहिए। उसी तरह से जो [illegible] और दूसरे देशों से आता है, उस पर भी बैन लगना चाहिए [illegible] दूध उत्पादकों को लाभ मिले।

इाडयन एक्सप्रैस में एक सीरीज आई थी कि कई बैंकों से कई लोगों ने करोड़ों रुपये लिये। मेरे यहां फतेजा इंडस्ट्रीज के मालिक को वहां लोकल इंप्लॉयमेंट के लिए हमने रिक्वैस्ट किया तो उन्होंने रखा। उसके बाद उन्होंने बैंकों से 850 करोड़ रुपये बालुज के प्लान्ट के लिए लिये। वैसे ही भुसरी और पुणे में भी प्लांट है। उन्होंने पैसा लेकर पैसे का गबन कर दिया और फैक्ट्री को बंद करके चले गए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इस विषय पर वित्त राज्य मंत्री से बात की? उनसे से पूछिये कि क्या हुआ?

श्री चन्द्रकांत खैरे : वित्त मंत्री से मैं वही पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री तो हैं लेकिन वित्त राज्य मंत्री से भी पूछिये। वे आपकी पार्टी के हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे : वित्त राज्य मंत्री से भी मैं पूछना चाहता हूं कि इंडियन एक्सप्रैस में जो सीरीज़ आई थी, उसकी इनक्वायरी करिये कि कई करोड़ रुपये बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने लिये हैं। मंत्री जी के पास बैंकिंग विभाग है इसलिए अर्थ मंत्री जी को तकलीफ न देकर आप ही इनक्वायरी करिये क्योंकि इतने लोगों ने बैंकों से पैसे लिये और घोटाला किया। हमारे महाराष्ट्र में जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें 70 प्रोडक्ट्स कम कर दिये हैं। लेकिन उनको कोई सहायता नहीं है। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए धनराशि लेने के लिए कोई बैंकों में जाते हैं तो वे मदद नहीं करते हैं। हम आदरणीय वित्त राज्य मंत्री के पास आए तो वे फोन करते हैं लेकिन बैंक वाले इतनी तकलीफ देते हैं कि ये कागज लाओ, वह कागज लाओ और इस कारण उनको फाइनैन्स नहीं मिलता है। फिर मुजे आश्चर्य लगता है कि छोटे-छोटे स्माल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट्स को पैसा नहीं मिलता है और बड़े-बड़े उद्योगपतियों को जो पैसा दिया है, जो एन०पी०ए० हो गए, उनका आपने क्या किया है? जो सी०एम०डी० और ईडी थे कंपनियों के उन्होंने करोड़ों रुपये का गबन किया, जैसे मैंने फतेजा का उदाहरण दिया। और भी कई उदाहरण मेरे पास हैं किन्तु आपने मुझे समय कम दिया, इस कारण मैं सारे उदाहरण नहीं दे पाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, आप उदाहरण दीजिए।

श्री चन्द्रकांत खैरे : हां, धन्यवाद। *(व्यवधान)*

हमारे वित्त राज्य मंत्री बैंकिंग के यहां बैठे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों को जो दिया, उनका एन०पी०ए० बढ़कर 65000 करोड़ हो गया।

श्री प्रकाश परांजपे : एन०पी०ए० बढ़ रहा है लेकिन एम०पी०लैड नहीं बढ़ रहा है।

श्री चन्द्रकांत खैरे : वह भी मैं बोल रहा हूं। अगर आदरणीय वित्त मंत्री महोदय ने एम० पीलैड नहीं बढ़ाया तो हम कल बिल पास करने वाले नहीं हैं। एक करोड़ तो बढ़ाना चाहिए।

श्री प्रकाश परांजपे : एक करोड़ नहीं दो करोड़।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : पांच करोड़ होना चाहिए।

श्री चन्द्रकांत खैरे : हमारे आदरणीय ने एक करोड़ की घोषणा की थी, इसलिए एक करोड़ बढ़ना चाहिए। आज एन०पी०ए० की संख्या कितनी हो गई है। एन०पी०ए० की जो संख्या बढ़ती जा रही है, उसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। एकाध बार इंडस्ट्री जो नहीं चल रही है, कोई लेबर प्राबलम हो गई तो उसके नाम पर इंडस्ट्री बंद हो जाती है, पार्टनर्स में झगड़ा हो गया, डायरैक्टर्स में झगड़ा होता है। रॉ मैटीरियल नहीं मिलता है तो प्रोडक्शन में फर्क पड़ता है और सेल नहीं होता है। इस कारण से उद्योग घाटे में जाते हैं यह बात ठीक है। लेकिन जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जो कंपनियों के सी०एम०डी० और ई०डी० होते हैं, उनके कारण ही लॉस होता है। वे पैसे नहीं भरते हैं, पैसों का गबन करके भाग जाते हैं। जैसे मैंने ए०पी०आई० के बारे में परसों बात कही थी, जब कामगार बिल के संबध में मैं बता रहा था। ए०पी०आई० के चेयरमैन ए०सी०

मुथैया फिक्की के चेयरमैन भी हैं। एक दिन माननीय प्रधान मंत्री जी भी एक फंक्शन में जा रहे थे लेकिन उनके ऑफिस से कहा गया कि जो फिक्की का चेयरमैन है, वह ढाई सौ करोड़ का बैंकरप्ट है और आज भी ए०पी०आई के लोगों को उन्होंने पेमेन्ट नहीं दिया जो मेरे चुनाव क्षेत्र में है। वहां लोग भूखे मर रहे हैं लेकिन वहां न देकर आप ऐसे बैंकरप्ट लोगों की चेयरमैनशिप के फंक्शन में जाते हैं, फिर फिक्की के कई मैम्बर्स ने कहा कि उनके लिए नहीं, हमारे लिए आइए, तो आदरणीय प्रधान मंत्री जी गए। मेरे ख्याल से आदरणीय वित्त मंत्री जी फिक्की के कार्यक्रम में नहीं गए, लेकिन फिक्की का चेयरमैन बैंकरप्ट होता है और फिर भी उस पर कोई ऐक्शन नहीं होता है।

महोदय, फिक्की के चेयरमैन को निकालना चाहिए। फिक्की अलग संस्था भी है तो क्या हुआ, उसकी एडवाइस भी हम लेते हैं। उसके सलाहकार हमारे यहां आते रहते हैं। बजट बनाते समय हम फिक्की के लोगों को बुलाते रहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की मदद की जाए। बड़े-बड़े लोगों की मदद करने का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार के तो बहुत मुद्दे हैं, लेकिन मैं महाराष्ट्र का एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। शिव सेना ने महाराष्ट्र में नदियों को जोड़ने का काम शुरू किया है। श्री बालासाहेब विखे पाटिल, हमारी पार्टी के सांसद है, व यहां बैठे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में अलग-अलग जल-परिषद बनाई हैं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : हमारे स्पीकर साहब, भी आपकी ही पार्टी के हैं।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष किसी पार्टी के नहीं होते।

श्री चन्द्रकातं खैरे : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि नदियों को जोड़ने का जो कार्यक्रम है, उससे हमारे महाराष्ट्र के किसानों और आम जनता को बहुत लाभ होने वाला है। अत: उसके लिए केन्द्र सरकार को ओर धनराशि देने की व्यवस्था माननीय वित्त मंत्री जी करें और उसकी घोषणा इस बहस के उत्तर के समय करें, तो हमें प्रसन्नता होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो मुम्बई है, वह 44 प्रतिशत राजस्व देती है। सारे देश की आर्थिक राजधानी होने के कारण सबसे ज्यादा पैसा केन्द्र सरकार को मुम्बई से आता है, लेकिन हमारी मुम्बई को केन्द्र सरकार 100 करोड़ रुपए भी नहीं देती है। आप भी मुम्बई के महापौर रहे हैं, मुख्य मंत्री भी रहे हैं और अब लोक सभा के अध्यक्ष हैं, मेरी आप से भी विनती है कि यदि आप भी थोड़ा प्रयास करें, तो मुम्बई को जो अधिक पैसा केन्द्र सरकार की ओर से मिलना चाहिए, वह मिल सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, मुम्बई के लिए केन्द्र सरकार की ओर से विशेष रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करने का औचित्य इसलिए भी है कि मुम्बई में बाहर के ग्रुप्स आते हैं। बड़े-बड़े शहरों में बाहर के लोग आते हैं जिससे उस शहर का इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रभावित होता है। पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं और रहने की सभी प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुम्बई में 01-01-1995 का कायदा लागू होना चाहिए। अभी भी मुम्बई में प्रति दिन 300 परिवार बाहर से आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि दिनांक 01.01.1995 के बाद मुम्बई में जो लोग आए हैं, उनके स्लम इम्प्रूवमेंट के लिए, एस०आर०आई० के लिए केन्द्र सरकार की ओर से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए।

महोदय, अन्त में, जाते-जाते मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि सांसदों के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम०पी०लैड्स) के पैसे की सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए। अभी एक साल में एक सांसद अपने चुनाव क्षेत्र में केवल दो करोड़ रुपए तक के विकास कार्य करा सकता है, मेरा निवेदन है कि इसे बढ़ाकर कम से कम दो गुना अवश्य करना चाहिए। मेरे लोक सभा क्षेत्र में छ: विधायक हैं। कई क्षेत्रों में नौ विधायक हैं, कहीं चार हैं। दिल्ली में कई लोक सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां केवल चार विधान सभा क्षेत्र हैं। ऐसा सभी जगह है। दिल्ली में एक विधायक को एक करोड़ रुपए की धनराशि अपने विधान सभा क्षेत्र में कार्य करने हेतु मिल रही है। हमें केवल दो करोड़ रुपए ही मिलते हैं। हमारे यहां महाराष्ट्र में एक विधायक को 85 लाख रुपए इस योजना के अंतर्गत मिलते हैं। ऐसी स्थिति में सांसद को इस योजना में जो धन मिलता है, वह बहुत कम है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस धन को भी दुगना किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं कि एम०पी० लैड का पैसा दो करोड़ से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। हमारी जो ग्रामीण विभाग की ग्रामीण सड़क योजना है, उसके लिए चार-चार करोड़ के आस-पास एक-एक डिस्ट्रिक्ट को जाता है। मेरा यह कहना है कि उसमें से दो करोड़ रुपए सांसदों के माध्यम से खर्च होने चाहिए, ऐसा नियम में बदलाव होना चाहिए।

महोदय, अंत में मैं यह कहूंगा कि सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स के लिए सांसदों को, जो भी वहां डिस्ट्रिक्ट का विजिलेंस और मोनिटरिंग एजेंसी का चेयरमैन है, आज जैसे रूरल डेवलपमेंट पर प्रश्न था, उसने एक सर्कुलर निकाला कि वहां का सांसद ही उसका चेयरमैन होगा और चेयरमैन रहते हुए वह पूरी रूरल डेवलपमेंट की जितनी भी सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स हैं – चाहे वह हैल्थ डिपार्टमेंट की हो, अरबन डेवलपमेंट की हो या किसी अन्य डिपार्टमेंट की हों, सब के लिए चेयर पर्सन होनी चाहिए, ऐसा ही आपके सर्कुलर में होना चाहिए, तब ही सेंट्रल

[श्री चन्द्रकातं खैरे]

से जो राशि जाती है उस पर एम०पी० का कंट्रोल रहेगा। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास यहां बोलने वाले दस वक्ताओं के नाम हैं। आप जानते हैं कि सात बजे मुझे डिबेट पूरी करनी है, इसलिए हरेक को बोलने के लिए केवल पांच-पांच मिनट दिए जाएंगे। मेरी सभी माननीय सदस्यों से विनती है कि पांच-पांच मिनट में आप अपना-अपना भाषण पूरा करें।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रुगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बहस में भाग लेने का मौका दिया है।

मैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र का रहने वाला हूं। मैं इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आकांक्षाओं को उजागर करने का प्रयास करूंगा। मैं देश के [illegible] चाय की खेती करने वालों क्षेत्रों का प्रतिनिधि हूं। चाय [illegible] बहुत ही कठिन समय से निकल रहा है केरल के [illegible] बागान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चाय बागान बंद हो गये हैं। मेरे राज्य ने यह बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और हमने माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि वह एक रुपये का उत्पाद शुल्क वापिस लें। उन्होंने एक रुपये का उत्पाद शुल्क तो वापिस ले लिया परन्तु शेष एक रुपये का उत्पाद शुल्क अभी बाकी है। इसे तव वापिस ले लिया गया था जब चाय उद्योग कठिन परिस्थितियों में था।

सायं 6.22 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

पूर्वी भारत में, वे मज़दरों को रियायती मूल्य पर राशन की आपूर्ति करते हैं। यदि सरकार चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को बी०पी०एल० रेट पर राशन देने का निर्णय लेती है क्योंकि गोदाम भरे हैं, तो यह चाय उद्योग के लिये एक बहुत बड़ी राहत होगी। सरकार को इस संबंध में कुछ उपाय करने होंगे। सरकार को चाय उद्योग के अस्तित्व की रक्षा और विकास के लिये कोई समाधान निकालना चाहिये।

मेरा दूसरा मुद्दा उग्रवाद की समस्या, अत्यधिक बेरोजगारी की समस्या, व्यापार और उद्योग की मुख्य केन्द्र से भौगोलिक रूप से दूरी होना, वास्तविक बुनियादी सुविधाओं की अपर्याप्तता क्षेत्रीय बाजार का छोटा होना और क्षेत्र से बाहर के बाजार तक पहुंच नहीं पाना आदि। भारत सरकार ने 24 दिसम्बर 1997 को सुविचारित औद्योगिक नीति की घोषणा की थी जिसमें आयकर में छुट, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वापसी, पूंजी निवेश सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया था क्योंकि कोई भी उद्योग पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाने को तैयार नहीं था। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक नई आशा की किरण दिखाई दी थी किन्तु पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवासी अत्यंत शुब्ध हो गए हैं क्योंकि जो लाभ और छूट उन्हें जुलाई 1999 में दी गई थी वह दिसंबर 1999 में वापिस ले ली गई और पुन: उसे जनवरी 2000 में उन्हें प्रदान किया गया। किन्तु जनवरी-मार्च 2001 में फिर वापिस ले लिया गया और अब वित्त विधेयक 2003 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय गौहाटी के आदेश को नकारा जा रहा है, जबकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और इसके सामाजिक राजनैतिक भविष्य पर बहुत खराब असर पड़ेगा।

कुछ इकाइयों द्वारा लाभों के दुरूपयोग के कारण तथा प्रशासनिक असफलता के कारण निष्ठयुक्त उद्यमी, जिन्होंने वास्तव में अपनी गाढ़ी कमाई पूर्वोत्तर के क्षेत्र में वहां उग्रवाद की समस्या और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बावजूद लगायी है, उनको इन सभी लाभों को वापस इस प्रकार ले लिए जाने के कारण घाटा नहीं होना चाहिये। इन उद्यमियों द्वारा निवेश संबंधी निर्णय घोषित नीतिगत पैकेज के पूरे काल में उपलब्ध सभी लाभों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यदि लाभों को पैकेज की अवधि समाप्त होने से पूर्व वापिस लिया जाता है, तो उद्यमियों का समस्त निवेश डूब जाएगा और उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इससे औद्योगिक इकाइयां वंद हो जायेगी जिसका मतलब यह होगा कि आय के स्रोत बंद हो जाएंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सृजित रोजगार के अवसर भी समाप्त हो जाएंगे।

इसलिये माननीय वित्त मंत्री से यह मेरा निवेदन है कि इस पर कृपया विचार करें और सुनिश्चित करें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ उत्पादों के मामले में सभी लाभों को भूतलक्षी प्रभाव से वित्त विधेयक 2003 के माध्यम से वापिस नहीं लिया जाए। माननीय वित्त मंत्री से यही मेरा विनम्र निवेदन है। यदि आवश्यक हुआ तो पूर्वोत्तर क्षेत्र की नयी औद्योगिक नीति, 1997 में यदि कोई खामियां हो तो उनको दूर करने के लिये हम इसे संशोधित कर सकते हैं ताकि मात्र लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा इसके दुरूपयोग की संभावना को समाप्त करने के लिए इस नीति से वांछित आय-सृजन और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आय सृजन के लिये हमें यह प्रस्ताव करना चाहिये कि पूर्वोत्तर? क्षेत्र में इस प्रकार की छूटों का लाभ उठने के इच्छुक औद्योगिक इकाईयां यह सुनिश्चित करें कि उनके लाभ का 50% इस राज्य में पुर्ननिवेश किया जाये।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुपारी उगाई जाती हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र में हजारों लोग सुपारी की खेती करते हैं। यदि इस उद्योग को बन्द कर दिया जाये, तो उनका बाजार भी काफी प्रभावित होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान ग्यारहवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिससे असम के साथ बहुत अन्याय हुआ है। मेरा वित्त मंत्री से इतना ही अनुरोध है कि वह इस मामले की जांच करें जिसके संबंध में राज्य सरकार और असम के माननीय सदस्य ने वित्त मंत्री को अभ्यावेदन दिया था, मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह इस मामले की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि इस संबंध में असम के लोगों की सहायता कैसे की जा सकती है।

एक अन्य मामला काफी चिन्ता का विषय भी है। माननीय प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुख्य मंत्रियों की उपस्थिति में 20 जनवरी, 2000 को शिलांग में एक नीतिगत घोषणा की थी कि नुमालीगढ़ रिफायनरी लिमिटेड को उत्पाद शुल्क में 100% छूट दी गयी है। उन्होंने यह घोषणा दस वर्ष की अवधि के लिये की थी। यह लाभ मात्र डेढ़ वर्ष के लिये दिया गया और अचानक इसे वापिस ले लिया गया और इससे भी लोग उत्तेजित हैं और गलत असर पड़ रहा है।

बाढ़ की समस्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की वर्ष भर की समस्या है और वहां के लोगों ने मांग की है कि बाढ़ की स्थिति को एक राष्ट्रीय समस्या माना जाना चाहिये। बाढ़ राहत के लिये बहुत कम राशि आवंटित की गई है। हर वर्ष हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जाती है। यह भूमि कम होती जा रही है। इसलिये पर्याप्त वित्तीय सहायता भी दी जाये।

माननीय प्रधानमंत्री ने यह उचित निर्णय लिया है कि सभी मंत्रालयों की निधियों का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये दिया जाना चाहिये। दस प्रतिशत की राशि को ठीक ढंग से संग्रहित करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के अवसंरचनात्मक विकास के लिये दिया जाना चाहिये। मेरे पूर्ववर्ती वक्ता, श्री संतोष मोहन देव ने ठीक कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की एक किलोमीटर भी रेल लाइन विद्युतीकृत नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस व्यपगत न होने वाली 10 प्रतिशत निधि में से कुछ राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र को रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लिये आबंटित करने पर भी विचार किया जाये।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में एक और कठिनाई है। तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री ने मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गैस क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है। मुझे नहीं पता कि मैं इस संबंध में मैं भाग्यशाली हूं या नहीं।

विगत 15 वर्षों के दौरान यह परियोजना राजसहायता पर विचार किए जाने हेतु लम्बित पड़ी है। हमने पेट्रोलियम संबंधी स्थायी समिति में कई बार इस पर विचार किया है, और हमने कई सिफारिशें की है किन्तु गैसक्रैकर परियोजना शुरू ही नहीं हो रही है। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह परियोजना शुरू करने अथवा असम के लोगों को गैसक्रैकर परियोजना देने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता वापस लेने का निर्णय लें।

महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं बहुत कम हैं और माननीय वित्त मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों के साथ सम्बद्धता और सुगम्यता से अच्छी तरह परिचित हैं। वह पूर्वोत्तर क्षेत्र की मुश्किलों को जानते हैं। हमने योजना आयोग के उपाध्यक्ष से सम्पर्क किया है और हमने इस बारे में तत्कालीन वित्त मंत्री से यह जानने के लिये कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अवसंरचनात्मक विकास के लिये व्यपगत न होने वाली 10 प्रतिशत राशि का कुल कितनी राशि है, चर्चा की है किन्तु किसी ने भी यह नहीं बताया कि कुल धनराशि कितनी है और इस व्यपगत न होने वाली 10 प्रतिशत राशि से अवसंरचनात्क विकास हेतु को क्या प्राथमिकताएं दी जायेगी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की जांच करें और अपनी घोषित उस औद्योगिक नीति को न नकारने पर विचार करें जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सार्थक विचार है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री के० फ्रांसिस जार्ज अपना बोलेंगे। चूंकि वक्ताओं की संख्या बहुत अधिक है इसलिए, मेरा सभी वक्ताओं से निवेदन है कि वह पांच मिनट के अन्दर अपना भाषण समाप्त करें।

श्री के० फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, हम पांच मिनट में क्या कह सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चार मिनट बाद घंटी बजा दूंगा और आप भाषण पूरा करने के लिए एक मिनट और ले लेना।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप सात बजे न करके थोड़ा समय और बढ़ा दीजिए। हमें भी अपनी बात कहने दीजिए। यह हम लोगों का विषय है इसलिए हम दो मिनट में कैसे कह पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अभी हाउस में थे तो आपको मालूम होगा कि माननीय स्पीकर साहब ने क्या कहा था।

(व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी मिश्र : आप सात बजे की जगह साढ़े सात बजे तक का समय कर दीजिए। ताकि हम भी अपनी वेदना कह सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : पांच-पांच मिनट सबको मिलेंगे। यदि आपका नाम है तो आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री के फ्रांसिस जार्ज : महोदय, बजट में माननीय वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र उच्च तकनीक वाली बागवानी, सुव्यवस्थित खेती, उर्वरकों का प्रयोग, जैव तकनीकी यन्त्र, हरित खाद्य उत्पादन और उच्च प्रौद्योगिकी युक्त पाद पर गृहों का आरम्भ करने के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है। ये सभी स्वागत योग्य कदम है। माननीय मंत्री जी ने सुव्यवस्थित कृषि तकनीक का उल्लेख किया है, निस्सन्देह यह समय की आवश्यकता है। जैसा मंत्री जी ने कहा है इससे भूमि, पानी, सूर्य प्रकाश आदि जैसे संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित होगा।

किन्तु हमारे यहां बहुत छोटे और किसी तरह गुजारा करने वाले किसान भी हैं। हम उनकी देखभाल कैसे करने जा रहे हैं?

सलों की क्या स्थिति है? माननीय मंत्री जी ने बागवानी उल्लेख किया है। उन्होंने खाद्य के मामले में उत्पाद शुल्क समाप्त किया है परन्तु बागवानी क्षेत्र की सहायता के लिए एक प्रतिशत के उपकर की घोषणा की है। यह एक प्रतिशत उपकर जुड़कर केवल 70 से 80 करोड़ के लगभग हो जायेगी। परन्तु इस राशि से देश में बागवानी क्षेत्र को हो रही समस्या हल नहीं हो सकती है। यह समस्या केरल में और संभवत: पूरे देश में बहुत भीषण है। विशेषकर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यह समस्या बहुत गम्भीर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बागवानी उद्योग केरल में इदुक्की जिले में अधिक केन्द्रित है। केरल के इदुक्की जिले के परमिड तालुक में लगभग 18 एस्टेट बन्द कर दिए गये हैं और 13,000 श्रमिकों का रोजगार समाप्त हो गया है। यदि उनके परिवार के सदस्यों को भी जोड़ दिया जाये, तो लगभग 50,000 लोगों की स्थिति चिन्ताजनक है। वे वास्तव में दुखद परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। इन श्रमिकों को विगत दो वर्षों से वेतन नहीं मिल रहा है और उनके लाभों में कटौती कर दी गई हैं। प्रबन्धक मंडल ने उनके भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया गया है और वहां अनेक समस्यायें हैं।

सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण निधि की घोषणा की है। परन्तु इस मूल्य स्थिरीकरण निधि से, व्यावहारिक स्थिति में बागवानी उद्योग और छोटे उत्पादक और सभी सम्बन्धित पक्षों का कहना है कि किसानों को लाभ नहीं हो रहा है। इसलिये मूल्य स्थिरीकरण निधि के वास्तविक कार्यान्वयन के बारे में सभी अंशधारियों के साथ व्यापक चर्चा और तालमेल की आवश्यकता है। समय की कमी के कारण मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

इसके बाद मैं विभिन्न कृषि उत्पादों जैसे चाय और काली मिर्च जैसी नकदी फसलों आदि के आयात पर बोलना चाहता हूं। विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था के अंतर्गत हमारे देश में आयात शुल्क निम्नतम है। भारत-श्री लंका विश्व विशेष द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अधीन हमारे पास शून्य शुल्क की व्यवस्था है। अब इस समझौते के अंतर्गत देश में अधिक मात्रा में उपजायी जा रही सभी नकदी फसलों का आयात श्री लंका से किया जा सकता है। हमारे देश में लाखों किसान, विशेषकर नकदी फसलों के उत्पादक किसान अपना जीवन-निर्वाह कैसे करेंगे? निस्सेन्दह, यह जिम्मेदारी वाणिज्य मंत्रालय की भी है। किन्तु सरकारी स्तर पर चूंकि वित्त मंत्रालय नोडल एजेंसी है, इसलिये पहल माननीय मंत्री को ही करनी चाहिये। मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं।

महोदय, बाकी सभी उपाय, अर्थात अन्त्योदय अन्न योजना, ग्रामीण विकास योजनाओं का युक्तिकरण और जीवन भर की आवश्यकताएं – आवास, शिक्षा और खेलकूद सभी अच्छी योजनाएं हैं। वित्त मंत्री द्वारा घोषित इन सभी उपायों का स्वागत है।

मैं विशेष रूप से देश में खेलकूदों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हाल ही में समाप्त हुए एशियाई खेलों में कुमारी के०एम० बीनामोल, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र की निवासी हैं और ऐसे पंचायत क्षेत्र में रहती है जहां बिल्कुल भी सुविधायें नहीं है, ने तीन स्वर्ण पदक जीते। यदि हमने अपने युवाओं को पंचायत स्तर पर ही पर्याप्त सुविधायें प्रदान की होती तो परिणाम कुछ और ही होते। अब वह रेलवे में है और उन्हें सभी आवश्यक सुविधायें प्राप्त हो रही है। परन्तु शुरू में उनके पास कोई भी सुविधा नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री के० फ्रांसिस जार्ज : इसी प्रकार, अब आप सभी आधारभूत सुविधाओं को देखें, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में अच्छी तरह से दर्शाया है। इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने में लम्बा समय लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फ्रांसिस, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री के० फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : मुझे समाप्त करना है। ग्रामीण सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों की अवसंरचनात्मक विकास के बारे में एक और शब्द। सुबह में ही प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना पर विचार किया गया था। महोदय, राज्यों के अंशदान के बीच तथा उन्हें आबंटित की जा रही धनराशियों के बीच कुछ समानता होनी चाहिए।

मुझे केरल का एक उदाहरण देने दें। अभिलेखों के अनुसार, 2000 से 2003 के बीच केरल ने डीजल तथा पेट्रोल पर उपकर के रूप में इस पूल पर 900 करोड़ रु० अदा किए हैं। लेकिन हमने क्या पाया? पिछले तीन वर्षों में हमने केवल 67 करोड़ रु० वापस लिए। ऐसा नहीं है कि विशेषरूप से ऊपरी इलाकों में केरल पूरी तरह से जुड़ा है। महोदय, आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। देश में किसी अन्य राज्य की तरह हमारे यहां संयोजन (मिलाने वाली) समस्या है। लेकिन, हमारे अंशदान की तुलना में हमारे पास काफी कम है। अतएव, कम से कम इस विशिष्ट कार्यक्रम में जो कि काफी अच्छा कार्यक्रम है, माननीय मंत्री तथा सरकार इस विशिष्ट निधि को अंशदान के अनुसार कम से कम एक सीमा तक सुनिश्चित करें कि राज्य अपना हक पा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री के० फ्रांसिस जार्ज : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि जो कुछ मैंने कहा है वे इस पर ध्यान दें तथा मैं माननीय मंत्री को उनके प्रथम बजट में प्रस्तुत किए गए सभी अच्छे प्रस्तावों के लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यदि माननीय सदस्य पटल पर अपना भाषण रखना चाहते हैं तो मैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति देता हूं। 4-5 मिनटों के लिए भाषण देने की बजाय यदि वे यहां रिकार्ड में रखना चाहते हैं तो वे अपना भाषण रख सकते हैं।

***श्री एस० मुरूगेसन** (तेनकासी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस वर्ष के वित्त विधेयक पर बोलने हेतु अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। इस बहस के दौरान इस महान सभा के माननीय वरिष्ठ सहयोगियों ने व्यापक रूप से विधेयक का गहराई से विश्लेषण किया है। हमारी समस्त जनसंख्या का 70% से ज्यादा कृषि पर आश्रित है। वे वर्ष भर में केवल लगभग 150 से 200 दिनों की आजीविका अर्जित करने के लिए कार्य का अवसर पाते हैं। उनकी आय का 80% उनके लिए भोजन खरीदने में खर्च होता है और उन्हें अपनी आय के 20% में से बाकी सब कुछ करना होता है तथा उन्हें अपने जीवन स्तर में सुधार लाना पड़ेगा।

देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, पीड़ीत तथा सुविधाहीन विशेषरूप से अनुसूचित जाति के लोगों को कृषि मजूदर या सीमांत किसान बने रहना पड़ता है। केवल कृषि उनका व्यवसाय तथा ध्यान का केन्द्र है।

देश के विभिन्न भागों में लगातार मानसून की विफलता के कारण भूमि जल स्तर और ज्यादा नीचे चला गया है। चूंकि जल स्तर नीचे गया है, परिस्थिति काफी चिंताजनक है। ऐसे किसान एवं मजदूर अपनी रोजी-रोटी को अर्जित करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

मैं गंगा-कावेरी सम्पर्क नहर योजना पर ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा जिसके परिणामस्वरूप महाद्वीपीय नदी ग्रिड बनती है जो केवल देश के पवित्र किसानों की रक्षा कर सकती है। 1984 में हमारे नेता तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा० पुराची थलैवी ने इस गंगा-कावेरी सम्पर्क योजना को व्यावहारिक मानकर जोर डाला तथा सरकार से आग्रह किया कि वे इसे प्राथमिकता के आधार पर लें। उन्होंने अपनी बात संसद के ऊपरी सदन में कही थी। मैं संघ सरकार से इसे उच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध करता हूं तथा इस परियोजना को पूरा करने के लिये जल्द से जल्द एक समयबद्ध परियोजना के रूप में योजना तैयार करे।

केन्द्र ने ग्रामीण क्षेत्र में कई रोजगार सृजन कार्यक्रम तैयार किये हैं। कुछ को अनुदान तथा कुछ को ऋण सहायता दी जाती है। ग्रामीण गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए ऋण सहायता योजनाऐं हैं। स्वरोजगार उद्यमों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के समुदाय के युवकों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं हैं। टी०ए०डी०सी० ओ० जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता का आश्वासन दिया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए शीर्षस्थ एजेंसियों द्वारा योग्य उद्यमियों का पता लगाया गया है। लेनिक दुख की बात यह है कि ऋण सहायता के लिए योग्य पाए गए ऐसे युवकों को राष्ट्रीयकृत बैंक तथा यहां तक कि सहकारी बैंकों द्वारा ऋण नहीं प्रदान किया जाता है। उन्हें आश्वस्त सहायता नहीं दी जाती है। मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री से इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इन अनियमितताओं की निगरानी तथा टी०ए०डी०सी०ओ० तथा अन्य संस्थाओं से राजसहायता देने तथा सभी राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य बैंकों को ऋण देने के लिए उचित निदेश देने के लिए एक समिति का गठन करें।

आगे मैं हथकरघा बुनकरों की स्थिति पर आता हूं। पहले ही मेरे कई सहयोगियों ने इस पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं। केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही लगभग एक लाख बुनकर केन्द्र द्वारा लगाए गए मूल्य संवर्धित कर द्वारा बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

मैं सरकार से बुनकरों के हित में तुरंत सी०ई०एन०वी०ए०टी० वापस लेने का अनुरोध करूंगा।

तमिलनाडु में हमारी नेता डा० पुराची थालैवी के योग्य नेतृत्व के अंतर्गत कई ग्रामीण विकास तथा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। ऐसी एक योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से बालिका विद्यार्थियों को अपने स्कूल जाने तथा अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए मुफ्त साइकिल प्रदान की जाती है। हम रोजगार उत्पन्न करने, इन्हें प्रदान

[श्री एस० मुरूगेसन]

करने तथा इन्हें खोजने के लिए लोगों को योग्य बनाने के लिए भी प्रयास करते हैं। ऐसी योजनाएं वित्तीय संकट के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभवित होती हैं। मैं केन्द्र से तमिलनाडु को निधियों के आबंटन के प्रति उदार रहने को कहूंगा।

तमिलनाडु सरकार ने पूर्व में राज्य में वित्तीय आकस्मिकता से निबटने के लिए 3000 करोड़ रु० की एकमुश्त अनुदान की मांग की थी लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य सरकार को यह अनुदान प्राप्त नहीं हो सका। मैं सरकार से तुरंत अनुरोध करूंगा कि वह 3000 करोड़ रु० का अनुदान दे।*

कर-ढांचे को आम नागरिक द्वारा आसानी से समझने के लिए सरलीकृत किया जाना चाहिए। तमिलनाडु की मध्याह्न भोजन योजना तथा अन्य योजनाओं को 100% अनुदान दिया जाना चाहिए।

***श्री पी०एस० गढ़वी** (कच्छ) : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, प्रसिद्ध तथा ख्याति प्राप्त दैनिक 'दि हिन्दू' ने अपने संपादकीय में इस बजट को 'सावधान बजट' तथा अन्य एक प्रख्यात दैनिक 'दि [illegible]' ने इसे 'नया बजट' तथा 'दि पायोनियर' ने इसे 'दूर दृष्टि वाला कहा है।

महादय, मैंने विपक्षी सदस्यों को सुना है जिन्होंने इस बजट की आलोचना की है। लेकिन, महोदय, मैं यह समझ पाने में असमर्थ हूं कि वित्त मंत्री ने ऐसा क्या अपराध किया है जब उन्होंने इस बजट में मध्यमवर्ग, वेतनभोगीवर्ग, गरीब लोगों तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सुविधा का ख्याल रखा है।

महोदय, हमारे प्रजातंत्र के इतिहास में पहली बार इस सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के ओजस्वी नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री ने अप्रैल, 2003 से 'अन्त्योदय अन्न योजना' का विस्तार करते हुए अतिरिक्त 50 लाख गरीब परिवारों के लिए प्रावधान करते हुए वर्ष 2003-2004 के दौरान सभी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को एक चौथाई से ज्यादा कुल कवरेज तक किया है। इस मद में अतिरिक्त बजटीय व्यय 507 करोड़ रु० होगा।

महोदय, मैं सभी ग्रामीण विकास, ग्रामीण उद्योगों तथा बुनकरों तथा शहरी क्षेत्रों तथा अन्य ऐसी योजनाओं में गरीबी उन्मूलन को तर्कसंगत बनाने के लिए माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। उन्होंने योजना आयोग की उपाध्यक्षता में गरीबी उपशमन तथा ग्रामीण विकास पर प्रभाव डालने वाली सभी योजनाओं की जांच करने तथा उनके व्यवहारिक मिलान के संबंध में सिफारिश देने के लिए सभी योजनाओं की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया है।

महोदय, मैं सोचता हूं कि प्रजातंत्र के इतिहास में पहली बार, गरीब लोगों एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए उचित सावधानी बरती गई है। इस बजट में ऐसे करोड़ों लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार करने के लिए वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में बताया है कि हमारे कम लाभान्वित नागरिकों की संख्या काफी अधिक है। उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होना एक सपना है। इस प्रकार की परिस्थिति के लिये, माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2003-2004 के दौरान सामुदायिक आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना बनाने के लिये सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को प्रोत्साहित करके एक योजना कल्पना के इस योजना के अंतर्गत, प्रीमियम दरें क्या होंगी?

(क) एक रुपया प्रतिदिन (365 रुपये प्रति वर्ष) प्रति व्यक्ति;

(ख) पांच व्यक्तियों के एक परिवार के लिये 1.50 रुपये प्रति दिन; और

(ग) सात व्यक्तियों के परिवार के लिये 2 रुपये प्रतिदिन/जो कि उन्हें इसका पात्र बनायेगा।

(क) अस्पताल में रहने के लिये 30,000 रुपये तक चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति प्राप्त करना;

(ख) दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु के लिये 25000/- रुपये कवर करना और

(ग) 50/- रुपये प्रतिदिन की दर पर अधिकतम 15 दिनों तक आय की हानि पर क्षतिपूर्ति।

माननीय वित्त मंत्री ने इस योजना को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिये भी उनकी पहुंच में बना दिया है। उन्होंने उनके लिए बजट में यह घोषणा की कि इस प्रकार के मामलों में सरकार उनके वार्षिक प्रीमियम के लिये प्रति वर्ष 100/- रुपये का योगदान देगी।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने आय कर से व्यक्तिगत रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये 50,000/- रुपये और 75,000/- रुपये की छूट की घोषणा करके विकलांग व्यक्तियों का ध्यान भी रखा है।

आगे, उन्होंने विशेष अतिरिक्त कर (एस०ए०डी०) के बिना केवल 5% तक हियरिंग एडस्, बैसाखियों, पहियेदार कुर्सियों, बाकिंग फ्रेमों, तिपहिया साइकिलों, बेल मुद्रणों और कृत्रिम अंगों पर सीमा शुल्क को कम करने की घोषणा की है।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने कर में 20,000/- रुपये तक की छूट प्रदान करके हमारे लगभग 76 मिलियन वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन-भोगियों का भी ध्यान रखा है। उनकी संख्या में 2013 में 100 मिलियन तक वृद्धि होने की आशा है। (क्योंकि भारत में जीवन काल में वृद्धि हुई है) इसके परिणामस्वरूप 1.53 लाख रुपये तक की उनकी आय को आगे से पूरी तरह से छूट मिलेगी और इसके अतिरिक्त, उन्हें धारा 88 के अंतर्गत कर में छूट की भी राहत मिलेगी।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री को बीमा पेंशन योजना शुरू करने के लिये बधाई देता हूं, अर्थात् पेंशनभोगी अथवा 55 वर्ष की आयु से अधिक किसी नागरिक द्वारा एकमुश्त धनराशि का भुगतान करने पर 9% प्रति वर्ष के हिसाब से गणना करके लाभ मिलता है।

महोदय, इन सभी योजनाओं के अतिरिक्त, माननीय वित्त मंत्री ने निम्नलिखित वर्गों के लिये कई अन्य योजनायें शुरू की है :–

(क) सेवानिवृत व्यक्ति, हमारे अनुभवी;

(ख) बच्चों के लिए शिक्षा के बोझ के लिए दो बच्चों के लिये प्रति बच्चा 12,000/- रुपये के हिसाब से शिक्षा व्यय प्रदान करना जिससे कि वे आयकर अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत छूट के पात्र बन सके।

(ग) खेलों के लिये, और

(घ) आवास के लिये।

महोदय, अब मैं माननीय वित्त मंत्री को कुछ सुझाव दूंगा जो कि मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह अपना उत्तर देते समय विचार करें।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री को 'मरूस्थल चरागाह विकास' योजना शुरू करने के लिये बधाई देता हूं, राजस्थान के मरू जिलों के लिये एक विशेष कार्यक्रम 'मरू गोचर योजना' शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।

महोदय, मेरा माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध है कि वह इस योजना का मेरे निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् कच्छ तक विस्तार करे। यह गुजरात का मरू जिला है।

महोदय, कच्छ का आधा क्षेत्र मरूस्थल है और यह क्षेत्र लगभग सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार है, वर्ष 1998-1999 में दो सबसे खराब चक्रवात आये और अन्त में दुनिया के सबसे भयानक और घातक भूकंप ने कच्छ जिले की पूरी अर्थव्यवस्था को नष्ट किया था।

इसलिये, मैं माननीय वित्त मंत्री से इस मरू गोचर योजना में मरू जिला कच्छ को शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

दूसरे, महोदय, माननीय प्रधान मंत्री, श्री वाजपेयी जी ने दिनांक 3.6.2001 को भूकंप से विध्वंस कच्छ में अपने दौरे के दौरान कच्छ में हो रहे पूरे उत्पादन पर उत्पाद शुल्क में छूट के लिये आश्वासन दिया था परन्तु विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा की बातें नहीं थी।

कच्छ के लिये कर अवकाश अधिसूचना संख्या 39/2001, दिनांक 31.7.2001 माननीय प्रधान मंत्री की घोषित इच्छा से भिन्न है।

अधिसूचना में उद्योगों को उत्पाद शुल्क से राहत नहीं दी गई है जो कि भूकंप के समय पाइपलाइन में थे।

दूसरे, यह उद्योगों पर 20 करोड़ रुपये से कम और अधिक निवेश के मध्य भेदभाव भी करता है।

महोदय, कृपया इस भेदभाव को दूर किया जाये।

तीसरे, महोदय, दिनांक 31.7.2004 से पहले उत्पादन शुरू करने का जो अनुरोध है उसे कृपया आगे एक वर्ष की अवधि के लिये बढ़ाया जाये क्योंकि कई उद्योगों को अपने उत्पादन के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है।

चौथे, महोदय, कच्छ के लिए कर अवकाश छूट केवल पांच वर्षों की अवधि के लिये है जिसमें आगे और पांच वर्षों की अवधि के लिए विस्तार देने की आवश्यकता है। इसका अभिप्राय यह है कि यह पूरे तौर पर 10 वर्षों के लिये होनी चाहिये।

महोदय, अब मैं माननीय वित्त मंत्री से गुजरात में भूकंप से पीड़ितों के लिये राहत और पुनर्वास हेतु चंदे के उपयोगीकरण की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध करता हूं वह 31.3.203 को समाप्त होती है। उसे और दो वर्षों की अवधि के लिये अर्थात् 31.3.2005 तक बढ़ाया जाये। कच्छ, भुज, अंजर, भाचाऊ और रापड़, इमपांच शहरों में नये मकानों के निर्माण के लिए शहरी नियोजन योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति मात्र 2 से 3 माह पहले ही दी गई थी इसका यह अभिप्राय है कि 31.3.2003 से पहले लगभग एक लाख से अधिक मकानों का पुनर्वास कार्य पूरा करना संभव नहीं है।

महोदय, नागरिकों को अनावश्यक समस्याओं से बचाने के बारे में मेरे कुछ सुझाव है कि जमाओं, प्राप्तियों, स्वीकृतियों आदि के भुगतान हेतु 20,000/- की सीमा कारोबार लेनदेन में केवल चैको में होनी चाहिये। इस सीमा को इस प्रकार के भुगतानों के लिये कम से कम एक लाख रुपये की सीमा तक बढ़ाया जाये। एडवोकेट अथवा चाटर्ड एकाउन्टेट को आय कर अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत किसी भी निर्धारिती पर छापे, उसकी तलाशी अथवा जब्ती के समय उपस्थित रहने की अनुमति दी जाये और आय कर अधिकारियों की

[श्री पी०एस० गढ़वी]

विवेकाधीन शक्तियों को कम किया जाये और उन्हें सही व्यवहार करने का निर्देश दिये जाये।

महोदय, अधिनियम अधिसूचना आदि से संबंधित कुछ अस्पष्ट प्रश्न पर अग्रिम रूलिंग निर्णय अथवा सही अग्रिम व्याख्या के लिए विशिष्ट और विशेष प्रावधान किये जाये ताकि परेशान निर्धारिती द्वारा भोगी जा रही आसुविधा और मुकदमे बाजी को टाला जा सके। इससे आय कर अधिकारियों द्वारा शक्तियों के गलत उपयोग को निर्धारिती और विभाग के लिये आगे परिहार्य लम्बी मुकदमे बाजी को टाला और कम किया जा सकेगा।

महोदय, मैं मानता हूं कि हमारे देश के किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और कृषि से अर्जित आय पर आयकर अथवा कोई अन्य कर नहीं होना चाहिये। परन्तु वह किसान, जिसके पास हमारे महानगरों की परिधि के भीतर 10 एकड़ से भी अधिक कृषि भूमि है जिसका बाजार मूल्य 25 लाख रुपये से अधिक है। वह राष्ट्र को कर का भुगतान करे और उसके लिये आयकर अधिनियम में अपेक्षित [illegible] जाये।

[illegible] देश में संगठित नौकरी करने वाला वर्ग अथवा कर्मचारी हमारी जनसंख्या का केवल 3 से 4% है। यह वर्ग अतिरिक्त लाभ और अधिकारों के लिए अत्यधिक सतर्क है। परन्तु हम सभी का अनुभव यह है कि वे अपने कर्त्तव्यों के लिये उसी प्रकार सतर्क अथवा सावधान नहीं हैं।

महोदय, हमें कोई एतराज नहीं है यदि इस वर्ग को अभी भी और वेतन और अतिरिक्त लाभ दिया जाये परन्तु उसी समय यदि वे अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने में लापरवाह पाये गये तो उन्हें संक्षिप्त प्रक्रियाओं द्वारा बर्खास्त किया जाये और न कि जांच की लम्बी अवधि के वर्षों दर वर्षों के पश्चात् किया जाये। संक्षेप में, इस प्रकार के वर्ग के लिये 'हायर एंड फायर' की नीति अपनाने की आवश्यकता है और उसके लिये आवश्यक संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से लेबल लगे हुये और ब्रांड वाले खाद्य तेल पर लगाये गये 8% उत्पाद शुल्क की समीक्षा करने का अनुरोध करता हूं। इसके कारण मध्यम वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों पर भारी बोझ पड़ा है। कृपया इस शुल्क को हटाया जाये और गुजरात सरकार को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को वितरण हेतु बिना शुल्क के पामोलिन तेल के आयात की अनुमति दी जाये।

महोदय, गुजरात सरकार से एक प्रस्ताव वहां वन की सुरक्षा और संरक्षण के लिये इसकी गुजरात वनीय विकास परियोजना हेतु गुजरात सरकार के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु जापान बैंक से सहायता के लिये स्वीकृति भारत सरकार के पास लंबित है। यह प्रस्ताव 14.2.2000 से लंबित है और माननीय वित्त मंत्री को 11.6.2002 को आखिरी अनुस्मारक भी भेजा गया था।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि अर्ध कुशल और अकुशल स्व रोजगार व्यक्तियों की अधिक संख्या विद्युतकरघा क्षेत्र, वस्त्र प्रसंस्करण इकाईयों और सिलेसिलाये वस्त्र निर्माण इकाईयों में अपना जीवननिर्वाह कर रहे हैं।

हमारे देश में एक आंकलन के अनुसार, 18 लाख से अधिक विद्युत करघा है और 6.7 करोड़ से अधिक श्रमिक इस क्षेत्र में अपनी जीविका कमा रहे है।

महोदय, एक करोड़ रुपये से नीचे के लघु उद्योग, इकाईयों को उत्पाद शुल्क से छूट की वापिसी के कारण विद्युतकरघा — वस्त्र प्रसंस्करण और सिलेसिलाये वस्त्र निर्माण इकाईयों से जुड़े ये सभी स्व-नियोजित व्यक्ति और श्रमिक अपने उत्पादन को बंद करने के लिये बाध्य थे और वे बेरोजगार हो गये। इस प्रकार के कई व्यक्तियों ने बंद और हड़ताल आदि द्वारा अपना विरोध जताया है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से विद्युत करघा — वस्त्र प्रसंस्करण इकाईयों और सिलेसिलाये वस्त्र निर्माण इकाईयों, में लगे इन छोटे स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा ली जा रही इस छूट की वापिस को पुनः बहाल करने के लिये तत्काल अनुरोध करता हूं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सन् 2003-04 के वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। नासिक जिले में तिरम्बाकेश्वर में जुलाई में सिद्धहस्त मेला होने वाला है। भारत सरकार ने उसके लिए शत-प्रतिशत रकम देने का वादा किया है। 50 प्रतिशत रकम तो दे दी है, बकाया रकम जल्द से जल्द देने की मैं सरकार से मांग करता हूं।

महोदय, गन्ना किसान पूरे देश में संकट में हैं। इस बारे में सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए और उनको आर्थिक मदद करनी चाहिए। मंत्री जी ने घोषणा की थी कि वे सहकारी संस्थाओं के कर्ज पर जो ब्याज है, उसमें छूट देंगे। वह जल्द से जल्द दी जानी चाहिए। इसी तरह से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में फसल बीमा योजना लागू नहीं हुई है। इससे किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है और वे अनशन कर रहे हैं। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाया जाए।

पावरलूम के बारे में सदन में काफी चर्चा हुई है। उस पर जो कर लगाया गया है, उसको वापस लेना चाहिए। देश में आदिम जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी 12 प्रतिशत है। लेकिन बजट में उनके लिए एक प्रतिशत भी नहीं रखा जाता। मेरी विनती है कि इस वर्ग के लिए 12 प्रतिशत राशि बजट में दी जानी चाहिए। रेडीमेड कपड़ों पर सरकार ने ड्यूटी लगाई है। यह ड्यूटी वापस लेनी चाहिए।

महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा है। राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि केन्द्र को ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए, जिससे अकाल से निपटा जा सके। हमारे क्षेत्र में नारपार योजना है। केन्द्र सरकार अगर इसके लिए राशि मुहैया करा दे, तो हमारे यहां की 12 तहसीलों में पीने के पानी की और सिंचाई की भी व्यवस्था हो जाएगी।

केन्द्र सरकार राज्यों को कई योजनाओं के लिए पैसा देती है, जिसमें कुछ योगदान राज्य सरकार को भी करना होता है। लेकिन कई राज्यों की आर्थिक हालत सही नहीं है इसलिए वह अपने हिस्से को योगदान नहीं दे पाती। इसकी वजह से केन्द्र का पैसा खर्च नहीं हो पाता और वह वापस यहां आ जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि केन्द्र को शत-प्रतिशत पैसा देकर मदद करनी चाहिए। नरपाणिपुरवठा योजना है, उसमें आदिम जाति के लोगों से दस प्रतिशत कर लिया जाता है। मेरी विनती है कि इस कर को समाप्त करना चाहिए।

*श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट में वृहत आर्थिक मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिये। परन्तु सभी प्रजातंत्रों में, तरह-तरह के दवाबों के कारण इसमें अधिकांशत: बाबुओं द्वारा समस्टिगत आर्थिक स्थिति की कसरत की जाती है जिसका लक्ष्य बहुत ही छोटी बातों पर रहता है।

यह कहा गया है कि बजट को बनाना एक तरफ बैल और दूसरी तरफ भैंसे को जोतकर गाड़ी चलाने जैसा है; बैल सूखी भूमि की ओर खींचता है और भैंसा गीले की ओर। यदि हम वृद्धि दर को 8% तक बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एक अन्य मौलिक परिवर्तन करना चाहिये। हमें असफलताओं को आधार नहीं बनाना चाहिये। और योग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना शुरू करना चाहिये।

कुछ एक संसाधनों के होने की बजाए बहुत सारी कृत्रिम बाधायें धीमी गति का कारण थीं। उदाहरण के लिये, हमारे पास काफी अनाज है और अभी भी कई गांवों में भुखमरी है क्योंकि उनके पास काम नहीं है और उनकी क्रय शक्ति नहीं है।

उसी तरह न्यूयार्क की उन्श्रृंखल स्थिति की तरह न होकर, हमें देश में मात्र 0.2% भूमि की आवश्यकता होगी। अभी भी हमारे अधिकतर शहरी निवासी भयंकर गंदी बस्तियों में रहने के लिये बाध्य है जो ये बस्तियों न्यूयार्क से 10-20 गुना, अधिक भीड़ भाड़ वाली है, क्योंकि उन्हें छोटे शहरों में काम नहीं मिलता जहां पर अपनी पहुंच के भीतर घर मिल जाते हैं।

इसी तरह, हमारे बैंकों के पास बहुत रुपये हैं – रुपये और विदेशी मुद्रा, दोनों हैं – परन्तु इस रुपये को लेने वाला कोई नहीं है क्योंकि उद्यमी नये उद्यम शुरू करने में समस्या का सामना करते हैं। यद्यपि हमारे पास सिविल सेवकों की फौज है, परन्तु जो सेवायें नागरिकों को मिलती है वह निम्नस्तर की हैं।

संसाधनों के आबंटन मे ये सब कमियां है। वर्तमान व्यवस्था न केवल आर्थिक प्रगति को धीमा करती है, अपितु लोगों को गुस्सा भी दिलाती है। जब तक कि वित्त और प्रशासन की वर्तमान संस्कृति को बदलने की इच्छा न हो, हम 8% वृद्धि के सपने को साकार नहीं कर सकते। मौजूदा कमियां गलत नीतियों का परिणाम है।

चालू रोजगार योजनायें नौकरियां पैदा नहीं करती, ये योजनायें केवल धन बर्बाद करती हैं। गंदी बस्तियों को राज सहायता देने से और अधिक मकान नहीं बनते; इससे मकान और अधिक खराब बनते हैं और खर्चीले हो जाते हैं।

कठोर श्रम कानून सुरक्षित नौकरी की गारंटी नहीं देते, इसके परिणामस्वरूप केवल रोजगार में कमी आती है। सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि से नागरिकों को कोई मदद नहीं मिलती; इससे केवल विकास की गति धीमी होती है। वित्त मंत्री ये सब कमियां स्वयं कम कर सकते हैं। यद्यपि वे इसे पूरी तरह नहीं कर सकते, परन्तु जो करेंगे, वह महत्वपूर्ण होगा।

अब मैं माननीय वित्त मंत्री के समक्ष कुछ मुद्दों को संक्षेप में रखता हं।

मेरा प्रथम विषय रोजगार है। उदाहरण के लिये, नौकरी ढूढने वालों को राज सहायता देने की बजाए, यदि हम नियोक्ताओं को राज सहायता दें, तो इसके दो लाभ हैं।

एक, विभिन्न रोजगार योजनाओं की तरह, जिसमें नौकरी के मिलने से पहले राज सहायता की पेशकश होती है, यह आर्थिक सहायता केवल नौकरी के उत्पन्न होने के पश्चात् ही मिलती है। अत: इसका दुरूपयोग होने की कम संभावना है।

दो, यह राज सहायता बेहतर उत्पाद-शुल्क में मिलने वाली छूट से बेहतर रहेगी जो वर्तमान में छोटे उद्योगों को कार्य के रूप म उपलब्ध कराई जा रही है। उत्पाद-शुल्क की छूट से छोटे व्यापारी छोटे बने रहने के लिए मजबूर है। कर में जो राज सहायता मिलती

*लिखित भाषण सभापटल पर रखा गया।

[श्री भर्तृहरि महताब]

है और नये रोजगार पर वह, उससे व्यापारियों के लिए आगे बढने की कोई सीमा नहीं है, जब तक कि वेतन काफी अधिक न हो यदि वेतनों में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है तो कर लाभों में धीरे-धीरे कमी होती है; यह एकाएक कम नहीं होता। जैसा कि उत्पाद शुल्क में छूट से होता है।

मेरा दूसरा मुद्दा आवास है। अगली बात शहरी आवास की समस्या से संबंधित है। अब यह तो सभी जानते हैं कि यह खरीदने के बाद व्यक्ति की आर्थिक अवस्था और मनोवैज्ञानिक व्यवहार बेहतर होने लग जाते हैं। आवास उद्योग में अकुशल श्रमिकों के लिये भी अत्यधिक रोजगार के काफी अवसर होते हैं। अत: यह एक अनुशासित राज्य व्यवस्था में आवास निर्माण महत्वपूर्ण क्षेत्र होना चाहिये। हमने खर्चीले शहरों में आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करके आवासीय उद्योग को वास्तव में रोक दिया है। इस मामले में कर्मचारी भीड़-भाड़ वाले शहरों में कई वास्तविक बाह्य परिस्थितियों का लाभ उठते हैं और इसीलिए वे सामाजिक रूप से उत्कृष्ट जगहों पर स्थानान्तरित नहीं होंगे।

इसका उत्तर संकुलता कर है। कारों पर संकुलता कर लगाने से यातायात की भीड़ कम हो जाती है।

निवारक कर लगाया जाना चाहिये। जिसमें हाईप्लोर स्पेस शामिल है।

मेरा तीसरी और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात श्रम है। राजनैतिक रूप से, हमारे श्रमिकों को मिली सुरक्षा की पूरी तरह से समीक्षा करना असंभव है।

अवांधित श्रमिकों के अत्यधिक संख्या है जिसके कारण हम बेरोजगारी बीमे को वहन नहीं कर सकते। जैसा कि अर्थव्यवस्था में अत्यधिक तेजी से वृद्धि हो रही है समस्या नये रोजगार के नये क्षेत्र में नहीं है परन्तु विकास के नये क्षेत्रों में फालतू श्रमिकों की बेरोजगारी की समस्या है।

सरकार के लिये सही हल यह है कि श्रमिकों को नई जानकारी से अवगत होने के लिए उन्हें आकर्षित किया जाये और वे ठेके पर नौकरियां चुने।

उदाहरण के लिये, केवल उन व्यक्तियों, जो कि अस्थायी नौकरियां कर रहे हैं की समस्त बचतों पर कर वसूला जाये परन्तु उन व्यक्तियों की नहीं जो स्थायी नौकरियों पर है। सरकार उन व्यक्तियों जो नई कुशलता हासिल करते हैं, के लिये बेरोजगार बीमे की पेशकश कर सकती है। ऐसे कर्मचारियों के मामले में, भले ही उनकी वर्त्तमान नौकरी असामयिक हो गया हो, परन्तु उनकी कुशलता नहीं। वे रोजगार बनी रहेगे। केवल इस प्रकार के व्यक्तियों के लिये बेरोजगार बीमा प्रदान किया जा सकेगा। वर्तमान बीमा प्रदान किया जा सकेगा। वर्तमान प्रणाली डरपोक और उद्यमशील दोनों को एक जैसा देखती है; इस योजना से दोनों को मदद मिलेगी, परन्तु भिन्न-भिन्न रूप से।

डरपोक लोग स्थायी रोजगार चुन सकते हैं और सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं परन्तु छोटी टेक होम पे (अथवा कम बचतों) में कुशलता टिकाऊ है और अवसर भी टिकाऊ हैं।

उद्यमशील लोग जोखिम भरे ठेका नियुक्तियां चुनते हैं परन्तु वे उनकी कुशलता हमेशा ही मूल्यावान और गतिशील होती है। जिनमें जिनमें तेजी से प्रगति करने के अवसर प्राप्त होते हैं। उनके पास राज के सहायता प्राप्त बेरोजगार बीमे के लाभ भी होंगे।

अब मैं ऋण के बारे में कहता हूं। जो विसंगतियां हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है, उनसे अवांटित ऋण से उत्पन्न होने वाली अनोखी स्थिति सब से अधिक कलेशस्कुर है। ये सब उद्यमियों द्वारा नये उद्यम शुरू करने की अनिच्छा के कारण है। यहां पर, कमजोर शासन की वास्तविक बाधा है।

वर्तमान में, सभी सरकारी संस्थान घाटे की वित्त व्यवस्था के सिद्धान्त पर कार्य करते हैं। जिसमें सरकार आय से अधिक सभी खर्चों को पूर्ण रूप से पूरा करने का जिम्मा लेती है। क्योंकि यह सभी खर्चों, प्रत्याशित और अप्रत्याशित को पूरा करने की गारंटी देती है। जो भी आय अर्जित की गई हो वित्त मंत्रालय अपने आपको उसके अनुकूल बना लेता है।

घाटे की वित्त व्यवस्था अल्पाहार के समान है। यह सरकारी संस्थानों को नये राजस्व उत्पन्न करने से हतोत्साहित करती है क्योंकि वह सब कुछ ले जाती है। यह अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित नहीं करती क्योंकि यह समस्त व्यय की, चाहे अच्छे अथवा बुरे हो, गारंटी लेती है।

एक अच्छा विकल्प ब्लाक ग्रांट है। हमें 8% वृद्धि पाने के लिये मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है – विशेषकर उस तरीके में परिवर्तन जैसा कि हम बजट में राज सहायता और कर में करते हैं। राज सहायता अपनी आप में कोई समस्या नहीं है। गलत रूपरेखा, गलत लक्ष्य, बेइमानी से कार्यान्वित की जाने वाली राज सहायता समस्या है।

उदाहरण के लिये, ग्रामीण रोजगार में जो राज सहायता दी जाती है। उसका निशाना नाकामयाबों की ओर है। छोटे कारोबारों के लिये उत्पाद शुल्क ने जो छूट दी जाती है, वह केवल छोटे होने के नाते दी जाती है। इसकी बजाए, नियोक्ताओं को कर्मचारियों की संख्या पर आधारित जो राज सहायता दी जाती है, उससे किफायत होती है तथा नौकरियां पैदा करने की क्षमता पैदा होती है।

बेरोजगार बीमा उन लोगों को अपनी नौकरियां बचाये रखने में सहायक होती, जो नाकामयाब रहते हैं। प्रशिक्षण में राज सहायता और बीमा उन लोगों के लिए है, जो ठेके पर नौकरियां करते हैं। ईमानदारी से कार्य करते हैं तथा जोखिम उठाते हैं, उसी तरह, संकुलता कर उन लोगों पर अर्थदण्ड है जो सामाजिक दृष्टि से गैर जिम्मेदार हैं।

अब मैं सबसे अधिक दुखदायक भाग पर आता हूं। वह मूल्य वर्धित कर (वैट) है। मैं माननीय वित्त मंत्री को वित्त विधेयक बनाते समय वैट के फायदों को विस्तार से बताने के लिये खुला विचार रखने के लिए बधाई दूंगा।

1 अप्रैल, को आरम्भ वैट किया जाना था परन्तु यह नहीं हो सका क्योंकि राज्य सरकारें और कार्यकारी ऐजेन्सियां अपना आरंभिक कार्य करने में विफल रही है। 'वैट' एक महत्वपूर्ण प्रयास और प्रगतिशील आधुनिक कर है।

अत:, जब वह कहते हैं कि व्यापार और उद्योग बंद नहीं होने चाहिये यह सोचते हुये कि वैट एक ''परेशानी बटाने वाला कर'' है क्योंकि राज्य सरकारें अपना होमवर्क उचित ढंग से नहीं करती है। यह सभा उनकी बात को ध्यान से सुने। मूल्य वर्द्धित कर ('वैट') को क्रियान्वित करने के मामले पर राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई पर सरकार की धीमी चाल से चलने के निर्णय के पीछे विरोध करने वाले व्यापारिक समुदाय द्वारा किए गए कोलाहल का परिणाम लगता है। विश्व के एक सौ से ज्यादा देशों द्वारा स्वीकृत वैट एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी वस्तुत के प्रत्येक मूल्य वृद्धि के चरणों पर कर लगाया जाता है और उन सभी लोगों द्वारा संग्रहित किया जाता है जो इसके लिए उत्तरदायी है और सरकार के पास जमा किया जाता है।

इस प्रकार यह वर्तमान बिक्री कर से भिन्न है जिसमें कर एक ही बार लगाया जाता है और संग्रहित तथा जमा किया जाता है।

यद्यपि सरकार का दावा है कि 'वैट' कर तंत्र को और विस्तृत करेगा और प्रक्रिया को सरल बनाएगा लेकिन इसके विरोधी व्यापारियों का विचार है कि 'वैट' एक जटिल प्रणाली है जो हमारे विशाल देश के लिए उपयुक्त नहीं है।

हम लाइसेंस-कोटा-अनुमति राज को समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं : इसके अतिरिक्त प्रशासन द्वारा परेशान करने का एक अन्य साधन है – इंस्पेक्टर राज, जिससे व्यापारी और निर्माता वास्तव में मुक्ति चाहते हैं। उनको भय है कि 'वैट' प्रणाली इंस्पैक्टर राज को मजबूत होने से रोकेगा क्योंकि संग्रह केन्द्रों की संख्या बढ़ जाएगी।

यद्यपि विधेयक संबंधी संकल्प मजबूत हुआ है फिर भी क्रियान्वयन और निष्पादन में मेल नहीं है। दुर्भाग्यवस एक महत्वपूर्ण आर्थिक विधायक को वापस ले लिया गया है जिसका एक मात्र कारण है अलग-अलग राज्यों में विद्यमान राजनैतिक स्थिति। अल्पकालिक चुनावी लाभ के लिए दीर्घकालिक विवेकपूर्ण फैसले को त्याग दिया गया है। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण ढांचागत सुधार से राष्ट्र को वंचित कर दिया गया है। निहित स्वार्थों के प्रभाव से एक पूरी तरह सही नीति जो एक समान, सरल और पारदर्शी थी, को उन लोगों के बुरे इरादों के तहत छेड़ दिया गया है जिन पर इस नई कर व्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला था।

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित और मुखर कर से बचने वाले लोग ही हैं क्योंकि कर अदायगी से बचना उनकी जीवन शैली हो गयी है।

केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से एक जुट होकर प्रभावशाली प्रयास की आवश्यकता है अन्यथा व्यापारी वर्ग सरकार और उपभोक्ता दोनों को ऐसे ही अपने इशारों पर नचाते रहेंगे।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गरीबी योजना को आज मान्यता दिए जाने की संभावना है।

प्रधान मंत्री अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत गरीबी उपशमन के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 509.97 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय।

अन्य 50 लाख निराश्रितों को अंत्योदय योजना के अंतर्गत बढ़े हुए लाभ प्रदान करना। इसके अंतर्गत आने वाले परिवारों की संख्या को बढ़ाकर 12.5 मिलियन करना। योजना 9 दिसम्बर, 2000 से शुरू हुई, यह गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की पहचान करती है। ये परिवार पी०डी०एस० योजना के अंतर्गत सस्ती दर पर अर्थात् 3 रु० प्रति किलो चावल और 2 रुपये प्रति किलो गेहूं पाने के पात्र हैं। इस योजना को पूरा समर्थन दिया जाना चाहिए। मैं अपने इस कथन के साथ समाप्त करता हूं कि मेरी पार्टी के तरफ से मैं इस वित्त विधेयक, 2003 का पूरा समर्थन करता हूं।

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन मैं दु:खी हूं कि इस बात के बावजूद कि सरकार ने इस ऐतिहासिक रूप से पिछड़े क्षेत्र को उच्च विकास मार्ग पर लाने की बात कही थी, माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए वित्त विधेयक में इस पूर्वोत्तर क्षेत्र की बड़ी निष्ठुरता से अलग-थलग कर दिया गया है।

लगातार तीन प्रधानमंत्रियों – नामत: श्री एच०डी० देव गौड़ा, श्री आई०के० गुजराल और श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहल पर प्रस्तावों और ठोस कदमों की एक श्रृंखला इस पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई थी।

[श्री विजय हान्दिक]

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए औद्योगिक नीति 1997 बिल्कुल परे है और अद्वितीय है और इस अर्थ में इसकी पहुंच से बाहर होने और संचार माध्यम और दूरी के हिसाब से यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की पहुंच से दूर है। इस विषमता को इस वित्त विधेयक के माध्यम से दूर किया जाना चाहिए।

महोदय हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल जैसे पिछड़े राज्यों को इसी प्रकार के लाभ दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही पूर्वोत्तर के संदर्भ में पहले से ही स्वीकृत इन विशेष प्रोत्साहनों को सुरक्षा और संरक्षण देने के लिए पर्याप्त सोच और सावधानी होनी चाहिए ताकि पूर्वोत्तर की ओर निवेश के प्रवाह को संरक्षण दिया जा सके। एक बार यदि यह विशेष प्रोत्साहन उन क्षेत्रों को दिया संचार के नजरिए से अच्छा है और जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार केन्द्र के नजदीक स्थित है, तो फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई निवेशक नहीं आएगा। इसलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र पीछे छूट जाएगा और हताशा निराशा और अविश्वास तथा समय का और अवसर के अभाव और वायदे और संभावनाओं के अभाव के अलावा और कुछ नहीं बचेगा।

दूसरा मुद्दा उत्पाद शुल्क का है। बोंगाई गांव और पी०एम०एफ० व्यवसाय को दी दिए गए उत्पाद शुल्क को वापस ले लिया गया है देखे विधेयक का अनुसूची 9 के साथ पठित खंड सं० 146(1)। लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि क्यों और कैसे, 3 जनवरी, 2003 को दिया गया पूरा उत्पाद शुल्क लाभ तीन माह के अंदर ही वापस ले लिया गया। पेट्रो केमिकल्स और पी०एस०एफ० व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के सारे प्रयास, जिसका प्रचालन अक्टूबर, 2001 से स्थगित था, सभी प्रारंभिक निवेश और तेयारियां अब प्रारंभ में ही खत्म कर दी गई है। जिसेस इस लोकप्रिय आकांक्षा को गहरा आघात और धक्का लगा है।

महोदय यही स्थिति नुमालीगढ़ तेलशोधन-शाला की भी है। माननीय प्रधान मंत्री की ओर से, एक विशेष मामले के रूप में, जून, 1999 में शत-प्रतिशत केन्द्रीय शुल्क माफ कर दिया गया था। ताकि केवल एक मात्र तेलशोधन-शाला कार्यरत रहे और फले फूले। लेकिन तभी बिना किसी वैध कारण के 18 महीने के अंदर ही कुल केन्द्रीय शुल्क के लाभ का 50 प्रतिशत कम कर दिया गया। मैं माननीय वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह, से सुनना चाहूंगा कि यह 50 प्रतिशत की जो कटौती की गई है उसे पुन: कब बहाल किया जाएगा। लेकिन अब लगता है कि प्रधान मंत्री जी छूट देते हैं और वित्त मंत्री जी उस छूट को वापस ले लेते हैं।

महोदय अब मेरा अंतिम सवाल है। जो आश्चर्यजनक बात है यह है कि जहां सरकार की सहानुभूति की अति आवश्यकता है – मेरा मतलब चाय से है – इस संकट से जुझ रहे उद्योग को बचाने के लिए कोई गंभीर चिंतन नहीं किया गया है। असम की अर्थव्यवस्था चाय पर निर्भर है। इस उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया है। 30,000 से अधिक नए छोटे चाय उत्पादकों की मदद के लिए कुछ भी नहीं किया गया है जिस उद्योग पर एक लाख से ज्यादा परिवार आश्रित हैं। इस उद्योग के लिए यह तीसरा संकट वर्ष है जब कि कुछ नहीं किया गया है।

इसलिए महोदय, जब तक इन नए प्रस्तावों को समाप्त कर यथा स्थिति को बहाल करने के लिए तात्कालिक समाधान वाले कदम नहीं उठए जाते, वित्त मंत्री महोदय – भूखों के पेट को अन्न देने के बजाए – कि उनका बजट का उद्देश्य है, ''भूखों को भोजन देना तथा कर प्रस्तावों के कल्याण में अधिक पैसा देना'' – मुझे डर है कि वे पूर्वोत्तर के लोगों के भूखे पेट पर केवल लात ही मारेंगे।

लेकिन मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इन सारी बातों पर पुन: विचार करेंगे और पूर्वोत्तर के लोगों के साथ न्याय करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री को देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयासों के लिये बधाई देते हुये, जिसमें आम आदमी को सबसे कम समस्यायें हैं, मैं माननीय वित्त के विचारार्थ कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं। मैं मात्र 2 या 3 मुद्दे रखूंगा।

एक मुद्दा तो गरीबों को ऋणों से मुक्ति दिलाने का है। पहले ही कुछ योजनायें घोषित की गयी हैं। 25,000 तक एक मुश्त भुगतान की एक स्कीम है जिस पर ब्याज की पूरी छूट है। यह बहुत अच्छा कदम है। इसी तरह किसानों के लिये 50,000 तक की एकमुश्त भुगतान की योजना घोषित की गयी है। बहुत से छोटे किसान के दल विशेषकर मेरे राज्य केरल में, सहकारी बैंकों के पास पहुंचे हैं। अत: मेरा निवेदन यह है कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रीयकृत और अनुसूचित बैंकों के मामले में किया है सहकारी बैंकों के लिये भी कुछ निधि अथवा कुछ किया जाना चाहिये जिससे उन्हें इन बैंकों के बराबर लाया जा सके। हम सहकारी बैंकों को नहीं कह सकते कि वह सारा ब्याज माफ कर दें क्योंकि यहां छोटे किसानों के छोटे ऋण या छोटे जमा खाते हैं तथा वे इस घाटे को वहन नहीं कर सकते। अत: ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं, ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अथवा किसी अन्य एजेंसी जिसके द्वारा दी जानी चाहिये मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि यह सुविधा सहकारी बैंकों से ऋण लेने वालों को भी दी जानी चाहिए।

दूसरा मुद्दा सेवा कर के बारे में है जिसे चर्चों के पैरिश हाल पर लगाया गया है। हम इसे मन्दिरों में ऊटट्पुरा कहते हैं। यह छोटा

सा हाल है। इसे मुख्य रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिये और कभी शादियों जैसी छोटी पार्टियों के लिये उपयोग में लाया जाता है। इसे मदरसों के लिये भी प्रयोग किया जाता है। इसमें छोटे-छोटे हाल भी है। इनको लाभ कमाने वाली एजेंसियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी तरह से इन पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये। परन्तु दुर्भाग्यवश से आयकर अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं। कि यह सेवा कर प्रणाली के अन्तर्गत आती है। इसलिये मैंने यह मामला पहले ही माननीय मंत्री जी के ध्यान में ला दिया है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये और मेरा यह निवेदन है कि इसे स्पष्ट किया जाये और यदि आवश्यक हो तो इसे वापिस लिया जाये।

मेरा निष्कर्षात्मक मुद्दा आपके निर्वाचन क्षेत्र के बारे में हैं। केरल, तमिलनाडु और देश के अन्य भागों से खूबसूरत लक्ष्यद्वीप के निर्वाचन क्षेत्रों में नारियल की खेती की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं लक्षद्वीप के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता।

श्री पी०सी० थामस : नारियल की खेती के अच्छे पहलुओं से ही किसानों की सहायता की जा सकती है। काफी संघर्ष के पश्चात् अब इण्डियन एयरलाइन्स और अन्य एयरलाइन्स अब नारियल पानी को भी अपनी सेवाओं में सम्मिलित कर रहे हैं। इसे रेलगाड़ियों, स्टेशनों और अन्य सभी स्थानों पर भी लागू किया जा सकता है। हम नारियल के अच्छे पहलुओं का प्रचार भी कर सकते हैं। एक उक्ति भी है कि नारियल के प्रयोग से 56 उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। यह कोई छोटा कथन नहीं है। लगभग 56 उद्योगों में नारियल विकास बोर्ड द्वारा वित्तपोषण और तकनीकी सहायता देने की सुविधा प्रदान की गयी है।

अन्त में, मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि श्री फ्रांसिस जार्ज ने काली मिर्च के बारे में पहले ही पर्याप्त उल्लेख किया है। परन्तु मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। जहां तक काली मिर्च का संबंध है, एक समस्या आयात शुल्क के बारे में है। नि:सन्देह यह वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। परन्तु दूसरी समस्या यह है कि यह 'सार्क देशों के द्विपक्षीय समझौते के तत्वाधान के अन्तर्गत है। श्रीलंका से काली मिर्च का आयात बिना शुल्क के किया जा सकता है जबकि अन्यथा 70% शुल्क देना पड़ता है। अत: वियतवान और कुछ अन्य देश कम गुणवत्ता वाली काली मिर्च खरीद रहे हैं और वे इसे यहां ला रहे हैं। वास्तव में यह कालाबाजारी है। अत: यदि वित्त मंत्रालय और राजस्व आसूचना विभाग को उत्तरदायी ठहराया जाये तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसे रोका जा सकता है। यह काली मिर्च और बड़ी इलायची दोनों के बारे में सच है जिसे नेपाल से और गबाटेमाला से कोलकाता लाई जा रही है। अत: यह एक अतिरिक्त मुद्दा है।

जिस अन्य मुद्दे का उन्होंने पहले उल्लेख किया है वह पौधारोपण के बारे में है जो कि विशेषकर केरल में पाया जाता है। मैं खुद भी इससे जुड़ा हुआ हूं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे पहले ही अनुरोध करता हूं कि आप मुझे कुछ समय की मोहलत प्रदान करें ताकि मैं समय समाप्त होने से पहले ही अपना भाषण समाप्त कर लूं। मुझे इस बात का पूरा पता है कि समयाभाव है, इसलिए मैं यह अनुरोध कर रहा हूं। अतएव मैं मात्र एक दो सुझावों तक ही अपने आपको सीमित रखूंगा।

मेरा पहला सुझाव मेरे विभाग के बारे में है जिसमें मैंने 37 वर्ष तक काम किया अर्थात आयकर विभाग। मेरा दूसरा सुझाव मेरे निर्वाचन क्षेत्र पाटन के बारे में है जो कि उत्तरी गुजरात में स्थित है। मेरा तीसरा सुझाव अपने राज्य गुजरात के बारे में है। मेरा चौथा सुझाव, मेरे अपने समुदाय के बारे में है जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में है। अन्त में मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 'वैट' और 'सैनवैट' के बारे में सुझाव दूंगा, जिन पर वित्त मंत्री ने इस वर्ष शुल्क लगाये हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह मेरे इस अनुरोध और सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

सायं 7.00 बजे

माननीय वित्त मंत्री ने, बजट प्रस्तुत करते हुए श्री एडमंड बुर्के को उद्धृत किया। यह उद्धरण वर्ष 1773 का है अर्थात 200 वर्ष से भी अधिक पुराना है। मैं भारतीय मानव संसाधन विकास रिपोर्ट को उद्धृत कर रहा हूं जिसे नेशनल काउंसिल ऑक एप्लाइड एकॉनामिक रिसर्च (राष्ट्रीय एप्लाइड आर्थिक अनुसंधान परिषद्) ने तैयार किया है। इसे 4 वर्षों के अध्ययन के पश्चात प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है उसे मैं उद्धृत करता हूं : ''सभी विकासात्मक प्रयासों का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के समुचित विकास स्तर को बढ़ाना है। परम्परागत रूप से प्रति व्यक्ति आय के आर्थिक कल्याण का मुख्य सारांश सूचक माना जाता था। हाल ही के वर्षों में इस पर बार-बार प्रश्न उठने शुरू हो गये हैं।''

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये समय बढ़ाया जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हां, हमारे दो माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार प्रकट करने हैं। हमें इसे पूरा करने में 15 मिनट का समय और लगेगा। क्या यह सभा को मान्य है कि हम सभा के समय को 15 मिनट तक और बढ़ा दें?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय हम इसे 7.30 बजे तक बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम इसे 7.30 बजे तक बढ़ा देते हैं। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है :–

भारत के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न विविधताएं हैं ।

"सामाजिक समूहों में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की आय सबसे कम है और ग्रामीण भारत में उनका सबसे कम मानवीय विकास हुआ है। पिछले आधे दशक के दौरान राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की चिरस्थायी निर्धनता के जाल में फंसे रहने की समस्या से बाहर निकलने में सहायता नहीं की है। ग्रामीण विकास स्तर का आय और मानवीय विकास पर सीधा प्रभाव

सरकार को यह भी सुझाव दिया गया है कि साक्षरता, शिक्षण, स्वास्थ्य और दीर्घायु होना रोजगार और रोजगार सुरक्षा तथा सरकारी कार्यक्रमों तक पहंच के क्षेत्रों के संबंध में कुछ किया जाना चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र, पाटन को 4 वर्ष पहले एक सीमावर्ती जिला घोषित किया गया था। हम सभी सीमावर्ती जिले के महत्व को जानते हैं इसमें अच्छी सड़के नहीं है, यहां पर रेलगाड़ी की व्यवस्था नहीं है, अत: यहां पर अच्छी सामाजिक सुविधायें इत्यादि नहीं होगी। सीमावर्ती क्षेत्र कच्छ क्षेत्र में शन के निकट खुला है और इस तरफ से कोई भी पाकिस्तान जा सकता है और पाकिस्तान से भारत आ सकता है।

मैंने देश के उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से अनुरोध किया था कि वे पर्याप्त सुविधायें प्रदान करें परन्तु यह अभी तक नहीं किया जा रहा क्योंकि कोई निधि नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह पाटन के सीमावर्ती जिले को कम से कम 10 करोड़ रुपये की निधि प्रदान करे जो कि सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा के लिये अति अनिवार्य है।

एक और समस्या है। वैट नामक कर दुग्ध पदार्थों पर 12.5 प्रतिशत की दर से, पशु चारे पर 4% की दर से और दुग्ध पाऊडर पर 4% की दर से लगाया जाएगा। जब दूध पर कोई वैट नहीं होगा तो दुग्ध पाऊडर पर कैसे वैट हो सकता है। दुग्ध पाऊडर सुखाया हुआ दूध ही है। किसी तरह से यह गलती हो गई है। सूखे दूध (मिल्क पाऊडर) पर कर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि हम दूध पर कर शुल्क नहीं लगा रहे हैं। कुछ पदार्थों में हम घी पर कर लगाते हैं। इस देश में घी का प्रयोग कौन कर रहा है।

[अनुवाद]

कैडबरी चॉकलेट, मक्खन तथा पनीर शहर में रहने वाले लोगों की मनपसंद वस्तु है मैं इन पर मूल्य संवर्धित कर लगाने की कल्पना तो कर सकता हूं परन्तु घी पर यह कर लगाने की बात सोच भी नहीं सकता जिसे भारत की ग्रामीण जनता उपयोग करती है। एक आंकड़े के अनुसार, घी का 65% उपभोग केवल गांवों में होता है और हम घी पर 12.5% मूल्य संवर्धित कर लगाने जा रहे हैं। मैं नेशनल को ऑपरेटिव डेरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 26 मार्च 2003 की प्राप्त ज्ञापन की ओर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि दुग्ध उत्पादों पर 12.5% मूल्य संवर्धित कर को 4 प्रतिशत किया जाना चाहिए। पशु-चारे तथा दुग्ध पाउडर पर मूल्य संवर्धित कर लगाने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस संबंध में कुछ करने का अनुरोध करूंगा।

श्री पी०एस० गढ़वी, श्री हरिभाई चौधरी यहां बैठे हुए हैं; वे यह भी जानते हैं कि समूचा पाटन, बानसकांठा, साबरकांठा, मेहसाना क्षेत्र तथा सौराष्ट्र के अन्य जिले डेरी से आय पर ही निर्भर है। डेरी उद्योग में कौन नियोजित हैं? 2-4 भैंसों के साथ वे महिलाएं हैं; वे इनकी आपूर्ति उन्हें करते हैं मुझे छोटी सहकारी डेरियों से हजारों पत्र प्राप्त हुए हैं। वे सभी चिंतित हैं।

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : कृपया एक मिनट के लिए मुझे इसका स्पष्टीकरण देने दें। माननीय सदस्य शुरू किए जा रहे मूल्य संवर्धित कर के संबंध में लगाए जाने वाले दर का उल्लेख कर रहे हैं। वर्तमान में कोई मूल्य संवर्धित कर नहीं है; इसलिए, कोई कर नहीं है। अतएव, यह भय निराधार है क्योंकि इस तरह का कोई कर नहीं है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : अब मैं गुजरात की स्थिति के संबंध में विशिष्ट मुद्दों पर आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपालजी, आपने पहले ही छह मिनट लिये है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : सरकार के बजट ने अवसंरचना के लिए योजना का प्रावधान किया है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि हमारे देश में, ये वित्त मंत्री या पूर्ववर्ती सरकारों के वित्त मंत्री हों, जब सरकार अवसंरचना प्रदान करने की सोचती है, यह केवल दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा अन्य बड़े महानगरों के विषय में सोचती

है। हवाई अड्डों के विकास के लिए आपने केवल मुम्बई तथा दिल्ली का चयन किया है। समुद्री-पत्तनों के विकास के लिए आपने केवल मुम्बई तथा दिल्ली का चयन किया है। अतएव, हवाई अड्डा तथा समुद्री पत्तन दोनों के विकाश हेतु मुम्बई का चयन किया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे सूरत का हवाई अड्डे के रूप में चयन करें जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा सकता है। यह मुम्बई पर भार को कम करेगा। सूरत हवाई अड्डे को विकसित क्यों नहीं किया जा सकता है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि भावनगर पत्तन को जिसके द्वारपर 120 साल का पुराना ताला लगा है तथा जो समूचे एशिया में पहला था, को क्यों विकसित नहीं किया जा सकता। हमारे देश में भावनगर एकमात्र पत्तन है जहां ताला द्वार है। एक जहाज जो दूसरी तरफ एकबार चला जाता है, वह 15 दिन तक वहां प्रतीक्षा कर सकता है। फिर भी कोई परीक्षण नहीं है। सरकार छोटे पत्तनों को विकसित करने के लिए चिंतित नहीं है लेकिन केवल उन्हीं पत्तनों को विकसित कर सकती है जो पहले से विकसित है। मेरा इससे कोई विरोध नहीं है लेकिन मेरा एकमात्र अनुरोध है कि गुजरात को भावनगर पत्तन एवं सूरत हवाई अड्डे विकसित करने का एक अवसर भी दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ, रेलवे में, बड़ी लाइन आमान परिवर्तन परियोजनाओं को धनराशि नहीं दी गई है जिसके परिणामस्वरूप, गुजरात में आमान परिवर्तन के कई कार्य लंबित हैं।

अहमदाबाद में राष्ट्रीय बचत संगठन का एक कार्यालय था। हाल में अहमदाबाद में यह कार्यालय बन्द कर दिया गया है। उत्तरी भारत में चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली तथा लखनऊ में सरकार ने चार कार्यालयों का प्रावधान किया है तथा अहमदाबाद में कार्यालय बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय बचत संगठन में गुजरात की क्या भूमिका है? मेरे पास सरकारी आंकड़ें हैं। राष्ट्रीय बचत संगठन में हम हमेशा द्वितीय या तृतीय हैं लेकिन अहमदाबाद का कार्यालय बन्द कर दिया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अहमदाबाद में राष्ट्रीय बचत संगठन का एक कार्यालय शुरू करने का अनुरोध करूंगा।

मैं माननीय वित्त मंत्री से भी नर्मदा बांध के निर्माण हेतु गुजरात सरकार को पर्याप्त निधि प्रदान करने के लिए अनुरोध करूंगा। सूखे की स्थिति के निबटने के लिए, गुजरात सरकार ने 850 करोड़ रुपया देने का अनुरोध किया है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपाल जी, अब आपको अपनी बात समाप्त करनी होगी।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : यह काफी गंभीर मामला है। मैं काफी दुखी हूं कि मेरे दल ने अंत में मेरा नाम दिया है। मैं उसके लिए दुखी हूं। मैं कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहा हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दुखी हूं, मैं आपको और ज्यादा समय नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : मुझे यह कहने में जरा भी शर्म नहीं है। मैं अपने दल के अध्यक्ष को एक शिकायत भी दूंगा।

गुजरात सरकार ने 850 करोड़ रुपयों की सहायता का अनुरोध किया था लेकिन केन्द्र सरकार ने केवल 150 करोड़ रु० दिया है। आप गुजरात के संसद सदस्यों से पूछ सकते हैं। राज्य का लगभग 50 प्रतिशत सूखा प्रभावित है। मवेशी घास तथा पेयजल के बिना मर रहे हैं। लोग वनसम्पदा में प्रदूषित पेयजल के कारण मर रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से सूखे की स्थिति से निबटने के लिए तथा बांध के निर्माण के लिए भी गुजरात सरकार को पर्याप्त धनराशि प्रदान करने का अनुरोध करूंगा। जहां तक नर्मदा बांध का संबंध है, पिछले दो वर्षों से हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं। गुजरात सरकार से एक और अनुरोध है यहां मैं धनराशि नहीं मांग रहा हूं तथा बाद में मैं प्रमाण भी दूंगा। गुजरात सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से सिंचाई तथा जल परियोजनाओं के लिए मानदंड हटाने का अनुरोध किया है। विदेशी ऋण लेने के लिए कतिपय प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं। गुजरात सरकार का यह अनुरोध गत तीन वर्षों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। अतएव, मैं आपसे इस मामले को देखने का अनुरोध करूंगा।

अब मैं अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं की तरफ आता हूं। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, हमारे देश की अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 30 करोड़ है जो कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत है। इस 30 करोड़ में से, 80% ग्रामीण भारत में निवास करता है। लेकिन विशेष अवयव योजना तथा आदिवासी उप योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी जाती है? मैं इन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। ये आंकड़े बजट में ही हैं। वास्तव में, मैंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से सरकार के साथ मिलकर यह मामला उठाने को कहा था कि 370 करोड़ रु० की यह विशिष्ट संघटक योजना, विशिष्ट संघटक योजना, आदिवासी उप-योजना, तथा यहां तक कि मंत्रालय का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से लोगों की जनसंख्या के आधार पर विशिष्ट संघटक योजना तथा आदिवासी उपयोजना पर आबंटन करने के लिए कहूंगा। मेरे पास एक आंकड़ा है। जो मैं माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में लाना चाहूंगा। यह सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो मैं आपको देना चाहता हूं। यह अन्य क्षेत्र के लिए, यथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सार्वजनिक व्यय अनुपात है। अन्य पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या 40%, अनुसूचित जाति की 16%,

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

अनुसूचित जनजाति की 9% है। ये सब मिलाकर भारत की जनसंख्या का 50% हैं। केन्द्र सरकार की कुल व्यय के अनुपात में यह व्यय कितना है? ये 1988-99 के लिए योजना आयोग के आंकड़े हैं। इस क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा व्यय का यह केवल 1.40% है। जहां तक राज्यों का संबंध है, मध्य प्रदेश में यह 10%, दिल्ली में 8%, तमिलनाडु में 7.22%, कर्नाटक में 6.19%, त्रिपुरा में 6.95%, आन्ध्र प्रदेश में 6.98%, महाराष्ट्र में 5.52% तथा गुजरात में 4.09% है। सभी राज्यों द्वारा मिलाकर औसत व्यय 5.38 प्रतिशत है। हमारी जनसंख्या 50% है लेकिन हमारे लोगों के लिए व्यय की गई राशि केवल पांच या छह प्रतिशत है।

अंत में, मैं आयकर विभाग पर आता हूं। आयुक्तों के पद फाइलों के आधार पर पुनर्गठित किए गए थे तथा मंजूर किए गए थे जो प्रति आयुक्त एक लाख फाइल है। मैं आपको आंकड़े नहीं देना चाहता हूं। आप इसका दिल्ली से जांच करवा सकते हैं कि वेतन प्रभाग में फाइलों की कुल संख्या क्या है तथा क्या पर्याप्त संख्या में आयुक्त वहां कार्य कर रहे हैं। कंपनी सर्किलों तथा आकलन सर्किलों में आयुक्त क्यों काम करना चाहते हैं। तथा वेतन सर्किल में नहीं काम करना [illegible] चाहता हूं कि वेतन तथा धन वापसी सर्किलों में और [illegible] वरिष्ठ अधिकारी तैनातकिए जायं। मेरा अगला [illegible] वापसी समय पर जारी की जाय। मैं अब भी आयकर विभाग को अपना विभाग मानता हूं। हमारे विभाग की छवि धन वापसी में हुए विलब के कारण खराब होती है। पक्की समय सीमा होनी चाहिए।

महोदय, मुझे कर्मचारियों ने निवेदन किया है कि मैं आपको सूचित करूं कि वे बाहर से काम कराने के विरुद्ध हैं। कृपया किसी भी केन्द्र सरकारी विभाग, जो कि सर्वाधिक संवेदनशील विभाग है, के काम को बाहर से कराने से पहले आयकर कर्मचारी परिसंघ और राजपत्रित कर्मचारी परिसंघ से सलाह करें। मैंने आपको एक पत्र लिखा जिसमें परिसंघ के प्रतिनिधियों से मिलने का समय मांगा है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। एम०पी०लैड स्कीम के बारे में मेरा सुझाव यह है कि ग्रामीण भारत से निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिक निधियां दी जायें। ऐसा इसलिये है कि ऐसे संसद सदस्य भी हैं। जिनको 1000 से अधिक गांवों का ख्याल रखना होता है। कृपया ग्रामीण भारत के प्रतिनिधि संसद सदस्यों और बड़े-बड़े निर्वाचनक्षेत्रों के प्रतिनिधि संसद सदस्यों के मामले लें। मुझे बताते है कि मेरे मित्र, श्री परांजपे के निर्वाचन क्षेत्र में वोटरों की संख्या 27 लाख के आसपास है। कुछ करना होगा। हमें और अधिक धनराशि की आवश्यकता है ताकि हम लोगों के लिये अधिक से अधिक काम कर सके।

इन्हीं कुछ सुझावों के साथ मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी हमारे पक्ष में कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं फाइनैन्स बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी पर अंकुश लगाया गया है, नये रोजगार सृजन किये गये हैं, अंत्योदय योजना के अंतर्गत जिस प्रकार से धन का आबंटन किया गया है, इसके लिए मैं फाइनैन्स मिनिस्टर का हृदय से स्वागत करता हूं। एक्साइज में काफी सुधार हमारे पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान वित्त मंत्री जी ने किये हैं, क्योंकि एक्साइज में जिस प्रकार की कठिनाइयां थीं, उससे छोटे व्यापारी और छोटे उद्यमी आज भी बहुत डरते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस बजट में जो पावरलूम है, जो रेडीमेड गारमैन्ट्स हैं, हौजरी है और पानीपत में गूदड़ से जो कम्बल बनते हैं, उनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, उससे पूरे देश के व्यवसायी प्रभावित हो रहे हैं।

1 अप्रैल से आज तक पावरलूम उद्योग, गारमैन्ट उद्योग, हौज़री उद्योग, कंबल उद्योग बंद चल रहे हैं। इतने लंबे समय तक बंद होंने के कारण खुद सोचा जा सकता है कि क्यों बंद हैं। पावरलूम उद्योग की बात की जा रही है कि कुछ लोगों ने बेनामी पावरलूम लगा लिए हैं। अगर कुछ लोगों ने बेनामी पावरलूम लगाए हैं तो उनकी जांच की जानी चाहिए। केवल कुछ लोगों के कारण सबको दंडित किया जाए यह न्यायोचित नहीं है। अगर पावरलूम बेनामी लगे हैं तो उनकी जांच कराकर उनको बैंक की सुविधा बंद की जानी चाहिए, बिजली के कनैक्शन काटे जाने चाहिए और जिन अधिकारियों ने ऐसे बेनामी पावरलूम लगाने की अनुमति दी है, उनको भी बर्खास्त किया जाए। महोदय, गरीब पावरलूम के बने कपड़े को कौन इंस्तेमाल करता है? उसको गरीब ही इस्तेमाल करता है। अमीर उसका नाइट सूट भी नहीं बनाता है, परंतु इस देश का रिक्शे वाला, मजदूर, भीख मांगने वाला पावरलूम के कपड़े को पहनकर अपनी ससुराल जाता है, शादी-ब्याह में जाता है। इसलिए उस पावरलूम को बिल्कुल छूट दी जानी चाहिए। यही स्थिति गारमैन्ट उद्योग की है। यही स्थिति हौज़री उद्योग की है।

हौज़री दो प्रकार की है। एक बड़े-बड़े उद्योगों में बनती है जैसे टीटी आदि है। इन लोगों के बड़े-बड़े विज्ञापन आते हैं और चूंकि इनका माल निर्यात भी होता है इसलिए इन पर एक्साइज लगाएं तो

बात समझ में आती है क्योंकि ये विज्ञापनों में अंदर की बात कहते हैं। हम बाहर की बात कहने वालों की बात कह रहे हैं। हमारे दस कामगार अपने घरों में हौज़री बनाते हैं और उनके घर की बनी बनियान 20 रुपये में मिलती है जिसको रिक्शा वाला पहनता है, जबकि बड़े हौजरी उद्योगों में बनी बनियान 40 रुपये में मिलती है जिसको अमीर आदमी पहनता है और वह विदेश जाती है। इसलिए हौजरी में जो तीन जगह टैक्स लगाया गया है, कपड़े पर बुनाई पर और फिर ब्लीचिंग या धुलाई पर, फिर कटिंग और सिलाई पर, उसमें एक करोड़ रुपये की छूट दी जानी चाहिए, पावरलूम को छूट दी जानी चाहिए। पानीपत और जालंधर तथा अमृतसर में पुरानी ऊन के जो कपड़े आते हैं विदेशों से, जिसको शेडी यार्न कहते हैं, उस गूदड़ से कंबल बनाए जाते हैं। ये कंबल 30 रुपये प्रति स्क्वैयर मीटर से 150 रुपये प्रति स्क्वैयर मीटर तक मिलते हैं। पहले इन पर पूरी छूट थी क्योंकि ये गरीबों में बांटे जाते हैं, जिन पर दैवी आपदा आती है, उनमें बांटे जाते हैं। पहले इन पर एक्साइज ड्यूटी नहीं थी लेकिन अब इन पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। मेरा निवेदन है कि बड़े कंबल बनाने वालों पर तो आप एक्साइज ड्यूटी लगाइए लेकिन जो 30 से 150 रुपये प्रति स्क्वैयर मीटर तक के कंबल हैं, जो गूदड़ से बनते हैं, शेडी यार्न से बनते हैं, इनको एक्साइज से बिल्कुल मुक्त रखा जाए।

महोदय, समय कम है इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वैट प्रणाली इस देश में लागू करने का प्रयास है। 50 साल से बिक्री कर की व्यवस्था से इस देश के व्यापारी प्रसन्न नहीं थे। वे मांग कर रहे थे कि उत्पादन कर लगाकर बिक्री कर समाप्त किया जाए। कांग्रेस ने 1980 के चुनाव घोषणापत्र में लिखा, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषणापत्र में लिखा कि अतिरिक्त उत्पादन कर लगाकर बिक्री कर समाप्त किया जाएगा और जिन पर लगा है, कपड़ा, तंबाकू और चीनी पर, उसे समाप्त किया जा रहा है। वैट प्रणाली को बड़ी वैधानिक प्रणाली बताया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि वह वैधानिक कैसे है। कहा जा रहा है कि एक समान बिक्रीकर हो जाएगा। मेरे पास 11 राज्यों के वैट हैं। मैंने इनका अध्ययन किया है। एक वैट मॉडल बनाया है जिसको एक समिति ने बनाया है, केन्द्र सरकार ने नहीं बनाया। केन्द्र सरकार ने समिति नहीं बनाई, लोक सभा ने समिति नहीं बनाई, किसी विधान सभा ने समिति को नहीं बनाया और बदनाम किया जा रहा है केन्द्र की सरकार को। इस तरह कैसे काम चलेगा? यह वैट एक्ट मॉडल एक समिति ने बनाया है और जो उसके अध्यक्ष हैं वह वैस्ट बंगाल के हैं। वैस्ट बंगाल ने जो एक्ट बनाया, वह इस मॉडल एक्ट के अनुरूप नहीं है और कहा जा रहा है कि एक समान बिक्री कर प्रणाली होगी। मैं यह कागज टेबल पर रखने के लिए तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप टेबल पर रख दीजिए।

श्री श्यामा बिहार मिश्र : जो 11 राज्यों के वैट एक्ट हैं, वह एक समान नहीं हैं। इसमें भिन्नताएं हैं।

महोदय, फिर एक समान कैसे है। खाद्यान्न के ऊपर वैट प्रणाली के माध्यम से डबल टैक्स लगाया जा रहा है, यह नहीं होना चाहिए। वैट प्रणाली का मूल सिद्धान्त डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मिश्रा जी, अब आप समाप्त करिए।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत जल्दी बोल रहा हूं और अपनी बातों को विस्तार में न कहकर बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं। आपने मुझे सात मिनट बोलने के लिए दिए हैं। कृपया मुझे सात मिनट तो दीजिए।

महोदय, वैट प्रणाली वैधानिक प्रणाली नहीं है। अतिरिक्त उत्पादन कर लगाकर बिक्री कर को समाप्त करना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि यह राज्यों का मैटर है, परन्तु केन्द्र सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह राज्यों का विषय है बल्कि जो नई प्रणाली आ रही है, इससे देश की अर्थ-व्यवस्था प्रभावित होने वाली है, देश का करावंचन और अन्य व्यवस्थाएं समाप्त हो रही हैं। माननीय वित्त मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह कोई एक साल का बजट नहीं है कि इस साल ध्यान नहीं दिया, तो अगले साल फिर बजट आएगा, बल्कि नई कर प्रणाली 100 वर्ष के लिए बन रही है। जो नई कर प्रणाली होगी, वह आने वाले 100 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। उससे देश की अर्थ-व्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएं जिसमें अर्थशास्त्री हों, कर-विशेषज्ञ हों, उद्यमियों के प्रतिनिधि हों, व्यापारियों के प्रतिनिधि हों और उपभोक्ताओं के भी प्रतिनिधि हों। वे इसका अध्ययन करें, इससे प्रभावित होने वाले ग्रुपों का ध्यान रखें और खूब सोच-विचार कर नई कर प्रणाली को लाएं। वर्तमान वैट प्रणाली जिस समिति ने बनाई उसमें अर्थशास्त्री नहीं थे, उसमें कई समुदायों के विशेषज्ञ नहीं थे, जिन्हें इसमें होना चाहिए था। इसलिए मेरा निवेदन है कि 1 अप्रैल, 2005 तक इसे स्थगित किया जाए और एक कमेटी का निर्माण कर इसका अध्ययन कर, नई कर प्रणाली लाई जाए। वर्तमान वैट प्रणाली मूल कर-सिद्धान्तों के विपरीत है।

महोदय, नई कर प्रणाली में सभी बातों का ध्यान रखा जाए। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश में केवल आठ राज्यों में गन्ने पर टैक्स है, लेकिन इस वैट प्रणाली के माध्यम से पूरे देश में टैक्स लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में अन्न और दालों पर कोई टैक्स नहीं है। इस नई प्रणाली के माध्यम से इन चीजों पर 4 प्रतिशत टैक्स लगाया जा रहा है। अमीर आदमी दो फुल्के खाता है, लेकिन गरीब आदमी, ठेले वाला, मजदूर या रिक्शे चलाने वाला, पूरा 400 ग्राम अन्न खाता है।

[श्री श्याम बिहारी मिश्र]

इस प्रकार से आप आटा और दाल भी महंगी कर रहे हैं। दाल और अन्न पर गुजरात, कलकत्ता, कर्नाटक और दिल्ली आदि में कोई टैक्स नहीं है, लेकिन नई कर प्रणाली द्वारा सारे राज्यों में टैक्स लगाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यह बिल्कुल गलत है। इसमें जो बातें कही जा रही हैं, वे ठीक नहीं हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कर प्रणाली का अध्ययन करने हेतु माननीय वित्त मंत्री जी के सभापतित्व में एक समिति गठित की जाए जो सभी पहलुओं पर विचार कर एक नई और अच्छी कर प्रणाली लागू कर सके। इसमें जिन 120 देशों की बात कही जा रही है, वे कितने फैडरल कंट्रीज हैं, उनकी आबादी कितनी है, क्या उन 120 देशों की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी के भी बराबर है और क्या उसका मुकाबला किया जा सकता है। 108 करोड़ की आबादी वाले देश का क्या कोई उन देशों से मुकाबला किया जा सकता है।

महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और अन्त में मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि पावरलूम, रैडीमेड गारमेंट्स, हौजरी पर पहले के अनुसार एक करोड़ रुपए तक छूट होनी चाहिए और 30 रुपए प्रति मीटर के कम्बल पर, जिस पर पहले कोई टैक्स नहीं था, [illegible] होनी चाहिए और गल्ले को करमुक्त किया जाए। [illegible] सिनवैट कर प्रणाली जिसके अनुसार 8 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है, उसे वापस लिया जाए और कस्टम और एक्साइज ड्यूटी में आपने जो छूट दी थी, उसे बढ़ाकर उसकी पूर्ति की जाए। इससे आपको ज्यादा राजस्व आएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं और वह है आलू किसानों की। आज आलू किसानों की देश में बहुत दयनीय स्थिति है। उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। आज आलू किसान मर रहा है। 50 रुपए क्विंटल किसान का आलू बिक रहा है। उसकी लागत भी पूरी नहीं हो रही है। मैं तहेदिल से इस वित्त विधेयक का अपने द्वारा दिए गए सुधारों के साथ समर्थन करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक 2003-2004 के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे नए वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह जी ने इसे बहुत धूम-धाम से प्रस्तुत किया है। इस वित्त विधेयक की विशेषता यह है कि इन्होंने इसमें गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया है। इससे पूर्व श्री यशवन्त सिंह जी चार वर्ष तक बजट पेश करते रहे, लेकिन वे गरीबी नहीं हटा पाए। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिन्हा जी को हटाकर जसवन्त सिंह जी को नया वित्त मंत्री बनाया। जसवन्त सिंह जी मिलिट्री के आदमी हैं। वे मजबूत हैं। इसलिए हमें यह लगा कि जैसे वे मजबूत हैं वैसे ही देश का बजट भी मजबूत होगा और गरीबी हट जाएगी, लेकिन हमारी यह आशा पूरी होती नजर नहीं आ रही है। जसवंत सिंह जी, आपने 2003-2004 के बजट में गरीबी हटाने का जो दिया है नारा, इसलिए जाग गया देश का गरीब सारा, डेढ़ साल में गरीबी हटाने का अगर सफल नहीं हुआ तुम्हारा नारा ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आप वित्त विधेयक पर कुछ रोशनी डालिए।

श्री रामदास आठवले : महोदय, गरीबी हटाने के लिए ही वित्त की आवश्यकता है। जसवंत सिंह जी, डेढ़ साल में अगर सफल नहीं हुआ आपका नारा, तो आने वाले चुनाव में अटल जी और आप सभी के बज जाएंगे बारह। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने गरीबी हटाने का नारा तो दे दिया है, लेकिन गरीबी हटाने के लिए जिन मुद्दों को, आइडियोलोजी को स्वीकार करना चाहिए, उसे हम नहीं स्वीकार रहे हैं। अगर आपको सही में गरीबी हटानी है तो हमारे देश में जो जमींदारी है, उसे थोड़ा खत्म करना चाहिए। अगर गरीबी हटानी है और नीचे के लोगों को ऊपर उठाना है तो नीचे के लोगों को ज्यादा पैसा देना चाहिए तो वे ऊपर उठ जाएंगे। आपका बजट ऐसा होता है कि ऊपर के लोगों को और ज्यादा ऊपर ले जाने का होता है और नीचे के लोगों को और ज्यादा नीचे ले जाता है। हमारे देश में गरीबी हटाने का नारा होता है, मगर बिलो पावर्टी लाईन की संख्या 26 प्रतिशत दिखा रहे हैं, जब कि असली में हमारे देश में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे हैं।

जसवंत सिंह जी, हम आपसे अपील करते हैं, आप एक अच्छे मंत्री हैं, उसके बावजूद भी आप वहां क्यों फंस गए हैं, हमें मालूम नहीं है। ... *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : ऐसी बात आपने यशवंत सिन्हा जी के बारे में भी कही थी कि आप बहुत अच्छे मंत्री हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : परांजपे जी, आप बीच में कैसे आ गए?

श्री प्रकाश परांजपे : महोदय, ये सब को ऐसे ही बोलते हैं। चार साल पहले ये यशवंत सिन्हा जी के बारे में भी ऐसे ही बोलते थे कि आप बहुत अच्छे हैं और आज इनके बारे में कह रहे हैं। पता नहीं इनकी पालिसी क्या है। *(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : अगर आपको भी मंत्री बनाया जाएगा तो आपके बारे में भी ऐसे ही बोलेंगे। ... *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे : इसका मतलब है कि जो मंत्री बनेगा, उसे आप अच्छा कहेंगे। ... *(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : लेकिन आपको मंत्री नहीं बना रहे।

श्री प्रकाश परांजपे : हमें मंत्री बनना भी नहीं है।

श्री रामदास आठवले : आपको मंत्री बनना कैसे नहीं है, अगर आपको बालासाहेब आदेश देंगे तो क्या आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आपको उधर देख कर भाषण नहीं करना है, आप इधर देख कर बोलिए।

श्री रामदास आठवले : मैं आपकी तरफ देख कर ही बोल रहा हूं, क्योंकि उधर देख कर बोलने से कोई फायदा भी नहीं है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि अगर आपको गरीबी हटानी है तो हरेक व्यक्ति के पास जमीन होनी चाहिए। एग्रीकल्चर करने वाले किसानों को खेती करने के लिए जमीन देनी चाहिए। इस तरह का कोई प्रावधान आपके इस बजट में होना चाहिए और जो बड़े उद्योग हैं, बड़ी प्रोपर्टी वाले लोग हैं, उनके पास कितनी प्रोपर्टी होनी चाहिए। रिलायंस की प्रोपर्टी अगर 70 हजार करोड़ रुपए है, अगर एक ही आदमी या समूह की प्रोपर्टी इतनी हो तो उस पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। बाबासाहेब अम्बेडकर जी भी चाहते थे कि एक आदमी की प्रोपर्टी कितनी होनी चाहिए। उन्होंने कांस्टीट्यूशन असेम्बली में अपने विचार भी रखे थे, मगर उस समय उन्हें ज्यादा सबूत नहीं मिले। इसलिए मेरा कहना है कि अगर सही मायनों में गरीबी हटानी है तो एक आदमी के नाम पर कितनी प्रोपर्टी होनी चाहिए। अगर एक आदमी के पास 50 एकड़ जमीन है और दूसरे के पास हजार, 200 या 400 एकड़ जमीन है, एक व्यक्ति के पास दस-दस गाड़ियां हैं और दूसरे के पास साइकिल भी नहीं है, इसलिए इसमें कोई न कोई प्रावधान और बदल करने की आवश्यकता है। अगर आप समाज में चेंज चाहते हैं तो मेरी मांग है कि इसी तरह की इकोनोमिक इक्वेलिटी का इंडियन कांस्टीट्यूशन ने जो मुद्दा स्वीकार किया है, उसे अमल में लाने के लिए 55 साल में हम सफल नहीं हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके द्वारा इस तरह का एक अच्छा काम होना चाहिए। एस०सी०, एस०टी० के जो लोग हैं, आज उनकी पापुलेशन कम से कम 31 प्रतिशत है, इसलिए उन्हें 31 प्रतिशत रिजर्वेशन देने के बारे में सोचना चाहिए। आपका जो बजट 4 लाख 38,795 करोड़ का है, उसमें कम से कम एक लाख दस करोड़ रुपए एस०सी०, एस०टी० के डेवलपमेंट के लिए लगाने की आवश्यकता है। इसलिए इसी तरह का कोई न कोई काम आप कर लीजिए। अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो ज्यादा दिन तक आप वहां रहेंगे। अगर आप इतना अच्छा काम करेंगे तो भी आपको मजबूत निर्णय लेने की आवश्यकता है। दूसरी मांग हमारी यह है कि एम०पी०लेड तो है, अगर आपको सरकार पांच साल चलानी है तो एक एम०पी० को एम०पी०लेड फंड पांच करोड़ करने की आवश्यकता है। पैसा तो आपके पास बहुत है, 4.38 लाख करोड़ रुपया है। मैं आपको 1-2 सुझाव देना चाहता हूं। अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो हमारे देश में चार लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा ब्लैकमनी है। सरकार के खाते में यह पैसा भी आना चाहिए। अगर चार हजार करोड़ रुपया आप अपने कब्जे में लेते हैं तो हम आपको ज्यादा पैसा दे सकते हैं, इसलिए ब्लैकमनी को भी हटाने का काम आपको करना है, जो ब्लैकमनी हमारे देश में बढ़ती जा रही है और जो हमारे देश के विकास में बहुत बड़ी हर्डल पैदा हो रही है, उसे कम करने के बारे में आपको विचार करने की आवश्यकता है।

दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी हमारे देश के संविधान के शिल्पकार भी हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो मैमोरियल है, इसे मुम्बई में होने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको मदद करने की आवश्यकता है। जहां आपने पार्लियामेंट में यहां शिवाजी महाराज जी का पुतला अभी बिठाया है। यहां विश्वेश्वर जी का भी है, महात्मा गांधी जी का भी है, मेरी मांग यह है कि गौतम बुद्ध का स्टेच्यू इस परिसर में लगाने की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध दुनिया में शान्तिदूत हैं और पूरी दुनिया को शान्ति का संदेश देने वाले हैं। तथागत गौतम बुद्ध जी का भी बहुत बड़ा स्टूच्यू यहां लगाने की आवश्यकता है। उसके लिए भी आपको आर्थिक प्रावधान करने की आवश्यकता है।

मुम्बई शहर के माध्यम से, हमारे चन्द्रकान्त खैरे जी बता रहे थे कि मुम्बई से 44 परसेंट रेवेन्यू आपको मिलती है, इसलिए 20 साल के लिए मुम्बई के डवलपमेंट के लिए दो हजार करोड़ रुपया मिलना चाहिए। दूसरी हमारी मांग यह है कि जैसे दिल्ली हमारी कैपीटल है, उसी तरह मुम्बई को सब-कैपीटल का दर्जा देने की आवश्यकता है। संसद का एक अधिवेशन वहां होना चाहिए। पैसा तो आप वहां से ज्यादा लेते हैं तो वहां अधिवेशन करने में क्या प्राब्लम है? इसलिए हमारी यह भी मांग है कि एक अधिवेशन अगर मुम्बई में हो जाता है तो मुम्बई से और भी ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। इसलिए मुम्बई को उप-राजधानी का दर्जा भी देने की अवश्यकता है। मुम्बई में कांदीवली में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बनाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी जितना बाकी है, वह सब ले कर दो।

श्री रामदास आठवले : ले करने से क्या फायदा है?

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी जितनी बाकी स्पीच है, वह सब ले कर दो।

श्री रामदास आठवले : इस तरह स्पीच देने से कुछ होने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर समाप्त करो।

श्री रामदास आठवले : 1-2 मिनट में समाप्त करता हूं।

हमारी दूसरी मांग यह है कि है स्लम डवलपमेंट के लिए भी चाहे मुम्बई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, बंगलौर हो, हैदराबाद हो, लखनऊ, हो, जो भी सिटी हो, सभी सिटीज में स्लम डवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी ज्यादा से ज्यादा प्रावधान करने की आवश्यकता है। आपको काम करने की जरूरत है।

दूसरी बात यह है कि आपने जो 18 लाख पावरलूम वाले हैं, यह महाराष्ट्र में 65 प्रतिशत हैं, जो भिवंडी, मालेगांव, धूले, इचलकरंजी और नागपुर में हैं, उनमें से 80 परसेंट पावरलूम बेस वाले छोटे लोग हैं। उनके बारे में आपने चर्चा भी की है। आपने सिम्पैथी तो दिखाई है, मगर खाली सिम्पैथी दिखाने से काम चलने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : सारा नोट कर लिया।

उवले, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये आपने इतना सारा समय ले लिया।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : इसके बारे में भी हम आपसे कुछ निर्णय चाहते हैं, जो 10 परसेंट एक्साइज कम करने के बारे में भी आपको विचार करना है। पंढरपुर में जो एक छोटा सा एयरपोर्ट है, शिरडी की धरती पर बनाने की आवश्यकता है। पंढरपुर में एक स्टेडियम भी बनना चाहिए और बी०पी०एल० का रीसर्वे करने की आवश्यकता है। उसके साथ-साथ आपने लेबर लॉज में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यह काम भी आपको करना चाहिए। आपने समय दे दिया और मंत्री महोदय को वक्त भी चाहिए, नहीं तो हम लोग ही बोलते रहेंगे तो इन्हें समय नहीं मिलेगा, इसलिए आपके लिए भी वक्त रखने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य, अपना भाषण सभा के पटल पर रखना चाहता हूं, तो वह ऐसा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष महोदय हमारे लिए वक्त रखते हैं और आपने हमारे लिए पैसा रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : रामदास जी, अब आपको अपना भाषण समाप्त करने की आवश्यकता है।

श्री रामदास आठवले : मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि–

"जसवंत सिंह साहब, मारनी है लात,
तो जनता की पीठ पर लात मारो
उनके पेट पर लात
मारने का पाप मत करो
अगर आपके पास देने के लिए
कुछ नहीं हो तो मत दीजिए
मगर गरीबों से लेने की
कोशिश मत करो
देश का करना ही है
तो विकास करो
देश को बर्बाद करने की
कोशिश मत करो।
यही हम आपसे उम्मीद करते हैं"

अंत में यही कहना चाहता हूं कि यह बजट गरीब विरोधी और बेरोजगारी बढ़ाने वाला है। इस बजट से इकॉनोमिकली इक्वेलिटी, सोशली इक्वेलिटी आने वाली नहीं है इसलिए आपको उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी माननीय सदस्य अपने भाषण की प्रति सभापटल पर रख सकता है।

***श्री मणि शंकर अय्यर** (मयिलादुतुराई) : मैं अपने भाषण की प्रति सभापटल पर रखता हूं। *अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह वित्त विधेयक पर हुई इस बहस के उत्तर में निम्नलिखित मुद्दों पर कृपया अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

पूर्व व्यापी प्रभाव से सिगरेटों पर उत्पाद रियायत वापसी का प्रस्ताव, जिसकी आज्ञा पूर्वोत्तर क्षेत्र में जुलाई 1999 की अधिसूचना द्वारा हो गयी थी, की मुख्यत: इस आधार पर वापिस लिया जाना चाहिये कि पूर्व व्यापी प्रभाव से विधान प्राकृतिक न्याय और अच्छ शासन के सिद्धान्तों

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के विपरीत है। चालू वित्तीय वर्ष से आगे इस रियायत की वापिसी उचित होगी परन्तु पूर्व व्यापी प्रभाव से यह काम शुरू करना उद्योग पर सरकार की गलतियों के लिये जुर्माना लगाना होगा। इसके अतिरिक्त निवेशकों का निवेश शून्य क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बजटीय और घाटे वाले बजट क्षेत्रों में विश्वास बुरी तरह से हिल गया है, लाबियों में असंगतता और आर्थिक व्यवस्था में मेधता के कारण घरेलू निवेशक के विश्वास को भी प्रभावित करती है। इससे विदेशी निवेशक अनिश्चित और परिवर्तनशील नीति कार्य के कारण दूर होने लगे हैं। अत: यह मामला उत्पादन शुल्क रियायत से बड़ा है श्रयलियाबाद में होने वाले इस विधान से यह रियायत वापिसी समग्र रूप में आर्थिक व्यवस्था के लाभ से होगी।

मिलों के कपड़े पर 10 प्रतिशत का उत्पादन शुल्क लगाने का प्रस्ताव ने समूचे देश में, विशेषकर तमिलनाडु में उद्योग को मौत के कगार पर रख दिया है, समाप्त हो रहे उद्योग के लिये एक और प्रहार है जिसको पुर्नजीवित करना विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के सकारात्मक लाभों की प्राप्ति के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिये उत्पादन शुल्क का जो प्रस्ताव है, उसे कृपया वापिस लिया जाये।

जबकि साधारणतया 'वैट' में बहुत सी समस्यायें है, कपड़े के क्षेत्र में वैट लगाने का प्रस्ताव अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व का सामान) अधिनियम 1957 के प्रावधानों का उल्लंघन प्रतीत होता है जिसका विधान इस क्षेत्र में बिक्री कर से बचाव की दृष्टि से किया गया है, जहां पर पूरे देश में फैले अनेक प्रकार के व्यापारियों से कर एकत्र करना असम्भव होगा। यह स्थिति 'वैट' पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी बिक्री कर पद्धति।

केन्द्रीय उत्पाद अधिसूचना सं० 7/2003 जब 2002 की अधिसूचना सं० 6 और 14 के साथ पठित होती है इस संबंध में जहां तक यह सूत को डाई करने, तानाबाना बुनने, और तत्संबंधी कार्य होता है, माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि यह मुख्य आर्थिक गतिविधि है जिसमें कृषि के पश्चात् गैर संगठित क्षेत्र में अधिकतम व्यक्तियों को रोजगार मिलना है। ऐसी स्थिति में जहां गैर कृषि ग्रामीण रोजगार अन्य रोजगारों की तुलना में बहुत धीरेन्धीरे बढ़ रहा है और जिसको पिछले वित्तीय वर्ष में नकारात्मक होने का अनुमान था, उस घरेलू उद्योग को पुर्नजीवित करने और वस्त्र व्यापार के वैश्वीकरण की चुनौतियों और अवसरों दोनों के लिये गति प्रदान करने के लिये इस अधिसूचना को वापस लेना बहुत महत्वपूर्ण है।

मच्छर-दानी उत्पादकों, उप शीर्ष 6000253 के अंतर्गत कवर की गयी विशेषकर एच०डी०पी०ई० गेवोविलफर मंश मच्छर नेट, को प्रस्तावित 8 प्रतिशत + 2 प्रति ए०ई०डी० उत्पादक शुल्क के हानिकारक परिणामों से बचाया जाना चाहिये। इस उद्योग को 68ए मद सं० 14 के अंतर्गत मिली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट के साथ संगत इस उत्पाद शुल्क को वापिस लिया जाना चाहिये।

मैं माननीय वित्त मंत्री को विपक्ष के उप नेता और अन्य पार्टी नेताओं द्वारा पावरलूम उद्योग पर 'सिनवैट' शुल्क की वापिसी के लिये दिये गये अभ्यावेदन को अनुमोदन करता हूं। इसके साथ-साथ मैं सिल्क, सूती और रोशनी/मिले जुले कपड़े, क्षेत्र में समग्र दृष्टिकोण का आग्रह करता हूं क्योंकि विशेषकर सिल्क हैंडलूम खादी सिल्क उध्पादकों को दिये जा रहे लाभप्रद मूल्यों और सिल्क पावरलूम उद्योग को दिये जा रहे लाभों के बीच पिसता है। माननीय वित्त मंत्री कृपया नोट करें कि जहां सिल्क पावरलूम उद्योग में निजी क्षेत्र के बड़े उत्पादक है, सिल्क हैडलूम उद्योग कुटीर उद्योगों और सिल्क सहकारी क्षेत्र, दोनों का संरक्षक है। दोनों को बड़े उत्पादकों की अपेक्षा प्रोत्साहन की आवश्यकता अधिक पड़ती है। सूती कपड़ा हैडलूम की तुलना में सिल्क हैडलूम में तमिलनाडु में मेरे निर्वाचन क्षेत्र मयिलादुतुराई सहित बहुत कम क्षेत्र है जो देश के कुछ भीतरी भागों में फैला है। इस निर्वाचन क्षेत्र में उत्पादन के मुख्य क्षेत्रों में मयिलादुतुराई और नागापटनम जिले के अन्य केन्द्रों के अतिरिक्त तंजाबुर जिले में पट्टस्विरम, दारासुरम, कुम्भकोणम और थिरूमवनम शामिल है। सिल्क हैडलूम बुनकरों की समस्याओं का समाधान हैडलूम और देश में पावरलूम क्षेत्र और हैडलूम क्षेत्रों को पुनजीर्वित करना है। इसके साथ-साथ यह भी याद रखना होगा कि इनमें रोजगार के अच्छे अवसर हैं तथा इनमें काफी निर्यात क्षमता है।

माननीय वित्त मंत्री ने सिलेसिलाये वस्त्रों के उत्पादन पर एस०एस०आई० छूट सीमा को वापिस लेने का प्रस्ताव किया है हालांकि 98% उत्पादक कुटीर और छेटे उद्योग श्रेणी में हैं। जबकि बैंड नाम धारक कपड़ों, पर उत्पाद शुल्क लगाने का कोई औचित्य हो सकता है सिलेसिलाये वस्त्र उद्योग पर उत्पादन शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि वह गरीबों को वस्त्रों संबंधी सामूहिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये बनाये जाते हैं। एक ऐसा अनुमान है, कि कपड़े पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि 30% तक पहले ही बढ़ चुकी है और इसको आगे 8% और उत्पादन कर लगाने से यह 40% हो जायेगा। और इससे गरीब ग्राहकों को भी नुकसान होगा और सिलेसिलाये वस्त्र के उत्पादन से अपनी आजीविका कमाने वाले हमारे 40% लाख भाारतीयों की आजीविका भी खतरे में पड़ेगी।

माननीय वित्त मंत्री मिठाइयों और नमकीनों के उत्पादों में भेदभाव करते हैं जो कि खाद्य संसाधित करने वाले उद्योगों का एक मुख्य क्षेत्र है, और जोकि आयातित उत्पादों के विकल्पों के पक्ष में है। गृह उद्योग में बनने वाली इन आईटमों पर केन्द्रीय प्रस्तावित उत्पादन शुल्क वापिस लिया जाना चाहिये।

श्री पी०आर० किन्डिया (शिलांग) : क्या मैं दो मिनट बोल सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप अपना भाषण सभा पटल पर रखे।

श्री पी०आर० किन्डिया : मेरे पास लिखित भाषण नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण तैयार करे और इसे कल पटल पर रखे। मैं आपको इसके लिये अनुमति दूंगा।

श्री पी०आर० किन्डिया : मैं अपना भाषण दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे दो मिनट में समाप्त नहीं कर पायेंगे। श्री नंद कुमार सिंह चौहान भी यहां है। वह अपनी बारी का इन्तजार कर रहे हैं। इसलिये मुझे लगता है कि आप अपना भाषण तैयार करे और इसे पटल पर रखें। अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.38 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 30 अप्रैल, 2003/10 वैशाख, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।